खण्ड-457, अंक-9
सोमवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1927
(20 मार्च, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 457 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	क--च
श्री अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों को होली की बधाई	...	1
प्रश्नोत्तर	...	1--110
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बेचन राम गुप्ता, श्री रामनाथ तिवारी, श्री वंश नारायण सिंह, श्रीमती सन्तोष कुमारी पाठक के निधन पर शोकोद्गार	...	110--111
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने पर आपत्ति	...	112
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	112--113
आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत समस्त तालों से पानी की निकासी एवं नालों की सफाई/खुदाई कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	...	114
राजकीय नेशनल होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ एवं अन्य स्थानों पर कार्यरत अतिथि प्रवक्तागण के स्थायी समायोजन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	114
मुरादाबाद के कॉठ क्षेत्रान्तर्गत रपटे के दोनों ओर सड़क निर्माण/मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	115
बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका परिषद्, शिकारपुर की सैकड़ों हेक्टेयर जलमग्न भूमि की जल निकासी व्यवस्था कराने एवं अतिक्रमण रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	115--116
जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 14 मार्च, 2006 को भयंकर आंधी तूफान से नष्ट हुई किसानों की फसल का मुआवजा देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	116
फैजाबाद नगर के देवकली एवं वजीरगंज क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	116
सुल्तानपुर में ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए आरक्षित की गयी जमीन पर दूकानों का निर्माण एवं अन्य शेष कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	117
प्रदेश के अन्य पड़ोसी राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में सेल्सटैक्स की दरें समान रूप से लागू किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	117
गोरखपुर निवासी सुनील साहनी की पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की जांच कराने एवं मृतक परिवार को मुआवजा देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकर नगर में पौसरा रजबहा के टेल के हिस्से के महरीपुर कैनाल से जोड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	118
शाहजहांपुर के विसरात घाट पर पैदल पुल के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
वाराणसी जनपद की जी0टी0रोड कछवा से बाबतपुर एयर पोर्ट की अति महत्वपूर्ण ध्वस्त सड़क के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
जनपद इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के एवं अनियमितताओं को दूर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	120
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ...	120--121
दिनांक 11 मार्च, 2006 को 91 विभागों की अनुदान मांगों को बिना किसी प्रकार की चर्चा कराये विधान सभा को एक साथ स्वीकृत कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	121--124
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ...	124--141
श्री उदयभान करवरिया द्वारा श्री मोहम्मद आजम खां संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री शारदा नन्द अंचल राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) सहकारिता के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 5 अगस्त, 2004 के संबंध में लिये गये निर्णय की सूचना ...	141--142
प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति न मिलने के संबंध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित एक घण्टे की चर्चा (जारी) ...	142--143
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	143
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	144
जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज में ब्लाक प्रमुख के चुनाव में हिस्ट्रीशीटर श्री धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	145--146
जनपद प्रतापगढ़ स्थित अग्निशमन केन्द्रों पर दमकल की गाड़ियों में डीजल उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	146--147
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के संबंध में श्री राम कृपाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य ...	148

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीही के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय की बाउण्ड्री बनाने में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विधायक निधि के धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में डा0 रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री के वक्तव्य ...	148
जनपद बस्ती स्थित रेफरल अस्पताल में निदेशकों/चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	148--149
जनपद कानपुर से घाटमपुर क्षेत्र से मुगलरोड से कमालपुर नवही मार्ग का सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री के वक्तव्य ...	149--150
जनपद मथुरा स्थित ग्राम पेरसुआ अन्तर्गत श्री बांके लाल के घर पर दबंगों द्वारा लूटपाट एवं मारपीट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में श्री प्रेम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	150--151
जनपद गाजियाबाद स्थित रिलायन्स पावर प्रोजेक्ट लगाने हेतु अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा न दिये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र शिशौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	151
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण न किये जाने के संबंध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	151--152
के0पी0एल0टी0 ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के सेवा निवृत्त शिक्षकों के बकायों का भुगतान न होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	152--153
विधान सभा क्षेत्र हंडिया, जनपद इलाहाबाद में नेशनल हाइवे जी0टी0 रोड फोर लेन के कार्य के कारण ग्रामीण मार्गों के ध्वस्त हो जाने के संबंध में श्री महेश नारायण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	153
शाहजहांपुर की अधूरी पड़ी सीवर लाइन को चालू कराये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	153--154
लखनऊ स्थित ऐतिहासिक टिकैतराय तालाब के रख-रखाव की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	155
गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों का विनियमितीकरण किये जाने विषयक डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ...	155--162
नत्थियां	163--170

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य--298

1--अकीलुर्रहमान खां, श्री मुरादाबाद
2--अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3--अजय कुमार, डा0 बागपत
4--अजीम भाई, श्री फिरोजाबाद
5--अताउल रहमान, श्री बरेली
6--अनवर महमूद, श्री बलरामपुर
7--अनार सिंह दिवाकर, श्री एटा
8--अनिल कुमार पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
9--अनिल कुमार वर्मा, श्री सीतापुर
10--अनिल कुमार वर्मा, श्री हरदोई
11--अनिल कुमार सिंह यादव, श्री एटा
12--अनिल सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
13--अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री पीलीभीत
14--अनूप कुमार पाण्डेय, श्री बस्ती
15--अन्सार अहमद, श्री इलाहाबाद
16--अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री फतेहपुर
17--अमर सिंह परमार, श्री आगरा
18--अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री हाथरस
19--अम्बिका चौधरी, श्री बलिया
20--अम्बेश कुमारी, श्रीमती महोबा
21--अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
22--अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री बाराबंकी
23--अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 जालौन
24--अरुण कुमारी, श्रीमती कानपुर देहात
25--अरुणवीर सिंह, श्री बहराइच
26--अरुणा तोमर, श्रीमती कानपुर नगर
27--अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्त कबीर नगर
28--अवधेश कुमार वर्मा, श्री शाहजहांपुर
29--अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
30--अशोक कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
31--अशोक बाजपेयी, डा0 हरदोई
32--अशोक सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
33--आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री सिद्धार्थनगर
34--आनन्द प्रकाश लोधी, श्री फतेहपुर
35--आर0एस0 कुशवाहा, श्री खीरी
36--आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
37--आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
38--आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
39--आशा किशोर, श्रीमती रायबरेली
40--आशीष यादव, श्री बदायूं
41--आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
42--इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
43--इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
44--उज्ज्वल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
45--उदयराज यादव, श्री उन्नाव

46--उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
47--उमाशंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
48--ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
49--ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
50--ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
51--ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
52--ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
53--कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
54--कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
55--काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
56--कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
57--कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
58--काशीराम, श्री रामपुर
59--किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
60--किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
61--कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
62--कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
63--कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
64--कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65--कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
66--कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
68--कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
69--कौशल किशोर, श्री खीरी
70--कौशल किशोर, श्री लखनऊ
71--गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
72--गया चरन दिनकर, श्री बांदा
73--गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
74--गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
75--घूरा राम, श्री बलिया
76--चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
77--चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
78--छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
79--छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
80--जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
81--जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
82--जगदीश नारायण (राय) श्री जौनपुर
83--जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
84--जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
85--जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
86--जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
87--जटा शंकर सिंह बहराइच
88--जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
89--जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
90--जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
91--तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
92--ददू प्रसाद, श्री चित्रकूट
93--दयाराम, श्री कौशाम्बी
94--दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
95--दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
96--दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
97--दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
98--दीनानाथ भाष्कर, श्री सन्त रविदासनगर, भदोही
99--दुर्गाप्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
100--देव नारायण उर्फ जी0 एन0 सिंह, श्री गोरखपुर
101--देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
102--द्वारिका प्रसाद, श्री सन्तकबीरनगर

103--धर्मजय सिंह, श्री जौनपुर
104--धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
105--धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
106--धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
107--धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
108--धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
109--नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
110--नरेन्द्र कुमार, श्री गौतमबुद्धनगर
111--नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
112--नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
113--नरेन्द्र शिशौदिया, श्री गाजियाबाद
114--परमजीत, श्री मुजफ्फर नगर
115--परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
116--पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
117--पीतम राम, श्री पीलीभीत
118--पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
119--प्रताप चौधरी, श्री हाथरस
120--प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
121--प्रभु दयाल, श्री मेरठ
122--प्रभु नारायण, श्री चन्दौली
123--प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
124--प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
125--प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
126--प्रेमपाल सिंह यादव, श्री बदांयू
127--प्रेम सिंह, श्री मथुरा
128--फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
129--फागू, श्री मऊ
130--बलराम यादव, श्री आजमगढ़
131--बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
132--बाबू राम, एम0काम, श्री जालौन
133--बाबू लाल, श्री गोण्डा
134--बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
135--विजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
136--बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
137--बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
138--बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
139--बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुँवर, एडवोकेट जालौन
140--बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
141--ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
142--भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
143--भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
144--भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
145--भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
146--मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
147--मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
148--मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
149--मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
150--मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
151--मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
152--मशहूद खां, श्री बलरामपुर
153--मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
154--महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूले नगर
155--महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
156--महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
157--महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
158--माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थ नगर
159--मान पाल सिंह, श्री एटा
160--माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
161--मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर

162--मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
163--मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
164--मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
165--मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
166--मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
167--मोहम्मद आजम खाँ, श्री रामपुर
168--मोहम्मद बशीर, चौधरी आगरा
169--मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
170--मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
171--मोहम्मद शफीर, श्री फतेहपुर
172--यशपाल चौधरी, श्री खीरी
173--यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
174--याकूब, हाजी मेरठ
175--योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
176--योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
177--रंगनाथ मिश्र, श्री संत रविदास नगर, भदोही
178--रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
179--रणवीर राणा, श्री मेरठ
180--रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
181--रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
182--रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
183--राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
184--राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
185--राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
186--राजपाल सिंह वालियान, श्री मुजफ्फरनगर
187--राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
188--राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
189--राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
190--राजा राम, श्री प्रतापगढ़
191--राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
192--राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
193--राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
194--राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
195--राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
196--राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
197--राजेश कुमार, श्री खीरी
198--राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
199--राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
200--राबिया कलाम, श्रीमती वाराणसी
201--राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
202--रामकरन आर्य, श्री बस्ती
203--राम किशुन, श्री चन्दौली
204--राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
205--राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
206--राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
207--रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
208--रामपाल यादव, श्री सीतापुर
209--राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
210--राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
211--रामबाबू हरित, डा0 आगरा
212--राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
213--राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
214--राम मगन, श्री बाराबंकी
215--राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
216--रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
217--रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद

218--राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
219--राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
220--राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
221--रामहेत भारती, श्री सीतापुर
222--रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
223--रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
224--रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
225--लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
226--लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
227--लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
228--वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
229--वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
230--विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
231--विजय सिंह, श्री सोनभद्र
232--विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
233--विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
234--विनय शाक्य, श्री औरैया
235--विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
236--विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
237--विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
238--विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
239--विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
240--वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर
241--वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
242--वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
243--वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
244--शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री संतरविदास नगर, भदोही
245--शब्बीर, श्री बहराइच
246--शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
247-शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
248--शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
249--शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
250--शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
251--शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
252--शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
253--शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
254--शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
255--शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
256--शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
257--शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
258--शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
259--शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
260--श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
261--श्याम नारायण, श्री महराजगंज
262--श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
263--श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
264--श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
265--श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
266--श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
267--श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर
268--संजीव दरियावादी, श्री कानपुर नगर
269--संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
270--सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
271--सत्तो देवी, श्रीमती सहारनपुर
272--सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
273--सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
274--सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी
275--समरपाल सिंह, श्री बागपत
276--सलिल विशनोई, श्री कानपुर नगर
277--सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा

278--सियाराम सागर, डा0 बरेली
279--सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
280--सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
281--सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
282--सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री गाजियाबाद
283--सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0 बांदा
284--सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
285--सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
286--सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
287--सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
288--सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
289--सुल्तान बेग, श्री बरेली
290--सुशील चौधरी, डा0 सहारनपुर
291--सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
292--सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर
293--सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी
294--स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
295--हरि प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
296--हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
297--हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
298--हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

नोट--परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों को होली की बधाई

श्री अध्यक्ष--

आप लोगों को होली मंगलमय हो।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय

**1--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को 1 अप्रैल, 2006 से बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। ? यदि हां, तो उक्त भत्ता देने के मानक क्या हैं ? इसके लिये बजट में कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है तथा उसका कार्यान्वयन कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

जी हां।

ऐसे बेरोजगार नवयुवक जो स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं तथा 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रदेश के संवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हैं, को रु0 500 प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत नियम बनाये जाने आदि की कार्यवाही की जा रही है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार द्वारा बहुत समय से जब से यह सरकार सत्ता में आई थी, यह घोषणा की गई थी कि प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार नवयुवकों को दिया जायेगा। चूँकि चुनावी वर्ष है इसलिये पुन: माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में इसकी घोषणा की है। मैंने प्रश्न किया था कि अगर सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है तो उसके लिये बजट में कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ? मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है उसमें भी इसके बारे में नहीं बताया गया है और न ही बजट में ही एक रुपये का भी प्राविधान इसके लिये किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिये कितनी धनराशि का प्राविधान सरकार ने वर्ष 2006-2007 के बजट में किया है ? दूसरा प्रश्न मैं आपके माध्यम से यह करना चाहता हूं कि सरकार ने पहले कहा था कि 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रदेश के संवायोजन कार्यालयों में जो स्नातक और स्नातकोत्तर पंजीकृत होंगे उनको 500 रुपये प्रतिमाह बेराजगारी भत्ता दिया जायेगा। इस डेट में परिवर्तन करके 18 फरवरी, 2006 तक की बात कही गई। 18 फरवरी, 2006 तक कितने पंजीकृत होंगे ?

श्री अध्यक्ष--

एक-एक करके पूछिये।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैंने दो सवाल किये । एक तो यह कि कितनी धनराशि का प्राविधान और दूसरा कि 18 फरवरी, 2006 तक कितने लोग सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हुए ?

डा0 वकार अहमद शाह--

31 दिसम्बर, 2005 तक 3 लाख 4 हजार 772 स्नातक और 88 हजार 7 स्नातकोत्तर बेरोजगारों के पंजीकृत होने की सूचना हमारे पास है। डेट में परिवर्तन की जो घोषणा 28 फरवरी तक माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई है उसके अनुसार और जो बेरोजगारों की संख्या हमारे पास पहुंचेगी उन सबको बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। पहले हम पंजीकृत की संख्या निकालेंगे। नियम बन रहे हैं। धनराशि की व्यवस्था समय से हो जायेगी। आप चिन्ता न कीजिये। यह सरकार का दृढ़ संकल्प है और अपने किये हुए वायदे को पूरा करेगी। हमने तीन लाख से ऊपर लोगों को नौकरी दे रखी है। यह जो बेरोजगारी की समस्या काफी पहले से चली आ रही है हम उसको खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं और बहुत जल्दी नियम बनाकर उनको पैसा देंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं आया है। मैं भी बहुत समय से विधान सभा का सदस्य हूं। अभी आपने एक भी रुपये का प्राविधान बजट में बेरोजगारी भत्ते के लिये नहीं किया है तो आप कहां से इतने लोगों को पैसा देंगे ? दूसरा मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में प्रदेश के अन्दर 30 लाख स्नातक/स्नातकोत्तर बेरोजगार हैं। सरकार की घोषणा सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की है। क्या सरकार सभी स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ? सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन प्रदेश के अन्दर जो स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

डा0 वकार अहमद शाह--

जहां तक माननीय सदस्य ने संख्या की बात बताई है। हमारे पास 31 दिसम्बर, 2005 तक पंजीकृत बेरोजगारों की जो संख्या थी वह हमने बताई है। 28 फरवरी तक जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है उसके अनुसार जो लोग अपने नाम लिखा लेंगे वह हमारे पास आ जायेंगे। वह आ जाएंगे। उन सबकी संख्या बता देंगे। लगभग 3 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जा चुका है। बाकी को रोजगार देने के लिये विभिन्न योजनायें चला रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह--

आपने संकल्प किया है और दृढ़ संकल्प हैं। मेरा प्रश्न से संबंधित सवाल है बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा की गई । बाहर करते तो दूसरी बात होती यह घोषणा बजट भाषण के दौरान की गई और इसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। सामान्य प्रक्रिया यह रही है कि कोई घोषणा करते हैं, बजट पेश करने के पहले करते हैं तो प्रतीकात्मक प्राविधान करना पड़ता है वह किया नहीं है। आपने जो घोषणा की है इसमें आप संख्या बता दें ? नियमावली बनती रहेगी दो महीने, तीन महीने में। इस संबंध में धन का प्राविधान कैसे करेंगे ? किस स्रोत से करेंगे। कब तक 500 रुपये का मानदेय मिलना शुरू हो जायेगा यह बता दें ?

डा0 वकार अहमद शाह--

बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। जब संख्या पूरी हो जाएगी। 31 दिसम्बर तक की संख्या बता दी। 28 फरवरी तक के लिए पंजीकरण की बात कही है तो अपनी सरकार की घोषणा के अनुसार धन की व्यवस्था करा लेंगे। उसी अनुसार पैसा देंगे।

श्री हुकुम सिंह--

संख्या बता दें।

श्री अध्यक्ष--

स्पेसिफिक संख्या बता दी। स्पष्ट रूप से संख्या बता दी, कितने लाभान्वित होंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूं जिनके बारे में जानकारी है जिनकी संख्या के बारे में जानकारी है, उनको कब तक मिल जाएगा ?

डा0 वकार अहमद शाह--

बहुत जल्दी हो जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

बहुत हो गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के संबंध में विस्तृत नियमों को बनाने की कार्यवाही की जा रही है। यह नियम कब तक बन जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जल्दी बना देंगे कह दिया, अब यह कौन सा प्रश्न कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

कार्यवाही प्रचलित है .....

श्री अध्यक्ष--

28 फरवरी तक के बारे में मंत्री जी ने कहा है वह आ जाएगा तो नियम बनायेंगे। कोई दूसरा प्रश्न हो तो पूछें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

नियम बनाने की कार्यवाही होगी तो क्या उसमें बिलो पावटी वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग से क्या कोई व्यवस्था होगी ? बिलो पावटी को प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह क्या सवाल हुआ। खन्ना जी जब सभी बेरोजगारों के लिए है जो स्नातक हैं अब इसमें बिलो पावटी के ऊपर नीचे का क्या सवाल है। इसमें प्राथमिकता से क्या मतलब है ?

डा0 वकार अहमद शाह--

इतनी बड़ी कल्याणकारी योजना से इनको नुकसान होगा सरकार ने पहली बार योजना बनाई है इनकी भावना को देखते हुए बहुत जल्दी पैसा देने की घोषणा कर देंगे। पहली अप्रैल से पहले मिल जाएगा।

(प्रश्न पूछने का और समय न मिलने पर)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी प्रश्न में इतनी कंजूसी न करें। माननीय अध्यक्ष जी, जो खन्ना जी ने बात कही है कि यह आलरेडी डिफाइन है, नियमावली की बात जो आप कह रहे हैं, कहीं इसकी आड़ में देर करने की मंशा तो नहीं है ? आप इसके लिए एक समय निर्धारित कर दें। मंत्री जी यह बता दें कि वह किस महीने से बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा कि 3 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि इन 3 लाख लोगों को मोटे तौर पर किन-किन विभागों में रोजगार मिला है ?

डा0 वकार अहमद शाह--

वह जमाने चले गए जब बिना नियमों के ही काम होते थे, हम तो नियमों से ही काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

नत्थी (ख), प्रश्न संख्या-1, श्री मदन भैया-नहीं हैं। प्रश्न संख्या-2, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' नहीं हैं। प्रश्न संख्या-3, श्री जगदम्बिका पाल-नहीं हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं हूं।

श्री अध्यक्ष--

आज पहले दिन पता नहीं कहां चले गए ? अब नत्थी (ग), प्रश्न संख्या-1, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश

*1--श्री मदन भैया (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन तथा मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर समुचित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम हेतु प्रदेश के जनपदों में दंगा नियंत्रण योजना वहां की स्थितियों के अनुरूप तैयार की गयी है, जिसकी समय-समय पर परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक द्वारा समीक्षा की जाती है।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यवाही

*2--श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बिहार के जहानाबाद काण्ड को देखते हुए प्रदेश के चन्दौली, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

बिहार के जहानाबाद काण्ड को देखते हुए इन जनपदों में प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्न कार्यवाही की जा रही है :--

(1) नक्सलियों के संचरण एवं उनकी अन्य गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाने हेतु नक्सल उन्मूलन अभियान को विशेष रूप से सक्रिय करते हुए काम्बिंग, पेट्रोलिंग व पिकटिंग बढ़ा दी गयी है।

(2) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थापित थाना/चौकी/कैम्पिंग स्थलों को सुदृढ़ीकरण व्यवस्था को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और सुदृढ़ किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित जनपदों को पुलिस लाइन व वहां मौजूद कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है।

(3) उच्चाधिकारियों / पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निरन्तर भ्रमण एवं सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल किया जा रहा है।

(4) नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आवश्यकता/अपेक्षा के अनुसार सुरक्षा बलों का री-इनफोर्समेन्ट किया जा रहा है।

(5) नक्सल अपराधियों एवं उनकी संचरण भावी कार्य योजनाओं तथा गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्थानीय अभिसूचना इकाई, विशेष अभिसूचना शाखा एवं अभिसूचना ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा प्रान्त एवं अन्तर्प्रान्तीय स्तर पर अभिसूचना संकलन कार्य को पूर्णतया सक्रिय कर दिया गया है। स्थिति पर निरन्तर सतर्क एवं कड़ी दृष्टि रखते हुए प्रत्येक स्तर पर नक्सल गतिविधियों का आकलन एवं तद्नुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

(6) नक्सलियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु अभिसूचना संकलन, अभिलेखीयकरण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रशासनिक शाखा, अभिसूचना शाखा व द्रुतगामी कार्यवाही बल से युक्त पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक नक्सलविरोधी प्रकोष्ठ का पृथक् से सृजन किया गया है, जिसे क्रियाशील किया जा रहा है।

(7) नक्सली समस्या से निपटने के लिए एक रिजर्व बटालियन का गठन-आदेश हो चुका है, जिसे जनपद सोनभद्र में तत्काल व्यवस्थापित करने व उसे नक्सल उन्मूलन अभियान में क्रियाशील करने की कार्यवाही की जा रही है।

(8) नक्सल प्रभावित क्षेत्र में व्यवस्थापित पुलिस बल को नक्सलियों से सशक्त एवं सफलता परक मुठभेड़ लेने हेतु अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों एवं अपेक्षित उपकरण एवं संसाधनों से युक्त किया जा रहा है।

(9) जनपद चन्दौली, सोनभद्र व मीरजापुर को एक-एक माइन्स प्रोटेक्टिव वेहिकिल उपलब्ध करा दी गयी है। इसके अतिरिक्त इन्हीं जनपदों के लिए 38 बुलेट प्रूफ जिप्सियों को बुलेट प्रूफिंग आर्डिनेन्स फैक्ट्री आन्ध्र प्रदेश, मेडक में की जा रही है।

(10) नक्सल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

(11) सीमावर्ती प्रदेश बिहार व झारखण्ड से उत्तर प्रदेश को आने वाले मार्गों पर पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गयी है।

(12) सामान्य जनता को नक्सलियों के बारे में अभिसूचना प्रदान करने तथा नक्सलियों के अवैधानिक कृत्यों का विरोध करने के लिये जनमानस को तैयार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने हेतु कार्य-योजना

*3--श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो यह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रदेश में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने हेतु निम्नलिखित कार्य योजना/कदम उठाये गये हैं :--

1--आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने हेतु अभिसूचना विभाग के मुख्यालय तथा संवेदनशील जनपदों में 33 विशेष काष्ठ इकाइयों का गठन, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर 13 नेपाल बार्डर इकाइयों की स्थापना तथा नेपाल सीमा से आवागमन पर दृष्टि रखने हेतु 8 चेकपोस्ट स्थापित हैं।

2--संवेदनशील 34 जनपदों में जिला मण्डल स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

3--उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के प्रभावी प्रबन्धन हेतु पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ/गोरखपुर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन।

4--18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिये बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने का पाइलेट प्रोजेक्ट प्रचलित है एवं भारत नेपाल के मूल नागरिकों को आने-जाने के लिये सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 1-1-2005 से बहराइच जनपद के रुपईडीहा में आवागमन की रिकार्डिंग व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

उक्त के अतिरिक्त आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने हेतु सशस्त्र सीमाबल, स्पेशल टास्क फोर्स एवं उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय सीमा फोर्स भी कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न
अयोध्या में हुई आतंकवादी घटना में दोषियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण

*1--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में गत 2 वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ? 5 जुलाई, 2005 को अयोध्या में हुई आतंकवादी घटना में कितने लोगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार प्रदेश में आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जी नहीं।

गत 2 वर्षों (2003 व 2004) में आतंकवादी घटनाएं घटित नहीं हुई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

5 जुलाई, 2005 को अयोध्या में हुई आतंकवादी घटना में 5 अभियुक्त प्रकाश में आये जो मौके पर ही मारे गये, जिसके संबंध में मु0अ0सं0 157/05 से 166/05 धारा 147/148/149/307/353/153/153ए/153बी/295/302/120 बी भा0द0वि0 धारा 4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 धारा 7 क्रि0 ला0 अमेन्डमेन्ट ऐक्ट धारा-16/18/19/20 अनलाफुल एक्टीविटीज (प्रो0) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट 2004 धारा 25 ए ऐक्ट व धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना रा0ज0भूमि0 फैजाबाद में पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी परिसर श्री अजीत कुमार सिन्हा द्वारा की जा रही है।

जी नहीं।।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अभिसूचना विभाग द्वारा पूर्व से ही आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि गत 2 वर्षों (2003 व 2004) में आतंकवादी घटनाएं घटित नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 12 फरवरी, 2003 को राजस्थान परिवहन निगम की बस में आगरा में विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसी प्रकार लखीमपुर खीरी में हुए विस्फोट में 4 लोग मारे गये थे, क्या वह आतंकवादी घटनाएं नहीं थी, क्या सरकार ने उसको छिपाया नहीं था ? मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसे आप देखें, मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार प्रदेश में आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाने पर विचार करेगी ? उत्तर आया है, जी नहीं। मान्यवर, आतंकवाद की समस्या एक गम्भीर समस्या है लेकिन सरकार कह रही है कि वह इसके लिए कोई अभियान नहीं चलाएगी। मैं जानना चाहता हूं, अयोध्या में 5 जुलाई, 2005 को आतंकवादी घटना हुई लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अभी 7 मार्च को वाराणसी के संकट मोचन मन्दिर में हमला हुआ।

श्री अध्यक्ष--

इतने का उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

मान्यवर, यह हमारी समझदारी बिल्कुल नहीं होगी कि ऐसी घटनाएं जो आतंकवादी घटनाएं न हों, उन्हें भी हम आतंकवादी घटनाएं मान लें। बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत से अपराध होते हैं, कट्टे-तमंचे से होते हैं, ए0के0 47 से होते हैं, विस्फोट से भी होते हैं लेकिन जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया है वह आतंकवादी घटनाएं नहीं थी। आपका प्रश्न खासतौर पर आतंकवादी घटनाओं के सम्बन्ध में है। जहां तक आपका कहना यह है कि क्या सरकार आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान चलाने पर विचार करेगी तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि इसमें विचार करने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आतंकवाद के विरुद्ध अभियान तो चल ही रहा है। अगर आतंकवादियों के विरुद्ध हमारा अभियान न होता तो अयोध्या में आतंकवादी कैसे मारे जाते ? और कोई भी जिंदा क्या बचता ? आपने खुद ही इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवादी घटनाएं रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सक्षम और पूरी तरह से सचेत है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से सचेत है। मान्यवर, हमारे प्रदेश का अलग इंटेलिजेंस है और केन्द्र सरकार का अलग इंटेलिजेंस है। जो अयोध्या में आतंकवादी हमला हुआ या वाराणसी में संकटमोचन मंदिर पर, कैंट स्टेशन पर विस्फोट हुआ और 28 जुलाई को जौनपुर के पास ट्रेन में विस्फोट हुआ और 70 लोग मारे गये थे तो इसमें मैं जानना चाहता हूं कि अगर प्रदेश के अंदर इंटेलिजेंस है तो अयोध्या, वाराणसी और जौनपुर की जो घटनाएं हुई उसमें किस इंटेलिजेंस ने अवगत कराया था। प्रदेश सरकार के इंटेलिजेंस ने या केन्द्र सरकार के इंटेलिजेंस ने अवगत कराया था। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का इंटेलिजेंस फेल हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में प्रदेश का इंटेलिजेंस फेल न हो तो क्या इसके लिए सरकार कदम उठाएगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों सरकार ऐसी कोशिश करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन आतंकवाद का यह मर्ज केवल प्रदेश का नहीं है बल्कि यह पूरे देश का है। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद इस अंदाज से अब दाखिल हो रहा है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में आतंकवाद का माहौल है। हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहां कई मजहबों के लोग एक साथ रहते हैं, उनके रिश्तों को खराब करने का षडयंत्र आतंकवादी करते रहते हैं। मान्यवर, केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार में पूरा सामंजस्य है। जहां भी खुफिया सूचनाएं मिलती हैं उनके आधार पर सतर्कता बरती जाती है। जहां तक बस हादसे का प्रश्न है मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा प्रदेश है, आगे भी इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमें इन हालात से जूझना पड़ सकता है। हम हर समय आतंकवादियों से सचेत रहने की आवश्यकता है। मान्यवर, एक तरफ जहां बनारस में बम विस्फोट के हादसे हुए तो वहीं दूसरी ओर बम डिफ्यूस भी

किए गये। यह भी आपकी जानकारी में है कि खुद दुकानदारों ने और जनता ने सहयोग किया। लेकिन हमारी तरफ से आतंकवादियों को कोई भी ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे आतंकवादियों को यह अहसास हो कि हम उनकी गतिविधियों से फिक्रमंद हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। मान्यवर, टेलीविजन पर जो रिपोर्ट आई मैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता। बनारस की जनता ने जिस प्यार और मोहब्बत का परिचय दिया और पूरे देश का माहौल अच्छा बनाए रखा वह वाकई काबिले तारीफ है। जो लोग इसमें मारे गये उनके परिवार वालों के साथ सरकार है। लेकिन यह भी सही है कि जहां एक तरफ खुशियां होती हैं तो दूसरी तरफ गम भी होता है। यह सही है कि बनारस एक बहुत बड़े हादसे से गुजरकर आया है। वहां की जनता ने सहयोग दिया और पूरे देश का माहौल सही बनाए रखने में बनारस ने योगदान दिया लेकिन जो परिवार जिनके यहां जानें चली गयीं उनके यहां होली हुई होगी मैं यह नहीं मानता। सरकार को इसका अहसास है। सरकार इसके लिए बनारस को नम्बर देती है कि उन्होंने पूरे देश का ख्याल रखा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से आतंकवाद को रोकने के लिए सचेत है।

श्री हुकुम सिंह--

मैं बहुत छोटा सा सवाल कर रहा हूं, क्योंकि जो आतंवादी घटनायें हुई हैं और होती रही हैं, पहले भी हुई हैं और इस सरकारी कार्यकाल में हुई हैं और जिनको आप आतंकवादी घटनायें मानते हैं। क्या सरकार की जानकारी में कोई ऐसी बात आयी है कि इन आतंकवादियों को संगठन देश या प्रदेश में ही है या उनका सम्बन्ध किसी विदेशी ताकत से भी है ? यदि है तो क्या उसके ऊपर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बहुत ही कामन नेचर का प्रश्न है हुकुम सिंह जी का। सरकार की भी वही जानकारी है जो जानकारी आपकी है, कुछ जानकारी हमें मीडिया से मिलती है, कुछ जानकारी हमें सरकारी कागजों से मिलती है, कुछ हम अपने तर्जुबों से भी सीखते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि आतंकवाद अब कोई छुपी हुई चीज नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मैं सरकारी जानकारी की बात कर रहा हूं, मीडिया की जानकारी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सरकारी जानकारी हो, सरकारी स्रोतों की जानकारी हो तो उसको कृपा करके बता दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

श्रीमन्, कार्यवाही में अगर आप दिखवा दें, सरकारी जानकारी के बारे में भी मैंने कहा था अब पता नहीं हुकुम सिंह जी क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जो सरकारी जानकारी में आता है, अपने माध्यम से या भारत सरकार से जो सूचना मिलती है, उसका पूरा संज्ञान लिया जाता है। और उसके ऐतबार से कार्यवाहियां भी तय होती है, ड्यूटीज भी लगाई जाती है, कम भी की जाती हैं अपने तंत्र के जरिये जो हमारी अपने जासूसी के तंत्र हैं उनके जरिये भी जानकारी मिल जाती है, भारत सरकार से मिले, अपने तंत्र से मिले कोई और जानकारी दे, टेलीफोन से मिले, किसी खत से दे मान्यवर, पहले यह होता था कि किसी को कोई पत्र मिला, टेलीफोन आया तो मानसिकता यह थी कि इस पत्र का संज्ञान न लिया जाय इसको ज्यादा अहमियत न दी जाय वरना और पत्र आयेंगे,

अगर कोई एक टेलीफोन से डराता है तो उस टेलीफोन की अहमियत न समझी जाय, लेकिन अब यह मानकर चलती है यह सरकार की कोई फर्जी से फर्जी टेलीफोन अगर आता है तो हमें उसे सच मानना चाहिए सारी सुरक्षा उसे सच मान कर करनी चाहिए इसलिए हुकुम सिंह सिंह जी सरकार को जो भी जानकारी अपने ऐतबार अपने हिसाब से मिलती है, भारत सरकार से मिलती है, उस जानकारी पर पूरी कार्यवाही की जाती है।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी हम आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाहते हैं अभी चूंकि यह घटनायें होती रही हैं, इन घटनाओं की जांच करने के लिए आपके पास एजेन्सी है, जांच के दौरान क्या कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में आये हैं कि इन आतंकवादी संगठनों का जन्म केवल प्रदेश में या देश में ही हुआ है या उनका सम्बन्ध किसी विदेशी ताकत से है ?

श्री अध्यक्ष--

अगर, उत्तर हो तो दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

यह तो जांच का मामला है, किस मामले में क्या जांच आयी, यह तो मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकुम सिंह जी का यह सवाल है कि यह जो आतंकवादी घटनायें हो रही हैं, क्या सरकार के संज्ञान में है कि इनका सम्बन्ध स्थानीय स्तर पर है या इनका विदेशियों से भी कोई सम्बन्ध है ? अगर इस प्रकार की कोई जानकारी आपके पास हो तो आप बता दीजिए। अब माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह आपके सामने है, अभी इस पर जांच चल रही है और जांच के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, अब मैं इसमें कैसे कुछ कह सकता हूं।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी 05 जुलाई, 2005 की घटना है, अगर उसकी जांच पूरी हो गयी हो तो क्या उस जांच में कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में आये हों कि उस घटना में जो आतंकवादी थे उनका सम्बन्ध विदेशी ताकतों से था ? इस सवाल का उत्तर आप बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी क्या इस प्रकार की कोई जानकारी आपको अभी मिली है कि उनका विदेशियों से सम्बन्ध है ? नहीं तो अगर जांच का विषय है तो जांच कराइये।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इस प्रकार की कोई जानकारी फिलहाल तो हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

नत्थी (ग) प्रश्न संख्या-02, श्यामदेव राय चौधरी जी उपस्थित हैं ? (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

(व्यवधान)

श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, हमारा जिला भी आतंकवाद से प्रभावित जिला है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपका जिला आतंकवाद से प्रभावित है तो आप अपने जिले के बारे में अलग से सवाल लगाइये। अब इस समय कुछ नहीं। इस पर यहां तमाम उत्तर हुये हैं, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। आप अलग से नियमों में उठा कर सूचना दें हम उस पर चर्चा करा देंगे।

श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मुझे प्रश्न कर लेने दें मेरा जिला आतंकवाद से प्रभावित है।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने जिले के बारे में जो समस्या है उसके संबंध में नियम 56 में, नियम 51 में सूचना दे दीजिए या नियम 52 में सूचना दे दीजिए हम उस पर चर्चा करा देंगे। अब आपको मान लेना चाहिए।

गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु चार महानगरों के लिये मास्टर प्लान पर कार्यवाही की जानकारी

*2--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

(अनुपस्थित)

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जापान की अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी (जे0आई0सी0ए0) द्वारा प्रदेश के चार महानगरों हेतु कोई मास्टर प्लान तैयार कराया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जापान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्रस्तावित है, जिसके लिये जापान सरकार की संस्था "जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी" (जे0आई0सी0ए0) द्वारा "*स्टडी ओन वाटर क्वालिटी प्लान फोर गंगा रिवर इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया*" कार्यक्रम, के अन्तर्गत प्रदेश के 4 महानगरों (कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद तथा वाराणसी) हेतु "सीवरेज मास्टर प्लान" तैयार किया गया है सीवरेज मास्टर प्लान में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं 4 महानगरों के नगर निगमों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इन नगरों की वर्ष 2030 की जनसंख्या की आवश्यकता के आधार पर नगरों से नदी में गिरने वाले सीवेज की गणना करते हुए मुख्य सीवर लाइनों (ट्रंक सीवर व इनटरसेप्टिंग सीवर) तथा सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता की गणना नगर विशेष की टोपोग्राफी व नगर से नदी में गिरने वाले नालों के आधार पर की गयी है। उक्त के आधार पर जे0आई0सी0ए0 द्वारा इन नगरों हेतु "फिजीबिलिटी रिपोर्ट" भी तैयार की गयी है, जिसमे प्राथमिकता वाले कार्यों को चिन्हित कर वर्ष 2015 की आवश्यकता के लिये आवश्यक कार्य वर्ष 2012 तक पूर्ण किये जाने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं।

जे0आई0सी0ए0 द्वारा किये गये प्रारम्भिक अनुमान के आधार पर 4 महानगरों में उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों की लागत निम्नानुसार आंकी गयी है :

(रु0 करोड़ में)

नगर	वर्ष 2015 हेतु	वर्ष 2030 हेतु
कानपुर	461	3191
लखनऊ	372	3857
इलाहाबाद	300	1355
वाराणसी	484	1831

फिजिबिलिटी रिपोर्ट, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के उपरान्त जापान सरकार की अन्य संस्था जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जे0बी0आई0सी0) द्वारा ऋण के रूप में भारत सरकार को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें से कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा कार्यों की लागत का 85 प्रतिशत अंश ग्रान्ट के रूप में दिया जायेगा तथा कार्यों की लागत का 15 प्रतिशत अंश प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना होगा।

'जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी' (जे0आई0सी0ए0) को 'सीवरेज मास्टर प्लान' व 'फीजीबिलिटी रिपोर्ट' तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश जल निगम, 4 महानगरों के नगर निगमों एवम अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया गया है।

वाराणसी नगर की 'फीजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार हो गयी है तथा उसका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है तथा वाराणसी में प्रस्तावित कार्यों के लिये वाराणसी नगर के लिये मार्च 2005 में जापान सरकार तथा भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता हेतु अनुबन्ध समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। वाराणसी नगर की 'फिजिबिलिटी रिपोर्ट' में वर्ष 2015 की आवश्यकताओं हेतु सम्मिलित प्राथमिकता वाली 16 योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन विरचन का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है तथा माह दिसम्बर, 2005 के अन्त तक योजनायें विरचित कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

लखनऊ, कानपुर व इलाहाबाद नगरों की 'फीजीबिलिटी रिपोर्ट' भी जे0आई0सी0ए0 द्वारा तैयार कर भारत सरकार तथा सम्बधित विभागों को प्रस्तुत कर दी गयी है तथा भारत सरकार में स्वीकृति तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।

लागू नहीं है।

प्रदेश सरकार पर वर्तमान कर्ज की स्थित एवं उसे चुकाने हेतु धन की आवश्यकता के विवरण की जानकारी

*3--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार के ऊपर केन्द्र सरकार या अन्य वित्तीय संस्थाओं का कितना कर्जा वर्तमान में है, इसके मूलधन तथा ब्याज सहित चुकाने के लिये सरकार को कितने धन की आवश्यकता प्रतिवर्ष पड़ती है ? क्या इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई अतिरिक्त संसाधन जुटाने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)--

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार प्रदेश सरकार पर केन्द्र सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का रूपये 91999.62 करोड़ का कर्ज अनुमानित है।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के प्रस्तुत आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार केन्द्र सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्ज को ब्याज सहित चुकाने के लिए रुपये 13234.16 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

जी हां।

अतिरिक्त संसाधन के उपायों को सुझाने हेतु मंत्रि-परिषद् की एक समिति का गठन किया गया है। समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा कतिपय करों में वृद्धि/पुनरीक्षण, नया कर आरोपण एवं करापवंचन को रोकने के साथ-साथ सघन अनुश्रवण भी किया गया। इन कदमों से राज्य के कर राजस्व में गत वर्ष के सापेक्ष उत्साहवर्धक वृद्धि हुयी है। संसाधनों में हो रही वृद्धि से ही विकास कार्यों पर व्यय में वृद्धि के साथ-साथ मूलधन एवं ब्याज का भुगतान सम्भव हो पा रहा है।

(व्यवधान के मध्य श्री शाहिद मंजूर, राज्य मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया।)

श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह--[x x x]

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, बाहर जाम की स्थिति है जो पीछे के रास्ते हैं उससे अन्दर आना मुश्किल है। मेरा प्रश्न लगा था। मेरे उस जाम में फँस जाने के कारण वह प्रश्न अनुत्तरित रह गया है।

श्री अध्यक्ष--

आप वरिष्ठ सदस्य हैं जब जीरो आवर आयेगा तो उसमें उठा लीजियेगा। जब आपका नाम पुकारा गया था तब आप उपस्थित नहीं थे।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, वहां जाम की स्थिति होने के कारण मेरा प्रश्न नहीं आ पाया है, कृपया उसे इस प्रश्न के बाद ले लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं दो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रथम, यह जो कर्ज बताया गया है उत्तर प्रदेश सरकार पर, इसमें केन्द्र सरकार का कितना है और वित्तीय संस्थाओं का कितना है ? द्वितीय, पिछले वित्तीय वर्ष में कर्ज को चुकाने के लिए मूलधन और ब्याज कितना-कितना हमने अदा किया है ?

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शाहिद मंजूर--

यह जो कुल चुकता करना है केन्द्र सरकार का तथा अन्य संस्थाओं को वह है 91,999.62 करोड़।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि यह जो उत्तर प्रदेश सरकार का कर्जा है यह कितना है। माननीय मंत्री जी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और केन्द्र सरकार दोनों का बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से दोनों का ब्रेक अप पूछना चाहता हूं। यह जो 91999.62 करोड़ है, इसका ब्रेक अप पूछना चाहता हूं। दूसरा पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना मूलधन और कितना ब्याज अदा किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, यह जो 91999.62 करोड़ है इसका अलग-अलग ब्रेक अप क्या है यह बता दें। भारत सरकार का कितना है और फाईनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कितना है ?

श्री शाहिद मंजूर--

मान्यवर, केन्द्र सरकार का उधार अग्रिम के रूप में 23836.60 करोड़ रुपये, बाजार ऋण के रूप में 28494.88 करोड़ रुपये, अल्पबचत जमा राशि के सापेक्ष ऋण रुपये 35947.66 करोड़ रुपये, नेवार्ड का 757.08 करोड़ रुपया तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का 2963.40 करोड़ रुपया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, जो कर्जा है उसे चुकाने के लिए मूलधन कितना दिया गया और ब्याज कितना दिया गया ?

श्री शाहिद मंजूर--

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार का 4585.29 करोड़ रुपये मूल के सापेक्ष में 1190 करोड़ रुपया इस वर्ष हम चुकता कर रहे हैं और ब्याज के रूप में जो अन्य हैं वह 1526 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का कितना मूलधन और कितना ब्याज अदा किया ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर बता तो दिया अब आप बैठ जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, इस वर्ष यह 13234.16 करोड़ रुपया अनुमानित है तो इसका ब्रेक अप बता दें कि कितना मूलधन है और कितना ब्याज है ?

श्री शाहिद मंजूर--

मान्यवर, यह अभी अनुमानित है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य यह माननीय मंत्री जी के पास अभी नहीं है और यह अनुमानित है। माननीय मंत्री जी आपको बाद में लिखकर दे देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

यह तो ब्रेक अप का मामला है। अगर कोई गम्भीर मामला होता तो इसे प्रश्न एवं सदर्भ समिति को मैं संदर्भित भी कर सकता था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको कहा है कि माननीय मंत्री जी ब्रेक अप लिखकर सूचित कर देंगे। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है और इसको हमने सुना भी है। इस वर्ष का चूंकि अनुमानित है इसलिए ब्रेक अप उनके पास नहीं है। आप ब्रेक अप मांग रहे हैं माननीय मंत्री जी उसको लिखकर आपको सूचित कर देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष--

हाँ हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक के रूप में बहुत बड़ी कुर्सी में बैठे हैं यह पूरा सदन जानता है।

श्री अध्यक्ष--

इस कुर्सी पर आप ही लोगों ने बैठाया है। माननीय मंत्री जी ने आपको उत्तर बता दिया है। जो ब्रेक अप आप इस वर्ष का मांग रहे हैं, वह आपको लिखकर दे दें। जो आपने कहा कि इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें तो यह इतना गूढ़ प्रश्न नहीं है कि इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को दे दें। इसमें छानबीन की जरूरत नहीं है। केवल ब्रेक अप की बात है वह आपको बता दिया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसलिए गम्भीर है, आपने कहा गम्भीर प्रश्न नहीं है इसलिए प्रश्न संदर्भ समिति को नहीं दूंगा तो मैं बता रहा हूं। आप लगातार देख रहे हैं कि प्रति वर्ष में राज्य सरकार पर वित्तीय संस्थाओं का कर्ज बढ़ता जा रहा है स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि आज मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। अभी आपने बताया कि 91,999 करोड़ का कर्ज प्रदेश की जनता पर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मंत्रि परिषद् की समिति बनी वह कब गठित हुई और मंत्रि परिषद् की समिति ने कौन-कौन से उपाय किये और उसको विभागों में क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही किया है ?

श्री अध्यक्ष--

इस सवाल पर काफी बातें आ गयी हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, पहला प्रश्न सुरेश जी ने पूछा और दूसरा मैं पूछ रहा हूं इस पर अनुपूरक जो बनता है वह मैं पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उल्लेख किया कि हमने मंत्रि परिषद् की समिति बनाई है तो उस समिति का गठन कब हुआ और बैठक कब हुई और क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री शाहिद मंजूर--

मान्यवर, 1-11-03 को इस समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष माननीय नगर विकास मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री मोहम्मद आजम खां साहब हैं, दूसरे सदस्य हैं माननीय अम्बिका चौधरी जी, राम गोविन्द चौधरी जी, कौकब हमीद साहब इसके सदस्य हैं और विभिन्न तारीखों में इसकी कई मीटिंगे हुई हैं और उन्हीं संस्तुतियों के आधार पर सरकार काम कर रही है।

श्री जगदम्बिका पाल--

समिति की क्या संस्तुतियां हुई हैं, कुछ तो मुख्य बिन्दु होंगे ?

श्री शाहिद मंजूर--

मान्यवर, विभिन्न तारीखों में संस्तुति आई है विभिन्न विभागों की आई हैं। ऐसा नहीं है कि एक तारीख पर किसी विभाग की संस्तुति हो और दूसरी तारीख पर दूसरे की संस्तुति आई हो।

(तारांकित प्रश्न संख्या-4 पुकारे जाने पर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, सम्प्रति जो सदस्य हैं उन्होंने जानकारी चाही है वह जानकारी उनको दे दें। इस पीठ पर जाने के पहले श्रीमन्, स्वयं इस समिति के सदस्य रहे हैं। इसकी अनेक मीटिंगे हुई हैं और विभिन्न तिथियों पर जो सुझाव आते रहे हैं तद्नुसार निर्णय लिया गया है।

लखनऊ को प्रदूषण से मुक्त रखने की कार्य योजना

*4--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिये सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री उज्जवल रमण सिंह)--

जी हां।

इस कार्य योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :

1--वैकल्पिक ईंधन के रूप में ग्रीन गैस लिमिटेड द्वारा मार्च, 2006 तक वाहनों के प्रयोग हेतु सी0एन0जी0 गैस की आपूर्ति प्रारम्भ किया जाना।

2--दिनांक 01 जनवरी, 2004 से वाहनों के उत्सर्जन हेतु भारत-2 मानक वाले वाहनों का ही पंजीकरण किया जाना।

3--शहरी क्षेत्र से संचालित वाहनों की अनुमन्य आयु सीमा कम किया जाना तथा पार्किंग और ट्रैफिक सिगनल की व्यवस्था किया जाना।

4--वाहनों हेतु पीयूसी प्रमाण-पत्र तथा वाहनों के जांच हेतु कैम्प लगाया जाना।

5--ईंधन में मिलावट को रोका जाना तथा ईंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना।

6--शहरी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में समुचित नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना करना।

7--वायु गुणता की जांच कराया जाना।

8--अन्य स्रोतों जैसे जैव चिकित्सा अपशिष्टों आदि के समुचित निस्तारण हेतु व्यवस्था करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल प्रदूषण के संबंध में भारत सरकार से वित्त पोषित गोमती कार्य योजना संचालित की जा रही है। इसके प्रथम चरण में रुपये 29.38 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। द्वितीय चरण में रुपये 263.4 करोड़ की लागत की योजना स्वीकृत की गयी है, जिसके अन्तर्गत कुल 330 एमएलडी शोधन क्षमता के 2 नये सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये जाने हैं तथा दौलतगंज में निर्मित 42 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता में 5 एमएलडी की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। द्वितीय चरण की योजनाओं पर अद्यतन रुपये 15.62 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है कि क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिये, यानि मैंने स्पेसिफिक प्रश्न किया है, लखनऊ के बारे में। मान्यवर, प्रदूषण के कई कारण हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। मैं इनके संबंध में अपने छोटे-छोटे तीन अनुपूरक पूछ रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि लखनऊ में देर रात तक हाईस्पीड में लाउडस्पीकर बजते हैं, डी0जे0 बजते हैं और बैंड बाजे बजते हैं, इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजते हैं। इन सबके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्य योजना बनायी है। पहले एक प्रश्न का उत्तर आ जाय तो फिर दूसरा और तीसरा पूछूं।

श्री उज्जवल रमण सिंह--

मान्यवर, पूरा प्रश्न आ जाय तो अच्छा रहेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री-- (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, 12.20 तक तो माननीय सदस्य प्रश्न ही पूछेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, मैंने एक अनुपूरक प्रश्न पूरा पूछा है। दूसरा, तीसरा प्रश्न बाद में पूछूंगा, पहले इसका उत्तर आ जाय।

श्री उज्जवल रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उस निर्णय का अनुपालन कराने के लिये सरकार कृतसंकल्प है। सरकार इसको सुनिश्चित करा रही है और इसके लिये आवश्यक

निर्देश प्रदेश के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दे दिये गये हैं कि रात 10 बजे के बाद कोई भी लाउडस्पीकर बजाना अनुचित है और यह माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। सरकार इसका अनुपालन करा रही है। अगर कोई विशेष जानकारी माननीय सदस्य, आपके संज्ञान में हो तो उसे आप उपलब्ध करा दें, हम कार्यवाही करा देंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

आपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की बात कही है और कहा है कि इसका अनुपालन किया जा रहा है। क्या आप केवल इतना बताने का कष्ट करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमें में और किस तारीख को यह आदेश पारित किया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह न पूछिये। बल्कि जहां इसका पालन नहीं हो रहा है, उसकी सूचना दीजिये, वहां कार्यवाही कराइये।

श्री उज्जवल रमण सिंह--

मान्यवर, उस आदेश की प्रति मैं उपलब्ध करवा दूंगा और दो दिन के अन्दर इनको उपलब्ध हो जायेगी।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, बड़ा स्पष्ट सवाल है। आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करा रहे हैं। सवाल यह है कि कार्य योजना है कि नहीं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कोई कार्य योजना बनी हो तो बता दीजिये। समस्त माननीय सदस्य जानते हैं कि ब्याह-शादियों में डी0जे0 बजते हैं, आपने कहा कि जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं। यह प्रश्न लखनऊ के बारे में है। यह सर्वविदित है कि पूरे प्रदेश में तमाम रात तक ऐसा माहौल बन जाता है कि बच्चों के लिये पढ़ना दुश्वार और आदमियों के लिये सोना दुश्वार हो जाता है। इसके लिये कोई कार्य योजना तो बनी नहीं है। अच्छा होगा कि इसके लिए कोई कार्य योजना बनाकर जनता की इस पीड़ा को दूर किया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने कह तो दिया कि मैं उसे कड़ाई से लागू करा रहा हूं।

श्री उज्जवल रमण सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है और अगर किसी विशेष जगह की जानकारी माननीय सदस्य को हो, जहां पर दस बजे के बाद कोई ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, शादी-ब्याह में हो रहा है तो वह आप मुझे बता दें, वहां पर कार्यवाही हो जायेगी।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, हो सकता है कि माननीय मंत्री जी के दरवाजे तक अभी तक कोई आवाज न गई हो लेकिन जितने भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, वह इससे सहमत होंगे और सभी को इस प्रदूषण की जानकारी है लेकिन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम कड़ाई से पालन करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकुम सिंह जी, आप सभी जानते हैं कि शादी-ब्याह एक सामाजिक कार्यक्रम होता है।

महिला कल्याण, संस्कृति एवं सूचना प्रद्यौगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)--

मान्यवर, इनके यहां भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश लोग कुँवारे हैं, इसलिए इनके यहां दूसरी व्यवस्था होगी।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आपके सवाल का उत्तर आ गया और कई बार आ गया। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट: कई बार कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष सूचना हो, जहां पर पालन न हो रहा हो, तो वह सूचना माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दें, कार्रवाई हो जाएगी। और जहां तक माननीय हुकुम सिंह जी का मामला है तो जो माननीय सदस्य रात में अपने घरों में रहते हैं, उन्हें यह प्रदूषण कम सुनायी देता है, इसलिए मेरा माननीय हुकुम सिंह जी को मशविरा है कि आप भी घर में रहा कीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, जल प्रदूषण भी एक चिन्ता का कारण है, उत्तर में आया है कि भारत सरकार की योजना है, वित्त पोषित गोमती कार्ययोजना संचालित की जा रही है, तो मान्यवर, मैंने भारत सरकार की योजना के बारे में माननीय मंत्री जी से नहीं पूछा था, मेरा तो सीधा प्रश्न है कि लखनऊ को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई कार्ययोजना बना रही है। मेरा बहुत सीधा प्रश्न है और उसका स्पष्ट उत्तर आये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए या जल प्रदूषण से लखनऊ को मुक्त करने के लिए क्या कार्ययोजना बनायी है ? इस बात का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है इसलिए मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री उज्जवल रमण सिंह--

मान्यवर, समस्या गम्भीर है, यह मैं मानता हूं। केवल लखनऊ की नहीं खास तौर से जितने भी महानगर नदियों के किनारे हैं, वहां पर इस बात की गम्भीर समस्या है। इसके लिए सरकार चिन्तित है, लेकिन इसका पैसा भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में आता है और मान्यवर, जब आपकी सरकार थी तभी यह योजना चलाई गयी थी, गोमती ऐक्शन प्लान। इसका पैसा भारत सरकार के माध्यम से हम लोगों को मिलता है और हम उस पैसे का सदुपयोग करते हैं। इसका जो मूल कारण है वह है शहर में सीवेज ट्रीटमेंट का कम होना और जिसके कारण गन्दे पानी का नदियों में गिरना, यह एक जटिल समस्या है। भारत सरकार से जो पैसा मिल रहा है, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। जो गन्दा पानी नदियों में जा रहा है, उसके लिए 303 एम0एल0डी0 का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाया जाना प्रस्तावित है, जब यह चालू हो जाएगा तो लखनऊ के जल से सम्बन्धित इस समस्या को दूर करने में सहायता मिल सकेगी। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है और इसे हम लगा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

माननीय अध्यक्ष जी, जो उत्तर आ रहा है वह रिकार्ड हो रहा है। तीसरा अनुपूरक प्रश्न है सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की बात करता तो मैं नगर विकास मंत्री जी से करता, पर्यावरण मंत्री जी से नहीं करता। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि लखनऊ का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के प्रयास से लगा था वह अनवरत नहीं चल रहा है क्योंकि जल निगम को पैसा नहीं मिल रहा है। सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट न चलने के कारण काफी समस्या है। मैंने इसी सदन में यह पूछा था कि लखनऊ के बड़े-बड़े 10 नाले गोमती नदी में गिरते हैं, वर्ष 1984 में लखनऊ में सैलेज पार्क था लेकिन गलत निर्णय ले करके उस स्थान पर गोमती नगर कालोनी बसा दिया, वहां तक सारे नाले जाते थे और वहीं पर सॉलिड और लिक्विड अलग होता था। हमारी सरकार के नगर विकास मंत्री जी ने अनेक नालों को डायवर्ट करके गोमती बैराज पर मिलाया कुछ नाले शेष रह गये थे जो गोमती में गिर करके प्रदूषित कर रहे हैं। क्या उन नालों को गोमती बैराज पर शिफ्ट करके गोमती नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की सरकार ने योजना बनायी है ?

श्री उज्जवल रमण सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया योजना बनी हुई है तथा जिन नालों का उल्लेख किया है उसको डायवर्ट करके नया सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगायेंगे और गोमती नदी के पानी को शुद्ध करेंगे। हमारी द्वितीय चरण की जो योजना चल रही है जब वह पूरी हो जायेगी तो पूरा लाभ मिल सकेगा, इसका मैंने पूरे विस्तार से उल्लेख किया है। 303 एम0एल0डी0 शोधन संयंत्र निर्मित हो जायेगा तो जो गंदा पानी गोमती नदी में जा रहा है वह शोधित होकर जायेगा। अभी यह कार्य चल रहा है कार्य को पूरा होते ही यह समस्या दूर हो जायेगी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मैंने अपने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि जल निगम को पैसा न मिलने के कारण सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगातार नहीं चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

क्या यह सही है कि सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट नहीं चल रहा है, क्या उसको चलाने की व्यवस्था करेंगे, यह बता दीजिए ?

श्री उज्जवल रमण सिंह--

माननीय सदस्य ने जिन बातों को इंगित किया है उसकी स्पष्ट जानकारी लें लेंगे। अगर नहीं चल रहा है तो उसको चालू करवाया जायेगा।

प्रदेश के जिला कारागारों में निरुद्ध कैदियों के भोजन व सुविधाओं पर व्यय धनराशि की जानकारी

*5--डा0 अजय कुमार--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के जिला कारागारों में निरुद्ध कैदियों के भोजन तथा अन्य अनुमन्य सुविधाओं पर प्रत्येक कैदी पर प्रतिदिन कितनी धनराशि निर्धारित है ? क्या सरकार कैदियों के भोजन हेतु निर्धारित की गयी धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री सूरज सिंह शाक्य)--

प्रदेश की जिला कारागारों में निरुद्ध बन्दियो के लिए भोजन तथा अन्य अनुमन्य सुविधाओं को मानक धनराशि के आधार पर निर्धारित नहीं है, बल्कि मात्रा के आधार पर निर्धारित है।

चूंकि बन्दियों के भोजन व अन्य अनुमन्य सुविधाओं का मानक धनराशि के आधार पर निर्धारित नहीं है अत: धनराशि बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अजय कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के विभिन्न जेलों में भोजन एवं अन्य सुविधाओं के मानक के अनुरूप न होने को लेकर, समय-समय पर जेल प्रशासन के विरुद्ध कारागार में निरुद्ध कैदियों के आक्रोश व्यक्त होते रहते हैं और अक्सर घटिया भोजन को ले करके कारागार पुलिस और कैदियों में संघर्ष की नौबत आ जाती है। पिछले दिनों आगरा और लखीमपुर में इस तरह की घटना घटित भी हुई है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि कारागारों में प्रति कैदी भोजन की कितनी मात्रा निर्धारित है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि प्रदेश के जेलों में कुल कितने कैदी निरुद्ध हैं और कितने विचाराधीन और सजायाफ्ता हैं ?

श्री सूरज सिंह शाक्य--

मान्यवर, कारागारों में जो दोषसिद्ध बंदी हैं उनको 700 ग्राम आटा और जो विचाराधीन बंदी हैं उनको 540 ग्राम आटा, दाल 90 ग्राम विचाराधीन एवं दोषसिद्ध दोनों कैदियों को तथा सब्जी 230 ग्राम प्रति कैदी को दिया जाता है। इसके साथ ही दाल छौंका, हल्दी, मिर्च, मसाला आदि खाने से संबंधित सभी चीजें दी जाती हैं। मान्यवर, जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि खराब खाना दिया जाता है तो यह भ्रामक है, यह कहना गलत है। बन्दियों में जो लड़ाई हुई है यह आपसी प्रतिद्वन्दिता की वजह से हुई है। खाने के आधार पर लड़ाई नहीं हुई है।

डा0 अजय कुमार--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने सजा याफ्ता कैदी हैं और कितने विचाराधीन कैदी हैं ?

श्री सूरज सिंह शाक्य--

इसकी जानकारी मैं दे दूंगा।

डा0 अजय कुमार--

जब मैं छात्र जीवन में था तो कई बार जेल गया हूं। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। जेलों में दाल का पानी मिलता है दाल का दाना ढूंढे नहीं मिलता है। इस पर आप विचार करें और इस पर नियंत्रण करायें। कैदियों को अच्छा भोजन मिले यह मेरी मंशा है आलोचना की मेरी मंशा नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा पुराना जेल मैनुअल है उसके हिसाब से आवश्यकता से कम आपूर्ति हो रही है। क्या इस पुराने जेल मैनुअल में संशोधन करने पर विचार करेगी ? जिससे कि कैदियों को जीवन स्तर के लिए आवश्यक भोजन मिल सकें।

श्री सूरज सिंह शाक्य--

मान्यवर, सामान्यत: आम पुरुष को 3000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है कारागार में लगभग 4000 कैलोरीज का भोजन दिया जाता है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, हो सकता है कि सुनने में मुझे भ्रम हुआ हो, विचाराधीन कैदी को अलग दिया जा रहा है और सजा याफ्ता कैदी को अलग भोजन दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं मेरे मन में शंका है कि विचाराधीन और सजा याफ्ता कैदी को दिये जाने वाले भोजन में समानता नहीं है। मान्यवर, यहां समानता नहीं है तो कम से कम जेल में समानता करा दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि सजा याफ्ता और अन्डर ट्रायल कैदी के लिए जो खाने की मात्रा है उसको एक कर दिया जाये और ज्यादा से ज्यादा कर दिया जाये। यही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री सूरज सिंह शाक्य--

मान्यवर, एक आम खुराक जो निर्धारित की गई है उसके आधार पर भोजन दिया जाता है। जो आम खुराक है उसके आधार पर विचाराधीन कैदी को 540 ग्राम आटा और 230 ग्राम सब्जी दी जाती है जो पर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद कुमार जी ने यह कहा है कि इसमें जो भेद है क्या उसको बराबर करने पर विचार करेंगे। इस पर आप विचार करके "जी हां" या "नहीं" कहें।

श्री सूरज सिंह शाक्य--

मान्यवर, इसके बारे में जानकारी करके अगर किसी की खुराक कम है तो विचार करके इसको बराबर कर देंगे।

लाल बहादुर शास्त्री भवन को मुख्य विधान भवन से जोड़ने हेतु ओवरब्रिज के निर्माण की मांग

*6--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन के आस-पास के मार्गों पर वाहनों की भीड़ को देखते हुये मुख्य विधान भवन को बापू भवन से जोड़ने हेतु ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, क्या सरकार लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) को भी मुख्य विधान भवन से जोड़ने हेतु ओवरब्रिज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

जी हां।

लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) का मुख्य विधान भवन से जोड़ने हेतु ओवर ब्रिज निर्माण कराये जाने के संबंध में सम्प्रति निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री राम करन आर्य--

मान्यवर, मैंने जो पहला सवाल किया था उसका उत्तर ठीक है। मैंने जो दूसरा सवाल किया है उसके बारे में मैं प्रश्न करूंगा। आज मैं दो मिनट पहले चला था क्योंकि दो मिनट का रास्ता है। लेकिन जब मैं मेन गेट पर पहुंचा तो यहां पर धरना देने वाले लोग थे जिससे मैं पीछे लौटा तो दूसरे

गेट की तरफ भी धरना देने वाले लोग थे और वहां जाम लगा था जिसके कारण मैं हजरतगंज की तरफ से एस0एस0पी0 आफिस होकर आया जिसके कारण मुझे 15 मिनट लग गए किसी तरह मैं यहां पर पहुंच पाया हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लगभग ढाई सौ विधायक और दर्जन भर से अधिक मंत्री दारुल शफा के ए0बी0सी0 ब्लाक में रहते हैं जब धरना प्रदर्शन स्थल से लाल बत्ती की गाड़ी गुजरती है तो वहां पर उपस्थित लोग उत्तेजित होने लगते हैं और गाड़ी पर पत्थर फेंक सकते हैं या हमला कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये।

श्री राम करन आर्य--

जो विधायकों के आने जाने का रास्ता है तो यह तो ठीक है कि ओवर ब्रिज बन जाएगा तो बापू भवन आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगी लेकिन अन्य रास्तों पर दिक्कत बनी रहेगी वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं। उन सबकों देखते हुए सभी सदस्यों के सदन में आने जाने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी--

श्री राम करन आर्य जी ने प्रश्न तो किया ही नहीं है पहले प्रश्न पर तो उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है एक तो धरना स्थल होने से कठिनाई है और जब लाल बत्ती की गाड़ी आती है तो लोग उत्तेजित हो जाते हैं तो क्या धरना स्थल को यहां से हटाया जाय क्योंकि उनका मतलब यही था कि धरना स्थल के वहां पर रहने से अव्यवस्था है दूसरा आतंकवाद की घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम के तहत कुछ एरिया खाली कराया जाय। जो बातें उन्होंने कही हैं उनका मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। वह अनुपूरक प्रश्न करें जिससे उसका उत्तर दिया जा सके।

श्री अध्यक्ष--

क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जा सकती है जिससे लोग बाधा रहित दारुल शफा से आ जा सकें।

श्री अम्बिका चौधरी--

उन्होंने कहा कि दारुल शफा से आने जाने पर दिक्कत होती है यह तो ट्रैफिक अरेंजमेंट का सवाल है दूसरे प्रश्न की मंशा धरना स्थल को हटाने से है इससे भी मूल प्रश्न सम्बन्धित नहीं है। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल--

मंत्री जी प्रश्न को हल्केपन से ले रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी--

मैं हल्केपन से नहीं ले रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल--

मैं इस पर पीठ से व्यवस्था चाहता हूं। सदन का सत्र चल रहा है और सत्र में भाग लेने के लिए कोई सदस्य चाहे दारुल शफा से आए चाहे हजरतगंज की तरफ से आये या गोमती नगर की ओर से आये लेकिन उसके कार्यवाही में भाग लेने के दौरान अगर कोई बाधा पैदा होती है तो यह

सदन की अवमानना का प्रश्न बनता है। मेरा आज प्रश्न लगा था और मैं घर से 15 मिनट पहले चला था जिससे समय पर सदन में आ सकूं लेकिन मैं 15 मिनट लेट आ पाया जिससे मेरा प्रश्न निकल गया तो इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसी भी तरफ से कोई सदस्य आए तो वह जाम न फँसे चाहे इसके लिए चाहे एकल व्यवस्था करनी पड़े यह न हो कि विधान सभा के चारों ओर जाम लग जाय किसी तरह से माननीय सदस्य आयें इसके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? कम से कम कुछ इस तरह की व्यवस्था करें कि जब सदन का सत्र चले तो माननीय सदस्यों को जाम न फँसना पड़े जिससे हम केवल इस विधान सभा परिसर के सामने या पीछे खड़े होकर रह जायं। ऐसी दिक्कत न आये, इसके लिये सरकार व्यवस्था करे।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मूल प्रश्न कदाचित् पाल जी ने देखा होगा और ध्यान से उतर गया होगा इसलिये मैं प्रश्न के दूसरे अंश को फिर से पढ़ देता हूं। क्या सरकार लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) को भी मुख्य विधान भवन से जोड़ने हेतु ओवर ब्रिज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? मान्यवर, जो प्रश्न है वह यह है। आप पढ़ लीजिये। सदन में आने जाने के बारे में किस तरह से व्यवस्था हो इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया। अगर वे इसके बारे में पूछते तो हम उसका जवाब देते। वे बड़े विद्वान हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि आवागमन के लिये किस तरह की व्यवस्था की जाय। 11 बजे माननीय सदस्यों को विधान सभा की कार्यवाही के लिये आना पड़ता है। अगर उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रश्न किया होता कि उस समय ट्रैफिक जाम के कारण माननीय सदस्यों को आने में दिक्कत होती है उसके लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे कि माननीय सदस्यों को आने जाने में परेशानी न हो, जाम में न फंसना पड़े। इस तरह का प्रश्न किया गया होता तो हम समुचित ढंग से उसका उत्तर देते। लेकिन प्रश्न ओवर ब्रिज बनाने की योजना से संबंधित है उसमें ट्रैफिक जाम से कोई अर्थ नहीं है। हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अगर ट्रैफिक जाम से संबंधित प्रश्न पूछा जायेगा तो उत्तर देने के लिये आप निर्देशित करेंगे तो हम उत्तर देंगे। मेरा अनुरोध है कि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। माननीय सदस्यों को आने में कोई बाधा न हो, विलम्ब न हो, वे समयानुसार आ सकें इसके लिये जो भी प्रबन्ध करने की आवश्यकता होगी आपके निर्देशानुसार किये जायेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय मंत्री जी मूल प्रश्न का सहारा लेकर कि यह ओवर ब्रिज का प्रश्न था। मान्यवर, विधान सभा की कार्यवाही में हमको समय से पहले आना है। 10 बजे हम प्रश्न टाइप करके लगवाते हैं उसके बाद तैयार होकर चलते हैं स्वाभाविक है कि कार्यालय का समय होने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज ही ऐसी व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो गई कि मैं समय से नहीं पहुंच सका और मेरा प्रश्न उत्तररित नहीं हो सका। इसके बावजूद भी सरकार संवेदनशील नहीं हो रही है। सरकार को कहना चाहिए था कि इस बारे में हम व्यवस्था कर लेंगे लेकिन यह कह रहे हैं कि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। यह प्रश्न पाल जी ने मूल प्रश्न से अलग हटकर किया है। मान्यवर, प्रश्नकाल में मूल प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है। माननीय सदस्य समय से नहीं पहुंच सके तो उनका प्रश्न अनुत्तरित रह

गया, यह अलग बात है। सदन के संचालन से संबंधित विषय में कोई कठिनाई परेशानी है तो उसमें आप बैठक करते रहते हैं और आप जो निर्देश देते हैं उनका पालन होता है। मैंने इस प्रश्न के सम्बन्ध में निवेदन करना था, किया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी यह सही है कि यह प्रश्न ओवर ब्रिज से संबंधित है लेकिन यह जो व्यवहारिक कठिनाई है, उसकी तरफ पाल साहब ने और राम करन जी ने ध्यान दिलाया है कि यहां सामने धरना प्रदर्शन होता रहता है ट्रैफिक जाम होने के कारण माननीय सदस्यों को आने में कठिनाई होती है। इसके लिये एक निश्चित व्यवस्था उस समय हो जाये ताकि माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही में आने में दिक्कत न हो।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैंने तो कहा था आपके निर्देश होंगे तो उस बारे में विचार कर लेंगे।

(प्रश्न सं0 7 पुकारे जाने पर सदस्य चौ0 महेन्द्र सिंह अनुपस्थित थे)

प्रदेश में थानाध्यक्ष के पद पर तैनाती हेतु आरक्षण शासनादेश

*7--चौ0 महेन्द्र सिंह--

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में थानाध्यक्ष के पद पर तैनाती हेतु कोई आरक्षण नियमावली बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार उक्त आरक्षण के अनुसार तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। थानाध्यक्ष के पद पर आरक्षण हेतु शासनादेश निर्गत है।

शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थानाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 25 प्रतिशत पिछड़े वर्ग एवं 05 प्रतिशत अल्प संख्यक मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित है।

शासनादेश के अनुसार थानाध्यक्षों की तैनाती के सम्बन्ध में शासन स्तर से पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को और पुलिस मुख्यालय स्तर से समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में होमगार्ड के जवानों की स्थाई नियुक्ति की मांग

*8--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या होमगार्ड्स प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को क्या सरकार स्थायी नियुक्ति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)--

जी नहीं।

होमगार्ड के जवानों को स्थायी नियुक्ति दिये जाने की कोई कार्ययोजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

होमगार्ड्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है, जो कि पुलिस बल के सम्पूरक बल के रूप में भारत सरकार के स्वयंसेवी प्रारूप की नीतियों पर संचालित है।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय मंत्री जी ने इतने गम्भीर प्रश्न को इतने हल्के रूप में लिया है मैं माननीय मंत्री जी से पुन: अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने की कृपा करें। होमगार्ड के जो जवान हैं वह ड्यूटी करते हैं चाहे दरोगा जी की भैंस थाने में खिलानी हो, चाहे कप्तान साहब के बच्चे को खिलाना हो, चाहे चौराहे पर ड्यूटी करनी हो। सिपाही ड्यूटी देना अपमान समझते हैं। होमगार्ड्स से संबंधित जो हमने गम्भीर प्रश्न उठाया है होमगार्ड्स के जवान आते हैं उनको महीने भर काम नहीं मिलता है न मजदूरी मिलती है मंत्री जी सहृदय हैं वह इस पर विचार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न पूछें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मैं जानना चाहता हूं प्रदेश में कितने होमगार्ड के जवान कार्यरत हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न था कि होमगार्ड की स्थायी नियुक्ति पर विचार करेंगे ? मंत्री जी ने कह दिया ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप पूछ रहे हैं कितने नियुक्त हैं ? इससे क्या मतलब है ?

श्री राम इकबाल सिंह--

इसी से मतलब है।

श्री अध्यक्ष--

पूछें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कितने जवान कार्यरत हैं उनको प्रतिदिन के हिसाब से क्या मानदेय स्वीकृत किया है। सरकार के पास इतनी नीति हैं तो क्या कोई ऐसी नीति है कि साल भर भरण पोषण के लिए यह मानदेय पा जाएं ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य राम इकबाल जी ने जो सवाल किया है मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की संस्तुतियों पर, उनकी नीति पर प्रदेश में एक लाख 17 हजार 9 होमगार्ड कार्यरत हैं। हर महीने 25 हजार होमगार्ड को ड्यूटी दी जाती है और लगभग 20-25 हजार होमगार्ड को प्रतिमाह प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदेश के होमगार्ड अधिकारी को निर्देश दिया गया है इनको ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी देने के लिए निजी क्षेत्रों में भी सम्पर्क स्थापित करें। इन्हें ड्यूटी दिलाई जाए। क्योंकि यह भारत सरकार की नीति है। यह स्वयं सेवी संगठन है यह पुलिस बल के सहयोग

के रूप में प्रदेश में कार्य कर रहा है तो इसके स्वरूप को चेन्ज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम नहीं है। केन्द्र सरकार अनुमति देगी तो इसकी स्थाई नीति की व्यवस्था, प्रदेश में जो वित्तीय संसाधन मौजूद हैं उसके अनुसार की जा सकती है। लेकिन बाध्यता यह है कि भारत सरकार जो 25% की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को देती है उसके अनुसार प्रदेश में होमगार्ड्स कार्यरत हैं, उसके अनुसार होता है। यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जवानों को ड्यूटी दी जा सके। उनकी सेवा ले सकें। आपने देखा होगा आप मानते होंगे प्रदेश में चाहे चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे लोक सभा या विधान सभा या ग्राम सभा, मेला दैवी आपदा हो वहां होमगार्ड्स के जवान की ड्यूटी लगाई जाती है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा होमगार्ड्स की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाती है और इनकी कार्यकुशलता तथा इनके शारीरिक स्वास्थ्य का जो मापदण्ड है, हम 18 से 50 वर्ष की उम्र के जवानों को भी भर्ती कर सकते हैं, तो इसके स्वरूप को हम चेन्ज नहीं कर पायेंगे। इसको हम तभी चेन्ज कर पायेंगे जब भारत सरकार इसकी अनुमति दे। यह भी अनुपूरक आप पूछ सकते हैं कि वर्ष 1994 में।

श्री अध्यक्ष--

जब इन्होंने पूछा ही नहीं है तो क्यों उत्तर दे रहे हैं ?

श्री ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी--

मान्यवर, वर्ष 1998 में एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गयी थी और इस पर गम्भीरता से विचार किया गया लेकिन पाया गया कि इसके स्वरूप को नहीं बदला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

राम इकबाल सिंह जी, अभी आप और पूछेंगे ?

श्री राम इकबाल सिंह--

अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी कोई नीति बनायेगी कि जो 1 लाख 17 हजार 9 होमगार्ड्स के जवान हैं, उनको साल में कम से कम इतने दिन अवश्य काम मिल सके ? आपने बताया कि 25 हजार जवानों को ड्यूटी के लिये रोटेट करते हैं लेकिन 1 लाख 17 हजार 9 होमगार्ड हैं, सभी को ड्यूटी नहीं मिलती है तो बाकी लोग क्या करें, रात में सड़क पर वसूली करने जायें, क्या करें ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि 1 लाख 17 हजार 9 जवानों में से 25 हजार को प्रतिमाह रोजगार देते हैं, जो नहीं पाते हैं, वह रोटेशन में फिर ड्यूटी पाते हैं।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, इनके लिए कोई निश्चित अवधि सुनिश्चित कर दें कि इनको हम साल में कम से कम 100 दिन, 120 दिन या आधे वर्ष तक काम देंगे।

श्री ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी--

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, 25 हजार जवानों को हम ड्यूटी देते हैं और इतने ही जवानों की हर महीने ट्रेनिंग दिलाते हैं ताकि उनको भी नियुक्ति भत्ता मिलता रहे। इसी प्रकार हम रोटेशन में ड्यूटी देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

महाना जी, आप बैठें प्रश्न का समय समाप्त हुआ।

गंगा बैराज कानपुर योजनान्तर्गत वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान से जलापूर्ति की जानकारी

*9--श्री सतीश महाना--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा बैराज कानपुर योजनान्तर्गत क्या 200 एम0 एल0 डी0 वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट चालू हो गया है ? यदि हां, तो उक्त ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से उपभोक्ताओं को कितनी जलापूर्ति की जा रही है ? क्या 200 एम0 एल0 डी0 क्षमता के अनुसार जलापूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

उक्त ट्रीटमेन्ट प्लांट से विकासनगर, मकड़ीखेड़ा, दयानन्द बिहार व इन्दिरानगर में दिनांक 11-5-2005 से 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित शेष जोन शारदानगर, मसवानपुर, सत्यम् विहार, महाबलीपुरम, रतनपुर, पनकी गंगागंज एवं पनकी की जलापूर्ति 4 नगर रेलवे क्रासिंग के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 200 एम0एल0डी0 क्षमता के अनुसार जलापूर्ति की जा सकेगी।

प्रदेश में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि सन्तुलित विकास हेतु प्रारम्भ

*10--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के भविष्य एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीजों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा क्षेत्र विकास निधि से विद्यालयों एवं चिकित्सालयों (अनुदानित/सरकारी) को धनराशि देने हेतु विधान सभा क्षेत्र का प्रतिबन्ध समाप्त कर जनपद सीमा करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर कब तक निर्देश जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सन्तुलित विकास के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य

*11--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का कोई लक्ष्य वर्ष 2005-06 में निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2005-06 में निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किया गया है :--

(क) **त्वरित नागर पेयजल कार्यक्रम (50 : 50)**

इस योजना के अन्तर्गत 40 नगरों के निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं को चालू कर जलापूर्ति कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) **नगरीय पेयजल सम्पूर्ति (जिला योजना)**

इस योजना के अन्तर्गत 50 जनपदों में 104 नगरीय पाइप पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है।

(ग) **नगरीय पेयजल कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)**

वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कतिपय नगर/शहरों में पेयजल की व्यवस्था हेतु प्राविधानित धनराशि से कार्य कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर महानगर में सुअर बाड़ों को नगर से दूर स्थानान्तरित कराने की मांग

*12--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में किन-किन स्थानों पर सुअर बाड़े हैं ? क्या सरकार इन सुअर बाड़ों को नगर से दूर स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

गोरखपुर महानगर में स्थित सुअरबाड़ों के स्थानों की सूची† संलग्न है।

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय (अप्रदूषण कारक पशुओं के विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2004 के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

उरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आई0 टी0 उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु जमीनों के रजिस्ट्रेशन को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करने का निर्णय

*13--श्री नवाब सिंह नागर--

क्या इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने आई0 टी0 उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु उद्योग स्थापित करने के लिये ली गयी जमीनों के रजिस्ट्रेशन को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करने का निर्णय लिया है ? क्या यह सही है कि नोयडा प्राधिकरण से आई0 टी0 उद्योगों हेतु आवंटित भूमि पर अनेक इकाइयां स्टाम्प मुक्त करते हुए रजिस्ट्रेशन करने हेतु आवेदन पत्र दिये हैं ? क्या यह भी सही है कि कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा रोक लगा दिये जाने से यह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही शुरू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 163 पर।

इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह)--

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजीव गाँधी ग्रामीण सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत जल निगम द्वारा मुरादाबाद मण्डल की समस्त बस्तियों में हैण्डपम्प की स्थापना

*14--श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004 में राजीव गांधी ग्रामीण सर्वेक्षण कार्यक्रम में जल निगम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कितनी बस्तियों में पेयजल का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है ? मुरादाबाद मण्डल में जिलेवार स्थिति क्या है तथा इन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई समयबद्ध योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत जल निगम द्वारा वर्ष 2003-04 में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में कुल अनाच्छादित बस्तियों की संख्या--7993 है।

मुरादाबाद मण्डल में अनाच्छादित बस्तियों की जिलेवार स्थिति निम्नानुसार है :--

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनाच्छादित बस्तियों की संख्या
1	मुरादाबाद	0
2	बिजनौर	199
3	जे0 पी0 नगर	8
4	रामपुर	17
	योग :	224

जी हां।

मुरादाबाद मण्डल की समस्त अनाच्छादित बस्तियों को हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर वर्ष 2006-07 के अन्त तक पूर्ण रूप से आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना

*15--श्री कौशल किशोर--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु निम्नानुसार योजना है :--

1--पेयजल हेतु निर्धारित न्यूनतम मानक 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से अर्थात् प्रत्येक 250 की आबादी पर एक इण्डिया मार्क--2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जाय और इसके लिए कोई सहभागिता की आवश्यकता नहीं है।

2--निर्धारित न्यूनतम मानक 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से अर्थात् प्रत्येक 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प के अनुसार प्रदेश की समस्त बस्तियों के पूर्णतः आच्छादित हो जाने के उपरान्त मांग के आधार पर प्रत्येक 150 की आबादी पर एक हैण्डपम्प लगाया जाना है, जिसमें हैण्डपम्प की लागत का 10 प्रतिशत अंशदान तथा रख-रखाव का पूर्ण व्यय लाभार्थी समुदाय द्वारा वहन किया जाता है।

3--सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ जल प्रबन्धन समिति द्वारा योजना की लागत की न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि सहभागिता अंशदान के रूप में वहन करने तथा योजना के पूर्ण होने के उपरान्त उसके रख-रखाव का उत्तरदायित्व वहन करने की सहमति देने पर केन्द्र पोषित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सहभागिता के आधार पर सम्बन्धित ग्राम की पाइप पेयजल योजना का निर्माण किया जाता है।

4--अधिष्ठापित इण्डिया मार्क--2 हैण्डपम्पों का पानी रासायनिक अशुद्धियों से प्रभावित पाये जाने पर सम्बन्धित गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु केन्द्र पोषित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में निजी मकान बनाने वाले आई0ए0एस0 अधिकारियों के सरकारी मकान के आवंटन को निरस्त किये जाने की मांग

*16--डा0 सुशील चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने आई0ए0एस0 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने भवन निर्माण अग्रिम लेकर लखनऊ में निजी मकान बनवा लिये हैं और वे सरकारी मकानों में रह रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के सरकारी मकानों का आवंटन निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों में अध्यासित कुल 45 आई0ए0एस0 अधिकारियों को लखनऊ में भवन निर्माण हेतु अग्रिम स्वीकृत किया गया है। इनमें से 19 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों द्वारा मकान बनवा लिया गया है। 26 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों द्वारा गृह निर्माण पूरा नहीं कराया जा सका है।

जी नहीं।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 45-ए के अनुसरण में बनायी गयी "सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980" में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अनुसार भवन निर्माण अग्रिम लेकर लखनऊ में आवास बनवाने वाले राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटित न किये जायें और न ही पहले से अध्यासित इस प्रकार के अधिकारियों से आवास रिक्त कराये जाने की व्यवस्था है। अतएव उक्त अधिकारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित आवासों को निरस्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा करने वाले आई0 ए0 एस0 की संख्या एवं इस पर व्यय विवरण की जानकारी

*17--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कितने आई0 ए0 एस0 अधिकारियों ने जनवरी, 2005 से 15 नवम्बर, 2005 तक सरकारी खर्च पर विदेशों की यात्रा की है ? उनके विदेश जाने के क्या उद्देश्य थे ? उक्त विदेश यात्राओं पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ ? क्या सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विदेश यात्राओं पर अंकुश लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनवरी, 2005 से 15 नवम्बर, 2005 तक प्रदेश सरकार के 2 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों द्वारा विशेष परिस्थितियों में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने तथा विदेशी पर्यटकों को प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के व्यय पर विदेश-यात्राएं की गयीं।

उक्त अधिकारियों की विदेश-यात्राओं पर राज्य सरकार का कुल व्यय रु0 6,68,719.33 व्यय हुआ।

राज्य सरकार के व्यय पर अधिकारियों द्वारा विदेश भ्रमण पर प्रतिबन्ध लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री संजीव दरियाबादी--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई की नगरपालिका सण्डीला की मीट मण्डी में जल भराव के निराकरण हेतु उपाय

2--श्री योगेन्द्र कुमार--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, सण्डीला, जनपद-हरदोई में सब्जी मण्डी स्थित मीट मार्केट के भवन में कई फीट गंदा पानी भरा रहता है जिससे गन्दगी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

नगर पालिका परिषद्, सण्डीला जनपद-हरदोई में मीट मार्केट काफी पुराना एवं उसका धरातल नीचा है। फलस्वरूप बरसात में पानी एकत्र हो जाता है, जिसे सफाई कर्मियों से निकलवा दिया जाता है। नवीन मीट मार्केट बनाये जाने हेतु संगठित विकास योजना के अधीन रु0 8,11,201 का आगणन तैयार कर दिनांक 29-01-2005 को सहयुक्त नियोजक को भेजा गया है। उक्त धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर नवीन मार्केट का निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पालिका सण्डीला में कब्रिस्तान होते हुए चक्का रोड तक कथित क्षतिग्रस्त सड़क की नाली के निर्माण की मांग

3--श्री योगेन्द्र कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, सण्डीला जनपद हरदोई में महतवाना स्थित मास्टर सबूर के मकान से पुराना बाग कब्रिस्तान होते हुए चक्कर रोड तक जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है तथा लगभग पूरे वर्ष सड़क पानी में डूबी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क तथा उसके दोनों ओर के क्षतिग्रस्त नालों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुचर स्व0 ज्ञान बहादुर की मृत्योपरान्त उसके बीमे की धनराशि का भुगतान कराये जाने की मांग

4--श्री परमजीत मलिक--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2005 के दूसरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 श्री ज्ञान बहादुर के सेवाकाल में बीमा हेतु कुल कितनी धनराशि जमा की गयी थी ? क्या उसका भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

स्व0 ज्ञान बहादुर के सेवाकाल में सामूहिक बीमा हेतु कुल रु0 1859.83 की धनराशि जमा की गयी थी।

जी नहीं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के सामूहिक बीमा का भुगतान स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। स्व0 ज्ञान बहादुर के भाई श्री हेम बहादुर द्वारा बीमा क्लेम से सम्बन्धित निर्धारित प्रपत्र भरकर अभी तक नहीं उपलब्ध कराया गया है।

5--चौ0 महेन्द्र सिंह--

[दिनांक 2-2-2006 के अता प्र0 सं0 100 द्वारा उत्तरित]

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार के अनेक गांवों में जलापूर्ति के विवरण की जानकारी

6--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर में जल निगम द्वारा स्थापित पानी की टंकी द्वारा किन-किन गांवों को जल आपूर्ति की जाती है ? क्या बाबू का पुरवा ग्रन्ट कुड़वार में भी पानी की आपूर्ति इसी टंकी द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो क्या पानी गांव तक पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त गांव तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

कुड़वार ग्राम समूह पेयजल योजना से निम्नलिखित 15 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति की जाती है :--

1--सोहगौली 2--भगवानपुर, 3--उतमानपुर, 4--गजेहड़ी, 5--भदरहा, 6--कुड़वार, 7--इसरौली, 8--देवलपुर, 9--हरखपुर, 10--कपूरपुर, 11--परसीपुर, 12--जगदीशपुर, 13--चितईपुर, 14--मीरानपुर, 15--ग्रेंट कुड़वार।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की कानपुर रोड योजना, के सेक्टर जी में विद्युत् पोलों पर लाइट की व्यवस्था की मांग

7--श्री रामकरन आर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रोड योजना, लखनऊ के सेक्टर जी में आवास संख्या एस0एस0-700 से एस0एस0 आवास संख्या 900 तक के मध्य बने आवासों के सामने सड़क पर लगे बिजली के खम्भों पर बिजली नहीं जलती है जिससे आये दिन चोरियां हो रही हैं ? यदि हां, तो उक्त खम्भों पर लाइटें कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

कानपुर रोड योजना लखनऊ से सेक्टर-जी के आवास संख्या-एस0एस0 700 से आवास संख्या एस0एस0 900 तक कुल 46 पोल लगे हैं, जिसमें से 17 ट्यूब फिटिंग तथा 02 सोडियम फिटिंग लगी है, जो वर्तमान में प्रकाशित है। शेष पोलों पर प्रकाश बिन्दु लगाये जाने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के रजबहा राजामऊ की पटरी को खण्डों में विभाजित करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पक्की कराये जाने की मांग

8--डा0 अजय कुमार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 44 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के राजामऊ रजबहा की पटरी को कई खण्डों में विभाजित करते हुए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तगंत पक्की कराये जाने हेतु जिला पंचायत द्वारा चयनित एवं स्वीकृत कराया जायेगा ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रथम खण्ड के रूप में बछरावां -लालगंज सम्पर्क मार्ग से कुन्दन गंज सम्पर्क मार्ग के बीच की पटरी कब तक पक्की करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि प्रथम खण्ड के रूप में बछरांवा-लालगंज सम्पर्क मार्ग से कुन्दनगंज सम्पर्क मार्ग के बीच की पूरी पटरी कोर नेटवर्क में नहीं है। अपितु केवल आंशिक मार्ग (प्रथम-3 किमी0) ही कोर नेट वर्क में है, जिस पर पड़ने वाले मजरों में से किसी भी मजरे की आबादी 500 से अधिक नहीं है, जो कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में चयन का मुख्य आधार है।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्दपुर के गांवों में इन्दिरा आवास एवं शौचालय उपलब्ध कराने की योजना

9--डा0 अजय कुमार--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गरीब खेड़ा, मजरे-पश्चिम गांव विकास खण्ड-हरचन्दपुर, जिला रायबरेली में अब तक कुल कितने परिवारों के लिये इन्दिरा आवासों एवं शौचालयों का निर्माण कराया गया है तथा कितने परिवार शेष हैं ? शेष परिवारों के लिये इन्दिरा आवास एवं शौचालयों का निर्माण कब तक कराया जायेगा। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

4 बी0पी0एल0 परिवारों को अब तक इन्दिरा आवास शौचालय उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 14 परिवार इन्दिरा आवास एवं शौचालय उपलब्ध कराये जाने के लिए शेष हैं।

भारत सरकार से इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 में 3116 आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में शासी निकाय की बैठक में अनुमोदनोपरान्त वर्ष 2004-05 के ग्रामों को इन्दिरा आवास एवं शौचालय उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2004-05 में चयनित एवं शासी निकाय से अनुमोदित ग्रामों के संतृप्तीकरण के पश्चात् उक्त ग्राम के अवशेष 14 परिवारों को वर्ष 2006-07 में भारत सरकार से इन्दिरा आवास का लक्ष्य प्राप्त होने पर इन्दिरा आवास एवं शौचालय उपलब्ध कराने की योजना है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ की रिवर बैंक कालोनी में भूतल के आवंटियों द्वारा आंगन लान में अवैध निर्माण को हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही

10--श्री कौशल किशोर--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित रिवर बैंक कालोनी में भूतल के आवंटियों द्वारा अपने आंगन लान तथा लान के बाहर अवैध निर्माण करके अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूतल पर बनाये गये अतिरिक्त कमरों आदि के निर्माण को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

नगर निगम की अनुमति के बिना कराये गये अतिरिक्त निर्माण को हटाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के थाना माल में दर्ज एस0 सी0 एस0 टी0 ऐक्ट की परिवर्तित धारा के अंतर्गत पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता

11--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ के थाना माल में दिनांक 07-12-93 को दर्ज मु0अ0सं0 266/93 धारा 435/324 आई0पी0सी0 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट परिवर्तित धारा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 27-4-2005 को मा0 मुख्य मंत्री को दिये गये पत्र पर क्या पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, समाज कल्याण विभाग द्वारा चेक संख्या--74750 द्वारा रु0 10,000.00 का भुगतान दिनांक 16-3-05 को किया जा चुका है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद आगरा की विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक सहायक श्री प्रमोद कुमार गुप्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान

12--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा में वैज्ञानिक सहायक के पद पर कार्य करते समय बम विस्फोट होने से विकलांग हो गये थे ? इनकी चिकित्सा के अवशेष बिल का भुगतान तथा मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता हेतु निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवा उ0 प्र0 को पत्र संख्या-एफ0एस0एल0एम0आर0-1-96, दिनांक नवम्बर, 2004 को भेजा गया था तथा इसी सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र क्र-3-201768, दिनांक 6-6-2005 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

तकनीकी सेवा मुख्यालय को निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का पत्र दिनांक नवम्बर, 2004 प्राप्त हुआ है परन्तु प्रश्न कर्ता का पत्र दिनांक 6-6-05 तकनीकी सेवाएं में प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता।

श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, वैज्ञानिक सहायक को देय चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें निगमों एवं निकायों के कर्मियों पर लागू करने की मांग

13--डा0 राधा मोहन अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें, जो राज्य कर्मियों पर लागू की गयी है, स्वायत शासी तथा अर्द्ध स्वायत शासी निकायों तथा निगमों के कर्मियों पर भी लागू की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियां पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के आधार पर राज्य सरकार ने वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु वर्ष 1997 में एक वेतन समिति का गठन किया था। वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर राज्य कर्मचारियों, शिक्षक/शिक्षणेत्तर वर्ग के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, विकास प्राधिकरणों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। सार्वजनिक उपक्रमों निगमों के कार्मिकों के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुति पर यह निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित निगम/उपक्रम की आर्थिक स्थिति एवं अपने स्रोतों से कार्मिकों का नये वेतनमान देने की क्षमता के आधार पर तत्सम्बन्धी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है। इस आधार पर जो उपक्रम/निगम अपने स्रोतों से अपने कार्मिकों के नये वेतनमान वहन करने हेतु सक्षम हैं, उनके मामले में मंत्रि परिषद् के अनुमोदन से वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जा चुका है/रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम अलीगढ़ को उपलब्ध धनराशि से कराये गये कार्यों की जानकारी

14--चौ0 महेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, अलीगढ़ को दिनांक 01-04-04 से 31-8-05 तक कितनी धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है तथा उपलब्ध धनराशि से कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

शासन द्वारा नगर निगम, अलीगढ़ को दिनांक 01-04-04 से दिनांक 31-08-05 तक निम्नानुसार कुल रु 24,26,85,000.00 (रु0 चौबीस करोड़ छब्बीस लाख पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है:--

1--राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 21,34,21,000.00(रु0 इक्कीस करोड़ चौंतीस लाख इक्कीस हजार मात्र)।

2--11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 92,64,000.00 (रु0 बानवे लाख चौंसठ हजार मात्र) ।

3--रिवाल्विंग फण्ड के अन्तर्गत रु0 2,00,00,000.00 (रु0 दो करोड़ मात्र)।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता, भविष्य निधि व पेंशन अनुदान का भुगतान, रिवाल्विंग फण्ड ऋण की प्रथम किस्त का समायोजन, विद्युत विभाग की वर्ष 2003-04 की शेष धनराशि का भुगतान तथा 11वें वित्त आयोग से उपलब्ध धनराशि से गल्ली, खड़ंजा एवं सड़कों आदि का निर्माण एवं रिवाल्विंग फण्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि से हाट मिक्स से सड़क निर्माण, बिटुमन रोड तथा नाला-नाली निर्माण के कार्य कराये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद महानगर की सफाई व्यवस्था हेतु सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग

15--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इलाहाबाद महानगर की सफाई व्यवस्था के लिये सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या इलाहाबाद महानगर में सफाई कर्मचारियों की संख्या काफी कम है ? यदि हां, तो सरकार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जी हां।

वर्ष 2006 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां ।

वर्तमान में पूर्व से सृजित 2575 पदों के सापेक्ष 1900 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। जहाँ तक सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने का प्रश्न है, शासनादेश संख्या--1783/9-1-02-66सा 01, दिनांक 22-06-02 द्वारा प्रदेश के नगर निगमों नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत नयी नियुक्ति न कर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, संविदा पर कार्य कराकर सफाई व्यवस्था करायें जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में नगर निगम, इलाहाबाद में 500 आंतरिक्त सफाई मजदूरों से ठेका पद्धति से सफाई का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

16--श्री हरि प्रताप सिंह--

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

प्रतापगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सीवर लाइन की व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

17--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सीवर लाइन स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त सीवर लाइन कब तक डाल दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जी नहीं।

सीवर लाइन की व्यवस्था हेतु नगर विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के बजट में प्रतीक प्रावधान किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र की सीवर लाइन की व्यवस्था हेतु उ0 प्र0 जल निगम से आगणन/प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जायेगी। तत्पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

जनपद इलाहाबाद में गत दो वर्षों में अपराधिक घटनाओं का विवरण एवं इसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जानकारी

18--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में गत दो वर्षों में हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, चोरी, वाहन चोरी की कितनी घटनायें हुई हैं ? इनमें से कितनी घटनाओं में अपराधियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ? क्या इलाहाबाद जनपद में बढ़ रही अपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद इलाहाबाद में गत दो वर्षों में निम्न घटनायें घटित हुई हैं :--

अपराध शीर्षक	वर्ष 2004	वर्ष 2003
हत्या	137	116
बलात्कार	19	19
अपहरण	65	39
डकैती	03	09
चोरी	264	160
वाहन चोरी	235	148

जनपद इलाहाबाद में गत दो वर्षों में अपराधियों के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्यवाही निम्नवत् है :--

अपराध शीर्षक	वर्ष 2004 में चालान अभियोगों की संख्या	वर्ष 2003 में चालान अभियोगों की संख्या
हत्या	120	96
अपहरण	39	35
बलात्कार	19	19
डकैती	02	08
चोरी	104	79
वाहन चोरी	42	23

अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। छोटी-छोटी घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए तत्काल कार्यवाही की जा रही है। हत्या जैसे अपराध की रोकथाम हेतु सभी थानों में हत्या, बलवा, रोकथाम रजिस्टर तैयार किया गया है जिसमें पुरानी रंजिशों को चिन्हित करके दोनों पक्षों को 116 (3) जा0 फौ0 के अन्तर्गत अधिक से अधिक धनराशि पर पाबन्द कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

अमीनाबाद इण्टर कालेज, लखनऊ में सेनेटरी इन्स्पेक्टर कोर्स चलाने हेतु विद्यालय के कमरे दिये जाने की जांच की मांग

19--श्री राम करन आर्य तथा मो0 इरशाद खाँ--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ द्वारा संचालित अमीनाबाद इण्टर कालेज, लखनऊ में सेनेटरी इन्स्पेक्टर का कोर्स चलाने हेतु विद्यालय में कमरों की कमी होने के बावजूद किराये पर दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

अमीनाबाद इण्टर कालेज परिसर में शिक्षण कार्य के उपरान्त सेनेटरी इंस्पेक्टर का कोर्स चलाने हेतु सायंकाल 5.00 बजे से 06 कमरे तथा एक प्रधानाचार्य कक्ष किराये पर आल इण्डिया लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट, बाम्बे को आवंटित किया गया है। उक्त आवंटन से शिक्षण कार्य में कोई व्यवधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टर कालेजों में अध्यापक/ अध्यापिकाओं की नियमित नियुक्ति

20--मो0 इरशाद--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टर कालेजों में संविदा के आधार पर कुछ अध्यापकों/अध्यापिकाओं/कर्मचारियों को योग्यता मापदण्डों की अनदेखी करते हुए अनियमित रूप से नियुक्तियां कर ली गयी हैं ? यदि हां, तो क्या इन नियुक्तियों को निरस्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जी नहीं।

सभी अध्यापक/अध्यापिकायें एवं कर्मचारी निर्धारित अर्हतायें रखते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड क्षेत्र, पल्हना में अधिकारियों/कर्मचारियों के आवास बनाने की मांग

21--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास क्षेत्र, पल्हना में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड, पल्हना में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए टाइप 4 का 01, टाइप 2 के 04 एवं टाइप 1 के 02 आवास बने हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के थाना कृष्णानगर के गुरुनानक वार्ड के रोड पर कथित अतिक्रमण हटाये जाने की मांग

22--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के थाना कृष्णानगर के गुरुनानक वार्ड के विशेशवर नगर के मकान नं0 554ख/8 के अध्यासी मुन्नी लाल वर्मा द्वारा रोड पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को कब तक हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जी नहीं। यह एक निजी कालोनी है। नगर निगम, लखनऊ द्वारा जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध स्थान पर सी0 सी0 की गली का निर्माण कार्य पूर्व में कराया गया है। निर्मित सी0 सी0 गली पर अतिक्रमण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

23--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी के पदोन्नति कोटा के पद रिक्त हैं।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 5345 (एस0 एस0)/1997, रिट याचिका संख्या 5346 (एस0 एस0)/1997 एवं रिट याचिका संख्या 5355 (एस0 एस0)/1997 में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 29-2-2000 के प्रभाव के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी के पदोन्नति कोटा के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित है।

मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का प्रभाव समाप्त होने पर नियमानुसार पदोन्नति प्रक्रिया प्रारम्भ कर रिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्तियां की जायेंगी।

जनपद लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-जी के विद्युत खम्भों में विद्युत व्यवस्था

24--श्री राम करन आर्य--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के कानपुर रोड योजना में आवास संख्या एस0 एस0--805, सेक्टर जी, लखनऊ की आस-पास की सड़कों के बिजली के खम्भों पर ट्यूब लाइट न जलने से आये दिन चोरियां होती रहती हैं ? यदि हां, तो उक्त खम्भों पर ट्यूब लाइट की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जी नहीं, जनपद लखनऊ के कानपुर रोड योजना के आवास संख्या एस0 एस0 805 सेक्टर-जी के आस-पास सड़क पर कुल 09 पोल लगे हैं जिसमें 08 ट्यूब फिटिंग एवं 01 सोडियम फिटिंग लगी है, जो वर्तमान में प्रकाशित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम तथा नगर पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु निदेशक स्थानीय निकाय को अधिकृत कर अधिकारों से वंचित रखने विषयक विसंगति को संशोधित किये जाने की मांग

25--श्री अनिल कुमार मौर्य--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या--6760/नौ-4-46-9-एलबी/87, दिनांक 03 दिसम्बर, 1996 द्वारा नगर निगम तथा नगर पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया गया है ? क्या यह सही है कि जल संस्थान, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु जारी शासनादेश संख्या--488/नौ-3-97, दिनांक 11 फरवरी, 1997 में निदेशक, स्थानीय निकाय को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने का अधिकारों से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस विसंगति को दूर करने के सम्बन्ध में आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 22-9-05 नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विसंगति को संशोधित किये जाने हेतु उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खॉं--

जी हॉं।

जी हॉं। उत्तर प्रदेश पालिका एवं जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयत) सेवा के अवर अभियन्ताओं को समयमान वेतनमान देने का अधिकार निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रतिनिधानित नहीं किया गया है।

जी हां।

उ0 प्र0 पालिका एवं जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 1996 के अनुसार अवर अभियंता (जल) के नियुक्ति प्राधिकारी, उ0 प्र0 सरकार है। अत: नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवर अभियन्ताओं को समयमान वेतनमान देने का अधिकार निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0, लखनऊ को प्रतिनिधानित किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है । नगर निगम एवं नगर पालिका सेवा तथा जलकल अभियंत्रण सेवा दो अलग-अलग सेवायें हैं। दोनो सेवा के कर्मियों के लिय सेवा नियमावलियों के अनुसार अलग-अलग व्यवस्था है, न कि विसंगति। अत: कोई संशोधन आवश्यक नहीं है।

जिला योजना अन्तर्गत कार्यों के पूर्ण होने पर धन का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी जानकारी

26--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2003-2004, 2004-05 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के धन का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या कार्य पूरे हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इसका शेष धन अवमुक्त करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)--

जी नहीं।

जी नहीं।

जी हां।

कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला योजना व राज्य सेक्टर से स्वीकृत कार्यों का धन अवमुक्त अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर के लिए धन अवमुक्त करने की मांग

27--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2003-2004 में तथा वर्ष 2004-05 में जिला योजना व राज्य सेक्टर से स्वीकृत कार्यों का शेष धन जिलों को अवमुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 में शाहजहाँपुर जनपद के लिये पर्यटन विभाग द्वारा जो कार्य स्वीकृत किये गये थे, उनका अवशेष 20 प्रतिशत धन अभी तक नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो जनहित में अवशेष कार्यों को पूरा कराने के लिये अवशेष धन शीघ्र ही अवमुक्त करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद--

जी हां।

जिला योजना एवं राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की धरोहर राशि के रूप में रोकी गयी 10 प्रतिशत की राशि नियमानुसार 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाती है।

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में स्वीकृत योजनाओं की नियमानुसार 10 प्रतिशत की धरोहर राशि के रूप में रोकी गयी है, जो 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अवमुक्त की जाती है।

कार्य पूर्ण होने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पालिका, सण्डीला में प्रतिभा टाकिज से रेलवे स्टेशन तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग

28--श्री रमेश चन्द्र बिन्द--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका, सण्डीला, जनपद हरदोई में प्रतिभा टाकिज से आई0 आर0 इण्टर कालेज होकर रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है ? क्या जलभराव के कारण नागरिकों एवं स्कूली छात्रों को कालेज आने-जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्धारित समय सीमा के अन्दर उक्त सड़क का निर्माण करायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जी हां। आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पालिका, सण्डीला में बस स्टैण्ड से इमलिया बाग तक अपूर्ण सड़क का निर्माण कराने की मांग

29--श्री रमेश चन्द्र बिन्द

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका, सण्डीला, जनपद हरदोई में बस स्टैण्ड से इमलिया बाग तक की सड़क का निर्माण कार्य लगभग तीन महीनों से रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण निर्धारित समय में पूर्ण करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जी हां।

बरसात के कारण लेपन हेतु उपयुक्त समय न होने के कारण कार्य विगत तीन माह से रुका हुआ था।

वर्तमान में सन्दर्भित मार्ग पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत मा0 सांसद की निधि से स्वीकृत कुल लम्बाई 1.30 किमी0 के सापेक्ष प्रथम किश्त में प्राप्त 75 प्रतिशत धनराशि से 0.900 मी0 लम्बाई में लेपन कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ के आर्य नगर मोहल्ले की अधिकांश क्षतिग्रस्त सड़कों व विद्युत प्रकाश व्यवस्था हेतु धनराशि स्वीकृत कराने की मांग

30--श्री अनिल कुमार मौर्य--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा के पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 44 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा धन की व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

प्रश्नगत क्षेत्र की अधिकांश सड़कों का सुधार कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

31--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[निदेश संख्या-26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

32--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[दिनांक 02-01-2006 को अता0 प्र0 सं0-41 द्वारा उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा पट्टी में स्वीकृत हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित कराने की मांग

33--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000 से दि0 12-7-2005 तक प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये कुल कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं ? क्या स्वीकृत हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो स्वीकृत हैण्डपम्प को अधिष्ठापित किये जाने हेतु अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराते हुए कब तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री राजपाल त्यागी--

वर्ष 2000 से दिनांक 12-7-2005 तक जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये कुल 1635 नग हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं।

स्वीकृत कुल 1635 हैण्डपम्पों के सापेक्ष दिनांक 20-11-05 तक कुल 1435 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये गये हैं।

उक्त अवशेष 200 हैण्डपम्पों (मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत) के अधिष्ठापन हेतु धन की व्यवस्था वर्ष 2005-06 की कार्य योजना में कर ली गई है। सूची एवं सहभागिता अंशदान की धनराशि प्राप्त होने पर उक्त हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन मार्च, 2006 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

जनपद वाराणसी के थाना आदमपुर के नया महादेव निवासी श्री पुत्तन साहनी की पुलिस पिटाई में मृत्यु के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही एवं मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने की मांग

34--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में आदमपुर थानान्तर्गत नया महादेव मुहल्ला निवासी पुत्तन साहनी की पुलिस द्वारा पिटाई करने से गम्भीर चोटों के कारण दिनांक 6-9-05 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कोमा में रहते हुए दिनांक 14-9-05 को बाद में उसकी मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक के परिजनों को आर्थिक अनुदान प्रदान किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का फैक्स दिनांक 18-9-05 एवं बाद में प्रेषित मूल पत्र पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वादिनी मुकदमा विट्टो देवी पुत्री श्री पुत्तन, राम निवासी बी0 7/163, बड़ाबाग केदारघाट, थाना भेलूपुर वाराणसी के प्रार्थना-पत्र पर थाना आदमपुर में दिनांक 06-9-05 को मु0 अ0 सं0

217/05, धारा 323/308 भा0 दं0 वि0 विरुद्ध उ0 नि0 अनिल कुमार पाण्डेय एवं हे0 का0 जमील खाँ पंजीकृत किया गया। इलाज के दौरान श्री पुत्तन राम, निवासी ए-11/20-31 नया महादेव प्रहलाद घाट की मृत्यु हो जाने पर अभियोग जुर्म धारा 304 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया।

मृतक के परिवार को आर्थिक अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-05 नहीं अपितु 17-9-05 प्राप्त हुआ था जिसमें मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक अनुदान प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। विवेकाधीन कोष नियमावली में निर्धन परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर अनुदान देने की व्यवस्था है। मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के कारण मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंचायती राज प्रकोष्ठ के सह संयोजक का थाना प्रभारी कोतवाली कटरा, जिला मिर्जापुर के विरुद्ध लूट की शिकायत विषयक कथित पत्र

35--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंचायती राज प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्री शशि भूषण दुबे पथिक का प्रत्यावेदन थाना प्रभारी कोतवाली कटरा, जिला मिर्जापुर को दि0 27 जून, 2005 को संगमोहाल क्रासिंग पर तमंचा सटाकर राजेन्द्र गौड़ जोपा, शशि चन्द्र मेजा तथा भानु प्रताप गुप्त उकौनगंज ने 50 हजार रुपये सायंकाल 6.30 बजे लूट लिया है ? क्या यह सही है कि श्री दुबे द्वारा कोतवाली, कटरा को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लूट की घटना की प्राथमिकी दर्ज करके अभियुक्तों को गिरफ्तार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री शशि भूषण दुबे पथिक, सह संयोजक पंचायती राज प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया है और न ही संगमोहाल क्रासिंग पर किसी प्रकार की लूट का होना प्रकाश में आया है।

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कतिपय स्थलों के गत वर्षों में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजनाओं की जानकारी

36--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 में पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिये जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के लिये किन-किन स्थलों को अनुमोदित किया गया है ? क्या अनुमोदित स्थलों के विकास के लिये अपेक्षित वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत कर दी गई है ? यदि नहीं, तो स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

श्री कौकब हमीद--

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा के क्षेत्र सदर के लिये निम्नांकित वित्तीय वर्षों में निम्न योजनायें अनुमोदित है।

वर्ष 2002-03

1--शनि देव मन्दिर में रैन बसेरा।

वर्ष 2003-04

1--भयहरण नाथ मन्दिर, कटरा गुलाब सिंह का जीर्णोद्धार।

वर्ष 2004-05

1--शनिदेव मन्दिर का पर्यटन विकास।

2--मूअर अधारगंज का पर्यटन विकास।

3--शबाना मजार का पर्यटन विकास।

4--पूरे गुरुवार मजार का पर्यटन विकास।

5--देवघाट मन्दिर का सौ0 वि0।

6--कल्याणी देवी मन्दिर मानधाता का सौ0 एवं विकास।

7--खुईलन देवी धाम का सौ0 वि0।

8--शिवरा मंदिर का सौ0 वि0।

9--भयहरण नाथ धाम (कटरा गुलाब सिंह) में यात्री छादक का निर्माण।

10--भयहरण नाथ धाम कटरा गुलाब सिंह में सुलभ शौचालय का निर्माण।

11--बेल्हादेवी मंदिर में जल एवं विद्युत व्यवस्था।

वर्ष 2005-06

1--बेल्हा देवी मंदिर में जल एवं विद्युत व्यवस्था।

2--बेल्हा देवी मंदिर का स्थानीय पर्यटन विकास।

3--शनिदेव मंदिर में जल एवं विद्युत व्यवस्था।

4--शनिदेव मंदिर का सौ0 एवं विकास।

5--कहला शहीद स्थल का विकास एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।

6--देवघाट मंदिर का सौ0 एवं विकास।

7--भयहरण नाथ मंदिर का सौ0 वि0।

8--शनिदेव धाम में सुलभ शौचालय।

9--शिव मंदिर पचखरा गाय घाट रोड पर पर्यटन विकास ।

10--हनुमान मंदिर उसरापुर मानधाता का पर्यटन विकास।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में विधायक निधि से हैण्डपम्प स्थापित कराने सम्बन्धी जानकारी

37--श्री हरि प्रताप सिह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05, 2005-06 में विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद प्रतापगढ़ में विधायक कोटे के अन्तर्गत आवंटित हैण्डपम्प स्थापित करा दिये गये है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? सरकार इन हैण्डपम्पों को कब तक स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 हेतु विधायक कोटे के अन्तर्गत आवंटित कुल 200 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों के सापेक्ष दिनांक 15-11-2005 तक कुल 125 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये गये हैं तथा 75 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जाना शेष है।

अवशेष 75 नग हैण्डपम्पों की सूची एवं सहभागिता अंशदान की धनराशि प्राप्त न होने के कारण 75 हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं कराये जा सके हैं, जिसके लिये कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।

शेष हैण्डपम्पों की सूची एवं सहभागिता अंशदान की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् उक्त हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में साइंस सिटी एवं ऊर्जा पार्क,की स्थापना की प्रगति की जानकारी

38--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने हेतु एन0 डी0 ए0 सरकार द्वारा इलाहाबाद में साइंस सिटी, ऊर्जा पार्क तथा इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस खोलने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो वर्तमान में इनके प्रगति की क्या स्थिति है ? क्या वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त कार्यों को रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार उपरोक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से वार्ता करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र)--

जी हां।

इलाहाबाद में साइंस सिटी एवं ऊर्जा पार्क की स्थापना के प्रकरण पर भारत सरकार के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस खोलने के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

साइंस सिटी, इलाहाबाद की स्थापना हेतु लगभग 30 एकड़ भूमि का रजिस्ट्रीकरण हो चुका है। 0.768 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा लेना शेष है तथा लगभग 5.64 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सफाई कर्मी एवं अन्य कर्मचारियों के खाली पड़े हैं। तमाम विभागों के डाक्टरों के पद रिक्त है और निदेशक की नियुक्ति तथा अलग से बजट प्राविधान की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गयी है। उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा सदन में वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

2--इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 500 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, कैली, बस्ती के भवन निर्माण की मूल स्वीकृति दिनांक 30-3-1991 को रु0 2167.38 लाख लागत के साथ प्रदान की गयी थी। निर्माण कार्य हेतु उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था निर्धारित किया गया। दत्तमय एकमुश्त धनराशि उपलब्ध न हो पाने तथा प्रयोग में आने वाली विभिन्न सामग्रियों की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण दिनांक 07-11-1997 को इसकी पुनरीक्षित लागत रु0 4594.67 लाख स्वीकृत की गयी तथा पुनः पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति दिनांक 01-08-2005 को रु0 5203.90 लाख लागत के साथ प्रदान की गयी। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष समस्त धनराशि अर्थात रु0 5203.90 लाख निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करा दी गयी है। परियोजना को दिसम्बर, 2006 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

3--चिकित्सालय में 300 शैय्या स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 283 शैय्या क्रियाशील है। निदेशक का पद 31-01-2006 से भरा हुआ है तथा निदेशक कार्यरत है। चिकित्सालय में विभिन्न श्रेणी के 23 चिकित्सक कार्यरत हैं। पैरामेडिकल संवर्ग के 69 कार्मिक कार्यरत हैं। चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी के 29 कर्मचारी कार्यरत है। जहां तक चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था का प्रश्न है सफाई का कार्य संविदा पर एजेन्सी द्वारा कराया जा रहा है। चिकित्सालय की शैय्या उपयोगिता 40 प्रतिशत है। इमरजेन्सी सेवायें 24 घण्टे उपलब्ध है। अतिविशिष्ट सेवाओं में हीमोडायलेसिस मशीन द्वारा डायलेसिस की जा रही है, जिसमें प्रदेश के बाहर के रोगी भी उपचार कराने आते हैं। सी0 टी0 स्कैन मशीन की भी स्थापना भी हो चुकी है तथा आपरेशनल प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। मशीन को शीघ्र ही क्रियाशील कर दिया जायेगा चिकित्सालय में ओ0 पी0 डी0 में औसतन 400 मरीज प्रतिदिन आते हैं।

4--प्रदेश सरकार जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिबद्ध एवं सजग है और इसमें अतिरिक्त सुधार लाने हेतु कृत संकल्प है। औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर करायी जा रही है। जहाँ तक चिकित्सकों की कमी का प्रश्न है, इस विषय में मा0 सदन को यह भी अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सकों के रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयन सूची प्राप्त होते ही नियुक्ति की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करके बस्ती मण्डल के विभिन्न चिकित्सालयों में रिक्त चिकित्सकों के पदों पर यथा सम्भव तैनाती सुनिश्चित की जायेगी। प्रदेश के अन्य चिकित्सालयों में भी चिकित्सकों की कमी है। लोक सेवा आयोग से चयन होने तक इस कमी को पूरा करने हेतु विभिन्न जनपदों में संविदा पर भी चिकित्सकों को तैनात किया गया है।

जनपद कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में मुगलरोड से कमलापुर नवही मार्ग का सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

श्री राकेश सचान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर में मुगल रोड से कमलापुर नवही मार्ग की अधूरी सड़क का निर्माण कार्य अविलम्ब पूरा कराये जाने की मांग सम्बन्धी सूचना दी गयी है। मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :--

प्रश्न नहीं उठता।

अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। छोटी-छोटी घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए तत्काल कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हत्यायें एवं अपहरण की घटनाओं का विवरण एवं रोकने के उपाय

40--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत 7 महीनों (जनवरी, 2005 से 31 जुलाई, 2005) में प्रदेश में 3213 हत्यायें तथा फिरौती के लिये 79 अपहरण की घटनायें हुई हैं ? क्या इस अवधि में कानपुर जोन में सबसे अधिक 699 हत्यायें एवं 53 अपहरण की घटनायें हुई हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में बढ़ती हुई अपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिये सभी राजनीतिक दलों से बात कर कोई निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां। गत 7 महीनों (जनवरी, 2005 से 31जुलाई, 2005) में कानपुर जोन में सबसे अधिक 713 हत्यायें एवं फिरौती हेतु अपहरण की 53 घटनायें हुई है। अपराध की रोकथाम हेतु मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 21-1-01, 28-8-01, 22-7-02, 7-4-03, 6-8-2003, 20-10-2004- 21-3-2005 एवं दिनांक 11-11-05 को परिपत्र निर्गत किये गये हैं। अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु निर्गत किये गये उपरोक्त परिपत्र पर्याप्त हैं। राजनीतिक दलों से बात करने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पर्यटन विकास हेतु अनुमोदित स्थलों की जानकारी

41--श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 में पर्यटन मद में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये किन-किन कार्यों को स्थल विकास एवं पर्यटन विकास के लिये अनुमोदन दिया गया है ? क्या अनुमोदित स्थलों के लिये अपेक्षित वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कोकब हमीद--

जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजना वर्ष 2004-05 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्थित कुण्डाधाम, मुजाही देवी महडौरा शिव मंदिर, कल्याण देवी मंदिर तथा शिवरा मंदिर के पर्यटन विकास हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

जी हां।

दिनांक 4 अगस्त 2005 को।

प्रश्न नहीं उठता।

42--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[दिनांक 02-02-2006 के अता0 प्र0 सं0 101 द्वारा उत्तरित।]

जिला कारागार लखनऊ में विचाराधीन बन्दी श्री दीपक कुमार की मृत्यु की न्यायिक जांच की मांग

43--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि जिला कारागार लखनऊ में विचाराधीन बन्दी दीपक कुमार पुत्र मखन्चू, अनुसूचित जाति निवासी ग्राम हौज (उंचवा) थाना जफराबाद की मृत्यु दिनांक 13-9-2005 को हो गयी.? यदि हां, तो क्या सरकार मृत्यु के कारण, गिरफ्तारी के समय आयी चोटों, घर वालों को समुचित एवं विधिक रूप से सूचना न देने की न्यायिक जांच कराने तथा मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)--

विचाराधीन बन्दी दीपक कुमार पुत्र मखन्चू की मृत्यु जिला कारागार, लखनऊ में नहीं अपितु जिला कारागार, जौनपुर में दिनांक 13-09-2005 को हुई थी।

प्रकरण की मजिस्ट्रीरियल जांच नगर मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0, लखनऊ के सचिव द्वारा बैंकों में की गयी अनियमितताओं की जांच

44--श्री जयराम विमल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0, लखनऊ के अपर सचिव/सचिव द्वारा बैंक में की गयी वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं एवं बैंक के साथ धोखाधड़ी करके बैंक को पहुंचाई गई क्षति के लिये जिला सहायक निबन्धक, लखनऊ द्वारा आरोप-पत्र पत्रांक 1887, दिनांक 24 सितम्बर, 2004 एवं पत्रांक 2730, दिनांक 11-01-2005 जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो आरोप-पत्र में उल्लिखित बिन्दु क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदा नन्द अंचल)--

जी हां।

अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी की गयी थी।

आरोप-पत्र में उल्लिखित बिन्दु निम्नवत् हैं :--

1--बैंक के तीन अधिकारियों को 58 वर्ष अधिवर्षता आयु से अधिक आयु होने पर भी बैंक सेवा में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 के प्राविधानों के विपरीत बनाये रखना।

2--बैंक में निबन्धक द्वारा अबंन कोआपरेटिव बैंक में कर्मचारियों की भर्ती आदि के सम्बन्ध में स्टाफिंग पैटर्न परिपत्र संख्या--सी0--74, दिनांक 16-11-84 के विपरीत नियुक्तियां करना।

3--निबन्धक की बिना अनुमति प्राप्त किये बैंक कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी करना।

4--प्रवन्धकीय व्यय निर्धारित मानकों से अधिक रखना।

5--बैंक में ऋण वितरण हेतु कोई नीति निर्धारित न करना।

6--ऋण वितरण में अनियमितता करना आदि।

7--अपर सचिव द्वारा दिनांक 2-5-2003 को की गयी नियुक्तियों के तरीके के सम्बन्ध में ।

उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर बैंक की प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर दिया गया था एवं अनियमितता के दोषी तत्कालीन सचिव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 38 के अधीन सेवा से पृथक करने हेतु नोटिस दी गयी थी जिसके क्रम में सचिव द्वारा स्वत: त्याग-पत्र दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0, लखनऊ के प्रबन्ध समिति के करोड़ों के घोटाले में निलम्बित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

45--श्री जयराम विमल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उप-निबन्धक (केन्द्रीय), लखनऊ मण्डल द्वारा आदेश सं0--8910-18 अर्बन बैंक/धारा-35 (2), दिनांक 21 मार्च, 2005 के द्वारा राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0, लखनऊ की प्रबन्ध समिति को करोड़ों रुपये घोटालों के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो प्रबन्ध समिति के विरुद्ध लगाये गये आरोप क्या हैं तथा दोषी प्रबन्ध समिति के सदस्यों के विरुद्ध सम्बन्धित अधिनियम की धारा 68 के तहत अधिभारित करके उन्हें अनर्ह कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

जी हां।

आरोप-पत्र में उल्लिखित बिन्दु निम्नवत् हैं :--

1--बैंक के तीन अधिकारियों को 58 वर्ष अधिवर्षता आयु से अधिक आयु होने पर भी बैंक सेवा में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 के प्राविधानों के विपरीत बनाये रखना।

2--बैंक में निबन्धक द्वारा अर्बन कोआपरेटिव बैंक में कर्मचारियों की भर्ती आदि के सम्बन्ध में स्टाफिंग पैटर्न परिपत्र संख्या--सी0-74, दिनांक 16-11-84 के विपरीत नियुक्त करना।

3--निबन्धक की बिना अनुमति प्राप्त किये बैंक कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी करना।

4--बैंक का प्रबन्धकीय व्यय निर्धारित मानकों से अधिक रखना।

5--बैंक में ऋण वितरण हेतु कोई नीति निर्धारित न करना।

6--ऋण वितरण में अनियमितता करना आदि।

प्रबन्ध कमेटी को आदेश 8910--18/अर्बन बैंक/धारा 35 (2), दिनांक 21 मार्च, 2005 द्वारा अवक्रान्त कर दिया गया था तथा धारा 66 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। अधिभारित, अनर्ह की कार्यवाही धारा 68 के अन्तर्गत की जाती है। आरोप की पुष्टि होने पर अधिभारित, अनर्ह की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गत 2 वर्षों में अपराधिक घटनाओं में वृद्धि की रोकथाम के उपाय

46--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत 2 वर्षों में कितनी हत्यायें, अपहरण, बलात्कार, डकैती, चोरी एवं वाहन चोरी की घटनायें हुई हैं तथा 2 वर्षों में कुल कितने मुकदमें दर्ज हुए हैं ? सरकार ने प्रदेश में अपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिये क्या कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में गत दो वर्षों में हत्यायें, अपहरण, बलात्कार, डकैती, चोरी एवं वाहन चोरी की घटनाओं तथा दर्ज मुकदमों का विवरण वर्षवार निम्नवत् है :--

क्रमांक	अपराध शीर्षक	वर्ष	
		2003	2004
1	हत्या	5421	6068
2	फिरौती हेतु अपहरण	142	223
3	अन्य अपहरण	1815	2679
4	बलात्कार	858	1263
5	डकैती	239	260
6	चोरी (सम्पूर्ण)	13374	19656
7	वाहन चोरी	4971	7879
8	कुल भा0 दं0 वि0	89423	119586

जी हां।

प्रदेश में अपराधिक घटनाओं के रोकथाम के लिये पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के स्तर से दि0 27-01-2001, दि0 28 अगस्त, 2001, 7 अप्रैल, 2003, 22 जुलाई, 2002, 6 अगस्त, 2003, 20 अक्टूबर, 2004, 21 मार्च, 2005 एवं दिनांक 11-11-2005 है। परिपत्र तथा शासन स्तर से दिनांक 10-1-2004 को एवं 18-9-2003 को भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता।

47--श्री राम इकबाल सिंह--

दिनांक 02-02-2006 के अ0 ता0 प्र0 सं0 99 द्वारा उत्तरित।

जनपद मुरादाबाद की आशियाना कालोनी एवं जनपद आगरा के ग्राम दहतोरा में बेघर हुए परिवारों को बसाने की कार्यवाही

48--डा0 राम बाबू हरित--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अतिक्रमण हटाने के अभियान से बेघर हुए लोगों को बसाने की क्या कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मुरादाबाद की आशियाना कालोनी के बेघर हुए परिवार एवं जनपद आगरा, ग्राम दहतोरा में बेघर हुए परिवारों को बसाने हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26-ए में उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार अतिक्रमण हटाये जाने के फलस्वरूप बेघर हुए निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अनुकाल्पिक भूमि या वास सुविधा नियमावली, 1997 बनायी गयी है।

मुरादाबाद की आशियाना कालोनी के बेघर हुए परिवारों के लिये प्राधिकरण की रामगंगा विहार द्वितीय योजना में ई0 डब्लू0 एस0 भवन तथा हिमगिरि योजना के अन्तर्गत सेक्टर दर रु0 2000 प्रति वर्ग मी0 के स्थान पर 25 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए रियायती दर पर रु0 1500 प्रति वर्ग मी0 की दर से 50-50 वर्ग मी0 के भूखण्ड दिये जाने का प्राविधान किया गया है तथा जनपद आगरा के ग्राम दहतोरा में अतिक्रमण से हटाये गये विस्थापितों के लिए सस्ती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है । समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के थाना कर्नलगंज व जार्ज टाउन में श्री विश्वमोहन व राजेन्द्र कुमार शुक्ल के लापता होने की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

49--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में दिनांक 16-3-2005 को छात्र विश्वमोहन उर्फ विकास सिंह तथा दिनांक 11-3-2005 को श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल लापता हो गये थे ? क्या उपरोक्त दोनों छात्रों की गुमशुदी/लापता होने की एफ0 आई0 आर0 थाना कर्नलगंज में दिनांक 16-3-2005 को तथा थाना जार्ज टाउन में दिनांक 11-3-2005 को दर्ज करा दी गयी थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त छात्रों की बरामदगी हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इलाहाबाद में दिनांक 16-3-05 को छात्र शिवमोहन उर्फ विकास सिंह तथा दिनांक 11-3-05 को श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल पुत्र भूपेन्द्र शुक्ल की गुमशुदी अंकित करायी गयी।

छात्र शिवमोहन उर्फ विकास सिंह के गुमशुदी/लापता होने की सूचना दिनांक 16-3-05 को थाना कर्नलगंज पर श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा अंकित करायी गयी। पुन: उनके द्वारा दिनांक 28-5-05 को इनका अपहरण होने का प्रार्थना-पत्र दिया गया जिस पर थाना कर्नलगंज मु0 अ0 सं0 165/05 धारा 365 भा0 दं0 वि0 बनाम छविनाथ पाण्डेय व राम सिंह निवासीगण ढढोरपुर, थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी व तीन अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट संख्या 80, दिनांक 23-9-05 को प्रेषित की गयी। क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा अंतिम रिपोर्ट को रोकते हुए पुन: विवेचना करने के आदेश दिये गये। विवेचना प्रचलित है।

दिनांक 11-3-05 को श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल द्वारा अपने पुत्र भूपेन्द्र शुक्ल के गुम होने की गुमशुदी अंकित करायी गयी है। तलाश हेतु थानाध्यक्ष जार्ज टाउन द्वारा टीम का गठन किया गया है एवं डी0 सी0 आर0 बी0 द्वारा गश्ती जारी की गयी है। लड़के के पिता श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल से मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु कहा गया लेकिन उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराने से इनकार किया । लड़के की पता रसी की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर निगम सीमा में निर्मित कालोनियों में सफाई व्यवस्था की मांग

50--डा0 राम बाबू हरित--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा नगर निगम सीमा में निर्मित कालोनियों की अधिग्रहीत करने के उपरान्त क्या वहाँ सफाई कर्मचारियों तथा डस्ट कन्टेनर की व्यवस्था करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

आगरा नगर निगम सीमा में अधिग्रहीत कालोनियों में नियमित सफाई कर्मचारी न होने के कारण अन्य क्षेत्रों से सफाई कर्मचारियों को लेकर समय-समय पर सफाई व्यवस्था की जाती है।

सफाई कन्टेनर की कमी के कारण केवल ऐसे स्थानों के ऊपर कन्टेनर रखे गये हैं, जहाँ कि बहुत अधिक कूड़े की निकासी होती है।

।2वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली कुल धनराशि का अब 50 प्रतिशत सालिड वेस्ट मैनेजमेंन्ट पर ही खर्च किया जाना है जिसके अन्तर्गत डस्टबीन व अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जिन अधिग्रहीत कालोनियों में डस्टबीन नहीं रखे गये हैं, वहां डस्टबीन रखे जा सकें।

समय-समय पर नगर निगम के उन क्षेत्रों में जहाँ सफाई कर्मचारी नियमित तौर पर नहीं है अथवा वह कालोनी जहाँ नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत की गयी है, उनमें आवश्यकता पड़ने पर ठेके पर सफाई कराई जाती है।

जनपद आगरा में अनेकों चौराहों पर यातायात की समुचित व्यवस्था की जानकारी

51--डा0 राम बाबू हरित--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा नगर में रेलवे फाटक, रूई की मण्डी, मदिया कटरा, सिकन्दरा तथा चौराहा भोगीपुरा, रूई की मण्डी, संगीता चौराहा, शाहगंज तथा लोहामण्डी चौराहा व बोदला चौराहा, जगदीशपुरा में यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से संचालन हेतु ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

आगरा नगर में रेलवे फाटक, रूई की मण्डी, मदिया कटरा, सिकन्दरा तथा चौराहा भोगीपुरा, रूई की मण्डी, संगीता चौराहा, शाहगंज तथा लोहा मण्डी चौराहा व बोदला चौराहा जगदीशपुरा पर पूर्व में जाम की समस्या उत्पन्न होती थी। इस सम्बन्ध में यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त नगर क्षेत्र को 9 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी उपनिरीक्षक स्तर का नियुक्त किया गया है। उक्त स्थलों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कराये जाने हेतु आरक्षियों की नियुक्ति की गयी है। जिसके कारण उक्त स्थलों पर जाम की समस्या में व्यापक रूप से कमी आई है। इसके अतिरिक्त उक्त सथलों पर नगर क्षेत्र के अन्य स्थलों, चौराहों पर यातायात व्यवस्था समिति के सदस्यों के माध्यम से यातायात व्यवस्था विनियमित किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार व्यस्त समूहों में एकल मार्ग यातायात व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाती है जिससे यातायात व्यवस्था पर समुचित नियंत्रण कराया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के आठ मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण की कार्यवाही की जानकारी

52--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के आठ मन्दिरों का सौन्दर्यीकरण कराने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर आदेश सं0 सी0 एम0/वि0 को0/एम/08469/03/03, दिनांक 22-10-03 प्रमुख सचिव, पर्यटन को प्राप्त हुआ है। ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद--

जी हां।

हनुमान मन्दिर हेतु रु0 9.63 लाख, दुर्गा मन्दिर हेतु रु0 7.28 लाख, मगरौरा शिवालय हेतु रु0 8.84 लाख, अमरगढ़ शिव मन्दिर हेतु 10.00 लाख की धनराशि वर्ष 2003-04 में स्वीकृत की गयी है तथा कुण्डाधाम हेतु रु0 5.66 लाख कल्याणी देवी मन्दिर हेतु रु0 2.54 लाख महडौरा शिव मन्दिर हेतु रु0 2.96 लाख वर्ष 2004-05 में स्वीकृत की गयी है। रूरे एवं भार पुर शहीद स्थल के विकास हेतु वर्ष 1998-99 में क्रमशः रु0 10-10 लाख अर्थात् रु0 20.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी जिसके अन्तर्गत कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में बेल्हादेवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्ताव की जानकारी

53--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में बेल्हा देवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु राज्य योजना से स्वीकृति हेतु सहायक निदेशक, पर्यटन, इलाहाबाद द्वारा प्रस्ताव एवं आगणन महानिदेशक, पर्यटन को पत्र संख्या 294/03/रा0यो0/प्रतापगढ़/03-04, दिनांक 25-7-03 द्वारा भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकव हमीद--

जी हां।

प्रश्नगत प्रस्ताव पर विभाग द्वारा विचार किया गया था परन्तु सीमित परिव्यय होने तथा निर्धारित प्राथमिकताओं के अन्तर्गत न आने के कारण उक्त योजना सम्मिलित नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

54--श्री राजेनद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[दिनांक 02-01-2006 के अता0प्र0सं0--143 द्वारा उत्तरित।]

प्रदेश में डी0 आर0 डी0 ए0 में कार्यरत कर्मियों को संविलीन करने के निर्देश

55--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में डी0 आर0 डी0 ए0 में कार्यरत कर्मियों को भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 द्वारा 3 से 5 वर्ष के भीतर लाइन डिपार्टमेन्ट में संविलीन करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं ? यदि हों, तो उन्हें लाइन डिपार्टमेन्ट में कब तक संविलीन करके शासकीय कर्मियों की भांति सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2002 के द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधे नियुक्त कर्मचारियों को सूत्र संचालनकारी (लाइन) विभागों में आमेलित करने के लिये तत्काल एक 3-5 वर्षीय योजना तैयार किये जाने के प्रयास किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रकरण में यथाशीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के जल संस्थान के अन्तर्गत नगर में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

56--डा0 राम बाबू हरित--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जल संस्थान के अन्तर्गत नगर में कितने हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं तथा कितने स्थायी रूप से खराब हैं ? खराब पड़े हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

3966 हैण्डपम्प चालू हालत में है तथा 632 हैण्डपम्प खराब हैं।

वर्ष 2005-06 की जिला योजना (नगरीय) 86 नग हैण्डपम्पों के रिबोर किये जाने का प्राविधान है जिसके सापेक्ष 67 हैण्डपम्प रिबोर किये जा चुके हैं। शेष 19 हैण्डपम्प का कार्य प्रगति पर है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण किया जायेगा। देरी के लिये दोषी सजा पायेंगे।

शेष हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य धन की उपलब्धता पर कराया जायेगा।

आगरा जल संस्थान द्वारा पीने के पानी हेतु फिटकरी तथा क्लोरिन का प्रयोग

57--डा0 राम बाबू हरित--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जल संस्थान द्वारा पानी पीने योग्य बनाने हेतु वर्तमान में प्रतिदिन कितनी फिटकरी तथा क्लोरिन का प्रयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पानी उपलब्ध कराने हेतु डाली गयी पाइप लाइनें तथा केदार नगर, ताल फिरोज खां की पानी की टंकियां चालू हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

आगरा जल संस्थान द्वारा वर्तमान में औसत 11.5 मी0 टन प्रतिदिन फिटक एवं औसत 6.6 मी0 टन प्रतिदिन क्लोरिन का प्रयोग किया जा रहा है।

पानी उपलब्ध कराने हेतु डाली गयी पाइप लाइनें तथा केदार नगर की पानी की टंकी चालू है। ताल फिरोज खां (मधुनगर) पानी की टंकी चालू नहीं है।

ताल फिरोज खां (मधुनगर) की पानी की टंकी को भरने हेतु जीवनी मण्डी प्रथम जलकल से नौलक्खा जोनल पम्पिंग स्टेशन को जाने वाली सदनं मेन पाइप लाइन के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है। प्रकरण में लापरवाही बरतने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता को निन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया जाना प्रस्तावित है।

जनपद आगरा में गृहकर से प्राप्त धनराशि एवं अवशेष मकानों का असिस्मेन्ट कराने सम्बन्धी जानकारी

58--डा0 राम बाबू हरित--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में प्रति वर्ष कितनी धनराशि गृहकर के रूप में प्राप्त हो रही है ?.आगरा नगर निगम में कितने मकान ऐसे हैं जिनका अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है ? क्या सरकार ऐसे मकानों का असिस्मेन्ट करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

आगरा नगर निगम को गृहकर के रूप में प्रतिवर्ष लगभग छः करोड़ रुपया प्राप्त होता है।

नगर निगम सीमा में कोई ऐसा पुराना मकान नहीं है, जिसका आच्छादन जी0 आई0 एस0 मैप में मूल्यांकन हेतु न किया गया हो। नवनिर्मित भवनों का समय-समय पर नगर निगम अधिनियम की धारा 213 के अन्तर्गत गृहकर मूल्यांकन कराया जाता है। इसके लिये प्रभावी गृहकर नियमावली के अनुसार गृह स्वामी/अध्यासी से निर्धारित प्रारूप-ख भरकर प्राप्त किये जाते हैं और तद्नुसार गृहकर मांग स्थापित की जाती है।

जनपद प्रतापगढ़ में स्वीकृत शस्त्र लाइसेन्स की संख्या एवं लम्बित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की मांग

59--हरिप्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में 1 जनवरी, 2003 से 30-9-05 तक कितने शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये ? क्या यह सही है कि जनपद प्रतापगढ़ में शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्रों पर सारी औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त भी लाइसेन्स स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार लाइसेन्स हेतु कोई स्पष्ट नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद प्रतापगढ़ में आलोच्य वर्ष में 1078 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये ।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

शस्त्र लाइसेन्सों से सम्बन्धित आयुद्ध अधिनियम एवं नियमावली केन्द्रीय विधान है जिसके प्राविधानों के अन्तर्गत तत्सम्बन्धी मामलों में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट लाइसेन्सिंग प्राधिकारी में ही निहित है। तथापि समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों द्वारा लम्बित आवेदन-पत्रों के यथा-सम्भव समयबद्ध निस्तारण की अपेक्षा लाइसेन्सिंग प्राधिकारियों से की गई है।

60--श्री नरेन्द्र शिशोदिया--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोरखपुर की रामगढ़ ताल झील के चारो ओर सड़क तथा वाटर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स हेतु धनराशि की व्यवस्था की मांग

61--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल झील के चारों ओर सड़क तथा वाटर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स सम्बन्धी गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी परियोजना हेतु क्या धन की व्यवस्था कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? धनराशि की व्यवस्था कब तक कर ली जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में इस प्रकार की स्वीकृतियों हेतु कोई मद निर्धारित नहीं है।

उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 में सामान्य प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय सामान्य प्रबन्धक की नियुक्ति संबंधी जानकारी

62--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 में सामान्य प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय सामान्य प्रबन्धक के पद सृजित हैं ? यदि नहीं, तो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सामान्य प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय सामान्य प्रबन्धकों की नियुक्ति करने का आधार क्या है ? क्या सरकार उक्त पदों पर तैनात किये गये व्यक्तियों को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 में सामान्य प्रबन्धक के 09 पद सृजित हैं।

उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 का प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार सामान्य प्रबन्धकों की तैनाती क्षेत्रीय सामान्य प्रबन्धक के पद पर की गई थी।

प्रबन्ध समिति के निर्णय दिनांक 19-12-2005 के क्रम में क्षेत्रीय सामान्य प्रबन्धक कार्यालयों को समाप्त कर दिया गया है।

उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 में कर्मचारियों हेतु स्पष्ट स्थानान्तरण नीति बनाये जाने की मांग

63--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 हेतु क्या कोई स्थानान्तरण नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि स्पष्ट स्थानान्तरण नीति न होने के कारण वर्ष 2003-04, 2004-05 में आडिट आपत्तियां भी प्रकाश में आयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पी0सी0एफ0 कर्मचारियों हेतु कोई स्पष्ट स्थानान्तरण नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

जी हां।

इसमें सामान्य रूप से विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये एक स्थान पर तैनाती की अधिकतम समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें प्रशासनिक आधार एवं निजी अनुरोध पर यथा स्थिति आवश्यकतानुसार कभी भी स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था है।

असम्बद्ध।

आडिट आपत्तियां प्रकाश में आई हैं, जिसका अनुपालन किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तें उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 122 के अधीन निर्मित उ0 प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 से नियंत्रित होती है। इस विनियमावली में सरकार द्वारा स्थानान्तरण नीति बनाये जाने का प्राविधान नहीं है।

लागू नहीं।

जनपद बस्ती के स्थानीय निकाय मतदाता सूची में अंकित फर्जी अंकन निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

64--डा0 रामबाबू हरित--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की स्थानीय निकाय मतदाता सूची में वार्ड संख्या-24 पिकोरा दत्तू सराय में मकान नं0 13 में क्रम संख्या 1112 में अमिताभ बच्चन पुत्र हरबंस राय, आयु 65 वर्ष, अजिताभ बच्चन पुत्र हरबंस आयु 55 वर्ष, श्रीमती जया बच्चन पत्नी अमिताभ बच्चन, आयु 53 वर्ष, अभिषेक बच्चन पुत्र अमिताभ बच्चन, आयु 30 वर्ष के नाम दर्ज हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां,

स्थानीय निकाय मतदाता सूची में वार्ड संख्या-24 पिकोरा दत्तू सराय में मकान नं0 13 क्रम संख्या-1112 में अमिताभ पुत्र हरिबंश, आयु 63 वर्ष, 113 पर अजिताभ पुत्र हरिबंश, आयु 55 वर्ष, 1114 पर जया पत्नी अमिताभ, आयु 53 वर्ष, 1115 पर अभिषेक पुत्र अमिताभ, आयु 30 वर्ष अंकित था।

उपजिलाधिकारी, सदर, बस्ती द्वारा जांचोपरान्त दिनांक 10-10-2005 को उक्त अंकन निरस्त कर दिया गया है तथा दोषी तत्कालीन लेखपाल श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय तथा तत्कालीन राजस्व निरीक्षक श्री रामभरत उपाध्याय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ/प्रस्तावित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के कतिपय रोड पर डग्गामार वाहनों के खड़ा करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग

65--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" --

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर जिले में बथुआ, पीलीकोठी, रेलवेगेट संगमोहाल (कोतवाली कटरा) लालगंज रीवां रोड, लालगंज दुबाररोड, ड्रमण्डगंज रीवां रोड, ड्रमण्डगंज कोरांव रोड, लालगंज गैपुरा रोड जिगना, चीरन्ह शास्त्री सेतु के मुख्य मार्ग पर डग्गामार वाहनों के खड़े होने से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर डग्गामार वाहनों के खड़ा करने पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद मिर्जापुर क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी डग्गामार वाहन का संचालन नहीं हो रहा है। यदि कभी कोई वाहन जनपद में बाहर से प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जनपदीय पुलिस तथा यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर वाहनों के अतिक्रमण को रोकने की कार्यवाही की जाती है। जनपद मिर्जापुर के नगर क्षेत्र में सड़कें सकरी होने के कारण वाहनों के परिवहन में कुछ व्यवधान अवश्य उत्पन्न होता है जिसे त्वरित गति से निस्तारित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में चयनित समग्र ग्रामों में परिवर्तन किये जाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

66--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/322362, दिनांक 14-9-04 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के वर्ष 2003-04 में चयनित किये गये समग्र ग्रामों में परिवर्तन किये जाने के संबंध में है, प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)--

जी हां।

आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा दिनांक 13-10-04 को निर्णय लिया गया कि वर्ष 2003-04 में चयनित समग्र ग्रामों की कार्ययोजना में कोई संशोधन न किया जाये।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय आपराधिक इतिहास वाले लोगों के शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण

67--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय आपराधिक इतिहास वाले लोगों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-3-2002 पर शासन का पत्र सं0 सी0एम0 159आर/छ:-2-5-2002, दिनांक 4 जून, 2002 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने अपने पत्र संख्या-469/xx-1-242 (01-04), दिनांक 26-9-02 द्वारा कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उनके शस्त्र लाइसेन्स निरस्त करने के संबंध में शासन को आख्या भेजी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

शिकायती-पत्र में वर्णित कुल 18 व्यक्तियों में से 10 को ही शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत थे जिनमें से दो के लाइसेन्स निरस्त करने का औचित्य न पाते हुये उन्हें बहाल रखा गया तथा अन्य सभी आठ व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत, पट्टी को एच0एस0डी0पी0 योजना में शामिल करने पर विचार

68--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत, पट्टी की एच0एस0डी0पी0 योजना में शामिल करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

प्रथम चरण में आई0एच0एस0डी0पी0 योजना प्रदेश में 38 आदर्श जनपद अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, झांसी, बरेली नगर निगमों तथा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली निकायों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील मेहनगर में कोषागार कार्यालय खोलने पर विचार

69--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद आजमगढ़ की तहसील मेहनगर में कोषागार कार्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, उपयुक्त भवन की व्यवस्था होने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 की शाखाएं प्रत्येक तहसीलों में खोले जाने की मांग

70--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 शाखाएं तहसील स्तर पर खोले जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन तहसीलों में उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 की शाखा नहीं है ? क्या सरकार जनहित में उन तहसीलों में उक्त बैंक की शाखा खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 की स्थापना वर्ष 1959 में प्रदेश के कृषकों को कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी। बैंक में प्रत्येक नई शाखा, वर्तमान कार्यरत अत्यधिक ऋण व्यवसाय वाली स्वाश्रयी शाखाओं को विभक्त कर खोली जाती है। नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शाखा के विभक्तीकरण के उपरान्त पैतृक व नई दोनों शाखायें आगामी तीन से पांच वर्षों में स्वाश्रीयता की श्रेणी में आ जानी चाहिए। वर्तमान में नई शाखायें खोलने हेतु पैतृक शाखा का ऋण व्यवसाय रु0 10 करोड़ से अधिक होना आवश्यक है। शाखा के विभाजन हेतु बैंक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव प्रथमत: निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा संस्तुति कर नाबार्ड, लखनऊ को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। नाबार्ड की स्वीकृति के पश्चात् बैंक द्वारा नई शाखा खोलने की कार्यवाही की जाती है।

नई शाखायें खोलने हेतु स्थान का चयन कृषकों की सुविधा, प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आवागमन के साधनों की उपलब्धता एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचारोपरान्त किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि तहसील स्तर पर ही बैंक की शाखा खोली जाये। यदि स्थान विशेष को देखते हुए विकास खण्ड, जनपद का कोई महत्वपूर्ण कस्बा या मण्डी अधिक उपयुक्त पाया जाता है तो ऐसे स्थान पर भी बैंक की शाखायें खोली जाती है।

वर्तमान समय में बैंक की कुल 318 शाखाओं में से 248 शाखायें तहसील में कार्यरत हैं। शेष तहसीलों में शाखायें खोलने का पर्याप्त आधार अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।

प्रदेश की 297 तहसीलों में से 49 तहसीलों में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 की शाखा नहीं है (सूची संलग्न† है)।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बनाये जाने का विचाराधीन प्रकरण

71--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विकास प्राधिकरण का गठन एक नीति विषयक प्रकरण है, जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विचारोपरान्त यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

जनपद आजमगढ़ में जयनगर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग

72--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जयनगर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जयनगर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन द्वारा मानक पूर्ण न होने के कारण अस्वीकृत किया जा चुका है।

ए0 आर0 डब्लू0 एस0 पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने विषयक जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

73--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, जल निगम, उ0 प्र0 का आदेश संख्या-346/सी0एम0/ग्रामीण/02, दिनांक 3-11-02 जो ए0आर0डब्लू0 एस0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 अतिरिक्त हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करने के संबंध में था, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

† देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 164 पर।

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के मानक 250 की आबादी पर 01 हैण्डपम्प के अनुसार वांछित हैण्डपम्पों की संख्या-9500 होनी चाहिए थी, किन्तु दिनांक 19-10-02 तक जनपद प्रतापगढ़ में 27150 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा चुके हैं।

74--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[दिनांक 02-02-2006 के अता0प्र0सं0-102 द्वारा उत्तरित।]

75--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[दिनांक 02-01-2006 को अता0प्र0सं0-124 द्वारा उत्तरित।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय ब्लाकों में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प स्वीकृत करने संबंधी जानकारी

76--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ब्लाक पट्टी, आसपुर देवसरा, मंगरौरा एवं ब्लाक बेलखरनाथ धाम के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में प्रत्येक विकास खण्ड को 100-100 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्वीकृत करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से अर्थात् प्रत्येक 250 की आबादी पर एक इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के मानक के अनुसार इंगित विकास खण्डों के समस्त ग्राम इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों से संतृप्त होने तथा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 हेतु 100-100 हैण्डपम्प स्वीकृत कर दिये जाने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ में गत वर्षों में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत ब्लाकवार जनहित के कार्यों हेतु लाभ प्रदान किये जाने एवं परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन

77--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ब्लाकवार, प्रथम ग्रेडिंग वित्त पोषित, सी0सी0एल0 स्वीकृत, रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त प्रथम एवं द्वितीय ग्रेडिंग उत्तीर्ण समूहों का वितरण क्या है और उन्हें क्या-क्या लाभ दिया गया है ? ब्लाकवार अब तक क्या कार्य जनहित के किये गये हैं उससे स्थायी परिसम्पत्ति के सृजन की अब तक स्थिति क्या है ? क्या किसी स्तर पर किये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन की भी व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपालु त्यागी--

जनपद प्रतापगढ़ के कुल 17 विकास खण्डों में वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 1702 समूह प्रथम ग्रेड उत्तीर्ण, 1545 समूह रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त, 1330 समूह सी0सी0एल0 सुविधा प्राप्त एवं 627 समूह द्वितीय ग्रेडिंग उत्तीर्ण हुए हैं। इन समूहों द्वारा स्थानीय संसाधन की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार भैंस/गाय पालन, बकरी पालन, सूकर पालन, रेडीमेड गारमेन्ट, फल संरक्षण, रेसा रस्सी/मूंज बांध, सब्जी की खेती, लौह कला/काष्ठ कला, मिनी राइस मिल, टेन्ट हाउस, टोकरी/झाबा निर्माण, धागा/रील निर्माण, कुम्हारगिरी आदि क्रियाकलापों में लाभ दिया गया है।

(ब्लाकवार विवरण संलग्न † है)

एस0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत जनहित के कार्यों हेतु लाभ प्रदान नहीं किया जाता है बल्कि स्वयं सहायता समूहों/व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के व्यक्तिगत लाभ हेतु क्रियाकलाप अपनाया जाता है जिसकी परिसम्पत्ति स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थापित की गयी है।

जी हां। बैंक द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के एक माह के अन्दर शाखा प्रबन्धक द्वारा परिसम्पत्ति का भौतिक सत्यापन किया जाता है साथ ही साथ खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0), सेक्टर सहायक विकास अधिकारी के द्वारा परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है इसके अतिरिक्त ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं/स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तिगत सुविधादाताओं द्वारा नियमित भौतिक सत्यापन करते हुए अनुश्रवण कराये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ में स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना में मदवार किये गये व्यय की उच्च स्तरीय जांच की मांग

78--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना में वर्ष 2002 से अब तक प्रत्येक वर्ष का परिव्यय, प्राप्त धनराशि, मदवार किया गया व्यय क्या है ? क्या वर्षवार दिखाये गये खर्च की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जनपद प्रतापगढ़ में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2002-03 में कुल निर्धारित परिव्यय रु0 363.68 लाख था। कुल उपलब्ध धनराशि रु0 393.60 लाख के सापेक्ष रु0 134.00 लाख अनुदान मद, रु0 49.92 लाख अवस्थापना मद, रु0 94.51 लाख रिवाल्विंग फण्ड एवं रु0 20.04 लाख प्रशिक्षण मद में अर्थात् कुल रु0 298.47 लाख व्यय हुआ है।

वर्ष 2003-04 में कुल निर्धारित परिव्यय रु0 502.42 लाख था। कुल उपलब्ध धनराशि रु0 556.96 लाख के सापेक्ष रु0 269.75 लाख अनुदान मद, रु0 72.30 लाख अवस्थापना मद, रु0 88.52 लाख रिवाल्विंग फण्ड एवं रु0 79.06 लाख प्रशिक्षण मद में अर्थात् कुल रु0 509.63 लाख व्यय हुआ है।

---

† देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 165--168 पर।

वर्ष 2004-05 में कुल निर्धारित परिव्यय रु0 628.91 लाख था। कुल उपलब्ध धनराशि रु0 713.86 लाख के सापेक्ष रु0 435.00 लाख अनुदान मद, रु0 95.64 लाख अवस्थापना मद, रु0 76.18 लाख रिवाल्विंग फण्ड एवं रु0 72.05 लाख प्रशिक्षण मद अर्थात् कुल रु0 678.87 लाख व्यय हुआ है।

वर्ष 2005-06 में अब तक कुल निर्धारित परिव्यय रु0 628.91 लाख है। माह अक्टूबर, 2005 तक कुल उपलब्ध धनराशि रु0 336.16 लाख के सापेक्ष रु0 117.00 लाख अनुदान मद, रु0 27.77 लाख अवस्थापना मद, रु0 21.36 लाख रिवाल्विंग फण्ड एवं रु0 0.15 लाख प्रशिक्षण मद में अर्थात् कुल रु0 166.28 लाख व्यय हुआ है।

सत्यापन का कार्य जनपद स्तर पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शिकायत प्राप्त होने पर शासन/आयुक्त, ग्राम विकास से जांच करायी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला नियोजन समिति प्रतापगढ़ द्वारा कतिपय गांवों में ग्रामीण पाइप पेयजल योजना अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि से कार्यों के विवरण की जानकारी

79--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ ने अपनी बैठक दिनांक 2-2-04 में वित्तीय वर्ष 2004-05 में ग्रामीण पेयजल सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना में कनधई मधुपुर, सैफाबाद, रामगंज नरहरपुर मेहदिया के अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु 213.60 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो कार्य को पूर्ण कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में थाना क्षेत्रवार वितरण शस्त्र लाइसेन्स का विवरण एवं लम्बित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की जानकारी

80--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में 1 जनवरी, 2003 से 10 मार्च, 2005 तक पट्टी विधान सभा क्षेत्र के थाना क्षेत्रवार कुल कितने शस्त्र लाइसेन्स के आवेदन-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दिनांक 29-8-03 से अब तक पट्टी विधान सभा क्षेत्र सहित प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में थानावार कितने शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं ? क्या सरकार प्राप्त सभी लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्रों पर समयबद्ध निस्तारण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद प्रतापगढ़ में आलोच्य अवधि में पट्टी विधान सभा क्षेत्र के कुल 386 शस्त्र लाइसेंस आवेदन-पत्र प्राप्त हुये जिनका थानावार विवरण निम्नवत् है :

थाना पट्टी	96
थाना आसपुर देवसरा	101
थाना कंधई	126
थाना कोंहड़ौर	63

दिनांक 29-8-2003 से 21-11-2005 तक पट्टी सहित सभी विधान सभा क्षेत्रों में कुल 599 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं जिनका थानावार विवरण निम्नवत् है :

पट्टी	31	हथिगवां	45
आसपुर देवसरा	23	नवाबगंज	11
कंधई	05	उदयपुर	05
कोंहड़ौर	10	मान्धाता	21
कोतवाली नगर	82	लालगंज	30
कुण्डा	38	फत्तनपुर	25
महेशगंज	42	रानीगंज	54
बाघराय	41	सांगीपुर	07
मानिकपुर	20	अन्तु	38
संग्रामगढ़	18	जेठवारा	45

शस्त्र लाइसेंसों से संबंधित आयुद्ध अधिनियम एवं नियमावली केन्द्रीय विधान हैं जिनके प्राविधानों के अन्तर्गत तत्संबंधी मामलों में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारी में ही निहित है। तथापि समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों द्वारा लम्बित शस्त्र लाइसेन्स आवेदन-पत्रों के यथासंभव समयबद्ध निस्तारण की अपेक्षा लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से की गई है।

जनपद सीतापुर के थाना हरगांव के ग्राम कल्लापुर के श्री अरुण कुमार शर्मा के पुत्र पर प्राणघातक हमलों में नामजद अभियुक्तों पर कार्यवाही की जानकारी

81--श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह)--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री अरुण कुमार शर्मा, निवासी ग्राम कल्लापुर, थाना हरगांव, जिला सीतापुर के पुत्र पुष्पेन्द्र को दिनांक 11-8-05 को उक्त गांव के निवासी श्री प्यारे लाल पुत्र श्री गजराज, श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, श्री डलई पुत्र श्री कृष्ण कुमार तथा श्री गुड्डू पुत्र श्री कृष्ण कुमार ने रंजिशवश प्राणघातक हमला कर घड़ी व 300 रुपये छीन लिये थे, जिसकी शिकायत इनके द्वारा दि0 12-8-05 को पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी सीतापुर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है, उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र में प्राण घातक हमला कर घड़ी व रु0 300 छीन लेने का आरोप अंकित नहीं किया गया है।

प्राप्त प्रार्थना-पत्र की जांच से यह तथ्य पाया गया कि श्री अरुण कुमार शर्मा का पुत्र पुष्पेन्द्र शातिर किस्म का बदमाश है तथा प्राय: अपने प्रतिपक्षी प्यारे लाल को सताता व धमकाता रहता है, क्योंकि प्यारे लाल अपने परिवार का मुखिया है। आवेदक के पुत्र पुष्पेन्द्र के विरुद्ध पंजीकृत

मु0अ0सं0-328/05 धारा-307 भा0दं0वि0 व मु0 अ0सं0-329/05 धारा 25(1-बी) ए ऐक्ट में प्यारे लाल चश्मदीद गवाह है। आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप असत्य व निराधार पाये गये। दोनों पक्षों में व्याप्त रंजिश को देखते हुए 107/116 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही की गई है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम जयनगर में पेयजल टंकी बनाये जाने का कथित प्रकरण

82--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम जय नगर में पेयजल टंकी बनाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला प्रेम नगर आलमबाग में सुअरों का पालन एवं खरीद फरोख्त का कथित प्रकरण

83--श्री ओम प्रकाश सिंह उर्फ (ओ0 पी0 सिंह)--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहल्ला प्रेम नगर, आलमबाग, निवासी श्री राजू सोनकर द्वारा बस्ती के अन्दर सुअरों का पालन एवं खरीद फरोख्त का व्यापार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर आबादी से बाहर करने तथा सोनकर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर में मानक के अनुरूप यातायात पुलिस कर्मी तैनात करने की मांग

84--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर में क्या मानक के अनुरूप यातायात पुलिस कर्मी उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कानपुर नगर में यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती मानक के अनुरूप करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद कानपुर नगर में यातायात पुलिस का स्वीकृत नियतन टी0आई0-1, टी0एस0आई0-12, हे0कां0-40, कान्स0-400 का है। कान्स0 की रिक्तियों को छोड़ अन्य सभी की नियुक्ति नियतन के अनुरूप है। वर्तमान में कान्स0 के स्वीकृत नियतन 400 के सापेक्ष 217 आरक्षी नियुक्त है। कान्स0 की रिक्तियों को भरने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले ए0पी0 के यातायात प्रशिक्षण प्राप्त किये कर्मियों को यातायात व्यवस्था में उपयोग करने के निर्देश संबंधित को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान

85--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर निगम में सेवानिवृत्त कई कर्मचारियों का विगत दो वर्षों से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाये पेंशन का भुगतान करने के लिये कानपुर नगर निगम को कोई पैकेज देने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां। नगर निगम, कानपुर की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण नियमित रूप से पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

74वें संविधान संशोधन के पश्चात् नागर स्थानीय निकाय संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है, जिनके द्वारा अपने अनिवार्य कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं किया जाता है। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पारस्परिक प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए इनका संचालन निगम द्वारा राज्य सरकार से, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, प्राप्त धनराशि तथा अपने संसाधनों व स्रोतों से प्राप्त धनराशि से किया जाता है। नागर स्थानीय निकायों के दायित्वों व कर्तव्यों के क्षेत्रों में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत पांच ग्राम पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कराये जाने संबंधी जानकारी

86--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत पांच ग्राम पेयजल समूहों का क्या निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराये जा रहे हैं।

योजनाओं की स्वीकृत लागत के अनुरूप धन की उपलब्धता की दशा में उक्त पांच योजनाओं के कार्य मार्च 2008 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

87--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी चयनित क्षेत्र को अम्बेडकर ग्रामों को पक्के मार्गों के जोड़ने एवं क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत की मांग

88--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में चयनित अम्बेडकर ग्राम पदमपुर, सरमा, पट्टी खास कौंग, पीथापुर को क्या पक्के मार्ग से जोड़ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि

ग्राम बरहा, लाखीपुर, धौरहरा, दाउदपुर, अमुवाही, चन्दोका, रामपुरबेला, महदहा औराइन ग्रामों के पक्के मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

ग्राम सरमा को छोड़कर शेष ग्राम पक्के मार्ग से जोड़ दिये गये हैं।

सीमित संसाधन।

जी हां।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी में चयनित अनेकों अम्बेडकर ग्राम को संतृप्त करने संबंधी जानकारी

89--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1994-95 के चयनित अम्बेडकर ग्राम गोढवा भूला, सराय भिखारी, तिवारी पट्टी, तारडीह, पूरे तथा तिलाय को पूर्ण रूप से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

जी नहीं।

सीमित संसाधन।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने संबंधी जानकारी

90--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में कौन-कौन से अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये थे ? क्या चयनित ग्रामों में से ग्राम अतरसण्ड, सरसीडीह, रामापुर, फेन्हा, नवरौला, कोहडोर, सरायजमुवारी, साल्हीपुर कजासं, सिकरी कानूपुर, सैफाबाद, महडौर, नानापुर के पक्के मार्गों का नवीनीकरण कराया जायेगा ? क्या ग्राम अतरसण्ड, आसपुर देवसरा, रामकोला, भीखमपुर को पक्के मार्ग से जोड़ा जायेगा तथा उपरोक्त सभी ग्रामों में विद्युतीकरण, हैण्डपम्प, विद्यालय, आवास, नाली खड़न्जा, पेंशन, कुम्हारी पट्टा के अवशेष कार्यों को कराने हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 1999-2000 में अतरसण्ड, सरसीडीह, उदई शाहपुर, मानापुर, रामपुर, रायपुर, नचरौला, बिनैका, फेनहा एवं आसपुर देवसरा तथा वर्ष 2001-02 में सरायजमुवारी, साल्हीपुर कजास, सिकरीकानूपुर, कोहड़ौर, बरहुपुर, सैफाबाद, भीखनपुर, पर्वतपुर सुलेमान, महड़ौरा एवं रामकोला चयनित किये गये थे। मार्गों का नवीनीकरण कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

चारों ग्राम पक्के मार्ग से जोड़ दिये गये हैं। कुम्हारी पट्टा प्रश्नगत योजना में सम्मिलित नहीं है। प्रश्नगत शेष कार्यक्रमों से कथित ग्राम मानक के अनुसार संतृप्त हैं।

कानपुर नगर निगम में अधिक सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाने से प्रभावित सफाई व्यवस्था को ठीक किये जाने की मांग

91--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर नगर निगम में बहुत अधिक संख्या में सफाई कर्मचारियों के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण सफाई का कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुसार कानपुर नगर में रिक्त सफाई कर्मचारियों के पदों को भरने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

जी, नहीं।

शासनादेश संख्या-1783/9-1-02-66सा/2001, दिनांक 22-06-2002 द्वारा प्रदेश के नगर निगमों/नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत नयी नियुक्ति न कर, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, संविदा पर कार्य कराकर सफाई व्यवस्था कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेन्सियों के सुरक्षा कर्मियों द्वारा पुलिस व सेना जैसी वर्दी पहनने के खिलाफ कार्यवाही की मांग

92--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेन्सियों के सुरक्षा कर्मियों द्वारा पुलिस व सेना जैसी वर्दी पहनी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी अनुमति दी है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी निजी सुरक्षा एजेन्सियों के संचालकों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

निजी सुरक्षा एजेन्सियों के संबंध में श्रम विभाग (श्रम आयुक्त संगठन) द्वारा मात्र संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीकरण एवं लाइसेंस प्रदान करने की कार्यवाही तथा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिलाये जाने की कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम में ड्रेस कोड निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर की लक्ष्मणपुर कालोनी में ट्यूबवेल द्वारा जल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने संबंधी जानकारी

93--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर नगर की लक्ष्मणपुर कालोनी में जल आपूर्ति हेतु ट्यूबवेल लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

आंशिक रूप से बिछा दी गयी है। शेष पाइप लाइन नगर के अन्य स्थानों पर बिछायी गयी है, जिसके लिए उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सुल्तानपुर के शास्त्री नगर मोहल्ले में अवर जलाशय द्वारा पानी की आपूर्ति संबंधी जानकारी

94--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले में 2250 कि0 लीटर क्षमता के बनाये गये अवर जलाशय द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन मोहल्लों में ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार अवर जलाशय से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

दरियापुर, शास्त्रीनगर, खैराबाद।

प्रश्न नहीं उठता।

अवर जलाशय से पानी की जलापूर्ति की जा रही है।

जनपद कानपुर के शास्त्री नगर, विजय नगर में पड़ी क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को बदलने की मांग

95--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर नगर के शास्त्री नगर, विजय नगर में पड़ी सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है जिससे सड़कों पर गन्दा पानी भरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर नई सीवर लाइन डलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रश्नगत क्षेत्र में पड़ी सीवर लाइनें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं एवं इनकी क्षमता वर्तमान जनसंख्या के अनुरूप नहीं रह गयी है। सीवर सफाई का कार्य समय-समय पर कराया जाता है। वर्तमान में गन्दा पानी भरा नहीं रहता है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर के थाना चमनगंज से गांधी चौक तक की सीवर लाइन डालने से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

96--श्री संजीव दरियाबादी--

नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के थाना चमनगंज से गांधी चौक तक की सड़क गहरी सीवर लाइन डालने के लिए जल निगम, कानपुर द्वारा खोदी गयी थी ? क्या खुदाई हो जाने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है और आम जनता के आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त क्षतिग्रस्त सड़क को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी, हां।

खुदाई के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप आम जनता के आवागमन में हो रही असुविधा को देखते हुये नगर निगम द्वारा प्रथम चरण में मिट्टी हटाने एवं सोलिंग लगाने का कार्य किया जा चुका है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में आम जनता को आने जाने में कोई असुविधा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में अतिक्रमण अभियान से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मांग

97--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, 2005 में कानपुर नगर में चलाये गये अतिक्रमण अभियान से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु क्या सरकार कोई योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी, नहीं।

नगर निगम, कानपुर द्वारा नगर निगम के अन्तर्गत स्थित सड़कों, नालियों एवं उनके फुटपाथ पर होने वाले अतिक्रमणों को नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 296 के अन्तर्गत हटाया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रभावित लोगों का पुनर्वास किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। चूंकि ऐसे अतिक्रमण अस्थायी प्रकृति के होते हैं और उन्हें बार-बार हटाना पड़ता है। अत: ऐसे अतिक्रमणकारियों को पुनर्वासित किया जाना उचित भी नहीं है।

जनपद कानपुर के शास्त्री नगर कालोनी के पीछे जमा कूड़ा व मलिवा हटवाये जाने की मांग

98--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर शहर के शास्त्री नगर कालोनी के पीछे सर्विस लाइन में भारी मात्रा में कूड़ा व मलवा जमा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कूड़ा, मलवा हटाये जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी, हां।

कानपुर शहर के हरिहर नाथ शास्त्रीनगर में श्रम विभाग की लेबर कालोनी है। शास्त्रीनगर के अन्तर्गत लेबर कालोनी में जमा कूड़ा कचरा सिल्ट की खुदाई कराकर सफाई कराई जा चुकी है, जिस पर नगर निगम द्वारा रु0 4,41,579 व्यय किया गया है। शेष गलियों की सफाई कराने में लगभग रुपये 12,40,626 का व्यय होना सम्भावित है। चूंकि उक्त लेबर कालोनी श्रम विभाग की है अत: सर्विस लेनों की करायी गयी सफाई के बिल श्रम विभाग को भुगतान हेतु भेजे जा रहे हैं। श्रम विभाग से धनराशि प्राप्त होने पर अन्य सर्विस लेनों की सफाई कराई जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

99--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

[दिनांक 02-02-2006 के अ0ता0प्र0सं0 103 द्वारा उत्तरित]

100--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड मान्धाता के अनेकों गांवों में पेयजल संकट दूर करने का कथित प्रकरण

101--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मान्धाता के ग्रामों हिन्दूपुर, बाबूपुर, जमुआ, रामनगर, छतौना, डीह कटरा, पूरे वैष्णव, पूरे तोराई , नरायनगंज, ढेमा, रवमपुर, सराय देवराय, मनहू, सराय मंदीरा, गौरा में पेयजल का संकट है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पेयजल संकट को दूर करने के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया की नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक धन की खुली लूट की जांच

102--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, देवरिया द्वारा सार्वजनिक धन की खुली लूट विषयक श्री मिथिलेश नारायण, एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 20-2-2004 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को संबोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर सी0बी0आई0 जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

जांच तथा कार्यवाही में देरी के लिये खेद है। दोषी को सजा दी जायेगी।

इस प्रकरण की जांच कराई गई, जिसके फलस्वरूप अनियमित प्रस्ताव को आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में होमगार्ड स्वयं सेवक की भर्ती में अनियमितता की जांच

103--श्री रामचन्द्र यादव--

क्या होमगार्ड्स एवं प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-6-2005 को प्रश्नकर्ता का पत्र जो माह जून, 2004 में जनपद फैजाबाद में होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती में श्री संजीव कुमार शुक्ला, निवर्तमान जिला कमान्डेन्ट, होमगार्ड, फैजाबाद द्वारा की गयी अनियमितताये की जांच कराने के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी--

जी हां।

जी हां।

प्रकरण की जांच श्री आर0पी0 सिंह, डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स मुख्यालय से करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच-आख्या दिनांक 8-8-2005 के अनुसार शिकायती-पत्र में उल्लिखित अन्य आरोपों की पुष्टि होना नहीं पाया गया, परन्तु भर्ती से संबंधित अभिलेख तत्कालीन जिला कमाण्डेण्ट द्वारा जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण सही एवं सुस्पष्ट जांच किया जाना सम्भव नहीं रहा। भर्ती से संबंधित अभिलेख जांच अधिकारी को उपलब्ध न कराने के कारण श्री शुक्ला के विरुद्ध कोतवाली जनपद फैजाबाद में मु0अ0सं0-710/05, धारा-409/420/467/468/471-आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। श्री शुक्ला वर्तमान में जनपद फैजाबाद से स्थानान्तरित होकर जनपद आगरा में तैनात हैं।

प्रकरण में जांच का अन्तिम निष्कर्ष आना अभी शेष है। भर्ती से संबंधी अभिलेख प्राप्त होते ही जांच की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में जिला कारागार को स्थानान्तरित करने की कार्य योजना

104--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जिला कारागार को शहर के मध्य से स्थानान्तरित करने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो जिला कारागार को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राकेश कुमार वर्मा--

(क) घनी आबादी के मध्य स्थित जिला कारागारों को, जिनमें जिला कारागार, आजमगढ़ भी सम्मिलित है, शहर से बाहर स्थानान्तरित कर नवीन कारागारों का निर्माण किये जाने के संबंध में मा0 राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियां मा0 मंत्रिपरिषद् के समक्ष विचाराधीन है।

(ख) मा0 मंत्रिपरिषद् के आदेश प्राप्त होने पर यथानुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

जनपद आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद् में सीवर लाइन डालकर चालू कराने संबंधी जानकारी

105--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद् में कितनी सीवर लाइन का निर्माण करा दिया गया है और कितनी शेष है ? अवशेष सीवर लाइन डालकर कब तक चालू करा दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रश्नगत जनपद में आजमगढ़ सीवरेज योजना फेज-I के अन्तर्गत कुल 13 किमी0 सीवर लाइन बिछाये जाने की योजना के सापेक्ष 07 किमी0 सीवर लाइन का निर्माण कराके योजना चालू की जा चुकी है। 6.00 किमी0 सीवर लाइन का निर्माण कार्य शेष है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में उपलब्ध धनराशि से 2.5 किमी0 सीवर लाइन का निर्माण कर एक वर्ष में चालू कर दी जायेगी। अवशेष 3.5 किमी0 सीवर लाइन का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अवर अभियन्ताओं का स्थायीकरण किये जाने की मांग

106--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0 प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत अवर अभियन्ताओं का स्थायीकरण किये जाने में हो रहे बिलम्ब के संबंध में नेता विरोधी दल, विधान सभा का पत्र सं0-819/ने0वि0द0/2000, दिनांक 5-7-05 सचिव, आवास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी, हां।

अवर अभियन्ता पद धारकों की जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची 2001 पर कार्मिकों की आपत्तियां प्राप्त की गयी। उक्त के समकक्ष संवर्ग अधिदर्शक कम सर्वेयर के कार्मिकों द्वारा अवर अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची में स्थान पाने के लिए उनसे प्राप्त प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए वरिष्ठता सूची को 01 माह में अंतिम रूप दिये जाने हेतु एक समिति गठित कर दी गयी है। वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त ही स्थायीकरण करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में निर्मित नक्षत्रशाला के लिए पदों का सृजन तथा वेतन के लिए धनराशि की व्यवस्था की मांग

107--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर में निर्मित तारामण्डल के लिये आवश्यक तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों के पदों का सृजन तथा उनके वेतन आदि के लिए धनराशि की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

जी नहीं।

गोरखपुर नक्षत्रशाला के संचालन हेतु इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ की भांति प्रतिनियुक्ति/संविदा पर आवश्यक तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों के माध्यम से कार्य कराया जायेगा। इस हेतु आवश्यक धनराशि नक्षत्रशाला के संचालन से प्राप्त आय से उपलब्ध होगी।

उक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया से गोरखपुर जाने वाले मार्ग को कुबड़े नालों की सफाई एवं टाउन हाल पार्क देवरिया के सौन्दर्यीकरण की मांग

108--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में गोरखपुर जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ कुबड़े नालों की सफाई तथा इसी मार्ग पर स्थित टाउन हाल पार्क, देवरिया का सौन्दर्यीकरण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

देवरिया जिले के गोरखपुर मार्ग के दोनों तरफ कुबड़े नाले नहीं, बल्कि कुर्ना नाला स्थित है। उक्त नाले की सफाई हेतु बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया को रु0 279.62 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। नाले की सफाई के कार्य हेतु उ0 प्र0 के प्रोजेक्ट कारपोरेशन से एम0ओ0यू0 कर कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है।

टाउन हाल पार्क देवरिया के सौन्दर्यीकरण हेतु रिवाल्विंग फण्ड से ऋण स्वीकृत करने के लिये रु0 64.50 लाख का प्रस्ताव/आगणन जिलाधिकारी, देवरिया के माध्यम से दिनांक 10-01-2006 को प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी की जांच में जांच अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट देने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

109--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी की जांच संख्या-70/2002 में जांच अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट देने विषयक श्री विजय सिंह राणा, एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 18-9-2003 जो कि निदेशक (सतर्कता) उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री विजय सिंह राणा, मा0 सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 18-9-2003 निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान को प्राप्त हुआ था। जांच संख्या-70/2002 में जांच अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

गोपन विभाग के विभागीय सुरक्षा अनुदेश 1990 (गोपनीय) में उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गयी जांच को गुप्त (सिक्रेट) श्रेणी प्रदान की गयी है। अत: उपरोक्त के दृष्टिगत जांच संबंधी सूचना को सार्वजनिक किया जाना शासकीय हित में उचित न होगा।

लखनऊ में राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0 में हुए करोड़ों रु0 के घपलों की जांच पर कार्यवाही की जानकारी

110--श्री जयराम विमल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0, लखनऊ में हुये करोड़ों रु0 के घपलों की जांच पर दण्डात्मक कार्यवाही करने विषयक पत्रा लाल भारतीय,

अध्यक्ष, को-आपरेटिव बैंक वर्कर्स यूनियन, उ0 प्र0 का 17 सूत्रीय पत्रांक भ्रष्टाचार/75/2005, दिनांक 7-4-2005 प्रमुख सचिव, सहकारिता, निबन्धक-सहकारिता, उप निबन्धक (केन्द्रीय), लखनऊ मण्डल एवं जि0 सहायक निबन्धक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदानन्द अंचल--

जी, हां।

जांच के आधार पर बैंक की प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर दिया गया है एवं अनियमितताओं के लिए दोषी तत्कालीन सचिव के विरुद्ध उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-38 के अधीन नोटिस जारी की गयी थी। तत्कालीन सचिव द्वारा त्याग-पत्र दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0 की प्रबन्ध समिति की करोड़ों रुपये के घोटाले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

111--श्री जयराम विमल--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निबन्धक, सहकारिता (केन्द्रीय), लखनऊ मण्डल में अपने पत्रांक-8910-18/अर्बन बैंक/धारा 35 (2), दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा राजधानी नगर सहकारी बैंक लि0, लखनऊ की प्रबन्ध समिति को करोड़ों रुपये के गबन/घोटालों में निलम्बित करके जिला सहायक निबन्धक, लखनऊ श्री नारद यादव को बैंक में अध्यक्ष, प्रशासक समिति नियुक्त किया था ? यदि हां, तो क्या प्रशासक समिति द्वारा संचालक मण्डल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदानन्द अंचल--

जी, हां।

जी नहीं।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा याचिका संख्या-3248 (एमबी)/05, दीपक शुक्ला एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27-5-05 द्वारा प्रशासक कमेटी को केवल दैनिक नैतिक कार्यों के निस्तारण हेतु ही आदेश पारित किया गया था।

जनपद आजमगढ़ की मेहनगर तहसील में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने का लम्बित प्रकरण

112--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की मेहनगर तहसील में क्या सरकार अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ की तहसील मेहनगर में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के थाना मनियर के अन्तर्गत परशुराम मन्दिर के पास पुलिस चौकी खोलने की मांग

113--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के मनियर थाने में बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए मनियर थाने के अन्तर्गत परशुराम नामक स्थान पर पुलिस चौकी खोलने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक पुलिस चौकी खुलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद बलिया के मनियर थाने के अन्तर्गत परशुराम मन्दिर के पास रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खोलने हेतु शासन द्वारा विचार किया गया था लेकिन रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना हेतु निर्धारित मानक पूर्ण न करने के कारण प्रश्नगत प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।

जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत, बांसगांव में शुद्ध पेयजल हेतु निर्मित पानी की टंकी से जल आपूर्ति की मांग

114--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत, बांसगांव, जनपद गोरखपुर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए पानी की टंकी बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं की गयी है ? यदि हां, तो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

वर्तमान में अधिष्ठापित नलकूप पर कम विद्युत् वोल्टेज प्राप्त होने के कारण नलकूप का संचालन नहीं हो पा रहा है।

ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन के पश्चात् सही वोल्टेज प्राप्त होने पर नलकूप का नियमित संचालन कर पेयजलापूर्ति पुनः प्रारम्भ की जायेगी।

जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत, बांसगांव में सार्वजनिक शौचालय निर्माण का कथित प्रकरण

115--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत, बांसगांव, जनपद गोरखपुर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शौचालयों का निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

नगर पंचायत बांसगांव, जनपद गोरखपुर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की कोई योजना शासन में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ व गोण्डा में इन्दिरा आवास योजना में बनाये गये मकान स्थानीय जांच में अपूर्ण/दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

116--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मेरठ व गोण्डा जनपद में बनाये गये मकानों की दिनांक 8-11-2002 को की गयी स्थलीय जांच में मकान अपूर्ण पाये गये थे ? यदि हां, तो इसके जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी, हां।

जनपद मेरठ में स्थलीय जांच में कुछ आवास अपूर्ण पाये गये। इसके लिये उत्तरदायी 9 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को निलम्बित किया गया है एवं 15 सहायक विकास अधिकारी/किसान सहायक/नलकूप चालकों की प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है। 01 कर्मचारी वर्तमान में जनपद ज्योतिबाफूले नगर में तैनात हैं, के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। 03 सहायक विकास अधिकारी/ग्राम्य विकास अधिकारी सेवानिवृत्त एवं 01 ग्राम्य विकास अधिकारी का स्वर्गवास हो चुका है। मामले में चार खण्ड विकास अधिकारी भी उत्तरदायी हैं जिसमें से 03 खण्ड विकास अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा 01 खण्ड विकास अधिकारी को निलम्बित किये जाने हेतु उत्तरांचल शासन से दिनांक 6-01-06 को अनुरोध किया गया है तथा जिला विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड इंडिया थोक एवं तरबगंज में स्थलीय जांच में अपूर्ण आवास पाये गये। इसके लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, तरबगंज श्री बाबूराम लाल एवं खण्ड विकास अधिकारी, इटिया थोक श्री जिया लाल तथा जिला विकास अधिकारी श्री एस0पी0सिंह उत्तरदायी हैं। खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है तथा जिला विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। मामले में ब्लाक स्तरीय उत्तरदायी ग्राम्य विकास अधिकारी/बहुउद्देशीय कर्मी तथा सहायक विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ नगर निगम के सुभाष नगर एवं गांधी आश्रम में अधूरे पड़े ट्यूबवेलों को चालू कराने हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

117--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर निगम क्षेत्र में सुभाष नगर एवं गांधी आश्रम में अधूरे पड़े ट्यूबवेलों को चालू करने के लिये 52 लाख रुपये को रिवालिविंग फण्ड से ऋण देने हेतु मेरठ, नगर निगम का प्रस्ताव जिलाधिकारी, मेरठ के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या वांछित धनराशि अवमुक्त की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी हां।

मेरठ नगर निगम क्षेत्र में सुभाष नगर एवं गांधी आश्रम परिसर में निर्माणाधीन दो नलकूपों को पूर्ण कराने हेतु रु0 52.00 लाख की धनराशि रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण स्वीकृत करने का प्रस्ताव नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ के माध्यम से शासन में प्राप्त हुआ है।

नगर निगम, मेरठ का शासनादेश संख्या-35 नियम/05/नौ-9-2006-17 नियम/06, दिनांक 07-02-06 द्वारा रिवाल्विंग फण्ड से रु0 52.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के बेगमपुरवा स्थित गली, सड़क निर्माण कराने की मांग

118--डा0 विनोद तिवारी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड संख्या-86, कुर्मान्चलनगर, बेगम पुरवा स्थित श्री श्रीप्रकाश मिश्र तथा अन्य के आवास के सामने वाली गली (सड़क) के निर्माण हेतु आदेश संख्या-2113/एम0जी0/नगर आयुक्त, दिनांक 23-3-2005 द्वारा नगर निगम की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त गली (सड़क) का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त गली (सड़क) का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी, हां।

जी, नहीं। क्योंकि प्रश्नगत गली में खड़न्जा नाली का कार्य वर्ष 2003 में विधायक निधि से कराया गया है, जिसे कराये हुए अभी 05 वर्ष नहीं हुए हैं। साइड की सड़क का निर्माण कार्य करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी शाखा द्वारा की जा रही जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

119--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान की वाराणसी शाखा द्वारा की जा रही जांच संख्या-141/2000 में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? क्या दोषी अधिकारियों की परिसम्पत्ति की जांच भी की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन-किन अधिकारियों ने मा0 न्यायालय से अरेस्ट स्टे प्राप्त किया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत जांच संख्या-141/2002 में अन्वेषण के आदेश प्रदान किये गये थे। गोपन विभाग के विभागीय सुरक्षा अनुदेश 1990 (गोपनीय) में उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गयी जांच को गुप्त (सिक्रेट) श्रेणी प्रदान की गयी है। अत: उपरोक्त के दृष्टिगत जांच संबंधी सूचना को सार्वजनिक किया जाना शासकीय हित में उचित न होगा।

जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज में मुंसिफ न्यायालय खोलने का कथित प्रकरण

120--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज में मुंसिफ न्यायालय खोलने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त न्यायालय कब तक खोल दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संविधान के अनुच्छेद 227 में की गयी व्यवस्था के अनुसार किसी भी नये न्यायालय की स्थापना मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति/संस्तुति पर ही की जाती है। कैम्पियरगंज में मानक के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सहमति नहीं दी गयी है।

अत: जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश पुलिस एवं पी0ए0सी0 की गत वर्ष भर्ती में मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग

121--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-2005 में की गई पुलिस एवं पी0ए0सी0 की भर्ती में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि पुलिस एवं पी0ए0सी0 की भर्ती में मुसलमानों को 8% आरक्षण दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या इस घोषणा का अमल भर्ती में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्ष 2004-2005 में पुलिस एवं पी0ए0सी0 की भर्ती आरक्षण हेतु विद्यमान शासनादेशों के अनुसार सम्पन्न की गयी है जिसमें मुसलमानों को पृथक से आरक्षण दिये जाने का कोई प्राविधान/शासनादेश नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका शिकारपुर में सौर ऊर्जा से संचालित नलकूप निर्माण का कथित प्रकरण

122--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में सौर ऊर्जा से संचालित नलकूप प्लान्ट का निर्माण कार्य वर्ष 2004-2005 में हुआ था, इस पर कितना धन सरकार द्वारा खर्च किया गया ? उक्त नलकूप कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

सौर ऊर्जा पर आधारित कोई भी योजना नगर विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका शिकारपुर में धोबी घाट के निर्माण का प्रस्ताव

123--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर में विगत वर्ष कपड़ा धोने हेतु धोबी घाट स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर में एक धोबी घाट का प्रस्ताव दिनांक 31 जनवरी, 2005 को जिला नगरीय विकास अभिकरण, बुलन्दशहर द्वारा स्वीकृत हुआ था।

कार्य प्रारम्भ होने पर प्रजापति समाज द्वारा विरोध करते हुए स्थल पर कार्य नहीं होने दिया गया। इस तालाब पर वर्ष में दो बार बूढ़े बाबू (दौज) का मेला लगता है तथा तालाब में लोग नहाते हैं और कच्ची मिट्टी की पूजा करते हैं, जिस कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका। धोबी घाट के निर्माण हेतु वैकल्पिक स्थल का चयन करने के लिए जिलाधिकारी बुलन्दशहर को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के इन्दिरा नगर सचिवालय कालोनी के आवासों को अधीनस्थ कर्मचारियों को हायर परचेज पर देने विषयक कथित पत्र

124--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के इन्दिरा नगर "ए" ब्लाक, सेक्टर-4, सचिवालय कालोनी के आवासों को क्या सरकार ऐशबाग, राजेन्द्र नगर तथा रिवर बैंक कालोनियों की भांति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हायर परचेज पर निजी मकान के रूप में दिये जाने पर विचार करेगी ? क्या इस संबंध में ई--1 सचिवालय कालोनी सुधार समिति, इन्दिरा नगर, लखनऊ के महामंत्री श्री पूरन सिंह का पत्र दिनांक 22-9-05 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

श्री पूरन सिंह का पत्र दिनांक 22-9-05 प्राप्त हुआ है, जो प्रश्नगत विषय से संबंधित न होकर इन्दिरा नगर "ए" ब्लाक सेक्टर-4 लखनऊ की सड़कों की मरम्मत, पार्क के क्षतिग्रस्त रेलिंग का निर्माण, स्ट्रीट लाईट एवं सफाई आदि के संबंध में है।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु नगर निगम, लखनऊ से संबंधित है, जिस पर यथोचित कार्यवाही करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम घंसा कल्यानपुर, थाना गढ़िया रंगीन निवासी जगदीश की पुत्री कुसमा देवी की हत्या जनपद बदायूं में किये जाने की रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही किये जाने की मांग

125--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 22-5-05 को जनपद शाहजहांपुर के ग्राम घंसा कल्यानपुर, थाना गढ़िया रंगीन निवासी जगदीश की पुत्री कुसमा देवी की ग्राम कौड़ा गूजर, थाना अलापुर, जिला बदायूं में हत्या कर दी गयी थी ? इस हत्या के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बदायूं, डी0आई0जी0, बरेली को मई/जून, 2005 में कई प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत प्रकरण में थाना-अलापुर, बदायूं पर मु0अ0सं0-497/05 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होकर विवेचना क्षेत्राधिकारी, दातागंज, बदायूं द्वारा प्रचलित है।

बरेली मण्डल में दहेज हत्या के मामलों की संख्या एवं उस पर कार्यवाही का विवरण एवं जनपद बदायूं में कुसमा देवी की हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही संबंधी जानकारी

126--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत छः महीने में बरेली मण्डल में दहेज हत्या के कितने मामले पुलिस उपमहानिरीक्षक के संज्ञान में कार्यवाही हेतु लाये गये, उनमें से कितने में एफ0आई0आर0 हुई तथा कितनों में चार्ज शीट लगी ? क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि 22 मई, 2005 को ग्राम कोड़ा, गूजर, थाना-अलापुर, जिला बदायूं में शादी के एक साल बाद कुसमा देवी की हत्या कर दी गयी और उसमें कई प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक एवं डी0आई0जी0, बरेली को जून, 2005 में देने के बाद भी मुकदमा पंजीकृत न होने का क्या कारण है ? क्या उपरोक्त मामले में मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत अवधि में बरेली मण्डल में दहेज हत्या के कुल 62 मामले पुलिस उपमहानिरीक्षक के संज्ञान में कार्यवाही हेतु लाये गये, जिनमें से सभी मामलों में एफ0आई0आर0 हुई तथा कुल 41 मामलों में चार्जशीट लगायी गयी।

प्रश्नगत प्रकरण में थाना अलापुर पर मु0अ0सं0-497/05 धारा 498ए/304बी भा0द0वि0 व धारा 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

जनपद झांसी से सेवानिवृत्त उ0 प्र0 जल निगम के सहायक अभियन्ता श्री सुधांशु निगम की मृत्योपरान्त उनके आश्रितों को समस्त देयों का भुगतान कराने की मांग

127--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री सुधांशु निगम, सहायक अभियन्ता, उत्तर प्रदेश का जल निगम, झांसी दिनांक 31 अक्टूबर, 1994 में सेवानिवृत्त हुए थे ? क्या उनके समस्त

देयकों पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण तथा ग्रुप इन्श्योरेंस का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सही है कि श्री निगम का देहान्त दिनांक 1-2-2005 को हो गया है ? उनके समस्त देय धनराशि का भुगतान उनके आश्रितों को कराते हुए क्या उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जी हाँ।

श्रीमती माधुरी निगम पत्नी स्व0 श्री सुधांशु निगम सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान आदेश दिनांक 6-9-2005 एवं ग्रेच्युटी भुगतान आदेश दिनांक 23-11-2005 को निर्गत किये जा चुके हैं। शासनादेश संख्या-सा-3-184/10-7040-78, दिनांक 18-5-83 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्त तिथि से एक एक वर्ष के अन्दर पेंशन प्रपत्र, सेवानिवृत्त कार्यालय में प्रस्तुत कर देने पर स्वास्थ्य परीक्षा में छूट होती है और एक वर्ष के पश्चात् पेंशन प्रपत्र प्रस्तुत करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होता है। श्री सुधांशु निगम, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, द्वारा अपने जीवन काल में पेंशन प्रपत्र सेवा निवृत्त कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः स्वास्थ्य परीक्षा के अभाव में उन्हें राशिकरण देय नहीं है। ग्रुप इन्श्योरेन्स सम्बन्धी दावा सेवानिवृत्ति को तिथि से 07 वर्ष बीत जाने के बाद प्राप्त हुआ था जिसमें कतिपय कमियाँ थी जिनका निराकरण कराया जा रहा है। निराकरण होने के उपरान्त नियमानुसार दावा भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजकर भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

जी हाँ।

श्रीमती माधुरी निगम पत्नी स्व0 श्री सुधांशु निगम को पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 6-9-2005 को स्वीकृत की जा चुकी है। पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के थाना सिधारी के अन्तर्गत सुरेश यादव की पुलिस उत्पीड़न में मृत्योपरान्त दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

128--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के थाना सिधारी के अन्तर्गत दिनांक 5-9-2005 को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करके मारे गये सुरेश यादव के कारण प्रशासन के खिलाफ हुए धरना प्रदर्शन में दि0 6-9-2005 को प्रशासन, पुलिस व अधिकारियों द्वारा आम नागरिकों के साथ प्रश्नकर्ता को भी लाठियों से मारा गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की जांच कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

मृतक सुरेश यादव के पिता श्री मुन्नर यादव के लिखित सूचना पर थाना सिधारी, आजमगढ़ में मु0अ0सं0-260/2005 धारा-147/302/504 भा0द0वि0 बनाम उ0 नि0 श्री मंगला प्रसाद तिवारी तत्कालीन थानाध्यक्ष सिधारी एवं 5 अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त निरीक्षण घटना स्थल एवं पी0एम0 रिपोर्ट से उक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या का जुर्म नहीं

पाया गया है। विवेचक द्वारा दिनांक 1-10-2005 को विवेचना समाप्त कर दी गयी है। मृतक सुरेश यादव को मारने-पीटने अथवा पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने की पुष्टि नहीं हुयी है, बल्कि घटना इत्तेफा-किया पानी में डूबने के कारण होना पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

129--श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

[दिनांक 2-2-2006 के अता0 प्र0 सं0-104 द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ ताल में नौकायन केन्द्रों के निर्माण में व्यय धनराशि की जानकारी

130--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ ताल में नौकायन केन्द्रों के निर्माण तथा अनुरक्षण में 31-10-05 तक कुल कितनी धनराशि व्यय हुई, तथा उससे कितनी आय हुयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

रामगढ़ताल गोरखपुर में नौकायन केन्द्रों के निर्माण एवं उसके पास स्थल विकास के मद में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रु0 5068 लाख तथा मरम्मत एवं विद्युत बिल व सिक्योरिटी के मद में रु0 6.88 लाख व्यय किया गया है।

इसके संचालन में रु0 73.595 की आय हुई है।

जनपद आजमगढ़ के महा पं0 राहुल सांकृत्यायन बालिका उ0 मा0 विद्यालय, कनैला एवं संवाददाता आज का थानाध्यक्ष जहानाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

131--श्री सुखदेव राजभर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मदन मोहन पाण्डे, प्रबन्धक, महा पं0 राहुल सांकृत्यायन बालिका उ0 मा0 विद्यालय, कनैला, आजमगढ़ एवं संवाददाता आज का श्री आजाद सिंह केसरी का थानाध्यक्ष, जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र दिनांक 22-10-05 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या है ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि शिकायती प्रार्थना-पत्र पर अब क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

शिकायतकर्ता श्री मदन मोहन पाण्डेय ने अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र में आरोप अंकित किया है कि दिनांक 16-10-05 की रात्रि में लगभग 10.00 बजे ग्राम प्रधान से मिलकर आकर बैठा था, उसी समय बिनावर्दी के एक हाथ में रिवाल्वर तथा दूसरे हाथ में देशी तमन्चा लिये थानाध्यक्ष जहानागंज श्री आजाद सिंह केशरी आये और पूछे कि तुम कौन हो, अपना परिचय बताया तो कहे कि तुम अपराधी हो और अपराधियों को शरण देते हो विद्यालय के अन्दर चलो, विद्यालय के अन्दर ले जाकर बूथ कैप्चरिंग बाक्स पेटिका में पानी डाल दी और और धमकी दिये लोडेड कट्टा है, इसी में चालान कर दूँगा, भयभीत होकर चुप हो गया। दिवाल पर लिखे प्रत्याशी के नाम को मुझसे

मिट्टी लगवाकर पोतवाये तथा घर से निकालकर दूसरे के घर में बन्द कर दिये तथा मतदान से वंचित रखे। प्रश्नगत प्रकरण की जाँच क्षेत्राधिकारी सदर जनपद आजमगढ़ से करायी गयी। जाँच से लिये गये कथन, गोपनीय पूँछ-ताँछ एवं अभिलेखों के अवलोकन से तथा स्वतंत्र व्यक्तियों से पूछ-ताँछ से शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है थानाध्यक्ष श्री आजाद सिंह केशरी द्वारा अचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर के श्री गणेश राम चौरसिया की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को रुकवाने विषयक आवास विकास परिषद् के पत्र पर कार्यवाही

132--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गणेश राम चौरसिया द्वारा 14956.20 वर्ग फीट भूमि पर किये जा रहे अवैध निर्माण को रुकवाने हेतु आवास विकास परिषद् का पत्र सं0-253/स-22/2002, दिनांक 25-1-2002 जो थानाध्यक्ष, गाजीपुर इंदिरा नगर, लखनऊ को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

प्रकरण की जाँच के दौरान पाया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ, खण्ड पीठ, लखनऊमें दायर रिट याचिका संख्या-1505/एम0बी0/99 में पारित निर्णय दिनांक 8-4-1999 के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर कोई निर्माण न किये जाने का स्थगन आदेश प्रदान किया गया है मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब के ग्राम पूरब गांव में अवैध तरीके से मकान गिराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

133--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ, तहसील-बख्शी का तालाब, थाना-मड़ियांव के ग्राम पूरब गांव में अवैध तरीके से मकान गिराने के दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराये जाने तथा क्षतिपूर्ति दिये जाने विषयक श्री लालता प्रसाद का पत्र दिनांक 3-10-2005 लांक शिकायत प्रकोष्ठ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं, अपितु श्री लालता प्रसाद का पत्र दिनांक 3-10-05 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से प्राप्त हुआ था। जांच से पाया गया कि ग्राम पूरब गांव, लखनऊ के भू-अभिलेखों में गाटा सं0 19 रकबा 0.063 जो प्राइमरी पाठशाला पूरब गांव के नाम से सुरक्षित भूमि है, जिस पर राजकीय नलकूप 58 है तथा इसी के दक्षिण दिशा में श्री लालता प्रसाद द्वारा अस्थायी रूप से अवैध कब्जा कर लिया गया था। ग्राम वासियों की शिकायत पर अस्थायी निर्माण को तहसील बक्शी का तालाब के स्टाफ द्वारा मौके पर जाकर हटवा दिया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

प्रदेश के ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति योजना अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के ब्लाक माटर्निगंज के गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था

134--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या आजमगढ़ जनपद की फूलपुर तहसील क माटीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम-कुम्भ, कोहरौली पिछौरा व फतुही ग्रामों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब से चालू की जायेगी ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां। राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु निम्नानुसार कार्ययोजना बनाई गई हैं--

1--पेयजल हेतु निर्धारित न्यूनतम मानक 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से अर्थात् प्रत्येक 250 की आबादी पर एक इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

2--निर्धारित न्यूनतम मानक 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से अर्थात् प्रत्येक 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प के अनुसार समस्त बस्तियों के पूर्णत: आच्छादित हो जाने के उपरान्त मांग के आधार पर प्रत्येक 150 की आबादी पर एक हैण्डपम्प लगाया जाना है जिसमें हैण्डपम्प की लागत का 10 प्रतिशत अंशदान तथा रख-रखाव का व्यय लाभार्थी समुदाय द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है।

3--सम्बन्धित ग्राम पंचायत/जल प्रबन्धन समिति द्वारा योजना की लागत की न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि सहभागिता अंशदान के रूप में वहन करने तथा योजना के पूर्ण होने पर उसके रख-रखाव का उत्तरदायित्व वहन करने की सहमति देने पर सम्बन्धित ग्राम की पाइप पेयजल योजना का निर्माण किये जाने का प्राविधान है।

4--अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों का पानी रासायनिक अशुद्धियों से प्रभावित पाये जाने पर सम्बन्धित गुणता प्रभावित ग्रामों हेतु केन्द्र पोषित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराये जाने का प्राविधान है।

जनपद-आजमगढ़ के ब्लाक माटीनगंज के सम्बन्धित ग्रामों में मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र उमर्दा में लाख बहोसी पक्षी विहार स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की योजना

135--श्री विजय बहादुर पाल--

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद-कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र उमर्दा में स्थित लाख बहोसी पक्षी विहार में विविध प्रकार के पक्षियों के दर्शनार्थ दूर-दूर से पर्यटक आते हैं ? क्या सरकार उक्त स्थल को पर्यटन स्थल बनाने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री कोकब हमीद--

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में लाख बहोसी पक्षी विहार के पर्यटन विकास हेतु सम्पर्क मार्ग के लिये रु0 20.00 लाख की योजना जिला योजनान्तर्गत तैयार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग में श्रेणी एक के स्वीकृत पदों की संख्या एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मानकों के निर्धारण का कथित प्रकरण

136--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन में श्रेणी एक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या इन पदों का सृजन प्रशासनिक सुधार विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उनके मानकों के अनुसार किया गया है ? यदि हां, तो ये मानक क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वित्त विभाग में विभिन्न संवर्गों यथा आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 सचिवालय सेवा एवं उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कुल 28 अधिकारी वर्तमान में तैनात है। इन संवर्गों की कुल संख्या में से आवश्यकतानुसार श्रेणी-एक के अधिकारी वित्त विभाग में तैनात होते रहें हैं।

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ऐसा मानक निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड पकरी पुल आशियाना चौराहा के मध्य नालियां व फुटपाथ की मरम्मत की मांग

137--श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पकरी पुल से आशियाना चौराहा मध्य स्थित सेक्टर एच, एल0 डी0 ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ के फुटपाथ और नालियां टूटी हुई है, जिससे नालियों का गन्दा पानी फुटपाथ के गड्ढों में भर जाता है ? यदि हां, तो सरकार फुटपाथ एवं नालियों की मरम्मत कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

शीघ्र करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के नजूल सम्पत्ति पर बसे लोगों को मालिकाना हक फ्री होल्ड कराये जाने की मांग

138--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0-सी0 एम0/वि0 को/एम/131796/2005, दिनांक 14-9-2005 जो जनपद बुलंन्दशहर के अन्तर्गत नजूल सम्पत्ति पर बसे मजदूरों को मालिकाना हक दिलाये जाने विषयक था, प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

जनपद बुलन्दशहर के कस्बा शिकारपुर में जिला पंचायत, बुलन्दशहर के प्रबन्धाधीन नजूल सम्पत्ति के अन्तर्गत वर्ष 1931 से 1962 तक समय-समय पर कुल 331 नजूल भूमि के पट्टे आवंटित किये गये थे। पट्टाधारकों को जिला पंचायत द्वारा नवम्बर, 1972, जून, 1973 जून, 1977, मार्च, 1983 तथा फरवरी, 1999 में पट्टा नवीनीकरण कराने के लिए नोटिस जारी किये गये थे। नजूल नीति के अन्तर्गत अब तक कस्बा शिकारपुर के 7 पट्टाधारकों द्वारा नजूल भूमि फ्री होल्ड करायी जा चुकी हैं। शेष 324 पट्टों पर काबिज व्यक्तियों को मालिकाना हक दिलाये जाने के लिए नजूल नीति के अन्तर्गत फ्री होल्ड दिये जाने की विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग के अधिकारियों को आवंटित वाहनों की संख्या एवं इसके औचित्य की जानकारी

139--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में विभिन्न अधिकारियों को कुल कितने वाहन शासकीय कार्यों हेतु आंवटित हैं एवं उनका औचित्य क्या है ? क्या वित्त विभाग में ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्हें उ0 प्र0 सचिवालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों/विभागों/निगमों से भी वाहन आंवटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वित्त विभाग में वर्तमान में कार्यरत बजट अधिकारी, विशेष सचिव एवं उच्च स्तर के 18 अधिकारियों के मध्य इतने ही वाहन आंवटित हैं। ये वाहन शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु आवंटित हैं।

जी नहीं। वित्त विभाग के अधीन कार्यालयों से ही वाहन आवंटित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के कच्चे नालों को पक्का किये जाने की मांग

140--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में कितने नाले ऐसे हैं जो कच्चे हैं ? क्या सरकार उक्त नालों को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

नगर निगम सीमा के अन्तर्गत वर्तमान में मुख्य-मुख्य 31 नाले कच्चे हैं।

धन की उपलब्धता होने पर नालों को पक्का कराया जाना सम्भव हो पायेगा। समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निगमों द्वारा बनवाई जाने वाली सड़कों की आयु सीमा एवं इस हेतु नीति निर्धारण सम्बन्धी जानकारी

141--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निगमों द्वारा बनवाई जाने वाली सड़कों की न्यूनतम आयु की क्या कोई सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस हेतु कोई नीति शासन स्तर पर विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के ब्लाक ठेकमा के ग्राम राजेपुर में बस्ती के पास चल रहे ईंट भट्ठे को बन्द कराने की मांग

142--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र, मेहनगर के अन्तर्गत तहसील लालगंज के ब्लाक-ठेकमा के ग्राम-राजेपुर में कई ईंट के भट्ठे, स्कूल, कालोनी, बस्ती के पास चल रहे हैं, जिसके धुएं से नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ईंट भट्ठों को बन्द करायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उज्जवल रमण सिंह--

जी नहीं

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत तहसील लालगंज के ब्लाक ठेकमा के ग्राम राजेपुर, पोस्ट भीरा बाजार में केवल एक ईंट भट्ठा मे0 दुखई प्रसाद ईंट भट्ठा स्थापित है, जो वर्ष 2004 से बन्द है। अतएव भट्ठे से कोई प्रदूषण जनित होना सम्भावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद् सण्डीला के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायत पर जाँच की मांग

143--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद् सण्डीला के वर्तमान में तैनात अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश चन्द्र भारती निवासी मा0 हरिजन सराय, महतबाना, कस्बा सण्डीला के शिकायती-पत्र पर मा0 मंत्री जी द्वारा पत्रांक 2010 मं0 नं0 न0 वि/सामान्य दिनांक 31-5-05 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को जांच हेतु आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों पर जांच कराकर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

(क) संदर्भित पत्र प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को भेजा गया।

(ख) जिस पर पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, हरदोई से कराई गयी। जिलाधिकारी, हरदोई से प्राप्त जांच आख्या में शिकायतें निराधार पायी गयी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के कस्बा संडीला के मोहल्ला हरिजन सराय में सड़क, पुलिया व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराने सम्बन्धी जानकारी

144--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के कस्बा संडीला के अन्तर्गत मोहल्ला हरिजन सराय वार्ड नम्बर-1 में जो अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य मुहल्ला है, में आवागमन हेतु एक मार्ग है जिसकी सड़क एवं पुलिया क्षतिग्रस्त होने से आवागमन अवरुद्ध है और पानी भर जाने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? क्या यह सही है कि उक्त मोहल्ले में स्वच्छ पेयजल की भी समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क तथा पुलिया का निर्माण एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

खड़न्जा मार्ग से आवागमन हो रहा है। पुलिया/खड़न्जा मार्ग से पश्चिम मिला हुआ तालाब स्थित है। खड़न्जा मार्ग से तालाब की ओर जानवरों के चढ़ने/उतरने से खड़न्जा मार्ग के कुछ भाग में किनारा कट गया था, जिससे वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती थी, खड़न्जा मार्ग पर पानी नही है।

जी नहीं।

खड़न्जा मार्ग /पुलिया का जो भाग तालाब के किनारे कट जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, उसे ठीक करा दिया गया है। स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में पुलिस द्वारा उपयोग की जा रही चेतक गाड़ियों की संख्या इसके उपयोग एवं शहर में आपराधिक घटनाओं को रोकने के उपाय

145--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर में पुलिस के पास कितनी चेतक गाडियां हैं ? इलाहाबाद शहर में गत एक वर्ष में कितनी आपराधिक घटनायें हुई हैं तथा चेतक गाड़ियों में तैनात पुलिस द्वारा घटनाओं को रोकने में कितनी सफलता पायी गयी है ? क्या सरकार इन चेतक गाड़ियों के इस्तेमाल को और प्रभावी बनाये जाने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इलाहाबाद शहर में कुल 08 चेतक वाहन पेट्रोलिंग हेतु उपलब्ध है।

इलाहाबाद शहर में वर्ष 2004 में 1447 एवं वर्ष 2005 में कुल 1296 अपराध पंजीकृत हुए। शहर में चेतक गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाती है। वाहनों से दिन

रात पेट्रोलिंग करायी जाती है तथा किसी घटना की सूचना प्राप्त होने पर नाकाबन्दी कराकर अपराधियों की सघन चेकिंग करायी जाती है। इसके कारण वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2005 में अपराधों में कमी आयी है। इसके साथ ही शान्ति व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु इन चेतक वाहनों का उपयोग किया जाता है।

उपलब्ध चेतक वाहनों का संचालन योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। अन्य कोई कार्य-योजना बनाए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

प्रश्न नही उठता।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की महायोजना के प्रमुख प्रस्ताव एवं शहर में 3 मंजिल या उससे अधिक मंजिलों की इमारतों की संख्या के साथ भवनों के मानकों के निर्धारण की जानकारी

146--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 13-10-05 की बैठक में महायोजना 2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो महायोजना 2021 के प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि गत वर्षों में इलाहाबाद शहर में 3 मंजिला एवं इससे अधिक मंजिलों की कितनी इमारतें बनी हैं ? क्या इन निर्माण किये गये भवनों में निर्धारित मानकों का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

इलाहाबाद महायोजना-2021 कुल 20.50 लाख प्रक्षेपित जनसंख्या हेतु निरूपित करते हुए नगरीय क्षेत्र को मुख्य नगर क्षेत्र, नैनी क्षेत्र, झूंसी क्षेत्र एवं फाफामऊ क्षेत्र के 04 प्रमुख उपनगरीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया है।

महायोजना 2021- में कुल 30,917.38 हेक्टेयर क्षेत्रफल का विभिन्न भू-उपयोगों में निर्धारित करते हुए आवासीय क्षेत्र हेतु 36.11 प्रतिशत, व्यावसायिक हेतु 8.49 प्रतिशत, मनोरंजन हेतु 16.02 प्रतिशत, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं हेतु 3.82 प्रतिशत, सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं हेतु 2.23 प्रतिशत, यातायात एवं परिवहन हेतु 12.09 प्रतिशत तथा अन्य भू-उपयोग हेतु 13.26 प्रतिशत क्षेत्रफल निर्धारित करते हुए सुसंगत प्रस्ताव किये गये हैं। महायोजना-2021 में नगर के चतुर्दिक ट्रांसपोर्टनगर एवं बस अड्डों का प्राविधान तथा "ग्रीन सिटी" की परिकल्पनायुक्त गंगा को प्रदूषण रहित करने और उसके आस-पास के क्षेत्र को हरियाली से सुसज्जित करने हेतु प्रस्ताव किए गये हैं। सम्पूर्ण नगर में पार्कों की उचित व्यवस्था सहित, नगर के चारों ओर 04 बड़े क्षेत्रीय पार्क गंगा/यमुना नदियों के निकट प्रस्तावित किए गये हैं।

इलाहाबाद शहर में गत दो वर्षों में 03 मंजिल व इससे अधिक मंजिलों की कुल 161 इमारतें बनी हैं।

निर्माण किये गये जिन भवनों में निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं हुआ है, उनके विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम--1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा की पेयजल योजना में गोकुल बैराज के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष धनराशि की व्यवस्था की जानकारी

147--श्री प्रदीप माथुर--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा की पेयजल योजना में गोकुल बैराज के फाटकों के रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

नगर विकास विभाग के आय-व्ययक में धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा के माध्यम से रु0 1.22 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था नगर विकास विभाग के आय-व्ययक में कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव अपरिपक्व था, जिसके कारण कतिपय सूचनायें आयुक्त, आगरा मडल तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मांगी गयी है। प्राप्त हो जाने पर धनराशि की व्यवस्था के संबंध में आवश्यकतानुसार विचार किया जायेगा।

आवास एवं विकास परिषद् की पीलीभीत बाई पास मार्ग योजना बरेली योजना की समस्त भूमि का अभिनिर्णय घोषित करने सम्बन्धी भेजे गये पत्र पर कार्यवाही

148--श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खांखा सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं विकास परिषद् की पीलीभीत बाईपास मार्ग योजना, बरेली योजना संख्या-7 के पाकेट ए के आराजी को मुक्त करने विषयक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-23, उ0प्र0 आवास विकास परिषद्, बरेली का पत्र संख्या 3357/बी-7/99, दिनांक 16-9-05, संयुक्त आवास आयुक्त भूमि, उ0प्र0 आवास विकास परिषद्, लखनऊ एवं अपर आवास आयुक्त, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ आवास एवं शहरी नियोजन को भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

संदर्भित पत्र संयुक्त आवास आयुक्त (भूमि) एवं अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को प्रेषित किया गया है।

इस योजना की समस्त भूमि का अभिनिर्णय घोषित करने एवं कब्जा हस्तान्तरण करने हेतु अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति लखनऊ को आवास एवं विकास परिषद् के पत्र संख्या-1709, दिनांक 2-12-2005 द्वारा अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् लखनऊ में दुर्बल आय वर्ग हेतु निर्मित भवनों को भवन कर से मुक्त करने की मांग

149--श्री राम चन्द्र यादव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा लखनऊ शहर में दुर्बल आय वर्ग हेतु निर्मित ई0 डब्लू एस0 मकानों के भवन स्वामियों को भवन कर से मुक्त रखा गया है ? यदि नहीं, तो उक्त मकानों को उपरोक्त कर से मुक्त किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

लखनऊ नगर निगम अपनी सीमान्तर्गत स्थित भवनों को उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-177 (छ) के अनुसार कर मुक्त करता है। इस धारा के अनुसार वे भवन व भूमि कर से मुक्त होंगे, जिनमें भवन स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवासीय भवन जो तीस वर्ग मीटर के भू-खड पर निर्मित किया गया हो या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हो, प्रतिबंध यह है कि उसके स्वामित्व में नगर में कोई अन्य भवन न हो।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 सचिवालय एनेक्सी भवन में कार्यरत वरिष्ठ लिपिकों का पद नाम सहायक अभिसूचना अधिकारी एवं अभिसूचना अधिकारी परिवर्तित किये जाने की मांग

150--श्री राम चन्द्र यादव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-3-05 तथा दिनांक 12-3-05 एवं मा0 श्री भगवती सिंह, सांसद का पत्र दिनांक 17-1-05 को गृह/गोपन विभाग के अंतर्गत शासन स्तर पर गठित राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उ0प्र0 सचिवालय, एनेक्सी भवन, लखनऊ में वेतनमान रु0 5500-9000 तथा रु0 6500-10500 में कार्यरत वरिष्ठ लिपिकों का पदनाम सहायक अभिसूचना अधिकारी एवं अभिसूचना अधिकारी परिवर्तन करने हेतु उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 2-3-2005 प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील कुशीनगर के तमकुहीराज के कतिपय स्थानों पर बनी पानी की टंकी से जलापूर्ति की मांग

151--डा0 पी0के0 राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि तमकुहीराज, तहसील कुशीनगर के बाधा चौर, बाक, पिपराघाट, पिरोजहां में पानी की टंकी बनकर तैयार हो गयी है परन्तु उससे जलापूर्ति अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त टंकी से जलापूर्ति कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

पिपराघाट पिराजहां योजना से जलापूर्ति अक्टूबर, 2005 से प्रारम्भ की जा चुकी है। बाघा, चौर व बांक में अभी जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं हुई है।

उक्त दो योजनाओं पर विद्युत आपूर्ति में निरन्तर व्यवधान होने के कारण जलापूर्ति चालू नहीं हो पा रही है।

समुचित एवं नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने के उपरान्त पाइप लाइन की टेस्टिंग करके शीघ्र ही टंकी से जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद बांदा में गतवर्ष समग्र विकास हेतु चयनित अनेकों गांवों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

152--श्री बाबूलाल कुशवाहा--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में वर्ष 2004-05 में समग्र विकास हेतु चयनित ग्राम-पडुई विसंडा खुर्द, विसंडा ग्रामीण, माधोपुर एवं बाघा में सड़कों का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत का कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

जी नहीं।

सीमित संसाधन।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश में गत वर्षों में हुई हत्याओं का विवरण एवं इसके कारणों की जानकारी

153--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2003 तक तथा सितम्बर, 2003 से सितम्बर, 2005 तक प्रदेश में कुल कितनी आत्म हत्यायें हुयीं ? तथा उनका 0-15, 14-55 तथा 55 वर्ष से अधिक उम्र के समूह में वर्गीकरण क्या था ? क्या माननीय गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि इन आत्महत्याओं के कारण क्या थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2003 तक कुल 3504 तथा सितम्बर, 2003 से सितम्बर, 2005 तक कुल 5386 आत्महत्या की घटनाएं हुयी हैं।

प्रदेश में हुयी आत्महत्याओं का उम्र समूह के अनुसार विवरण निम्न है :--

अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2003 तक				सितम्बर, 2003 से सितम्बर ,2005 तक		
उम्र समूह	0-15	16-55	55 वर्ष से अधिक	0-15	16-55	55 वर्ष से अधिक
आत्महत्या की संख्या	213	3040	251	268	4764	354

इन आत्महत्याओं के मुख्य कारण पारिवारिक कलह, गृह कलह, दहेज उत्पीड़न, प्रेम प्रसंग, गरीबी, मानसिक रूप से विक्षिप्त, लम्बी बीमारी आदि का होना है।

गोरखपुर महानगर में सिवरेज निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु तैयार योजना

154--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में सिवरेज निकासी की वास्तविक स्थिति क्या मानक के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो सरकार गोरखपुर महानगर की सिवरेज व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

उ0प्र0 जल निगम द्वारा रुपये 456.84 करोड़ की एक योजना तैयार की गयी है।

155--श्री रामशंकर पाल--

[दिनांक 17-02-2006 को अता0प्र0 सं0-148 द्वारा उत्तरित]

156--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन पकाने हेतु आंशिक मजदूरी की व्यवस्था के अंतर्गत जनपद लखनऊ के विकास खण्ड सरोजनीनगर के प्राइमरी पाठशाला में भोजन पकाने हेतु महिला श्रमिकों के वेतन भुगतान संबंधी जानकारी

157--श्री कौशल किशोर--

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम विकास अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 में प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन पकाने हेतु महिला श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने की व्यवस्था है जिसमें अपेक्षित खाद्यान्न आंशिक मजदूरी के रूप में दिये जाने का प्राविधान भी है ? क्या यह सही है कि जनपद-लखनऊ की विकास खण्ड सरोजनीनगर के अंतर्गत ग्राम-लोनहा के प्राथमिक पाठशाला में मध्याह्न भोजन पकाने हेतु माह सितम्बर, 04 से श्रीमती पारवती पत्नी श्री तिलक चन्द्र व श्रीमती सुनीता पत्नी श्री बलदेव को महिला श्रमिक के रूप में रखा गया था ? यदि हां, तो क्या इन महिला श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी/अपेक्षित खाद्यान्न आंशिक मजदूरी के रूप में दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां। श्रीमती पारवती पत्नी श्री तिलक चन्द्र एवं श्रीमती सुनीता पत्नी श्री बलदेव का ग्राम पंचायत लोनहा ने अपने प्रस्ताव संख्या-4 दिनांक 24-11-2004 द्वारा माह अक्टूबर, 2004 से भोजन पकाने का कार्य करने के लिए अनुमोदित किया था।

जी हां। महिला श्रमिकों को ग्राम पंचायत लोनहा द्वारा कनवर्जन कास्ट मद से माह अक्टूबर, 2004 से माह सितम्बर, 2005 तक का भुगतान किया गया है।

वर्तमान में भुगतान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत लोनहा ने अपने प्रस्ताव संख्या-1, दिनांक 28-09-05 द्वारा श्रीमती पारवती पत्नी श्री तिलक चन्द्र एवं श्रीमती सुनीता पत्नी श्री बलदेव को संतोषजनक कार्य न होने के कारण हटा दिया है।

जनपद सुल्तानपुर के थाना जामों में अपराध सं0 12-ए/05 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

158--श्री जंग बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में थाना जामों में अंकित मुकदमा अपराध सं0 12-ए/05, दिनांक 10-01-2005 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

जी नहीं।

विवेचना से साक्ष्य संकलन न होने के कारण अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

प्रकरण में साक्ष्य संकलन पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार गिरफ्तारी की जायेगी।

जनपद वाराणसी नगर की रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

159--डा0 सुशील चौधरी--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी नगर की रिंग रोड का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

नगर निगम, वाराणसी द्वारा वाराणसी नगर की रिंग रोड का निर्माण कराये जाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

घनी आबादी, रेलवे लाइन तथा वरुणा नदी पर पुल के अभाव में बनवाया जाना संभव नहीं है।

160--श्री राम नरेश यादव--

[दिनांक 2 फरवरी, 2006 को अता0प्र0 सं0-67 द्वारा उत्तरित]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर में गतवर्ष समग्र ग्राम में चयनित ग्रामों को संतृप्त करने की योजना

161--श्री राम नरेश यादव--

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-2006 के लिये विधान सभा क्षेत्र फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में कितने ग्राम समग्र ग्राम में चयनित किये गये हैं तथा उनके नाम क्या हैं ? क्या उक्त ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद--

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2005-06 में 10 ग्राम--पीठापुर, बनहर, पूराधन्नी, दशनचक, मोलानीपुर, लग्गूपुर, मैगना, खैरूद्दीनपुर, बक्सपुर एवं सजई चयनित किये गये हैं।

जी नहीं।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

उ0प्र0 पी0सी0एफ0 द्वारा गतवर्ष खोले गये धान क्रय केन्द्रों की संख्या एवं जनपद बलिया के सिकन्दरपुर तहसील में खोले गये केन्द्रों की जानकारी

162--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में वर्ष 2005 में कितने जिलों में धान क्रय केन्द्र पी0सीएफ0 द्वारा खोले गये हैं ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बलिया जनपद के सिकन्दरपुर तहसील के कोआपरेटिव संघ, साधन सहकारी समिति नवानगर, साधन सहकारी

समिति हथौज एवं मनियर संघ, बड़ागांव संघ पर क्या धान क्रय केन्द्र वर्ष 2005 में पी0सी0एफ0 द्वारा खोले जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

वर्ष 2005 में पी0सी0एफ0 द्वारा उत्तर प्रदेश के 65 जनपदों में धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं ?

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिकन्दरपुर तहसील में खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 की विपणन शाखा द्वारा वर्ष 2005 में धान क्रय केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

जनपद मेरठ की दौराला शुगर मिल एवं कैमिकल्स डिस्टलरी से निकलते कचरे, धुएं व पानी से जनस्वास्थ्य को हो रही कथित हानि

163--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ में दौराला कस्बा के अंतर्गत दौराला शुगर मिल, दौराला कैमिकल्स, दौराला डिस्टलरी से निकलने वाले कचरे व धुएं के कारण दौराला क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य दिनों-दिन गिरता जा रहा है और लोग प्रदूषित पानी पीने के लिये मजबूर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय जनता के जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा व शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने व पूरे क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उज्जवल रमण सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दौराला शुगर मिल, दौराला कैमिकल्स, दौराला डिस्टलरी में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है तथा उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन बोर्ड मानक के अनुरूप हैं।

प्रदेश के अनेकों जनपदों में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पुलिस विभाग के कर्मियों के स्थानान्तरण की मांग

164--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ व वाराणसी तथा अम्बेडकर नगर में कार्यरत पुलिस विभाग के सहायक निरीक्षकों, उप सहायक निरीक्षकों, हवलदारों व कांस्टेबिल जो गत 5 वर्ष से अधिक समय से एक ही जनपद के थाना सर्किल में कार्यरत हैं, को सरकार अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पुलिस विभाग में सहायक निरीक्षक एवं उप सहायक निरीक्षक के पद नहीं हैं। नागरिक पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबिल एवं कांस्टेबिल के पदों पर जनपद आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर तथा अम्बेडकर नगर में 5 वर्ष से अधिक समय से एक ही थाना सर्किल में कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं है। जनपद वाराणसी में एक ही थाना पर 11 पुलिस कर्मी 5 वर्ष से अधिक समय से नियुक्त हैं, जिन्हें स्थानान्तरित किया जा रहा है।

शीघ्रतिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

165--डा0 सुशील चौधरी--

[दिनांक 02-02-2006 के अता0प्र0 सं0-105 द्वारा उत्तरित]

नियोजन विभाग के अर्थ एवं संख्या प्रभाग में कार्यरत अधिकारियों का स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत स्थानान्तरण की मांग

166--श्री मस्त राम--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियोजन विभाग के अंतर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग में कार्यरत ऐसे कितने अधिकारी हैं जो मुख्यालय पर 6 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार मुख्यालय पर छह वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन की स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मुख्यालय पर 4 उप निदेशक एवं 4 अर्थ एवं संख्याधिकारी 6 वर्ष अधिक समय से कार्यरत हैं।

जी हां।

आगामी स्थानान्तरण सत्र, 2006 में।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में करवा चौथ के पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग

167--श्रीमती गुलाब देवी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में करवा चौथ के पर्व पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

सार्वजनिक अवकाशों की वर्तमान में पर्याप्त संख्या के दृष्टिगत और अधिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना संभव नहीं है।

168--श्री प्रदीप जैन आदित्य--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ हजरतगंज स्थित कसमण्डा हाउस में निर्मित कतिपय फ्लैट्स के एक से अधिक दावेदार के प्रकरण की जांच

169--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के हजरतगंज स्थित कसमण्डा हाउस में निर्मित आवासीय फ्लैट्स में से कतिपय फ्लैट्स के एक से अधिक दावेदार होने तथा उनकी बिक्री में धांधली की शिकायतें शासन को वर्ष 2004-05 में प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई गयी थी ? यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जालौन के परगना कालपी के ग्राम छौंक के निवासी रमेश की मृत्यु पश्चात् आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

170--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रमेश निवासी ग्राम छौंक, परगना कालपी, जनपद जालौन की लाश संदिग्ध स्थिति में रेलवे लाइन पर दिनांक 11-9-2005 को पायी गयी थी ? क्या इस संबंध में मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-248114, दिनांक 4-11-05 जो आर्थिक सहायता विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

मृतक की पत्नी श्रीमती गौरा देवी को रु0 25,000/- (रुपया पच्चीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जालौन के परगना कालपी के ग्राम देवकली की श्रीमती डबली राठौर के कैंसर इलाज हेतु आर्थिक सहायता

171--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती डबली राठौर पत्नी मुलू निवासी ग्राम देवकली, परगना कालपी, जनपद जालौन जोकि कैंसर से पीड़ित हैं, को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में क्या मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-9-05 तथा 4-11-05 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उन्हें इलाज के लिये सहायता राशि प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सहायता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

रोगी के उपचार हेतु रु0 50,000/- (रुपया पचास हजार की) धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

जनपद जालौन के परगना कालपी के रंजीत पुत्र राम प्रकाश निवासी हीरापुर की मृत्योपरान्त उसकी पत्नी को आर्थिक सहायता

172--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रंजीत पुत्र राम प्रकाश निवासी हीरापुर, परगना कालपी, जनपद जालौन की मृत्यु कटिया मशीन के पट्टे में उलझ कर 19-11-04 को हो गयी थी ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 248300, दिनांक 4-11-05 मृतक की पत्नी संगीता के प्रार्थना-पत्र सहित आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी पत्नी को कोई आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

मृतक की पत्नी को रु0 25,000/- (रुपया पच्चीस हजार मात्र) की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मेरठ में गायों पर तेजाब डालने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका लगाने की कार्यवाही

173--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-7-05 को मेरठ में गायों पर तेजाब डालने की घटना के संबंध में श्री अकरम व श्री आलम नामक व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था तथा उन पर जिला प्रशासन द्वारा रासुका में निरुद्ध करने की संस्तुति की गई थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें रासुका में निरुद्ध करने की अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

(क) जी हां।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ की आख्या के अनुसार पुलिस द्वारा संभित अभियुक्त अकरम व आजम को दिनांक 22-7-2005 को गिरफ्तार किया गया था, न कि अकरम व आलम को घटना से संबंधित मुख्य अभियुक्त अकरम के विरुद्ध दिनांक 29-7-2005 को रासुका की कार्यवाही करके दि0 09-8-05 को उन्हें तामील करा दिया गया था। एडवाइजरी बोर्ड की संस्तुति के आधार पर रासुका कन्फर्म कर दिया गया था।

(ख) अभियुक्त के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही पूर्ण कर तामील कराया जा चुका है तथा एडवाइजरी बोर्ड द्वारा रासुका कन्फर्म कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 ग्रामीण सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 लखनऊ द्वारा फील्ड आफीसर/सहायक फील्ड आफीसर के पदों पर नियुक्ति में आरक्षित पदों पर नियुक्ति की जानकारी

174--श्री इन्द्र देव सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विकास बैंक में फील्ड आफीसर/सहायक फील्ड आफीसर के पदों पर दिनांक 1-1-2005 से दिनांक 7-10-2005 तक संस्थागत सेवा मंडल द्वारा परीक्षाएं ली गयी थीं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त पदों पर विज्ञप्ति के अनुरूप नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के पदों पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा नन्द अंचल--

ग्रामीण विकास बैंक में नहीं अपितु उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ द्वारा प्रेषित अधियाचन के आधार पर विज्ञापन संख्या-सी-11/2005, दिनांक 3-2-2005 एवं सी-13/2005, दिनांक 3-2-2005 के माध्यम से फील्ड आफीसर के 28 एवं सहायक फील्ड आफीसर के 93 पदों पर भर्ती की कार्यवाही मंडल द्वारा आलोच्य अवधि में की गयी।

जी हां।

उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3 (6) के साथ पठित शासनादेश संख्या-1/1/94-कार्मिक-1/1994, दिनांक 25 मार्च, 1994 के पैरा 4 में प्राविधान है--

"यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य व्यक्तियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा. अर्थात् उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।"

संदर्भित चयन में आरक्षण संबंधी उपर्युक्त प्राविधानों का पालन किया गया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों पर पिछड़े वर्ग के किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है।

जनपद बांदा शहर में सीवर व नाली का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

175--श्री बाबूलाल कुशवाहा--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बांदा शहर में सीवर व नाली का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त सीवर तथा नाली का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

बांदा शहर में सीवर निर्माण का कार्य अधूरा है। नगर पालिका परिषद्, बांदा में नाली निर्माण की कोई योजना अधूरी नहीं है।

सीवर निर्माण के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

विधायक राजू पाल की हत्या की जांच पर कार्यवाही की जानकारी

176--श्री बृजेन्द्र व्यास उर्फ डमडम महाराज--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक राजूपाल की हत्या की जांच के संबंध में सरकार द्वारा अब तक कराई गई जांच के क्या परिणाम रहे तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

स्व0 राजू पाल विधायक की हत्या के संबंध में थाना-धूमनगंज पर मु0अ0सं0-34/2005 धारा-147/148/149/307/302/120बी भा0द0वि0 व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट का अभियोग अभियुक्त अशरफ उर्फ अब्दुल खालिद अजीम व अतीक अहमद (सपा सांसद) तथा 7-8 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना से घटना में रंजीत पाल, फरहान, आबिद, इसरार, आशिफ, एजाज, जावेद, अकबर व गुलफुल प्रकाश में आये। उपरोक्त अभियुक्तों में से अभियुक्त असरफ दिनांक 27-1-05 अभियुक्त रंजीत पाल दिनांक 30-1-05 व अभियुक्त

फरहान दिनांक 31-1-05 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से एक डी0बी0बी0एल0 गन व 5 कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त इसरार को दिनांक 07-2-05 को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त टाटा सूमो एवं एक थर्टी स्प्रिंग रायफल मेड इन जर्मनी, 8 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त आसिफ, एजाज एवं अकबर को दि0 21-2-05 को गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त मारूती कार व एक सी एम पी तथा 5 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त गुलफुल दि0 21-2-05 को गिरफ्तार, अभियुक्त अतीक अहमद दिनांक 05-2-05, अभियुक्त आबिद, दि0 14-2-05 व अभियुक्त जावेद दिनांक 14-2-05 को हाजिर अदालत होकर जेल गये। विवेचना से सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में विसात घाट पर पैदल पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

177--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2004-05 में जनपद शाहजहांपुर में विसात घाट पर पर्यटन विभाग द्वारा बनाये जाने वाले पैदल पुल के लिये अवशेष ग्यारह लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण अभी तक प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ? पुल का निर्माण कब तक प्रारम्भ होकर पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री कौकब हमीद--

जी हां। जनपद शाहजहांपुर में जिला योजना वर्ष 2004-05 अनुश्रवण समिति द्वारा उक्त कार्य हेतु रुपया ११.00 लाख पुल के साइड डेवलपमेंट कार्य हेतु अनुमोदित किया गया है।

उक्त पुल के साइड डेवलपमेंट के कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम कार्यदायी संस्था के स्थान पर कार्यदायी संस्था जिला पंचायत शाहजहांपुर के निर्धारण के फलस्वरूप अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। नवनियुक्त कार्यदायी संस्था द्वारा शीघ्र कार्य शुरू कर पूर्ण कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ में नौचन्दी मेले की व्यवस्थाओं में सुधार संबंधी जानकारी

178--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ में क्या सरकार नौचन्दी मेले की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिये नौचन्दी मेला प्राधिकरण के नाम पर एक स्थायी समिति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन के अधिसूचना संख्या-1357/9-7-01-131 रिट/98 टी0 सी0, दिनांक 31-03-01 द्वारा नौचन्दी मेले के विनियमन, आयोजन और प्रबंधन के लिये निर्धारित उप विधि के क्रमांक-4 के अनुसार नगर प्रमुख नगर निगम, मेरठ और अध्यक्ष, जिला पंचायत, मेरठ आनुकल्पिक वर्ष में बारी-बारी से समिति के अध्यक्ष होने का प्राविधान है। तद्नुसार मेला प्रबंधन किया जा रहा है। नगर निगम, मेरठ में मेला प्राधिकरण संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लखनऊ के हजरतगंज स्थित कसमण्डा हाउस के आवासीय भवनों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार न कराये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

179--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हजरतगंज, लखनऊ स्थित कसमण्डा हाउस के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु मानचित्र कब स्वीकृत किया गया था तथा क्या स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप भवनों का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो इस संबंध में शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कसमण्डा हाउस का समूह आवासीय मानचित्र परमिट संख्या-3611, दिनांक 01-12-95 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था। निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप भवनों का निर्माण नहीं कराया गया है।

स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप भवनों का निर्माण न कराये जाने के कारण उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के सुसंगत प्रविधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु बैराज बनाये जाने की मांग

180--श्री अमर सिंह परमार--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा में पेयजल की समस्या को देखते हुए आगरा में बैराज बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त बैराज का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान में गोकुल बैराज से आवश्यकतानुसार पेयजल आपूर्ति हो रही है साथ ही गोकुल बैराज की पूर्ण क्षमता पर क्रियाशील किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अपर गंगा कैनाल के पालरा फसल से गंगा जल लाने की योजना भी भारत सरकार के विचाराधीन है।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ में पेयजल योजनान्तर्गत पानी की टंकियों का निर्माण

181--श्री अमर सिंह परमार--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र जनपद आगरा के लिये पेयजल योजना के तहत टंकियों के निर्माण कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त टंकियों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के 03 विकास खण्डों के अन्तर्गत 06 पेयजल योजनायें त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन हैं।

योजनाओं की टंकियों की निविदायें स्वीकृत हो चुकी हैं तथा शीघ्र ही टंकियों का निर्माण प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के थाना फरीदपुर में गत वर्ष में हुई हत्याओं के अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही

182--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र में माह सितम्बर, 2005 में कुल कितनी हत्यायें हुयीं तथा कितने मामलों में मुल्जिमों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ? क्या अपराध सं0 620/05 धारा 304 बी/201, थाना फरीदपुर की घटना में अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत अवधि में थाना फरीदपुर क्षेत्र जनपद बरेली में एक हत्या हुई जिसमें संलिप्त पाये गये चार अभियुक्तों को दिनांक 28-9-05 को गिरफ्तार करके चारों के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या 228, दिनांक 30-9-05 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्नगत अपराध संख्या 620/05 भा0द0वि0 की धारा 304बी/201 के अन्तर्गत नहीं बल्कि धारा 354 के अन्तर्गत लड़की के साथ छेड़छाड़ के अभियोग में पंजीकृत है। विवेचना के मध्य अभियुक्त को दिनांक 28-9-05 को जेल भेजा गया तथा आरोप-पत्र संख्या 249, दिनांक 2-10-05 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना पुवायां क्षेत्र में गत वर्ष हुई चोरी व डकैतियों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के जारी प्रयास

183--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के थाना पुवायां क्षेत्र में माह सितम्बर, 2005 में कुल कितनी चोरियों व डकैतियों की घटनायें घटित हुई ? इसमे से कितनी चोरी के मामलों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ ? क्या यह सही है कि अपराध सं0 370/05 अन्तर्गत धारा 380/457 थाना पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में एक सर्राफे की दुकान पर बड़ी चोरी की घटना अंकित की गयी थी ? क्या उसका खुलासा पुलिस द्वारा अभी तक नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत अवधि में शाहजहांपुर के थाना पुवायां क्षेत्र में एक साधारण चोरी और एक नकबजनी की घटना घटित हुई है। डकैती की कोई घटना नहीं घटित हुई। थाना पुवायां पर पंजीकृत नकबजनी के अभियोग का अनावरण नहीं हो सका है।

क्षेत्राधिकारी, पुवायां के निर्देशन में टीम का गठन कर प्रश्नगत अपराध सं0 370/05 धारा 457/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात के अनावरण के संबंध में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

[illegible] --श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]।

प्रदेश में राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत जनपद चित्रकूट को आवंटित धनराशि का विवरण

185--श्री आर0 के0 सिंह पटेल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004 तथा 2005 में कितने जिले राष्ट्रीय सम विकास योजना में विकसित किये जाने हेतु चयनित किये गये हैं ? क्या जनपद चित्रकूट को भी इस योजना में चयनित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत चित्रकूट जिले में किन-किन कार्यों हेतु कितना धन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

वर्ष 2004 में 5 जिले तथा वर्ष 2005 में 11 जिले राष्ट्रीय सम विकास योजना में विकसित किये जाने हेतु चयनित किये गये हैं।

जी हां।

उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में चित्रकूट जनपद को निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आवंटित की गयी है--

1--भूमि संरक्षण कार्य	रु0 384.290 लाख
2--लघु सिंचाई कार्य	रु0 486.160 लाख
3--सम्पर्क मार्ग	रु0 370.920 लाख
4--सिंचाई कार्य	रु0 167.780 लाख
5--सामाजिक वानिकी कार्य	रु0 90.850 लाख

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण का विवरण

186--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में योजना के आरम्भ से लेकर 30-9-05 तक कुल कितने धन से कितने किमी0 की कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया गया है ? आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें प्रस्तावित हैं ?

श्री राजपाल त्यागी--

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर दिनांक 30-9-2005 तक 27 सड़कें 38.99 किमी0 †संलग्न सूची-I के अनुसार निर्माण कराया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत फेज-5 में संलग्न सूची† II के अनुसार 10 सड़कें प्रस्तावित हैं।

† दाखिल नत्थी 'घ' आग पृष्ठ 169--170 पर।

जनपद इलाहाबाद महायोजना अन्तर्गत शहर में फ्लाई ओवर व गंगा यमुना पर पुल बनाने का विचाराधीन प्रस्ताव

187--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद महायोजना 2021 के अन्तर्गत शहर में 27 फ्लाई ओवर तथा गंगा यमुना पर 8 पुल बनाने का प्रस्ताव किया गया है ? क्या शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिये शहर के बाहर एक रिंग रोड बनाये जाने का भी प्रस्ताव है ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। नगर की प्रस्तावित महायोजना 2021 के अन्तर्गत मात्र 16 फ्लाई ओवर/अण्डर पास तथा गंगा यमुना नदी पर 4 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है।

जी हां, शहर के बाहर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार कानपुर रोड से चलकर रीवा रोड, मिर्जापुर रोड, वाराणसी रोड तथा लखनऊ रोड से मिलाये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

नगर की प्रस्तावित महायोजना 2021 अभी प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन है जिसे अंतिम रूप दिये जाने के उपरान्त संबंधित विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ को आदर्श जनपद घोषित किये जाने की स्वीकृति संबंधी जानकारी

188--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ को आदर्श जनपद घोषित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का प्रस्ताव दिनांक 17-8-05 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आदर्श जनपद बनाये जाने की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

किसी जनपद विशेष को आदर्श जनपद घोषित किये जाने की व्यवस्था नहीं है। आदर्श जनपद योजना के अधीन कतिपय कार्यों के लिये क्रिटिकल गैप पूरा करने हेतु कुछ धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ व अन्य शहरों में सिटी बस स्टाप के निर्माण एवं नाम पट्टिका लगाये जाने संबंधी जानकारी

189--श्री मदन भैया--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ व अन्य शहरों में सिटी बस स्टाप के निर्माण एवं नामकरण की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि बस स्टाप पर स्थानीय स्थान के नाम की पट्टिका लगाने के बजाय केवल विज्ञापन पट्ट लगाये गये हैं और [illegible] क्या सरकार बस स्टाप पर स्थान के नाम की सही नाम पट्टिका लगाने [illegible] हैं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

लखनऊ व अन्य शहरों में सिटी बस स्टाप के स्थल निर्धारण एवं नामकरण की नीति निर्धारण का दायित्व परिवहन विभाग का है। परिवहन विभाग द्वारा चिन्हित स्थलों पर नगर निगम द्वारा अपने क्षेत्र में विभिन्न विज्ञापन एजेन्सियों के सहयोग से बस स्टाप का निर्माण कराया जाता है। इन बस स्टापों का निर्माण विज्ञापन एजेन्सियां अपने व्यय पर करती हैं और इनके निर्माण पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति इन पर प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों से करती हैं। इन प्रदर्शित विज्ञापनों से विज्ञापन कर के रूप में नगर निगम को भी अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। बस स्टाप पर नाम पट्टिका एवं किराया सूची लगाने का दायित्व परिवहन विभाग का है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के ग्राम सभा सदकरपुर में इन्दिरा आवास के निर्माण में त्रुटिपूर्ण सूचना देने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

190--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 45 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नगत विषय में पूर्व में त्रुटिपूर्ण सूचना देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजपाल त्यागी--

जी हां।

प्रकरण में त्रुटिपूर्ण सूचना देने के संबंध में श्री मो0 नसीम, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, छपिया, गोण्डा एवं श्री एस0 पी0 सिंह, तत्कालीन परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण, गोण्डा दोषी पाये गये हैं, जिसके लिये उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान कर दी गयी है।

जनपद गोण्डा में अवैध निर्माण कराये जाने विषयक अधि0 अभियन्ता को भेजे गये पत्र पर प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना अन्तर्गत आवासों के मापदण्ड एवं उसे व्यवसायिक उपयोग में लेने की जांच

191--श्री बीजू पटनायक--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना के अन्तर्गत आवास दिये जाने के क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नगत आवासधारी न तो पूर्व में भवनहीन थे और न ही इस समय भूमिहीन हैं तथा उक्त आवास को आवंटी द्वारा कामर्शियल (व्यवसायिक) उपयोग में लाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करके आवास संबंधी आदेश निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी--

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) का क्रियान्वयन इन्दिरा आवास योजना के मार्ग निर्देशों के अनुसार कराया गया। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में गरीबी के रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की सूची में से निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक किया जाता है।

श्रीमती यशोदा देवी पत्नी श्री राम संवारे (अनुसूचित जाति), ग्राम बुकनापुर, विकास खण्ड छपिया का चयन आवास हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक में किया गया है, जो पात्रता की श्रेणी में पायी गयी। लाभार्थिनी के पास छप्पर का कच्चा मकान था तथा वर्तमान में लाभार्थिनी के पास 0.015 एकड़ भूमि है। लाभार्थिनी द्वारा जीविकोपार्जन हेतु आवास के सामने गुमटी रखकर बीड़ी, तम्बाकू, पान मसाला की दुकान अस्थायी रूप से चलायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

महाना जी, आप बैठें, प्रश्न का समय समाप्त हुआ, अब निधन के निर्देश लेने दीजिये।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, अभी एक मिनट है, माननीय नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, पूछ लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप दोनों बैठ कर बात कर लीजिये। अब समय समाप्त हुआ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बेचन राम गुप्त, श्री रामनाथ तिवारी, श्री वंश नारायण सिंह, श्रीमती सन्तोष कुमारी पाठक के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष--

अब हम निधन की सूचना ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बेचन राम गुप्त का 20 जनवरी, 1976 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री बेचन राम गुप्त का जन्म वर्ष 1900 में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल-एल0बी0 तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बेचन राम गुप्त सर्वप्रथम वर्ष 1950 में बनारस से विलीन राज्य के नाम निर्देशित सदस्य थे। इसके पश्चात् वर्ष 1952 एवं वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र ज्ञानपुर (पूर्व), जिला वाराणसी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री बेचन राम गुप्त ने स्वाधीनता संग्राम में बढ़-चढ़कर भाग लिया था। वे अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बेचन राम गुप्त के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामनाथ तिवारी का 22 जुलाई, 1981 को निधन हो गया।

श्री रामनाथ तिवारी वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र देवरिया (दक्षिण), जिला देवरिया से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री रामनाथ तिवारी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। समाज सेवा में इनकी विशेष रुचि थी।

श्री रामनाथ तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री वंश नारायण सिंह का 6 जुलाई, 1994 को निधन हो गया। वे लगभग 93 वर्ष के थे।

श्री वंश नारायण सिंह का जन्म 1 जनवरी, 1901 में हुआ था। उन्होंने इन्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री वंश नारायण सिंह वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम), जिला वाराणसी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे लोक सभा सदस्य भी रह चुके थे।

श्री वंश नारायण सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान प्रतापगढ़ एवं नैनी जेल में बन्द रहे। वे 'लंदन मिशन बनारस' (कटिंग मेमोरियल, वाराणसी) में तथा गहमर, गाजीपुर म मिडिल स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक थे। वे स्वतंत्रता पूर्व बनारस स्टेट में शिक्षा मंत्री थे। सात्विक जीवन और कृष्ण भगवान की उपासना में इनकी विशेष रुचि थी तथा 'कमरी वाले बाबा' के नाम से लोकप्रिय थे।

श्री वंश नारायण सिंह के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती सन्तोष कुमारी पाठक का 6 मार्च, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 59 वर्ष की थीं।

श्रीमती सन्तोष कुमारी पाठक का जन्म 5 अगस्त, 1947 को हुआ था। उन्होंने साहित्यरत्न की उपाधि प्राप्त की थी।

श्रीमती सन्तोष कुमारी पाठक सर्वप्रथम वर्ष 1972 के उप चुनाव एवं 1974 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र दातागंज, जिला बदायूं से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुयी थीं। तत्पश्चात् वे वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र दातागंज, जिला बदायूं से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर एवं वर्ष 1989 के सामान्य निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं।

श्रीमती सन्तोष कुमारी पाठक वर्ष 1977-78 में कांग्रेस पार्टी के आन्दोलन के दौरान श्रीमती इन्दिरा जी के साथ सपरिवार जेल में रही थीं। उन्हें धारा 144 तोड़ने पर 1978 में जिला कारागार, बदायूं में एक माह का कठोर कारावास तथा 100 रुपये जुर्माने की सजा भी हुयी थी। वे वर्ष 1980-82 में विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति तथा 1982--85 में प्राक्कलन समिति की सदस्य भी थीं। श्रीमती पाठक वर्ष 1985 से गंगादीन इण्टर कालेज, गुरा बरैला (बदायूं) की उपाध्यक्ष थीं। महिला कल्याण एवं शिक्षा प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी तथा टी0वी0 सीरियल एवं चलचित्र देखना उन्हें बेहद प्रिय था।

श्रीमती सन्तोष कुमारी पाठक के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

सदन की संवेदना दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवार तक भिजवा दी जायेगी।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने पर आपत्ति

*श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, अभी आपने निधन के निर्देश को पढ़ा। यह कितना हास्यास्पद है कि वर्ष 1976 में या 1981 में जिस माननीय सदस्य का देहान्त हुआ हो उसको आज हम शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मान्यवर, इसको गम्भीरता से लेते हुये इस पर अवश्य कुछ निर्देश दें जिससे आगे से ऐसा न हो।

श्री अध्यक्ष--

श्री लालजी वर्मा जी, इस पर गम्भीरता से निर्देश दिये जाते हैं। अभी 1965 में जिन माननीय सदस्यों का देहावसान हुआ उसके लिये हमने यहां शोकोद्गार व्यक्त किये। दिक्कत यह है कि उन अधिकारियों को खोजने में अभी दिक्कत है। वह रिटायर हो गये होंगे। इसमें मैं जांच करा रहा हूं। मैं ढूढ़-ढूंढ़ कर निकाल रहा हूं और निधन के निर्देश के माध्यम से उनको शोक संवेदनायें प्रकट की जा रही है। मैं गम्भीरता से इसे दिखवा लूंगा और भविष्य में यह किया गया है कि अगर कोई जिलाधिकारी सूचना नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, इस प्रदेश के भूतपूर्व गृह मंत्री श्री गोपीनाथ दीक्षित का भी निधन हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

हां, मुझे मालूम है और आज उनके दाह संस्कार में मैं सम्मिलित होना चाहता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

आज दिनांक 20 मार्च, 2006 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी। इसमें पहली सूचना श्री राम नरेश यादव जी की आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत समस्त तालों से पानी की निकासी एवं नालों की सफाई/खुदाई कराने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार जी की राजकीय नेशनल होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ एवं अन्य स्थानों पर कार्यरत अतिथि प्रवक्तागण के स्थायी समायोजन के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री रिजवान अहमद खां की मुरादाबाद के कॉठ क्षेत्रान्तर्गत रपटे के दोनों ओर सड़क निर्माण/मरम्मत कराने के संबंध में है। यह माननीय सदस्य उपस्थित थे। (चौथी सूचना पर श्रीमती माया प्रसाद जी का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थीं)। पांचवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम जी की बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर की सैकड़ों हेक्टेयर जलमग्न भूमि की जल निकासी व्यवस्था कराने एवं अतिक्रमण रोकने के संबंध में है। छठीं सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा जी की जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 14 मार्च, 2006

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को भयंकर आंधी तूफान में नष्ट हुई किसानों की फसल का मुआवजा देने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री लल्लू सिंह जी की फैजाबाद नगर के देवकाली एवं वजीरगंज क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय जी की सुल्तानपुर में ट्रांसपोर्ट नगर के लिये आरक्षित की गयी जमीन पर दुकानों का निर्माण एवं अन्य शेष कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में है। नौवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी की प्रदेश के अन्य पड़ोसी राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स की दरें समान रूप से लागू किये जाने के संबंध में है। (सदस्य ने सूचना पढ़ी) यह सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे। (दसवीं सूचना पर श्री पूर्णमासी देहाती का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अनुपस्थित थे।) ग्यारहवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी की गोरखपुर निवासी सुनील सहानी की पुलिस अभिरक्षा मे हुई मृत्यु की जांच कराने एवं मृतक परिवार को मुआवजा देने के संबंध में है (सदस्य ने सूचना पढ़ी)। डा0 साहब यह चूंकि महत्वपूर्ण घटना थी इसलिये इसे ले लिया गया, 301 की नोटिस प्रश्नात्मक नहीं लिखी जाती है, विवरणात्मक लिखी जाती है, मैंने इसे इसलिये ले लिया चूंकि यह महत्वपूर्ण घटना थी, यह विवरणात्मक होना चाहिये, प्रश्नात्मक नहीं।

बारहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में पौसरा रजबहा के टेल के हिस्से को महरीपुर कैनाल से जोड़ने के संबंध में है।

तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के विसरात घाट पर पैदल पुल के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

चौदहवीं सूचना चौ0 महेन्द्र सिंह की है।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में अनुपस्थित रहे)

पन्द्रहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराने के संबंध में है।

अगली सूचना प्रतीक्षा सूची से श्री रंगनाथ मिश्र की वाराणसी जनपद की जी0टी0 रोड कछवा से बाबतपुर एयरपोर्ट की अति महत्वपूर्ण ध्वस्त सड़क के निर्माण के संबंध में है।

चूंकि श्रीमती माया प्रसाद, श्री पूर्णमासी देहाती और चौ0 महेन्द्र सिंह (तीन सदस्य) अनुपस्थित हैं इसलिये इनके स्थान पर श्री रंगनाथ मिश्र, श्री सदल प्रसाद और डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की सूचना स्वीकार की जाती है। (श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल एवं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपनी सूचना पढ़ी शेष स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं)।

आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत समस्त तालों से पानी की निकासी एवं नालों की सफाई/खुदाई कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नरेश यादव--

[जनपद आजमगढ़ में फूलपुर विधान सभा क्षेत्र में कई ताल कोयला ताल, भदैला ताल, मझौरा ताल तथा अन्य कई ताल पड़ते हैं जिनसे नाले निकलते हैं। बरसात के दिनों में पानी फैलने से किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा कभी-कभी कोई फसल बोई भी नहीं जा सकती है। पानी की निकासी के लिये नाले भी पट गये हैं जिससे और भी क्षति उठानी पड़ती है। बार-बार लिखा-पढ़ी करने के बाद भी पानी की निकासी के लिये समुचित व्यवस्था की जाये एवं क्षेत्र के सभी पटे हुये नालों की सफाई कर दी जाये किन्तु सरकार/प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस समय विशेष ध्यान देकर खुदाई/सफाई करके पानी की निकासी के लिये व्यवस्था किया जाना आवश्यक है क्योंकि गर्मी आ गयी है, पानी भी नालों में नहीं है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के समस्त तालों से पानी निकालने की व्यवस्था, नालों की सफाई/खुदाई करके जल्दी से जल्दी बरसात आने के पूर्व करा दें।]

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ एवं अन्य स्थानों पर कार्यरत अतिथि प्रवक्तागण के स्थायी समायोजन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रागी लाल अहिरवार--

[आपको अवगत कराना है कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में विगत 10 वर्षों से अध्ययनरत छात्रों की चिकित्सा शिक्षा, शिक्षकों की कमी के कारण सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है। शिक्षकों की कमी को शासन द्वारा पूरा किये जाने हेतु लोक सेवा आयोग में जो भी अधियाचनायें भेजी गयी हैं उसमें अर्हता के अभाव में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। इसी कमी को देखते हुये वर्ष 1998 से शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में अतिथि प्रवक्ताओं को रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जा रहा है और इनको रु0 150 प्रति लेक्चर तथा अधिकतम रु0 3000/- प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है जो कि एक सम्मानित मानदेय नहीं है। यह भी उल्लेख करना है कि वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत सभी अतिथि प्रवक्तागण अनुभवधारी हो चुके हैं और इनके पास लगभग सात वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है। इसके अतिरिक्त, डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी0एच0एम0एस0 परीक्षा के लिये, अतिथि प्रवक्ताओं को परीक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान करना, इनकी कार्यकुशलता का परिचायक है। डा0 दीपक पारीख की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गयी है, जिससे इन अतिथि प्रवक्ताओं के समायोजन पर शीघ्र निर्णय लेना है।

अत: प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह उपयुक्त होगा कि राजकीय नेशनल होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ में तथा अन्य स्थानों पर जो भी अतिथि प्रवक्तागण कार्य कर रहे हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक अनुभव को देखते हुये स्थायी समायोजन पर शासन विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुरादाबाद के कॉठ क्षेत्रान्तर्गत रपटे के दोनों ओर सड़क निर्माण/मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रिजवान अहमद खां--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र 8 कॉठ जो जे0पी0एन0/मुरादाबाद कहलाती है और इसके अन्तर्गत नदियां अधिक हैं। जिससे जनता को काफी असुविधा होती है। असुविधा को देखते हुये विधायक निधि द्वारा चार रपटे का निर्माण कराया गया है। जिसमें एक रपटा जो अत्यन्त जनहित में है। दोनों जनपदों के बीच कसुला गांगन नदी का है। ग्राम खुशहालपुर ब्लाक छजलैट और नन्हेडा अल्यारपुर ब्लाक अमरोहा के बीच है। निर्माण कराने से अत्यन्त जनता को राहत मिली थी। परन्तु रपटे के दोनों ओर एक-एक किमी0 सड़क अत्यन्त खराब होने के कारण नन्हेडाअल्यारपुर की साइड से बरसात में हर बार पानी के बहाओं से हर बरसात में सड़क टूट जाने से जनता का रास्ता बन्द होने से असुविधा हो जाती है। जो अत्यन्त शार्टकट और कृषक व जनहित में है। रपटे के दोनों ओर मजबूती प्रदान करते हुये एक-एक किमी0 सड़क की मरम्मत के आधार तत्काल निर्माण एवं मरम्मत होना जनहित में लाभदायक है। सड़क का निर्माण न होने से जनता में काफी दुःख व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुय उक्त रपटा के दोनों तरफ सड़क की मरम्मत एवं निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका परिषद्, शिकारपुर की सैकड़ों हेक्टेयर जलमग्न भूमि की जल निकासी व्यवस्था कराने एवं अतिक्रमण रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुंशी लाल गौतम--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका परिषद् तथा ग्राम पंचायत देहात शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में लगभग सैकड़ों हेक्टेयर जमीन जलमग्न रहती है जिसे रानी हौज के नाम से जाना जाता है, सारा गन्दा कूड़ा-करकट मलवा इकट्ठा होकर उस बीहड़ पोखर में जाता है इसके कारण किसी भी समय कोई भयंकर बीमारी फैलने के कारण महामारी हो सकती है, शिकारपुर नगरपालिका परिषद् अपने में एक ऐतिहासिक स्थान है जो चौधरी साहब के नाम से जाना जाता है तथा राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत आता है लेकिन इस प्रकार की लगे गन्दगी के अम्बार से सैकड़ों हेक्टेयर भूमि का जलमग्न रहना एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है, एक तरफ तो व्यक्ति कब्रिस्तानों तथा मरघटों में बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि न होने पर अपने आवास बनाकर रात्रि गुजारा कर रहा है तथा एक तरफ काफी कीमती भूमि बेकार पड़ी हुयी है जिससे आर्थिक क्षति के साथ-साथ किसी भी समय अप्रिय घटना घटित हो सकती है। शिकारपुर मेरठ बदायूं मार्ग के अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु केन्द्र नरौरा के बीच स्थित है। यहां पर सैकड़ों लोग पर्यटक स्थल होने के कारण आवागमन रखते हैं।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगर पालिका परिषद् शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर के लगभग सैकड़ों हेक्टेयर भूमि को जलमग्न तथा महामारी से बचाने के लिये जल निकासी की व्यवस्था करके एक पार्क के रूप में अथवा खेलकूद मैदान के लिये स्टेडियम सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यवस्था करायी जाय तथा हो रहे उस पर अतिक्रमण को तुरन्त रोका जाय।]

अत: अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से रानी हौज शिकारपुर की जल निकासी करके पार्क निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 14 मार्च, 2006 को भयंकर आंधी तूफान से नष्ट हुयी किसानों की फसल का मुआवजा देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

[दिनांक 14 मार्च, 2006 की रात्रि लगभग 8 बजे प्रकृति ने आंधी-तूफान-पानी के साथ जनपद जालौन के किसानों पर अपना कहर बरसाया। इस तूफान में किसानों की कटी फसल उड़ गयी तथा खड़ी फसल बिछ गयी एवं खेतों में पानी भर गया। कालपी क्षेत्र के किसानों की फसल सड़ गयी। पहले सूखा फिर पाला और अब तूफान से किसानों को अत्यधिक नुकसान हुआ है व किसानों के सामने परिवार की अगले साल की रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। राजस्व वसूली से किसान पहले से ही परेशान था। शासन द्वारा अब तक प्रभावित किसानों की न तो स्थलीय सर्वेक्षण किया गया है और न ही सरकार की ओर से किसी किस्म की राहत की घोषणा की गयी है। किसी प्रकार की सहायता न मिलने से किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये शासन से अविलम्ब सहायता किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

फैजाबाद नगर के देवकली एवं वजीरगंज क्षेत्र मे पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह--

[जनपद फैजाबाद नगर के देवकाली एवं वजीरगंज क्षेत्र में पानी की निकासी हेतु न तो नाली है और न ही नाला है। पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर पानी भरा रहता है जिसके कारण सड़कें टूट गयी हैं। जगह-जगह जल भराव होने के कारण आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गन्दा पानी जमा होने से कभी भी भयंकर बीमारी फैल सकती है। इसलिये इस क्षेत्र में पानी की निकासी हेतु सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुल्तानपुर में ट्रान्सपोर्ट नगर के लिये आरक्षित की गयी जमीन पर दुकानों का निर्माण एवं अन्य शेष कार्यों को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

[मेरे विधान सभा क्षेत्र 109-सुल्तानपुर में नगर में बढ़ते हुये यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुये काफी समय पूर्व ही एक ट्रान्सपोर्ट नगर बनाये जाने हेतु करीब 10 एकड़ जमीन लखनऊ -वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग पर पयागीपुर चौराहा के पास ली गयी थी। स्थल की बाउण्ड्री काफी समय पूर्व खींची गयी तथा ट्रान्सपोर्ट नगर का बोर्ड भी लगाया गया है। परन्तु अभी तक अन्दर दुकानों का निर्माण नहीं कराया गया है और नहीं व्यवसाइयों को बसाने की कार्यवाही ही प्रारम्भ की गयी है। जिससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये ट्रान्सपोर्ट नगर के लिये आरक्षित की गयी जमीन पर शीघ्र ही दुकानों का निर्माण तथा अन्य बचे शेष कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश के अन्य पड़ोसी राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स की दरें समान रूप से लागू किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य दिल्ली में वर्ष 2006-07 के बजट में वैट (सेल्स टैक्स) की दरों में कमी कर दी गयी है जिसके कारण उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है। पश्चिम क्षेत्र का सारा व्यापार दिल्ली स्थानान्तरण हो जायेगा। व्यापारी के सामने रोजी-रोटी एवं सरकार के सामने राजस्व का संकट खड़ा होगा।

उदाहरण के तौर पर दिल्ली राज्य में आम जनता के काम में आने वाली कुकिंग गैस उ0 प्र0 के मुकाबले 15 रु0 प्रति सिलेण्डर कम हो जायेगी। पेट्रोल एवं डीजल की दरों में पहले से ही 3 रुपये से 4 रुपये तक का अंतर चल रहा है। इस तरह देशी घी एवं मिल्क पाउडर पर दिल्ली में सेल्स टैक्स 4 प्रतिशत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में यह टैक्स 8 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत विकास कर है, जबकि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ एवं पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्यों में देशी घी व मिल्क पाउडर पर टैक्स 4 प्रतिशत है। इसी तरीके से दिल्ली राज्य में इलेक्ट्रानिक आइटम पर टैक्स की दरें उत्तर प्रदेश से कम कर दी गयी हैं।

इस टैक्स के अन्तर होने से पश्चिम उत्तर प्रदेश का व्यापारी दिल्ली में कार्यालय एवं गोदाम बनाकर अपना माल दिल्ली ट्रांसफर कर दिल्ली से ही बिक्री कर रहे हैं जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। प्रदेश का राजस्व अन्य प्रदेशों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश के टैक्स भी पड़ोसी राज्यों के बराबर होने चाहिये।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर निवासी सुनील साहनी की पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की जांच कराने एवं मृतक परिवार को मुआवजा देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, गोरखपुर महानगर में शाहपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत विष्णुपुरम मोहल्ले के 26 वर्षीय नवयुवक टैम्पो चालक सुनील साहनी को शाहपुर की पुलिस एक टेम्पो चोरी के मामले में इन्वेस्टीगेट करने के लिये थाने में ले गयी और 5/6 दिनों बाद उसकी लाश पिपराइच थाने के एक जंगल से बरामद हुयी। स्व0 सुनील साहनी का बूढ़ा पिता ठेला चलाता है और पूरे परिवार की रोजी-रोटी सुनील साहनी के सहारे चलती थी।

सुनील साहनी की मौत से बहुत सारे प्रश्न सामने आये हैं और प्रशासन ने अभी तक किसी का समुचित जवाब नहीं दिया है। पुलिस मैनुअल में पूछताछ के लिये थाने पर बुलाये गये नागरिकों के सन्दर्भ में कोई निश्चित कार्य प्रणाली तय की होगी। किसी को कितने दिनों तक थाने पर पूछताछ के लिये रखा जा सकता है ? उसके ऊपर कितना दबाव बनाया जा सकता है ? तथा साधारण चोरी के लिये किसी सामान्य नागरिक का, जिसके ऊपर पहले के कोई मुकदमें न हों, किस डिग्री तक टार्चर किया जा सकता है ? यदि पूछताछ के दौरान मौत हो जाये तो किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी तथा किस धारा में मुकदमें दर्ज होंगे ? मौत के बाद यदि कुछ पुलिसकर्मी लाश को जंगल में फेंकने तथा मौत के सबूत मिटाने का काम करें तो क्या यह सिर्फ सबूतों को छिपाने या हत्या में सहयोग का मामला माना जायेगा ? दंगों तथा आतंकवादी घटनाओं में मरने वालों को कम से कम 5 लाख मुआवजा देने वाली सरकार, ऐसी प्रशासनिक हत्याओं के शिकार निरीह नागरिक को कितना मुआवजा देगी ? और क्या शासन की ओर से यह भी प्रयास किया जायेगा कि मृतक के परिवार के किसी सदस्य को उसकी योग्यता के अनुरूप सरकारी नौकरी दी जाय ?

यह पुलिस अभिरक्षा में एक नौजवान नागरिक की मौत की असहनीय घटना है। कृपया इसे सदन में विधान सभा की कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के तहत उठाने की अनुज्ञा प्रदान करें।

जनपद अम्बेडकर नगर में पौसरा रजबहा के टेल के हिस्से को महरीपुर कैनाल से जोड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी वर्मा--

[जनपद अम्बेडकर नगर में पौसरा रजबहा एक महत्वपूर्ण रजबहा है, उक्त रजबहा के टेल पर पानी न पहुंचने से किसानों की फसलों की सिंचाई सम्भव नहीं हो पाती है जिसके कारण ग्राम मुकुन्दपुर, ग्राम नन्दापुर, ग्राम साहीपुर, ग्राम बिहरई, ग्राम दरवेक्षपुर की हजारों एकड़ की फसल सिंचाई न होने से नष्ट हो जाती है जनहित में उक्त पौसरा रजबहा को महरीपुर (टाण्डा) कैनाल से जोड़ देने से सिंचाई की समस्या दूर हो सकती है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये पौसरा रजबहा के टेल के हिस्से को महरीपुर कैनाल से जोड़ने की मांग करता हूं।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शाहजहांपुर के विरासत घाट पर पैदल पुल के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना--

[शाहजहांपुर जनपद में पर्यटन विभाग से जिला योजना के अन्तर्गत विसरात घाट पर एक पैदल पुल स्वीकृत हुआ था जिसका 15 लाख रुपया भी स्वीकृत हुआ था, कुल स्टीमेट 26 लाख का था जिसमें से 11 लाख रुपया नगर विधायक निधि से दिया गया है, यह पुल राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाया जा रहा है, पुल का कार्य अत्यन्त ढीला/धीमी गति से चल रहा है। बार-बार महीनों के लिये रुक जाता है, इसकी लागत देरी होने से और बढ़ सकती है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार को उक्त पुल के शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग करता हूं।]

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 की सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[विधान सभा क्षेत्र पट्टी में निर्माण निगम उ0प्र0 द्वारा 14 पक्की सड़कें कुछ वर्षों पूर्व बनायी गयी थीं जिसे प्रान्तीय खण्ड प्रतापगढ़ को हस्तान्तरित कर दी गयी थी सभी मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, लेपन सतह पूर्णत: समाप्त है, आवागमन बाधित है। आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं, जनता में आक्रोश है। इसी प्रकार मुलनापुर, सदहा, सेतापुर-रेंणीगारापुर तथा सारडीह से रामगंज नहर मार्ग, तेलियानी से मरगूपुर एवं धनईपुर से कोटिया-मरगूपुर पुल तक का मार्ग भी संचालन योग्य नहीं है। लोक निर्माण विभाग का बजट विधान सभा द्वारा पारित हो चुका है। धनाभाव का प्रश्न नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी मार्गों का नवीनीकरण, विशेष मरम्मत का कार्य तत्काल कराया जाना जनहित में आवश्यक है। इस प्रकरण से कई हजार लोगों का आवागमन जुड़ा है।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त सड़कों के मरम्मत/निर्माण कराये जाने हेतु मांग करता हूं।]

वाराणसी जनपद की जी0 टी0 रोड कछवा से बाबतपुर एयरपोर्ट की अति महत्वपूर्ण ध्वस्त सड़क के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र--

[वाराणसी जनपद की जी0 टी0 रोड कछवा से बाबतपुर एयरपोर्ट तक की 25 किमी0 सड़क न केवल पूर्णतया ध्वस्त होने से देश विदेश के यात्रियों को आने-जाने में भारी कठिनाइयां हो रही हैं। बल्कि वाराणसी नगर की यह बाईपास सड़क के रूप मे भी इस सड़क का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सड़क का प्रारम्भ से 1 किमी0 सड़क पूर्णतया ध्वस्त होने से कछवा बाजार के नागरिक धूल से सराबोर हो रहे हैं। उनका स्वास्थ्य खतरे में है। साथ ही भदोही जिले की सड़क बभनौटी ममहर मार्ग पूर्णतया ध्वस्त है। लठियां सुरहन एवं कठारी मार्ग पूर्णतया खराब है।

अत: इस उपरोक्त सड़कों को अविलम्ब ठीक कराने की मांग करता हूं।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को दूर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

[मान्यवर, इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे विभिन्न कार्यों के लिये अलग-अलग रेट निर्धारित है, उसके बिना कोई कार्य कराना असंभव है। प्राथमिक विद्यालय की मान्यता लेने के लिये 15 हजार रुपये, जूनियर हाई स्कूल के लिये 20-25 हजार रुपये का रेट फिक्स है। यदि पैसा नहीं दिया गया, तो फाइल ही गायब हो जाती है। फरवरी 2006 में 47 प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता दी गयी है।

मृतक आश्रित में नियुक्ति के लिये 25 से 30 हजार रुपये, परिषदीय अध्यापकों की बहाली के लिये 15 से 20 हजार रुपये का रेट तय है। असहायता प्राप्त विद्यालय के सहायक अध्यापकों एवं कर्मचारियों के अनुमोदन हेतु 40 से 50 हजार रुपये लिया जाता है। परिषदीय व अन्य बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण में भी भारी रकम वसूली की जाती है।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षितों को प्राइमरी स्कूलों में तैनाती एवं महिलाओं की नियुक्तियों में भी भारी धांधली की गयी है, जिसकी जांच भी चल रही है। पिछले अनेक वर्षों से तैनात है, वहीं भ्रष्टाचार की जड़ में हैं। सरकार का ध्यान उक्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को दूर करने हेतु आकृष्ट करता हूं।

उपरोक्त विषय लोक महत्व का एवं अविलम्बनीय है, अत: नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

श्री अध्यक्ष--

जिन माननीय सदस्यों की सूचना अस्वीकार की गयी उनके नाम निम्नलिखित हैं--

1--श्री धर्मपाल सिंह,

2--श्री सुरेश चन्द्र तिवारी,

3--श्री रामकरन आर्य,

4--हस्ताक्षर अपठनीय।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 20-3-2006 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 2 सूचनायें प्राप्त हुईं--कोई भी सूचना नहीं सुनी जायेगी।

एक तो श्री नवाब सिंह नागर जी की है, प्रश्न में आश्वासन निहित है जिस पर आश्वासन समिति विचार करेगी और दूसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की 11 मार्च, 2006 को 91 विभागों की अनुदान मांगों को बिना किसी प्रकार की चर्चा कराये हुये विधान सभा में एक साथ पास कराने के संबंध में है। इसके पहले भी इस प्रकार की बात हो चुकी है और जब पास हो गया बजट, विधान सभा ने पास कर दिया तो औचित्य के प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह गया। आप यहां खुद

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ही उपस्थित थे काहे को कहलवा दें, खत्म कर दीजिये। आप यहां उपस्थित थे सारे लोग थे, आपकी मैंने नोटिस पढ़ी है कि उसमें कटमोशन नहीं रखा गया, कटमोशन एक साथ लालजी वर्मा ने रखा था, उस पर प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रश्न उपस्थित होने के बाद वह स्वीकृत हुआ है। यह है, यह कहना आपका कि एक साथ नहीं लिया ।

दिनांक 11 मार्च, 2006 को 91 विभागों की अनुदान मांगों को बिना किसी प्रकार की चर्चा कराये विधान सभा में एक साथ स्वीकृत कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, भारत के संविधान के तहत यह व्यवस्था है कि आम बजट प्रस्तुत किया जाता है, विभिन्न विभागों के अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 है, मान्यवर, इसमें स्पष्ट यह व्यवस्था है कि पहले आम बजट प्रस्तुत किया जायेगा फिर उस पर साधारण चर्चा पांच दिन तक होगी फिर अनुदानों के लिये मांगों की चर्चा होगी और मतदान होगा और 24 दिनों से अनधिक के दिन नियत करेंगे, मान्यवर, अगर सदन अव्यवस्थित हो, न चल रहा हो तब तो ऐसी स्थिति में विशेष परिस्थिति अगर होती तब एक साथ आप बजट पास कराते। मान्यवर, आज भी सदन व्यवस्थित है, 11 तारीख को भी व्यवस्थित था, तो मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग सरकार के मंत्री लोग अपने विभाग का बजट प्रस्तुत करते हैं उनकी कार्य योजना बताते हैं अपने एचीवमेन्ट बताते हैं, हम विपक्ष के लोग उस पर अपने सुझाव देते हैं अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। वर्ष में केवल एक बार मौका आता है जिसमें सभी विभागों की अनुदान मांगें प्रस्तुत की जाती हैं, हम सब लोग विपक्ष के लोग अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, मान्यवर, हमारे अधिकारों की बात थी और इस नियमावली के तहत एक व्यवस्था होनी चाहिये आप तो मान्यवर, सर्वोच्च पद पर बैठे हुये हैं।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय सदस्य जिन नियमों का उल्लेख कर रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की जो कार्यवाही होती है वह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत होती है। संविधान के अनुच्छेदों के अन्तर्गत होती है। मान्यवर, जो ग्रान्ट्स रखी जाती है वह नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों के हस्ताक्षर से रखी जाती है। मान्यवर, जब इनके नेता सहमत हो गये कि एक ही दिन सारा बजट पारित करा लिया जाय तो उसके बाद अब यह कौन सी बात रख रहे हैं, मान्यवर, यह जनता के सामने जा नहीं पा रहे हैं जिसके लिये चुनकर आये हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इनको पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यह इस सदन की परम्परा रही है कि जो ग्रांट्स आयेंगी वह सब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की सहमति से आयेंगे ओर उसमें मुकर्रर किया जायेगा कि किस दिन कौन सी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्रांट्स ली जायेंगी। उस पर चर्चा होगी, कटौती रखी जायेगी और फिर वह अनुदान पारित होगी। मान्यवर, जब दोनों ने सहमति दे दी कि बजट बिना बहस के पारित कर लिया जाये और हम आपके साथ हैं और अपनी सहमति दिखायी। मान्यवर, आप देखें उस दिन इनकी ओर से कोई कटौती का प्रस्ताव भी नहीं रखा गया। फिर आज यह औचित्य का प्रश्न कहां से बनता है ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था, जो हमारा अधिकार है उस पर आप संरक्षण दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ गये थे तभी मैंने आपको अनुमति दी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष से कोई सहमति नहीं ली गयी थी। इसमें एक प्राविधान है कि सत्ता पक्ष की ओर से नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों की राय से होता है। नेता प्रतिपक्ष से राय ली गयी यह कहां से इन्होंने पता कर लिया। मान लीजिये कि हमने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा।

श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, सदन की कार्यवाही के बारे में नेता प्रतिपक्ष के लिये जो कुछ कहा गया है उसे कार्यवाही से हटाया जाय।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत होता है, उसमें सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं और इधर के लोग भी बोलते हैं। मान्यवर, वर्ष में एक बार मौका आता है और दूसरा मौका आता है जब श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा होती है और उसमें सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाता है। मान्यवर, यहां विभिन्न विभागों का बजट पेश किया जाता है और इस तरीके से तो हम लोग के अधिकारों की कटौती कर दी गयी है। इस सरकार ने एक तरह से जबरदस्ती अनुदानों की मांगों को पारित कराया है हम इसका विरोध करते हैं। यह सदन की कार्यवाही का मामला है इसलिये यह औचित्य का प्रश्न है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, यह आक्षेप है। कार्य-मंत्रणा समिति में यह सर्वसम्मति से तय हुआ था। आप उसमें भी उतने ही हिस्सेदार हैं, हम भी हिस्सेदार हैं। कार्य-मंत्रणा समिति में जो तय होता है वह सर्वसम्मति से तय होता है। आप वरिष्ठ मंत्री रहे हैं इसलिये यह नियम की बात आप क्यों कर रहे हैं। यह आप संदेश जनता को क्या देंगे ? नये सदस्य आपसे क्या सीखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें कहीं औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह एक गलत परम्परा पड़ती जा रही है, सदन से बाहर कोई बात होती है तो उसका उल्लेख यहां नहीं किया जाता है। मैं उसका प्रतिवाद करूं क्या ?

श्री अध्यक्ष--

आप वरिष्ठ सदस्य हैं काहे इस बात को कह रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह कार्य-मंत्रणा समिति का विषय नहीं था, न बात हुयी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति अपने अधिकारों से यदि अलग हटेगी या मुकर जायेगी तो फिर यह अच्छी परिपाटी नहीं होगी। आप एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में सरकार में रह चुके हैं आपको पता है कि सरकारें कैसे चलती हैं और कार्य-मंत्रणा में क्या तय होता है। मैं कार्य-मंत्रणा समिति की गोपनीयता को भंग नहीं कर रहा हूं। हुकुम सिंह जी संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। बजट के मामले में उन्हें पता है कि सब कैसे तय होता है और कहां तय होता है। जब यह बजट पास होता था तो उसमें यह प्रश्न उठाया जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गौर साहब ने जो यह प्रश्न उठाया है कि इस पर कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया तो कटौती का प्रस्ताव इस पर रखा गया था। पहले भी यह परम्परा रही है, आप देखेंगे कई बार ऐसे बजट पास हुआ है। एक से लेकर वहां तक, पहले भी पास हुआ है कोई नई परम्परा नहीं है। कटौती का प्रस्ताव लालजी वर्मा ने रखा था, उन्होंने उसे एक साथ समेकित रूप में रखा था, जिसका प्रश्न उपस्थित हुआ था और अस्वीकृत हुआ था। बजट सामूहिक रूप से पास हुआ तमाम सदस्य यहां पर थे। इस प्रकार की पहले से परम्परा रही है। कटौती का प्रस्ताव रखा गया है इस पर मतदान हुआ है। विनियोग विधेयक जब पास हो रहा था उस समय हुकुम सिंह जी ने चर्चा की थी। यह वैधानिक रहा है इस पर नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री सतीश महाना--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं। यह विधान सभा आपके संरक्षण में चलती है, जो कुछ कार्यक्रम कार्यमंत्रणा समिति तय करती है उसके अनुसार चलती है पिछले लगभग 5 माह से यह सदन लगातार चल रहा है हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। हमारी जिम्मेवारी इस सदन में जनता के लिये है और जनता में सदन के सत्र को लेकर अनिश्चितता का वातावरण होता है हम किसी को कोई तिथि नहीं बता पाते। हमें पता नहीं रहता है कि अगला दिन कब होगा, अगला सदन जब भी हो हमें पता हो तो अच्छा होगा। यह दो माह, 6 माह जब तक यह सरकार इसे चलाना चाहे, सरकार की अंतिम श्वास तक अगर इनको चलाना हो, यह उनका निर्णय है। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से और कार्यमंत्रणा समिति से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हो हम 403 सदस्यों को मालूम हो जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाय। हम क्षेत्र में भी कुछ तय नहीं कर पाते हैं, क्षेत्र में कोई काम होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो हम निश्चय नहीं कर पाते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य सदन में नहीं रहते हैं तो यह उनकी कमी है हर कार्यमंत्रणा समिति का प्रत्येक निर्णय आपके द्वारा यहां प्रस्तुत किया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

महाना जी, आप बैठिये। आप प्रश्न तो पूछ नहीं पाये और गुस्सा इधर उतार रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय महाना जी, कार्यमंत्रणा समिति की जब बैठक होती है, तो उसकी सिफारिश की सूचना सदन को दिये जाने के बाद सदन से उसकी स्वीकृति ली जाती है। यह सही है कि जब हम यहां से उठते हैं तो बताते हैं कि कब हम बैठेगें तो यह भी जानकारी हो जाती है। दूसरा यह है कि आज तक की सूचना आपके पास है। अभी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक, आज दो बजे बुलायी जा रही है वह बता दिया जायेगा तो आप क्यों परेशान हैं।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, आज बताया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

कानपुर बहुत दूर नहीं है। अब आप बैठिये, अभी नियम 56 लेने दीजिये।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

मैं कार्य सूची की मद संख्या-8 के अन्तर्गत नियम 56 की सूचनायें ले रहा हूं।

आज दिनांक 20 मार्च, 2006 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

* डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपना विषय रखने की अनुमति प्रदान की। मान्यवर, गोरखपुर से लगे हुये दो और जिले हैं, कुशीनगर और महराजगंज, जहां बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक रहते हैं , जिन्हें सामान्य भाषा में मुसहर कहा जाता है। कुशीनगर जनपद के कसया, फाजिलनगर, खड्डा, दुदही तथा पडरौना ब्लाक खण्डों के 100 ग्रामों में करीब 60 हजार तथा महराजगंज जिले के 6 ब्लाकों के 25 ग्रामों में करीब 9 हजार मुसहर आबादी है। बेरोजगारी के दंश, भूख की मर्मान्तक पीड़ा तथा कर्ज के संकट के तिहरे चोट से जूझ रहे इन मुसहरों का कोई पुरसाहाल नहीं है। मुसहरों के दास्तानों को बयां करने के लिये शब्द पूरी तरह शक्तिहीन है।

मान्यवर, दुदही ब्लाक, कुशीनगर के गौरी श्रीराम गांव के बेदौली टोला के इनरपतिया की 18 जनवरी को मौत हो गयी। भूख और बीमारी से संघर्ष करते-करते उसकी जीवनशक्ति पराजित हो गयी। पति की पहले ही इन्हीं परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। इसके अलावा इस परिवार में 13 वर्षीय रजमतिया, 10 वर्षीय टुनटुन, 6 वर्षीय गम्हा तथा 4 वर्षीय रम्भा का अब कोई संरक्षक नहीं है। यह परिवार सिर्फ एक उदाहरण है। जो जीवित है उनकी स्थिति मृतकों से कोई बेहतर नहीं है। मान्यवर, महात्मा गाँधी कहते थे कि शासन अगर अपनी वैकासिक नीतियों की सफलता का मूल्यांकन करना चाहता है तो उसे समाज के सबसे गरीब वर्ग के नागरिक की ओर देखना होगा। वैसे भी प्रदेश के नियोजन विभाग के अपने आकड़ों के अनुसार प्रदेश के निम्नतर 10 प्रतिशत नागरिकों का प्रतिमाह प्रति व्यक्ति व्यय 247 रुपये अर्थात् 8 रुपये रोज है। निचले 1-2 प्रतिशत में मुसहर होगें जो चूहों के बिलों से अनाज निकालकर अपना पेट भरते हैं। समाचार-पत्रों ने इस विषय को मजबूती के साथ उठाया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप समाचार-पत्र की बात न कहें। आपको क्या जानकारी है, आप वहां गये थे कि नहीं ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, जो आंकड़े दिये गये हैं उसके अनुसार 50 प्रतिशत ऐसे मुसहर नागरिक है जो अपने बच्चों का इलाज कराने के लिये कर्ज लेते हैं और उसके बाद कर्ज दर कर्ज में डूबते चले जाते हैं। कर्ज, दुख बीमारी से यह ऐसा घिरते हैं कि मृत्यु इनको आ घेरती है। इस बात को पढ़कर अच्छा लगा था कि एक मुख्यमंत्री...

श्री अध्यक्ष--

आप मुसहरों के बारे में ज्यादा नहीं जानते । मैने उनके बीच में 1959-60 में काम किया है, मैं सारी स्थिति ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। आप इनको नहीं जानते हैं इसलिये आप पूरे तथ्य नहीं रख पा रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, यह सरकार महसूस करती है कि समाज के निम्नतम वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये कोई विशेष योजना बनायी जाये, तो क्या सरकार उनके विकास के लिये कोई पहल करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मुसहरों के बारे में इनका कहना है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले यह लोग हैं और कर्ज लेते हैं और इसके बारे में कुछ किया जाय।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर सूचना मिली है और सरकार इसका संज्ञान लेगी। डा0 साहब की हर बात का संज्ञान लिया जाता है। क्योंकि यह वही मामले लाते हैं जो गंभीर होते हैं। पहले भी जिस मामले को इन्होंने रखा था, वह भी गंभीर था और इसको भी गंभीरता से लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

मैनें डा0 साहब को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती, इसलिये इसको अग्राह्य करता हूँ।

(श्री मुंशी लाल गौतम द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

यह अच्छी बात नहीं है, आप एकदम से उठ पड़ते हैं। कोई जरूरी है कि आप रोज बोलें। इस समय प्रदेशव्यापी समस्या उठायी जा रही हैं। मैंने आपकी नोटिस को पढ़ा है, आप दिन भर तनख्वाह बढ़ाने, तनख्वाह घटाने के विषय लाते है। आप बैठिये।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, बाद में सुन लीजिएगा, आप केवल अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको ही अधिष्ठाता सूची में ला करके यहाँ पर बैठा दिया करूं तो ठीक हो जाए। आप विधान सभा के सम्मानित सदस्य हैं, मैंने एक सदस्य का नाम ले लिया है तो वह बोलेंगे और जब सूचनाएं समाप्त हो जाएं तब आप अपनी बात कहियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, जब इनको अधिष्ठाता बना दिया जाएगा, तब तो बहुत सारे लोग अधिष्ठाता बन जाएंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक स्पेसिफिक सूचना है, जिसे मैं उठाना चाहता हूँ। मान्यवर, होली का त्यौहार मनाया जा रहा था। हमारे विधान सभा क्षेत्र में थाना कर्नलगंज के अन्तर्गत एक सादियाबाद मोहल्ला है। वहाँ पर सायं पाँच बजे रंग खेलने के बाद बच्चे डांस कर रहे थे। उसी समय अब्दुल्ला का बेटा मकसूद अपनी बन्दूक से पक्षियों को मारने लगा, इस पर किसी लड़के ने उसे टोक दिया और कहा सुनी हो गई। मान्यवर, वहाँ पर आधे मुसलमान और आधे गरीब तबके के लोग रहते हैं। वह लड़का गया ओर अपने मोहल्ले से सौ लोगों को बुला लाया और उन लोगों ने इकट्ठे हो करके वहाँ के लड़कों पर आक्रमण कर दिया, अधिकांश लोग वहाँ से भाग गये, लेकिन हिंसक भीड़ ने सुरेन्द्र कुमार उर्फ बच्चा, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, उसे हाकी, लाठी और ईंटों पत्थरों, से जमकर पीटा और बाद में अपनी लाइसेंसी बन्दूक से उसे गोली मार दी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इतना ही नहीं उसके बाद वह हिंसक भीड़ पसियान बस्ती में गाली देते हुए घुस गई और वहाँ पर एक-एक करके लोगों को मारना शुरू कर दिया। सामने किशन लाल और लाल बाबू के स्कूटर खड़े थे, जिन्हें बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद बस्ती पर पथराव किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गये। लगभग आधे घण्टे तक गोलियाँ चलायी गयी और इसमें मानू पुत्र स्व0 विनोद, जो कि विकलांग था, उसके हाथ और पैर में गोली लगी, गंगा देवी पत्नी मुनीश घायल हो गई, बसंती पत्नी विनोद को छर्रा लगा, मुकेश के पैर में छर्रा लगा तथा अरविन्द को भी चोटें आई। इतना ही नहीं मान्यवर, जब भीड़ लौटने लगी तो भीड़ ने पिस्ता देवी के घर पर हमला बोल दिया, उसके घर का दरवाजा तोड़कर घर में भारी तोड़फोड़ की, उसके घर का सामान ध्वस्त कर दिया और वहाँ से जेवरात, मोबाइल वगैरह लोग लूट ले गये, उसका मान्यवर, पचास हजार रुपये का नुकसान हुआ। उसके बाद भीड़ ने किरायेदार चंदा देवी का घर भी तोड़ डाला और वहाँ भी लूटपाट की। मान्यवर, जिस समय वहाँ पर यह तांडव मच रहा था, उस समय स्थानीय लोगों के द्वारा थाना कर्नलगंज एवं पुलिस कंट्रोल को सूचित भी किया गया था, लेकिन मान्यवर, सबसे चिन्ताजनक बात यह है कि पुलिस वहाँ पर एक घण्टे के बाद पहुँची और मान्यवर, पुलिस ने जिन लोगों को सताया गया था, उन्हीं को दबाने का प्रयास किया। मान्यवर, 17 तारीख को मैं स्वयं वहाँ पर गया था, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ के लोग भयग्रस्त थे, आतंकित थे, फिर भी वहाँ पर दो-तीन सौ लोग इकट्ठे हुए। मैं मृतक के घर जाकर उनकी माँ व अन्य परिवारजनों से मिला था। जब मैं पहुँचा तो ए0 सी0 एम0 और सी0 ओ0 वगैरह भी वहाँ पहुँचे। मान्यवर, 24 घण्टे हो गया था एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गई थी, जिन लोगों को छर्रे लगे थे, उनका मेडिकल नहीं कराया गया था, वहाँ पर पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया गया था। जब मैंने सी0 ओ0 से एफ0 आई0 आर0 लिखने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि अभी एफ0 आई0 आर0 लिखवाते हैं। मान्यवर, जो विकलांग था, जिसे गोली लगी थी, उसका मेडिकल नहीं कराया गया, उसने प्राइवेट चिकित्सा करायी थी, जब मैंने सी0 ओ0 से कहा उसके बाद उसे बेली अस्पताल में भर्ती कराया गया। मान्यवर, मैं अपने इस कार्य -स्थगन के माध्यम से माँग करता हूँ कि सुरेन्द्र जो कि ए0 डी0 ए0 में नियमित कर्मचारी था, उसकी पत्नी या पुत्री को मृतक आश्रित में नौकरी दी जाए और मृतक परिवार को 5 लाख रुपया दिया जाए, जो घायल हुये हैं उनको एक-एक लाख रुपया तथा जो समान क्षतिग्रस्त हुआ है उसका मुआवजा दिया जाय। मान्यवर, यह तात्कालिक, अविलम्बनीय और लोक महत्व का है इसलिए इस पर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, होली के त्यौहार में अक्सर छोटी-बड़ी वारदातें हो जाती हैं लेकिन इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिये। जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ लेकिन यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, आपके कहने से लिखी गयी। साढ़े पाँच बजे का वाक्या है, आई0पी0सी0 की धारा 307, 507, 427, और 252 के तहत रिपोर्ट लिखी गयी, इस घटना में 4 लोग नामजद हैं, उसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाक्या इस तरह का था कि शराब के नशे में बुरी तरह से मृतक धुत था, उसी में कुछ वारदात हो गयी, ऐसे विवाद को किसी तरह का कोई वैसा रंग नहीं दिया जा सकता। मेरे जनपद रामपुर के मिलख में जौहरी साहब के परिवार में होली खेली जा रही थी, पड़ोसी से विवाद हो गया, उनके परिवार के लोगों ने गोली चलायी। दो नौजवान लड़के जो दिल्ली में, एक बी0एस0सी0 और दूसरा बी0ए0 में पढ़ रहे थे उनकी मृत्यु हो गयी। यह आपराधिक घटना है उसको उसी तरह से देखा गया है, यह कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं है। चार अभियुक्तों में से 3 की गिरफ्तारी हो गयी है, इसमें किसी की उपेक्षा नहीं हुई है। कानून अपना काम कर रहा है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

इस घटना में भी उसकी मृत्यु हुई है वह 35 साल का युवा था और ए0 डी0 ए0 में नियमित कर्मचारी था इसलिए उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। चूंकि गरीब परिवार है इसलिए 5 लाख का मुआवजा भी दिया जाए और जो घायल हुये हैं उन्हें एक-एक लाख रुपया और जो सामान क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए मुआवजा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात आ गयी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, आर्थिक सहायता कर दी गयी है, मृतक सुरेन्द्र की पत्नी को 10 हजार रुपये और पिम्मा देवी को 4 हजार रुपये दे दिये गये हैं मानक के अनुरूप। यह कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं है, इनेफार्किया घटना है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने डा0 गौर साहब और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, इस सूचना को नियम 56 में इसे अग्राह्य करता हूँ।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अत्यन्त लोकमहत्व के ग्राह्यता के प्रश्न पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है। सर्वविदित है कि आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी शिक्षा के लिए कुछ संशोधन किया है। जैसा कि आपने भी समाचार-पत्रों में देखा होगा, एक नीति विषयक घोषणा सदन से बाहर की गयी है जबकि सत्र चल रहा है। यह घोषणा सदन के अन्दर करनी चाहिए थी। जो प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की स्थिति है तभी तक 1 कि0मी0 के अन्दर प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल 3 कि0मी0 की परिधि में था, राज्य सरकार ने उसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशोधित करके 2 किमी0 कर दिया है, यह एक अच्छा कदम है। आज प्राइमरी एजूकेशन के लिए 300 की आबादी पर एक प्राथमिक स्कूल तथा 800 की आबादी पर जूनियर हाई स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। यह अच्छा कदम है। इस प्रकार स्कूल बढ़ने से 2.50 लाख शिक्षकों की आवश्यकता होगी। आज भी 1 लाख से ऊपर प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त पड़े है और तमाम विद्यालयों में या तो एकल अध्यापक है या फिर वे बन्द पड़े हैं। शिक्षकों की कमी की वजह से प्राइमरी एजूकेशन बर्बाद हो रहा है। आज उस प्राइमरी एजूकेशन के लिए शिक्षा व्यवस्था में दोहरी प्रणाली लागू हो गयी है। एक तरफ शिक्षक नियुक्त होते हैं जो बी0टी0सी0 करके आते है उन्हें पूरा वेतन दिया जाता है लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हो रही है, प्रदेश के हजारों विद्यालय उन शिक्षा मित्रों के माध्यम से चल रहे हैं उनकी क्वालीफिकेशन भी बी0ए0, एम0ए0 है वह भी इनके समान ही कार्य कर रहे है फिर भी आज शिक्षा मित्रों को वेतन नहीं मिल रहा है, उनको 2400 रुपया प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। आज प्रदेश के डेढ़ लाख शिक्षा मित्र विधान सभा के सामने धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश की प्राइमरी एजूकेशन का स्तम्भ है, बुनियादी शिक्षा का स्तम्भ है वह किसी भी बच्चे के भविष्य को संवारने का काम करता है। हमारे यहाँ 40 बच्चों पर एक अध्यापक होता है। अगर किसी भी अध्यापक की सेवाकाल में मौत हो जाती है तो उसके आश्रित की नियुक्ति की जाती है और उसको विशेष प्रशिक्षण देकर अध्यापक बनाया जाता है लेकिन आज जो शिक्षा मित्र हैं उनके बारे में यह कहना कि वह बी0टी0सी नहीं है यह उचित नहीं है। उनको विशेष प्रशिक्षण देकर शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया जाय। प्राइमरी शिक्षा प्रदेश की बुनियादी शिक्षा है और इसमें विसंगति के कारण हजारों लाखों शिक्षा मित्रों में रोष है, क्षोभ है और आज पूरे प्रदेश के चाहें वह इटावा हो, मैनपुरी हो या सैफई हो यहाँ के शिक्षा मित्र यहाँ आए हुए हैं यह मित्र शब्द बुनियादी शिक्षा के नाम पर कलंक है इसलिए इन लाखों शिक्षा मित्रों को मानदेय के आधार पर न रखकर अध्यापक की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और उनको अध्यापक के रूप में वेतनमान दिया जाना चाहिए। उनको मात्र 2400 रुपए प्रति माह मानदेय दे रहे है जबकि आज जो अनस्किल्ड लेबर उसको भी प्रतिदिन 75 रुपए दिए जाते हैं यह प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है इसके कारण प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों में रोष है। इससे ज्यादा अविलम्बनीय, लोक महत्व और तात्कालिक दूसरा विषय नहीं हो सकता हैं। हजारों शिक्षा मित्र विधान सभा के सामने बैठे हैं चाहे अभिमन्यु तिवारी हों, चाहे पंचानन राय हों सभी इस बात से सहमत हैं कि यह दोहरी व्यवस्था ठीक नहीं हैं। एक तरफ तो प्राइमरी अध्यापक या जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक को 7,000 रुपये प्रतिमाह मिलते है दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों को 2,400 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं जिसके कारण लाखों शिक्षा मित्रों में रोष है स्थिति अत्यंत विस्फोटक हैं। राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और निणय लना चाहिए तथा शिक्षा मित्र शब्द के स्थान पर शिक्षक शब्द होना चाहिए व मानदेय के स्थान पर शिक्षकों के समान वेतन दिया जाना चाहिए जिससे बुनियादी शिक्षा में गुणात्मक सुधार आए इस पर सभी कार्य रोककर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

* श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष महोदय, विद्वान सदस्य पाल साहब ने जो बातें कही हैं मैं उनमें दो बातें जोड़ना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने चार्टर में स्वीकार किया है और यूनासफ ने भी कहा है कि वर्ष 2010 तक सभी को शिक्षा [illegible] संविधान में इसके लिए व्यवस्था की गयी है कि जो

*वक्ता ने भाषण का [illegible]

14 वर्ष से कम आयु के लोग है उन्हें शिक्षा दी जाय। इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है। आज जो प्रश्न हमारे सामने है वह बहुत गम्भीर हैं। प्राथमिक शिक्षा किसी भी इमारत की नींव की तरह है इस समय एक लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है, भरे पड़े हैं बी0टी0सी0 और बी0एड0, इनकी कमी नहीं है, लेकिन इनको नौकरी नहीं दी गयी है। शिक्षा मित्र के रूप में 2400 रुपये मानदेय पर योग्य नौजवानों का चयन किया गया है और वह नौजवान कई सालों से काम कर रहे हैं। मान्यवर, यह बात किसी की समझ में आने वाली नहीं है कि यह दोहरी व्यवस्था क्यों की गयी है। एक तरफ उसी विद्यालय में 7 हजार रुपये प्रति महीने दिये जाते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा मित्र के रूप में 2400 रुपये प्रति महीने मिल रहे हैं। अगर यह बात होती कि हमारे पास स्थान रिक्त नहीं है तो दूसरी बात थी। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि लाखों स्थान रिक्त हैं। इन लाखों स्थानों पर पहले अगर किसी का हक बनता है तो इन शिक्षा मित्रों का बनता है। अगर इन शिक्षा मित्रों में कोई कमी है तो बी0टी0सी0 की संक्षिप्त ट्रेनिंग देकर इनको नियुक्त किया जाय। मेरे पास अनेक लोग मिलने आये थे जो बी0ए0 हैं, एम0ए0 हैं। इन्होंने और किसी सेवा को कबूल नहीं किया है, सेवा के लिये जो मिनिमम एज होती है उससे अधिक आयु के यह हो गये है इसलिये दूसरी सेवा में नहीं जा सकते हैं। इनकी सेवा में लिये जाने की एज समाप्त हो गयी हैं। एक सीमा होती हैं उसके बाद सरकारी सेवा में नियुक्ति नहीं होती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार जो समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाली सरकार अपने को कहती है वह दोहरी व्यवस्था लागू न करें। एक तरफ तो 7 हजार रुपये पाने वाले शिक्षक उसी विद्यालय में काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ 2400 रुपये पाने वाले शिक्षक उसी विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो यह व्यवस्था कैसे लागू है ? आप यह कह सकते हैं कि क्वालिटी में फर्क हैं। अगर ऐसा है तो आप खराब क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं और सरकार यह चाहती है कि दो तरह की शिक्षा प्रदेश में दी जाय। ऐसा करके आप आने वाले भारत की नींव को कमजोर कर रहें हैं। इसलिये मैं चाहूँगा कि सरकार अविलम्ब घोषणा करें, आज ही घोषणा करे कि यह जो हजारों शिक्षा मित्र यहां आये हुये हैं उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जायेगा और अविलम्ब इनकी नियुक्ति की जायेगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें मानवता सर्वोपरि होती है। मानवता के आधार पर यह हजारों नौजवान जो ओवर एज हो गये हैं, जिन नौजवानों के कंधों पर परिवार का बोझ है उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भट्ठे पर मजदूर काम करता है और उसको पूरा वेतन नहीं दिया जाता है तो उसको बंधुवा मजदूर मानकर भट्ठे वाले के खिलाफ कार्यवाही होती है। भदोही में कालीन बनाने वाला यदि मिनिमम वेजेज नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। आप इनको बंधुवा मजदूर रखे हुये हैं और मिनिमम वेजेज ऐक्ट का उल्लंधन कर रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाय। यह इनकी शिक्षा में कोई कमी है तो इनको ट्रेनिंग दी जाय जिससे हजारों नौजवानों के भविष्य को बचाया जा सके। यह अविलंबनीय लोक महत्व का विषय में कार्यस्थगन के रूप में रखता हूं।

* बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह) --

मान्यवर, अभी माननीय कुमार जी और माननीय जगदम्बिका पाल जी ने शिक्षा मित्रों की समस्या के बारे में अपनी बात रखी है। माननीय प्रमोद कुमार जी ने बंधुवा मजदूर की बात कही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और कहा कि सरकार मानकों का पालन नहीं कर रहा है। मान्यवर, यह केन्द्र सरकार के मानव संशोधन मंत्रालय के तहत योजना है और उनके निर्देशों के तहत इनकी नियुक्ति हो रही है। इनको जो वेतन मिलता है उसमें 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। जो इनकी क्वालीफिकेशन है उसी के तहत भर्ती होती है और भर्ती के लिये विज्ञापन होता है और जो इच्छुक होते हैं उनकी मेरिट के आधार पर उनकी भर्ती होती है। उनसे पहली और दूसरी क्लास को पढ़वाया जाता है, उनसे तीसरी, चौथी या आठवीं क्लास को नहीं पढ़वाया जाता है। पहली दूसरी क्लास के लिये रखे जाते हैं। जहां तक सवाल यह है कि इतने पद रिक्त पड़े हुए हैं। जबसे यह सरकार आई है शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की इतनी नियुक्ति की है वह संख्या लाखों में बैठती है। जो सैक्शन पद है उनको भरने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। जहां तक शिक्षा मित्रों का सवाल है न तो कोई नोटिस दिया प्रदर्शन का न ही वार्ता के लिये आये। पहले वार्ता के लिये आये थे तो मैं पैदल चलकर उनके बीच में गया था बिना अपने गनर के। मैं दो बार गया हूँ, अपने दफ्तर में भी वार्ता की है। गत वर्ष की उनकी जो समस्याएं थी उनका समाधान कर दिया गया था। इन्होंने अपना पैसा बढ़ाने के लिए कहा था 6 फीसदी डी0 ए0 को हमने साढ़े 6 पांने सात किया। पहले 2250 था अब 2400 कर दिया था। इनको पेमेन्ट भी हम चेक के माध्यम से इनके खातों में करते हैं ताकि किसी तरह का इनका कोई शोषण न कर सके। इनकी क्वालिफिकेशन इन्टरमीडिएट है। जैसा आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षा के शिक्षकों की क्वालिफिकेशन ग्रेज्युएट होनी चाहिए। यह ग्रेज्युएट नहीं हैं। हम इनसे बॉण्ड भी नहीं भरवाते हैं कि इनको कहीं अच्छा अवसर मिलता है तो यह जा सकते हैं। संविदा की शर्तों के अनुसार यह आते हैं। मेरिट के हिसाब से इनको लिया जाता है। जो क्वालिफाईड होते हैं वे बी0टी0सी0 के लिये एप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह कहना कि प्राथमिक शिक्षा का क्या हाल हो रहा है ठीक नहीं है। हमने 2010 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है प्राइमरी शिक्षा का कि सबको शिक्षित करना है, निरक्षरता को मिटाना है। इसके लिये हमारी सरकार प्रयास कर रही है इसके लिये एक किमी0 की दूरी पर प्राइमरी स्कूल और दो किमी0 की दूरी पर जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्राविधान किया है पहले प्राइमरी के लिये डेढ़ किलोमीटर और जूनियर हाई स्कूल के लिये 3 किलोमीटर था। इसके लिये 2010 का लक्ष्य रखा गया है सबको शिक्षित करने का। इससे पहले हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिये चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं हैं। वो प्रदर्शन छोड़ दें सरकार बात करने के लिए तैयार है। मैंने उनके बीच में जाकर बात की है और दफ्तर में भी बात की है। अब अगर उनमें भी नेताओं के गुण पैदा हो रहे हैं कि वे नेता बन जायेंगे उनकी ऐसी मंशा नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी तरह से दबाव में नहीं आयेगी। हम केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार उनको रखते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

आप कह रहे हैं कि हम केन्द्र सरकार के निर्देशों के तहत इनको रखते हैं। केन्द्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत पैसा दे रही है। वह नहीं कह रही है कि आप 2400 रुपये पर इनको रखिये। बुनियादी एजूकेशन के लिये विश्व सहायतित और सर्व शिक्षा अभियान में पैसा आपको मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

एक बार कह दिया बार-बार क्या कह रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं हैं। जब चर्चा होती है तो आप कहते। आपने ग्राहयता पर अपनी पूरी बात कह दी, अब क्या है ?

श्री जगदम्बिका पाल--

डेढ़ लाख शिक्षा मित्र नियुक्त हो गये उनको नियमित करने के लिये जिस तरीके से तिवारी जी ने भी कहा है, सरकार इस बारे में विचार कर रही है ?

श्री प्रमोद कुमार--

पाल साहब बैठ गये, मैं खड़ा हो गया हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जिनकी प्रशंसा करने का मन होता है। किरन पाल जी मानवीय भावनाओं को मानने वाले हैं। कोकब जी आपके बारे में भी ऐसा ही विचार है।

श्री अध्यक्ष--

इससे कुछ निकलने वाला लगता नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आजम भाई को मैं पहले ही कह चुका हूँ इसलिये कहने की जरूरत नहीं हैं। किरन पाल जी के बारे में कहूँगा कि यह मानवीय दृष्टिकोण से चलने वाले हैं। हमने यह नहीं कहा कि इसे केन्द्र चला रही है या प्रदेश सरकार चला रही है। हमने कब कहा कि मिनिमम को आप वेव कर दें, इन्टरमीडिएट को कर दें। मैंने यह कहा जो अर्हता होती है। बी0ए0, एम0ए0 भी हैं और एक लाख की संख्या में पद रिक्त है तो अगर उस अर्हता के लोग उपलब्ध हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लेकर, स्पेशल बी0टी0सी0 ट्रेनिंग करा दें। इसमें सिद्धार्थनगर के भी लोग हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रतापगढ़ के भी होंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय मंत्री जी ने जो वार्ता के लिए कहा है कि वार्ता के लिए तैयार हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वार्ता से ही लोकतंत्र में हल निकलते है। उनको शिक्षा मंत्री जी के पास जाना चाहिए। इनसे मिलकर रास्ता अगर निकालना चाहते हैं। अगर कोई वार्ता करने नहीं आता है तो लोकतंत्र में ऐसे लोगों की जगह नहीं हैं। लेकिन मंत्री जी वार्ता के लिए समय घोषित कर दें। कल परसों, जब समय हो, उन लोगों को आमंत्रित कर लें, पाँच लोग आ जाएं वार्ता कर लें।

श्री किरन पाल सिंह--

अभी आ जाएं। इसमें क्या दिक्कत है। यदि आपकी बात मान लें। लेकिन ऐसा न करें कि एक तरफ तो वार्ता करें और दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन करें सड़कों पर। दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। वार्ता हो तो आप भी साथ आ जाएं।

श्री जगदम्बिका पाल--

प्रदर्शन की बात मंत्री जी कर रहे हैं। अगर पहले से पूर्वाग्रह बना लिया जाए तो वार्ता का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने जगदम्बिका पाल जी को, प्रमोद कुमार जी को और किरनपाल सिंह जी को सुना। यह नियम 56 में नहीं आता है मैं इसको अग्राह्य करता हूँ।

*श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसानों से सम्बन्धित ज्वलन्त समस्याओं पर नियम 56 म मामला उठाने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश हैं। पिछले दो साल से भयंकर सूखे की मार किसान झेल रहे हैं। 2004-2005 से प्रदेश में लगातार सूखा पड़ा है जिसकी चिन्ता उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार ने की है। किसानों की समस्या को देखते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको अनुदान देने के लिए क्या सरकार विचार करेगी ? 2004-2005 में उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र सरकार दोनों ने अनुदान देने की घोषणा की अगर समय से जिला मजिस्ट्रेट के यहां पैसा गया तो यह अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार से सूखा पीड़ित किसानों के लिए गया वह पैसा सीधा किसानों को नहीं पहुँच पाया। अनुदान देने के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया सरकार ने, उसका पालन जिले के अधिकारियों ने नहीं किया। कैसे किसानों को कितना अनुदान देना है यह पालन नहीं हुआ है। जहां किसानों को अनुदान की सूची में लाया गया हैं। उनमें किसी को एकाउन्ट पेई किसी को नान एकाउन्ट पेई चेक दिया गया है। जिसको एकाउन्ट पेई चेक दिया गया है वह कैश नहीं हो पाया है खाता खोलने के बाद हजारों किसान ऐसे हैं जिनको चेक मिला और चेक मिलने के बाद डिसऑनर हो गया। बैंक के नियम हैं जिसका चेक डिसऑनर होता है उसमें चेक काटने वाले के खिलाफ कार्यवाही होती हैं। लेकिन जिन्होंने चेक काटा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं। एकाउन्ट में जितना पैसा रहा होगा उतने चेक कटे होंगे फिर चेक डिसऑनर क्यों हुए। यह चिन्ता की बात है। लेखपाल द्वारा इसमें सर्वे हुआ होगा। खसरा-खतौनी में नाम होगा कि जिनकी बाजरा, धान, गेहूँ की फसल सूख गई है उनको देंगे या नहीं देंगे। कुछ ऐसे लोगों को भी चेक दे दिया गया जो क्राइटेरिया में नहीं थे, उनको तो भुगतान हो गया लेकिन जो गरीब किसान थे, वह आज तक चेक लेकर दौड़ रहे हैं, बैंक के सामने भाग दौड़ कर रहे हैं। आज उनके सामने कठिनाइयाँ हैं। मान्यवर, जितने रुपय का चेक उन्हें दिया गया है उससे ज्यादा पैसा भाड़े में खर्च हो गया होगा। चेक भी ऐसे बैंकों के दिए गये हैं जो काफी दूर-दराज स्थित हैं और किसान के घर से जिनकी दूरी 15-20 किलोमीटर है और यहां तक आने-जाने का किराया ही 50 रुपये आता होगा। आज प्रदेश के किसानों के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्राथमिकता पर बोलिए कि चेक दिया गया हैं, चेक का भुगतान नहीं हो रहा हैं, यह सरकार खराब है, आप अपने जिले का स्पेसिफिक विवरण दीजिए।

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं अपने जिले बनारस और भदोही की बात कह रहा हूँ। हमारे शिवपुरी विकास खण्ड में छोटू पटेल, काशी नाथ, लालजी सिंह आदि तमाम किसान चेक लेकर घूम रहे हैं लेकिन उनके चेकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार भदोही के लखिया और मुरियावां विकास खण्ड में भी तमाम किसान ऐसी चेक लेकर घूम रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाए। जिन किसानों को चेक दिया गया है, उनका तो भुगतान कराया ही जाए, साथ ही जो किसान

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नहीं है, जो पात्र नहीं है, दलाल है, जिन्हें चेक दिए गये है और उनका भुगतान भी हो गया है, इसकी भी जांच कराई जाए और इसके लिए जो सक्षम अधिकारी हैं, जिन्होंने यह चेक काटे हैं, उनके खिलाफ भी दण्डात्मक कार्यवाही की जाय, मैं इसकी मांग करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

इसको दिखवा लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

ध्यानाकर्षण सरकार का हो गया।

अगली सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की है।

* श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद सुल्तानपुर के थाना जयसिंहपुर में 14/15 की रात, जिस दिन होली जलाई गई, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक राम रतन यादव, उनके पुत्र राम विशाल यादव ने 25-30 अन्य लोगों के साथ मिलकर जो वहाँ डीजल की दुकान थी, उसमें तोड़-फोड़ किया, एक किराने की दुकान और कई अन्य जो वहाँ दुकानें थे, उनमें तोड़-फोड़ किया। जब 15 तारीख की सुबह दुकानदारों को पता चला तो वह थाने रिपोर्ट लिखवाने गए, उन्होंने तहरीर दी, तहरीर देकर, होली का दिन था, जब अपने गांव हमजा वापस लौट गए तो पुन: उनकी दुकानों पर हमला किया गया और 13 डीजल के भरे हुए ड्रमों को काटकर सारा डीजल सड़कों पर फैला कर उसमें आग लगा दी गयी और उसके बाद जो और दुकानें थी, उनको भी तहस-नहस कर दिया। उसका मुकदमा थाना जयसिंहपुर में 184/2006, धारा 295, 397, 435, 401, 501, 427 में दर्ज होने के बाद थानाध्यक्ष द्वारा पूर्व विधायक और उनके पुत्र को घर से लाया गया लेकिन उसके बाद सत्तापक्ष के लोगों के दबाव में पूर्व विधायक को छोड़ दिया गया और उनके पुत्र का चालान कर दिया। जब उनके पुत्र को न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में पुलिस लेकर गई तो वहाँ पर भी पूर्व विधायक और 25-30 अन्य लोगों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया और अभियुक्त को छुड़ाने का प्रयास किया और उन लोगों द्वारा पुलिस की पिटाई भी की गयी। इसका मुकदमा स्वयं पुलिस ने दर्ज कराया है लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मान्यवर, पुलिस अभिरक्षा में जब उनके पुत्र को लेकर गयी न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए, तब भी हमला करके पुलिस वालों को पीटा गया। मान्यवर, पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा गया कि विधायक जी ने अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला किया। इसका मुकदमा नगर कोतवाली में दर्ज है लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी है। इस कारण से क्षेत्र में भय एवं आतंक व्याप्त है। 4 दिन से बाजार में कोई दुकान नहीं खुली हैं। वहाँ के दुकानदार अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मान्यवर, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये। इसके साथ ही मैं मांग करता हूँ कि डीजल विक्रेता श्री अनिल सिंह को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये और अन्य दुकानदारों के सामान की क्षतिपूर्ति की जाये। एक बात यह कि अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुयी है। यह भी संज्ञान में आया है कि जो मुकदमा लिखा था उसे स्थानीय पुलिस दबाव में उसमें धाराओं को कम

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

करके अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, वहाँ का जिला प्रशासन यह काम कर रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जिन्होंने कानून को हाथ में लेने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये। जो भी अभियुक्त हो उसकी गिरफ्तारी की जाये और दुकानदारों को सुरक्षा दी जाये और डीजल दुकानदार श्री अनिल सिंह को दो लाख तथा किराने के दुकानदार श्री पंकज सिंह को 1 लाख का मुआवजा दिया जाये और वहाँ पर स्थानीय पुलिस चौकी का निर्माण किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, इस सरकार की वचनबद्धता रही है कि थानों में अगर कोई मुकदमा लिखाने जाता है तो मुकदमा लिखा जाये। और पुलिस को जांच करने का अधिकार है और यह अधिकार है कि उसमें जो लोग मुजरिम पाए जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और अगर नहीं पाए जायेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी। दूसरा सवाल कि कोई डीजल विक्रेता है। तो इसमें यह देख लिया जाएगा कि वह किस तरह के डीजल विक्रेता हैं, कितना डीजल उनके यहाँ होना चाहिए था, कितना डीजल मौके पर था। अगर ज्यादा था तो वहाँ मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ। यह भी देख लिया जाएगा और जरूरी कार्रवाई की जायेगी।

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्यमंत्री जी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाये खुद भुक्तभोगी को ही जांच में लाने के लिए तैयार हो गये लेकिन जिन लोगों ने डीजल की दुकान पर हमला करके वहाँ पर विक्रेता को बुरी तरह से मारापीटा और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही पूर्व विधायक और उनके लड़के ने 20-25 गुण्डों के साथ मारापीटा और जिस तरह से आतंक का माहौल बनाने का काम किया, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उन्हें ही बचाने का काम कर रहे हैं, इससे साफ है कि पूरे प्रदेश में गुण्डों का राज है और बहुजन समाजवादी पार्टी गुण्डाराज के विरोध में सदन का बहिर्गमन करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री मोहम्मद आजम खां--

यह कार्यवाही होगी। जो गुनहगार होगा उन्हें सजा दी जायेगी। डीजल विक्रेता के बारे में देखा जायेगा कि उनके पास कितना तेल था और कितना उन्हें एलाट था, अगर ज्यादा है तो कहां से आया, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह राजनीति करना उचित नहीं है। एक एग राजनीतिक दल डीजल विक्रेता की हिमायत में बाई काट कर दे यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्यों एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जिला बिजनौर में नौ चीनी मिलें हैं। धामपुर चीनी मिल तथा बुन्दकी चीनी मिल गन्ने का रेट 145 रु0 प्रति कुन्तल तथा 142 रु0 प्रति कुन्तल दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रेट रु0 115 तथा 120 प्रति कुन्तल निर्धारित किया है। निजी चीनी मिलें सरकारी मिलों के क्षेत्र से गन्ना अपने दलालों द्वारा खरीद रही है किन्तु कागजों में इसे अपने फार्म का गन्ना दर्शा रही हैं। खेती का संज्ञान लेते हुए सरकार ने 3 मार्च, 06 को शासनादेश द्वारा 'पश्चिम की सरकारी मिलों' रु0 13 प्रति कुन्तल अतिरिक्त दाम देने की अनुमति प्रदान की गयी है। किन्तु बिजनौर जिले को गन्ना विभाग 'पश्चिम क्षेत्र' में नहीं मान रहा है। जिले में नौ चीनी मिलों की उपस्थित में गहन प्रतिस्पर्धा है। यदि इस शासनादेश का लाभ बिजनौर चीनी मिल को न मिला तो वह शीर्घ ही बन्द हो जायेगी। ज्ञातव्य हो कि बिजनौर चीनी मिल लाभदायी मिल है। इसके चलने से सरकार के द्वारा घोषित गन्ना रेट सार्थक होता हैं। क्षेत्र के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन कर चर्चा की अनुमति देकर क्षेत्र के किसानों को संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

इसको देख लें यह गन्ने के अभाव में बन्द हो जायेंगी।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, हमारा कहना है कि बिजनौर जिले को पश्चिम में माना जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह सरकार गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखती है। यह सरकार किसानों की सरकार है और किसानों के लिए कटिबद्ध है। यदि कहीं और विचार करने की आवश्यकता होगी तो विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

यह किसानों से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

यह उसी से सम्बन्धित हैं।

(श्री हुकुम सिंह जी के खड़े होकर बोलने पर)

मान्यवर, माननीय भारतेन्द्र जी वरिष्ठ सदस्य हैं वह अपनी बात नहीं कह सकते है क्या ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जो सरकारी चीनी मिलें है अभी तक उनमें वहीं भाव दिया जा रहा है सरकार द्वारा। पश्चिम में सरकारी मिलों को 13 रुपया अनुदान दे दिया गया है जबकि बिजनौर उसमें शामिल नहीं किया गया है और वह फायदे में नहीं है। अगर आप 13 रुपया अनुदान देने की अनुमति नहीं देंगे तो किसानों का नुकसान होगा। अगर बिजनौर पश्चिम में नहीं है तो रामपुर कैसे पश्चिम में हो गया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आंजम खाँ--

मान्यवर, यह है असलियत। हाय 'रामपुर-हाय रामपुर'। रामपुर चीनी मिल तो इन्होंने ही बन्द की थी। रामपुर न तो पश्चिम में है और न पूरब में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी को सुन लें।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

मान्यवर, बिजनौर को भी पश्चिम में शामिल कर लिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

हमारी आपकी सहमति तो बन गयी थी। यह हुकुम सिंह कहाँ से आ गये। मान्यवर, जो भी सहायता सम्भव होगी वह दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्यों एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूँ। इसमें तीन लोगों के हस्ताक्षर हैं। श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी बोलें।

श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, आपने मुझे नियम-56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हाईस्कूल की परीक्षाओं में खुले आम धांधली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शासन का नकलविहीन परीक्षा का दावा खोखला।

श्री अध्यक्ष--

आप इस विषय की ग्राह्यता पर बोलें। यह पढ़ क्यों रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल --

हमारे यहां मेरठ में एक हाई स्कूल की पुस्तिका बाहर आ गई और नकल माफियाओं के पास पहुंच गयी और नकल उसमें से चल गयी जब यह कह रहे हैं कि नकल नहीं हो रही है और नकल होने के बाद में यह कापी पकड़ी गयी है और उन लोगों को अनर्ह कर दिया गया है, तो इसमें क्या जांच हो रही है, जब नकल विहीन परीक्षा होने का दावा किया जा रहा है परीक्षायें जो हो रही हैं उनमें कापी बाहर निकल जाती है बिना लिखे हुए और बाहर से लिखी हुयी कापी अन्दर पहुंच जाती है।

श्री अध्यक्ष --

यह महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय है, इस पर चर्चा कराई जाय, यह भी तो कहिये।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल --

जी हां, इस पर चर्चा कराई जाय।

* श्री अमर सिंह यादव --

मान्यवर मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र सिकन्दाराऊ जनपद महोबा नगर के वन खण्डी महाराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिकन्दाराऊ की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस विद्यालय में जो कासगंज रोड पर स्थित है, दो कमरे है और इसमें साढ़े ग्यारह सौ बच्चों का परीक्षा केन्द्र बनाया हुआ है प्रशासन के द्वारा और इतना ही नहीं इस परीक्षा केन्द्र से दो किमी0 दूर अपने निजी फार्म पर टेण्ट लगाकर टाट पट्टी बिछाकर परीक्षा दिलाई जा रही है बच्चों को और इसमें छात्रों के बिना पंजीयन के, फर्जी ट्रेजरी चालान के, फर्जी प्रवेश पत्र के, फर्जी परीक्षार्थियों के परीक्षा हो रही है और फोटो स्टेट मशीन घर में लगी हुई है और ब्लैक बोर्ड पर बोल-बोल कर परीक्षा कराई जा रही है, इतना ही नहीं प्रशासन को बार-बार मैंने शिकायत की इसके बावजूद प्रशासन उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। एस0डी0एम0, डी0आई0ओ0एस0 को अन्दर नहीं घुसने दिया जाता है और वहां पर डी0एम0 द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार जो अपाहिज है, विकलांग है, जो एक्सीडेण्टल है उसको नियुक्त कर दिया गया है जो स्वयं अपने आप में रिक्शा पर नहीं बैठ सकता, चल फिर नहीं सकता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विद्यालय की नकल को रोका जाय। इसमें मेधावी छात्रों की प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

*श्री रामवीर उपाध्याय--

माननीय अमर सिंह यादव जी के क्षेत्र का मामला है और यह नकल का छुटपुट सा माहौल पूरे प्रदेश में चल रहा है, शासन रोकता भी रहा है। मान्यवर इनके क्षेत्र में वन खण्डी महाराज इण्टर कालेज है उसमें मात्र दो कमरे है उसमें 1150 छात्र...

श्री अध्यक्ष--

यह सब तो यह बता चुके है आप अलग से कोई तथ्य हो तो उसको बता दें।

श्री रामवीर उपाध्याय--

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूं। मान्यवर, 1996 में यह श्री युवराज सिंह जी हैं उन्होंने 1996 में यह नकल का धन्धा शुरू किया और यह हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू-कश्मीर से, दिल्ली से, आस-पास के प्रान्तों से छोटे-छोटे नकल माफियायों से नकल का ठेका लेते है, करीब चार हजार छात्रों का ठेका लिया गया हैं इसमें 20-30 हजार रुपये ले कर नकल करा रहे हैं और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जिलाधिकारी को शिकायत की गयी, डी0आई0ओ0एस0 को शिकायत की गयी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को शिकायत की गयी, सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को की गयी और सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को शिकायत की गई, सभी को शिकायत की गई, व्यक्तिगत रूप से माननीय अमर नाथ यादव मिले, मैं भी उनके साथ जाकर मिला, सारे तथ्य उनको दिये यहां तक कि नवीं क्लास और ग्यारहवी क्लास का जो पंजीकरण होता है वह भी फर्जी है, उनका परिचयपत्र फर्जी है, उनके ट्रेजरी चालान फर्जी है, उसके बावजूद अपने निजी कृषि फार्म में टेण्ट लगा कर के 1150 बच्चों का एक जगह और एक स्कूल है उनका अपना होदल सिंह इण्टर कालेज है एक हजार लड़कों को उसमें ब्लैक बोर्ड पर लिख कर के, लाउडस्पीकर से बोल करके नकल कराई जा रही है, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दृढ़ता से इस नकल को रोकवाया जाय और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, करीब चार सौ करोड़ का ठेका लिया गया है उसमें जिला प्रशासन के अधिकारी भी लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, शिकायत का संज्ञान ही नहीं लिया जायेगा बल्कि यह गम्भीर मामला है, इसकी जांच भी होगी और इसमें जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उचित यह होगा कि निदेशालय के किसी अधिकारी को भेज कर तीन दिन के अन्दर पूरी जांच करा ली जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

श्रीमन् जैसा आपका निर्देश। ऐसा तो कभी आपकी सरकार में पीठ से निर्देश हुआ ही नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह मुझे नहीं कहना चाहिए, जब विपक्ष में मैं था तो ऐसे मामले मैंने बहुत उठाये थे और यहां से भेज-भेज कर जांच कराई गई है।

*श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे विशेष उल्लेख के अन्तर्गत इस मामले पर बोलने का मौका दिया। मुझे उम्मीद है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कृपापूर्वक कार्यवाही के निर्देश देंगे।

मान्यवर, यह दिनांक 10 फरवरी, 2006 की बात है। उस दिन मेरा ड्राइवर और मेरे एक रिश्तेदार स्टेशन के सामने से चले आ रहे थे। गाड़ी बगल में खड़ी कर दी थी। मेरे ड्राइवर को वहां के अपराधियों ने पकड़ कर मारा, बटो से मारा और उसको उससे हेड इंजरी हो गई। उसको झांसी मेडिकल कालेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहां वह कई दिन इलाज में रहा तब जाकर बच पाया। इसी तरह से मेरे एक रिश्तेदार काशी राम जो प्रधान अध्यापक हैं, उनको भी उन्होंने मारा और इससे उनकी पसली टूट गई। मान्यवर, इसकी रिपोर्ट थाना मऊरानीपुर में अपराध संख्या 122 के अन्तर्गत पंजीकृत हुई और उसमें धारा 395, 397 तथा 364 लगाई गयी हैं। मान्यवर, यह मुकदमा वहां लिखा गया और यह मुकदमा लिखने के बाद स्थिति यह है कि आये दिन मुझे और मेरे परिवारजन को मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैंने इस मामले को जिला प्रशासन को भी बताया, उन्होंने इसकी जांच कराई और उसके आधार पर मुझे सुरक्षा भी दी हैं। वह सुरक्षा मेरे साथ हैं। मान्यवर, वे अपराधी सत्तापक्ष के लोगों से साठं-गांठ करके प्रयासरत है कि मेरी वह सुरक्षा हटा दी जाये और वे लोग मेरे साथ और मेरे परिवारजन के साथ कोई गम्भीर घटना घटित करने की योजना बना रहे हैं।

मान्यवर, मैं दो बातें चाहता हूं कि मैं एक विधान सभा का सदस्य हूं जो मुझे सुरक्षा जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराई हैं, वह मेरे सुरक्षा की दृष्टि से हटाई न जाये और उसे स्थाई रूप से बनाये रखा जाये। दूसरा अपराधियों को गिरफ्तार करवा दिया जाये। मान्यवर, सरकार की भी यह मंशा है कि सदस्यों को पूरा संरक्षण और सुरक्षा मिले। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की सदस्यों पर विशेष कृपा रहती है। मान्यवर, मैं यह चाहूँगा कि सरकार की तरफ से इसमें तत्काल कार्यवाही कराई जाये और जो नामजद अपराधी है उनको तत्काल गिरफ्तार कराया जाये। और इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने का मैं अनुरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह इनकी सुरक्षा का मामला है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में नेता सदन, माननीय मुख्यमंत्री जी अलग से बात कर लूँगा। आपने एक बात कही कि एक की पसली टूट गई है तो वह कौन है।

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, वे मेरे रिश्तेदार हैं, बुजुर्ग है और मास्टर है और अध्यापन कार्य के लिए जा रहे थे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

वह तो और भी गम्भीर बात है, उस पर भी हम कार्यवाही करायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी आपकी जो सूचना है उसको मैंने नियम 51 में वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, नियम 51 में जो बात है वह नियम 56 से अलग है। फिर इस तरह से तो नियम 56 में उठाने का कोई मतलब नहीं है यह महत्वपूर्ण मामला है। नियम 56 का विषय नियमों में अलग से वर्णित है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 4-4 मर्डर हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

उसको भी वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है नियम 51 में।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, गम्भीर घटना है 4-4 मर्डर हुए हैं इसमें एक मर्डर तो तत्काल हो गया जिसमें मृत्यु हो गई और 3 की मृत्यु बाद में हुई। इसमें दो लोग मरणासन्न स्थिति में हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इसकी पूरी सूचना इस समय नहीं होगी इसलिए उनको जवाब देने में असुविधा होगी। नियम 51 में, जब सदन चल रहा हैं, तो वक्तव्य आ जायेगा और उसमें आपको पूरा अवसर रहेगा अपनी बात कहने का।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है इसे सुन लीजिए।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, यह मेरा नियम 56 का अलग मामला हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत गम्भीर मामला है। यह मेरे विधान सभा का थाना रौजा के ग्राम अहमदनगर का मामला हैं। मान्यवर, जब लोग होली का जश्न मना रहे थे तो हमारे यहाँ इतने लोग मारे जाते हैं। मान्यवर, एक परिवार अपने भांजे भतीजे के साथ होली मिलने जा रहा था उनके विरोधी पार्टी के लोग उसी गांव में रहते है नतीजा यह हुआ कि 4-5

लोग जो निहत्थे जा रहे थे उनके विरोधी थे बटेश्वर एण्ड कम्पनी उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गयी जिसमें 3 लोग मारे गये। एक की घटनास्थल पर मौत हो गयी और दो लोग जो गम्भीर रूप से घायल हो गये जिनकी अस्पताल जाते समय रास्ते में मौत हो गयी इसमें दो लोग अमित और अनिल जिनकी उम्र 20-25 साल है वह लोग गम्भीर रूप से घायल हे तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह लोकमहत्व का विषय है और अविलम्बनीय है और यह सुनिश्चित घटना है नियम 56 के लिए जो इनग्रीडिएन्ट्स है वह सारी की सारी पूरी होती हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो मांग करता हूँ एक तो घायलों का [illegible] इलाज हो जाय और दूसरा यह कि वे आर्थिक रूप से भी पिछड़े हे और सामाजिक रूप से पिछड़े है पाल बिरादरी के लोग हैं। इसमें एक योजना है कि सरकार ऐसे मामले में कम से कम एक लाख रुपये मुआवजा देती आयी है और दे रही है इस घटना में मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को भी एक-एक लाख रुपये मुआवजे के रूप में दे दिया जाय और उनकी गांव में सुरक्षा व्यवस्था करा दी जाय और घायलों के इलाज की व्यवस्था करा दी जाय।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, जितने भी अपराधी होते है पुलिस उसमें उनके विरुद्ध पूरी कार्यवाही करती हैं। आपने बताया कि इसमें मुकदमा कायम हो चुका हैं। जो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए है उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जायेगी और जिन लोगों की सुरक्षा की जरूरत होगी उनको सुरक्षा पहुँचा दी जायेगी। जहाँ तक आर्थिक सहायता का मामला है जो आपराधिक प्रकृति के केसेज है उसमें जो शासन से पहले से मानक तय है उसके अलावा अलग से कोई मदद नहीं की जाती हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले इसके विपरीत जो लोग मारे गये है पुलिस ने जाकर उन्हीं का ट्रैक्टर तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, इंजन तोड़ दिया। मान्यवर, 3-4 मर्डर हुए है कानून व्यवस्था का मामला हैं। दो बातें मैंने आपके माध्यम से चाही हैं एक तो आर्थिक सहायता चाही हैं क्योंकि वह आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े है और दूसरे जो घायल है उनके इलाज की व्यवस्था हो और तीसरा मान्यवर, गांव में सुरक्षा व्यवस्था हो। मान्यवर, जहाँ 4 मर्डर हो चुके है वहाँ आप कल्पना कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने कहा तो है कि सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, आर्थिक सहायता का मामला हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। यह नियम 51 से निरस्त हो गया।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, 14 मार्च, 2006 को गाजियाबाद, मुरादाबाद [illegible] रामपुर के रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी रेलवे के अधिकारियों को मिली थी।

श्री अध्यक्ष--

अब यह कहाँ से आ गया ? यह भय का वातावरण न बनाइये। अब यह नहीं सुना जायेगा अग्राह्य हो गया है। इस पर तमाम चर्चा हो गयी है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, यह मशकगंज मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता हैं। यह मेरे क्षेत्र का मामला हैं। मैं केवल जाँच की माँग कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष--

आप जबरदस्ती न करिये, यह अग्राह्य हो गयी है। आप पढ़े-लिखे हैं। आपको तो मैं वैसे ही बुलवा देता हूँ।

श्री उदयभान करवरिया द्वारा श्री मोहम्मद आजम खाँ संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री शारदा नन्द अंचल राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) सहकारिता के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 5 अगस्त, 2004 के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब सदन को एक सूचना देनी हैं।

श्री उदयभान करवरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय श्री मो0 आजम खां, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री शारदानन्द अंचल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 05 अगस्त 2004 के मामले में निर्णय ले लिया गया है।

उपर्युक्त मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना अग्राह्य कर दी गयी है।

उक्त सूचना पर मेरे द्वारा दिया गया निर्णय सदन के आज, दिनांक 20 मार्च, 2006 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

निर्णय

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत श्री उदयभान करवरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय श्री मो0 आजम खां, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री शारदानन्द अंचल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता के विरूद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 05 अगस्त, 2004 को अभिसूचित की गयी थी।

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह आरोप लगाया था कि दिनांक 4 अगस्त, 2004 को नियम 52 के अन्तर्गत सदन में बिजली तथा कानून-व्यवस्था पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने हंडिया ब्लाक प्रमुख, श्री सुरेश चन्द्र मौर्य के ऊपर हुए जानलेवा हमले पर पूर्व में दी गयी सूचना के आधार पर जब चर्चा प्रारम्भ की तो माननीय श्री मो0 आजम खां, संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय श्री शारदानन्द अंचल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग ने उनके विषय में टिप्पणी की, कि "माननीय सदस्य का आचरण जब सदन में ठीक नही है तो बाहर भी खराब है एवं

नोट--[ ] यह अंश कार्यवाही का अंग माना गया।

इलाहाबाद में सारी हत्या करवरिया के द्वारा करायी गयी है।" माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह भी कहा है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अपने कहे पर सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए तथा उक्त बातों को कार्यवाही का अंग नहीं माना जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अभिकथन प्राप्त किया गया। माननीय श्री मोहम्मद आजम खां, संसदीय कार्य मंत्री ने अपने अभिकथन में यह कहा है कि विधान सभा की दिनांक 4 अगस्त, 2004 की बैठक में सदन में उनके द्वारा मा0 श्री करवरिया के बारे में उनकी प्रश्नगत सूचना में उल्लिखित बातें कही ही नहीं गयी। उन्होंने सदन में यह कहा था कि "मान्यवर, अगर माननीय सदस्य अपने बारे में यह साबित करना चाह रहे हैं कि जो आचरण यहां हैं, वही आचरण हैं, तब तो बात दूसरी है।" उन्होंने माननीय सदस्य के बारे में यह नहीं कहा कि माननीय सदस्य का आचरण जब सदन में ठीक नहीं है तो बाहर भी खराब हैं। उन्होंने सदन में यह कहा था कि 'मान्यवर, अभी मैंने सुना, इधर से माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि सारी हत्याएं इन्होंने करवाई है, यह तो बड़ी गम्भीर बात है।' इससे यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य, श्री करवरिया द्वारा हत्याएं किये जाने का आरोप मैंने नहीं लगाया बल्कि ये बातें सदन में दूसरे सदस्यों द्वारा कही जा रही थी, जिसे उस दिन सदन में शोर-शराबे के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्भवत: सुना नहीं जा सका था। इसलिए मैंने सदस्यों द्वारा कही गई बातों को ही मा0 अध्यक्ष के संज्ञान में लाते हुए यह कहा था कि 'ऐसा है तो यह बहुत ही गम्भीर बात है।'

इसी सम्बन्ध में माननीय श्री शारदानन्द अंचल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग से प्राप्त अभिकथन में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि विधान सभा के अन्दर कोई मामला उठता है तो उत्तर-प्रति उत्तर में माननीय सदस्यों द्वारा बातें उठती हैं लेकिन उस समय सदस्य की मंशा किसी सदस्य के बारे में अवमानना करने की नहीं होती बल्कि माननीय सदस्य की मंशा सदन के समक्ष सूचनाएं रखने की होती है, अवमानना की मंशा नहीं होती हैं। फिर भी यदि किसी शब्द से माननीय श्री करवरिया को कष्ट हुआ हो तो उसके लिए उन्होंने अफसोस व्यक्त किया है और इस प्रकरण को निस्तारित करने का उन्होंने अनुरोध किया हैं।

प्रश्नगत प्रकरण में मेरे कार्यालय-कक्ष में श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री उदयभान करवरिया के मध्य इस सम्बन्ध में बातें भी हो चुकी है जिसमें श्री अंचल ने खेद व्यक्त कर दिया था। अत: मैं इस मामले में अग्रतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझता हूँ और इसे निस्तारित करता हूँ।]

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित एक घन्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष--

बाजपेयी जी तो हैं नहीं। मद संख्या 10 पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चर्चा है, आपने भी स्थगन का अनुरोध किया हैं, आप चाहें तो एक लाइन बोल दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में हमारी नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, यह चर्चा आगे जारी रहेगी।

अब यह सदन 2.30 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता हैं।

(तत्पश्चात 1 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मुझे सदन को एक सूचना देनी है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 मार्च, 2006 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन के दिनांक 21 से 23 मार्च 2006 तक का कार्यक्रम निम्न प्रकार रखा जाए :--

मार्च, 2006

21 मंगलवार] ⟶ बैठक नहीं होगी।
22 बुधवार]

23 गुरूवार ⟶ बैठक होगी।

सदन के शेष कार्यक्रम के बारे में सूचना यथा समय दी जाएगी।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई हैं, से सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं, से यह सदन सहमत हैं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सतीश महाना--

मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा विषयक प्रस्ताव सदैव सर्वसम्मति से स्वीकृत होता हैं, उसमें असहमति नहीं होती हैं।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, तब फिर आप प्रश्न क्यों करते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

महाना जी आप बैठ जायें।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, हम लोग छोटे सदस्य हैं, हम लोगों की जानकारी बहुत कम है, इसलिए कृपया बता दें।

श्री अध्यक्ष--

महाना जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको नियमों की जानकारी है: मंत्री भी रहे हैं, कृपया आप बैठ जायें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 20 मार्च, 2006 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री राम किशुन की, जो जनपद चन्दौली के रामनगर स्थित स्पंज आयरन की कम्पनी द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" की, वाराणसी महानगर के शिवपुरवा स्थित सगरातालकी जमीन को अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने एवं उस पर आवासीय भवन बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचना निरस्त कर दी गई है। चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जो जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम कोहराव स्थित श्री इन्द्रजीत, श्री रणजीत एवं श्री महादेव के विरुद्ध अनेकों आपराधिक मुकदमें दर्ज होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पाँचवी सूचना श्री राम करन आर्य की, जो जनपद बस्ती के बहादुरपुर अन्तर्गत महुआ डाबर को पुरातत्व विभाग द्वारा सुन्दरीकरण कराये जाने एवं ऐतिहासिक स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में हैं, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना डा0 विनोद तिवारी की जो जनपद पीलीभीत के पूरनपुर विधान सभा क्षेत्र में पल्स पोलियो दिवस '27 नवम्बर, 2005' के दिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उपस्थित न होने के सम्बन्ध में हैं, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल निधि में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट के तहत स्वीकृत धनराशियों का जिला अंश जनपदों में न दिये जाने के सम्बन्ध में हैं, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री सन्दीप अग्रवाल की, जो अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के अन्तर्गत रायबरेली में निर्माण इकाई, जल निगम द्वारा कराये गये कार्यों में करोड़ों रुपये के घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना कुंवर भारतेन्द्र सिंह की, जो जिला बिजनौर स्थित गंगा नदी से कटान को रोकने हेतु स्वीकृत 33 स्टड के अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील टाण्डा में सैकड़ो एकड़ तालाब की भूमि को एन0टी0पी0सी द्वारा अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ नगर निगम में नगर आयुक्त न नियुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई, उनके नाम इस प्रकार हैं:-- श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री धर्मपाल सिंह, श्री रणवीर राणा, श्री सदल प्रसाद, श्री मुन्शी लाल गौतम, श्रीमती श्रद्धा चौधरी, डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री कल्यान सिंह दोहरे, श्री लल्लू सिंह, श्री राम नरेश यादव, डॉ0 पूर्णमासी देहाती, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री दयाराम, श्री दीनानाथ कुशवाहा, श्री प्रागीलाल अहिरवार, श्री हरि प्रताप सिंह, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल।

जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज में ब्लाक प्रमुख के चुनाव में हिस्ट्रीशीटर श्री धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ की आख्यानुसार दिनांक 4-3-2006 को विकास खण्ड लालगंज में प्रमुख पद की पुन: मतगणना जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ की मध्यस्थता में ब्लाक मुख्यालय पर चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक के निकट पर्यवेक्षण में करायी गयी...

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

[जिसमें प्रमुख पद के सभी प्रत्याशी भी उपस्थित थे। मतगणना स्थल पर प्रमुख पद के प्रत्याशी श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं देवेन्द्र सिंह अथवा किसी अन्य (ए0 आर0 ओ0) के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ था। प्रत्याशी धर्मेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर हिस्ट्रीशीटर सं0 38 दर्ज है, जिसका आपराधिक इतिहास है।]

श्री प्रमोद कुमार--

मेरी जानकारी के अनुसार, मैं वहाँ उपस्थित था, जब प्रत्याशी चुनाव हारा तो उप निर्वाचन अधिकारी को दौड़ाया, डराया, धमकाया। जो रिपोर्ट मारपीट की आयी है। वह सत्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद कुमार जी, यह गाड़ियों में डीजल उपलब्ध होने वाला मामला तो नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा मामला मद संख्या 12 से सम्बन्धित है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि शासन से जो रिपोर्ट आयी है वह सही नहीं है। मेरा आग्रह है कि इसकी सत्यता की जांच किसी गैर जिले से या जिसको मंत्री जी उचित समझे उस एजेन्सी से करा लें। यह गम्भीर प्रकरण है, मैं सिर्फ इसकी जाँच चाहता हूँ। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि किसी अन्य एजेन्सी या उस जनपद के अधिकारी से जांच करा लें।

(इस समय 2 बजकर 29 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

मान्यवर, मद संख्या 12 में वक्तव्य आया है उसके संदर्भ में एक आग्रह हैं कि जो जांच आयी है, मेरी निश्चित जानकारी है कि गलत रिपोर्ट आयी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि मेरी जानकारी को सत्य मानते हुए किसी अन्य एजेन्सी या अन्य जनपद के अधिकारी से जांच करा लेंगे।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जांच भी जिलाधिकारी के द्वारा आयी है...

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं इसे पढ़ देता हूँ।

(श्री प्रमोद कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को पुन: पढ़ा)

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जब तक जिलाधिकारी थे विवाद नहीं हुआ लेकिन जिलाधिकारी के जाने के बाद विवाद हुआ। मेरी मांग है कि इसकी सरकार फिर से जांच करा ले।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

आप आगे पढ़ें। वक्तव्य में है कि "प्रत्याशी धर्मेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर हिस्ट्रीशीटर संख्या 38 दर्ज है जिसका आपराधिक इतिहास है"। तो सारी चीजें जो सच हैं इसमें पहले से दर्शा दी गयी है। इसमें और जांच की आवश्यकता नहीं है लेकिन पुन: इस बारे में पुष्टि कर ली जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार--

दूसरे जिले के अधिकारी से जांच करवा लें, आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 से जांच करवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

इस पर विचार कर लेंगे।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित अग्निशमन केन्द्रों पर दमकल की गाड़ियों में डीजल उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)--

[मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 की सूचना में यह इंगित किया गया है कि दिनांक 3-3-2006 को थाना उदयपुर, ग्राम कुम्भीडीहा, प्रतापगढ़ में अग्निकांड की घटना घटित होने की सूचना घटना स्थल से लगभग 07 किमी0 की दूरी पर स्थित अग्निशमन केन्द्र सांगीपुर को दिये जाने पर दमकल की गाड़ियां इस कारण घटनास्थल पर नहीं पहुँच सकी कि वाहनों हेतु डीजल उपलब्ध नहीं था। सूचना में यह भी इंगित किया गया है कि उक्त अग्निकांड में एक महिला की मृत्यु हो गयी तथा 6-7 घर जलकर नष्ट हो गये। नोटिस में ऐसे महत्वपूर्ण विभाग को धन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रत्येक विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों के अन्तर्गत आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाती है। अग्निशमन विभाग के लिए जो वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अन्य मदो के अतिरिक्त पेट्रोल एवं डीजल के मद में रु0 94.41 लाख की व्यवस्था करायी गयी थी। इसके अतिरिक्त उक्त विभाग की महत्ता एवं अतिरिक्त आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए रु0 65.46 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था दिनांक 1-2-2006 को पुनर्विनियोग के माध्यम से करायी गयी है। इसके साथ ही विभाग में उपलब्ध गाड़ियों में डीजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु अग्निशमन इकाई के लिये शासन द्वारा रु0 110.13 लाख की और व्यवस्था दिनांक 3-3-2006 को की गयी है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अग्निशमन विभाग को पेट्रोल एवं डीजल मद में आवंटित धनराशि में से रु0 2,30,000 की धनराशि जनपद प्रतापगढ़ को आवंटित की गयी थी तथा उक्त जनपद की मांग के अनुसार उन्हें अभी रु0 1,90,000 की धनराशि और आवंटित की जानी अवशेष है। यह भी सूचित किया गया है कि पूरे प्रदेश हेतु उक्त मद में रु0 2,46,82,945 के बिल अनुदान के अभाव में लम्बित हैं।

शासन द्वारा वित्तीय संसाधन की सीमाओं के अन्तर्गत ही अतिरिक्त धनराशि की मांग की पूर्ति किया जाना सम्भव होता है तथा पेट्रोल डीजल के मद में धनराशि की उपलब्धता के अनुसार राजकीय वाहनों को क्रियाशील रखना सम्भव है। शासन द्वारा अग्निशमन सेवाओं के लिये दिनांक 3-3-2006 को किये गये अतिरिक्त आवंटन से जनपद प्रतापगढ़ में लम्बित दायित्वों का कुछ सीमा तक भुगतान भी सुनिश्चित हो सकेगा। वैसे थानाध्यक्ष, उदयपुर की सूचना पर फायर सर्विस अमेठी की गाड़ी आयी थी।]

श्री प्रमोद कुमार--

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव में आग लग गई और कई घर जल गये। इसकी सूचना दी गई । फायर ब्रिगेड का केन्द्र सात किलोमीटर दूर था वहां पर डीजल उपलब्ध नहीं था जिससे गाड़ियां नहीं आ सकी और सात घर जलते रहे तथा एक व्यक्ति जलकर मर गया। पिछले डेढ़ महीने में इन दोनों जगहों पर जब आग लग जाती है और आग लगने की सूचना अग्निशमन केन्द्र को दी जाती है तो यह बताया जाता है कि डीजल के लिये पैसा नहीं है इसलिये गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। यह कितना दुखद है कि फायर बिग्रेड केन्द्र पर डीजल उपलब्ध नहीं है जिससे एक व्यक्ति मर जाता है और दूसरी घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो जाती है और अधिकारी विवशतावश कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिये मेरी मांग है कि इन दोनों केन्द्रों पर, लालगंज तथा सांगीपुर में कुछ धन की व्यवस्था करा दें ताकि भविष्य में आग लगने पर कम से कम यह न कहा जाये कि पैसा न होने की वजह से डीजल उपलब्ध नहीं है। मेरा कहना है कि इन केन्द्रों हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था करा दी जाय ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, धन का अभाव था। इस कमी को पूरा कर दिया जायेगा। इस पर विचार हो जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह कहना कि विचार हो जायेगा, ठीक नहीं है। फायर ब्रिगेड हेतु डीजल की व्यवस्था करा दी जायेगी इसको कहने में क्या दिक्कत है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मानवीय आधार पर और वास्तविक आधार पर जो भी बेहतर सम्भव होगा किया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, सरकार का यह एटीट्यूड बहुत गलत है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कृपाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

श्री राम कृपाल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि जनपद इलाहाबाद का विधान सभा क्षेत्र मेजा लगातार तीन वर्षों से भयंकर सूखे की चपेट में आ रहा है। इसकी वजह से मजदूर किसान भुखमरी की कगार पर है इसलिये वसूली माफ की जाय तथा विधान सभा क्षेत्र मेजा को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय।

जनपद इलाहाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2005-06 में सामान्य से कम वर्षा होने तथा कतिपय क्षेत्रों में सन्तोषजनक वर्षा होने की दशा में खरीफ की फसल बोई तो गयी थी किन्तु पर्याप्त वर्षा के अभाव तथा टोन्स एवं अन्य नदियों के जलाशयों में पानी न होने के कारण पलेवा से लेकर रबी की बुआई हेतु वांछित सिंचाई नहीं हो सकी। वे क्षेत्र जो नहरों के कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत आते हैं उनमें बुआई तो हुई परन्तु प्राकृतिक वर्षा के अभाव में फसलें प्रभावित हुई हैं और अच्छे उत्पादन की सम्भावना बहुत कम हो गयी है।

जिलाधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्रों का प्लाट टु प्लाट सर्वेक्षण कराकर जिला कृषि अधिकारी से समन्वय करके रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय की बाउण्ड्री बनाने में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विधायक निधि के धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

श्री रमेश चन्द्र बिन्द, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अनतर्गत दी गई सूचना में उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मिर्जापुर को जाँच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। जिलाधिकारी, मिर्जापुर से जांच आख्या प्राप्त होनें पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बस्ती स्थित रेफरल अस्पताल में निदेशकों/चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि कैली चिकित्सालय, बस्ती में रेफरल अस्पताल के रूप में इलाज की समुचित व्यवस्था होनी थी, लेकिन अभी तक अस्पताल पूर्ण नहीं हो पाया है। अस्पताल के निर्माण 15 वर्ष से ऊपर होने के बावजूद भी लगभग 100 पद

सफाई कर्मी एवं अन्य कर्मचारियों के खाली पड़े हैं। तमाम विभागों के डाक्टरों के पद रिक्त हैं और निदेशक की नियुक्ति तथा अलग से बजट प्राविधान की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गयी है। उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा सदन में वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

2--इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 500 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, कैली, बस्ती के भवन निर्माण की मूल स्वीकृति दिनांक 30-3-1991 को रु0 2167.38 लाख लागत के साथ प्रदान की गयी थी। निर्माण कार्य हेतु उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था निर्धारित किया गया। तत्समय एकमुश्त धनराशि उपलब्ध न हो पाने तथा प्रयोग में आने वाली विभिन्न सामग्रियों की कीमत में वृद्धि हो जाने के कारण दिनांक 07-11-1997 को इसकी पुनरीक्षित लागत रु0 4594.67 लाख स्वीकृत की गयी तथा पुन: पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति दिनांक 01-08-2005 को रु0 5203.90 लाख लागत के साथ प्रदान की गयी। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष समस्त धनराशि अर्थात रु0 5203.90 लाख निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करा दी गयी है। परियोजना को दिसम्बर, 2006 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

3--चिकित्सालय में 300 शैय्या स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 283 शैय्या क्रियाशील है। निदेशक का पद 31-01-2006 से भरा हुआ है तथा निदेशक कार्यरत है। चिकित्सालय में विभिन्न श्रेणी के 23 चिकित्सक कार्यरत हैं। पैरामेडिकल संवर्ग के 69 कर्मिक कार्यरत हैं। चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी के 29 कर्मचारी कार्यरत हैं। जहां तक चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था का प्रश्न है सफाई का कार्य संविदा पर एजेन्सी द्वारा कराया जा रहा है। चिकित्सालय की शैय्या उपयोगिता 40 प्रतिशत है। इमरजेन्सी सेवायें 24 घण्टे उपलब्ध हैं। अतिविशिष्ट सेवाओं में हीमोडायलेसिस मशीन द्वारा डायलेसिस की जा रही है, जिसमें प्रदेश के बाहर के रोगी भी उपचार कराने आते हैं। सी0 टी0 स्कैन मशीन की भी स्थापना भी हो चुकी है तथा आपरेशनल प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। मशीन को शीघ्र ही क्रियाशील कर दिया जायेगा चिकित्सालय में ओ0 पी0 डी0 में औसतन 400 मरीज प्रतिदिन आते हैं।

4--प्रदेश सरकार जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिबद्ध एवं सजग है और इसमें अतिरिक्त सुधार लाने हेतु कृत संकल्प है। औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर करायी जा रही है। जहाँ तक चिकित्सकों की कमी का प्रश्न है, इस विषय में मा0 सदन को यह भी अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सकों के रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयन सूची प्राप्त होते ही नियुक्ति की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करके बस्ती मण्डल के विभिन्न चिकित्सालयों में रिक्त चिकित्सकों के पदों पर यथा सम्भव तैनाती सुनिश्चित की जायेगी। प्रदेश के अन्य चिकित्सालयों में भी चिकित्सकों की कमी है। लोक सेवा आयोग से चयन होने तक इस कमी को पूरा करने हेतु विभिन्न जनपदों में संविदा पर भी चिकित्सकों को तैनात किया गया है।

जनपद कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में मुगलरोड से कमलापुर नवही मार्ग का सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

श्री राकेश सचान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर में मुगल रोड से कमलापुर नवही मार्ग की अधूरी सड़क का निर्माण कार्य अविलम्ब पूरा कराये जाने की मांग सम्बन्धी सूचना दी गयी है। मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :--

मान्यवर, उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कानपुर नगर में विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में मुगल मार्ग से कमलापुर नवही मार्ग के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 4-2-1995 द्वारा 2.75 कि0मी0 लम्बाई के लिये रु0 17.13 लाख की स्वीकृति राज्य सेक्टर (वित्तपोषित मण्डी परिषद) के अन्तर्गत प्रदान की गई थी। स्वीकृति के अनुसार 2.75 कि0मी0 लम्बाई में शून्य से लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना था इसके विरुद्ध 2.75 कि0मी0 लम्बाई में सोलिंग स्तर तक कार्य किया जा चुका है। जिसमें से 2.00 कि0मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 0.75 कि0मी0 लम्बाई में टापकोट तथा लेपन का कार्य किया जाना है। स्वीकृत लागत रु0 17.13 लाख को सापेक्ष पूर्ण धनराशि का व्यय किया जा चुका है।

मजदूरी एवं सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण नहीं हो सका है। अत: कार्य का पुनरीक्षित आगणन तैयार किया जा रहा है।

जनपद मथुरा स्थित ग्राम पेरसुआ अन्तर्गत श्री बांकेलाल के घर पर दबंगों द्वारा लूटपाट एवं मारपीट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्रकरण में आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार दिनांक 28-2-06 को थानाध्यक्ष राया, जनपद मथुरा को उनके मोबाइल पर श्री बांके लाल पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी पेरसुआ, थाना राया, जनपद मथुरा द्वारा सूचना दी गयी कि गांव के कुछ लोग हवाई फायर कर रहे हैं। उस समय दिन के लगभग 2.00 बजे थे। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष राया द्वारा फोर्स सहित तत्काल मौके पर पहुंच गया तो वहाँ पर फायर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला, केवल श्री बांके लाल व अन्य लोग मिले जिनसे थानाध्यक्ष द्वारा बातचीत की गयी एवं उक्त घटना के बारे में रिपोर्ट लिखाने के बारें में कहा गया। किन्तु बांके लाल द्वारा उक्त घटना के बारे में थाने पर कोई लिखित/मौखिक मुकदमा नहीं लिखाया गया और दिनांक 1-3-06 को थाने आकर लिखित तहरीर दी गयी जिसके आधार पर थाना राया पर मु0 अ0 सं0 42/06 धारा 147/148/323/352/427 भा0 दं0 वि0 बनाम सोमू आदि 12 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण की गिरफ्तरी हेतु दबिश दी गयी परन्तु कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभियुक्त बौबी उर्फ ज्ञानेन्द्र के नाम डी0 बी0 बी0 एल0 बन्दूक का शस्त्र लाइसेन्स है जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 द0 प्र0 सं0 के अन्तगर्त कार्यवाही की गयी है।

2--शासनादेश सं0 190-नि0 स0/स0गृह(आर) 2006, दिनांक 7-3-06 के अनुक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा के पत्र सं0 सी0 ओ0 ए0 ओ0--विवेचना--स्था0-19(मथुरा)2006/2827, दिनांक 9-3-06 के द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना जनपद मथुरा से जनपद आगरा स्थानान्तरित की गयी है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बर्ताव सबके साथ बराबर होना चाहिये। अगर आप वापस आ सकते हैं तो फिर सबको पढ़ेंगे । किसी अमुक सदस्य के साथ अमुक व्यवहार । हम पढ़ेंगे और सब सुनेंगे।

जनपद गाजियाबाद स्थित रिलायन्स पावर प्रोजेक्ट लगाने हेतु अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिसौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 19 का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। स्थगित है।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कर्मचारियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण न किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया)

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 20 पढ़ेंगे ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)--

मद संख्या 19 का मेरे पास जवाब नहीं है। मद संख्या 20 का मेरे पास जवाब है वह पढ़ रहा हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

श्रीमती विद्या चौधरी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 9-03-2006 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा दिये जा रहे प्रत्यावेदनों का निस्तारण न किये जाने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष का उल्लेख करते हुए श्री एच0 एन0 सिंह चीफ फार्मेसिस्ट, सी0 एम0 एस0 डी0 स्टोर अधीन सी0 एम0 ओ0, आजमगढ़ का स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 78406/2005 में दिनांक 23-12-2005 को पारित आदेशों के क्रम में श्री एच0एन0 सिंह द्वारा दिनांक 26-12-2005 को दिये गये प्रत्यावेदन को निस्तारित न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य निर्धारित है।

इस विषय पर अवगत कराना है कि श्री एच0 एन0 सिंह, चीफ फार्मेसिस्ट अधीन सी0 एम0 ओ0, आजमगढ़ का स्थानान्तरण शासनादेश संख्या 3327/5-7-2004-सात-74/2002, दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रशासनिक आधार पर जनपद झांसी में किया गया था। उक्त शासनादेश को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 78406/2005 दायर की गयी थी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23-12-2005 को श्री सिंह द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने पर उसे निस्तारित करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेशों के क्रम में श्री एच0 एन0 सिंह द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 26-12-2005 शासन को उपलब्ध कराया गया।

इस प्रत्यावेदन के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि श्री एच0 एन0 सिंह, चीफ फार्मेसिस्ट के विरुद्ध शिकायतें भी प्राप्त हुई थी तथा इनके आवास पर दिनांक 22-9-2005 को पुलिस द्वारा छापा मारा गया था, जिसमें इनके आवास पर सी0 एम0 एस0 डी0 स्टोर का सामान प्राप्त हुआ था जिसके लिये श्री सिंह के विरुद्ध कोतवाली आजमगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 1024/2005 धारा 418, 240, 409 आई0 पी0 सी0 तथा 13 (1) पंजीकृत किया गया है।

चूँकि चीफ फार्मेसिस्ट पद के नियुक्ति प्राधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें है, अत: श्री एच0 एन0 सिंह, चीफ फार्मेसिस्ट के प्रत्यावेदनों को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक से यह सूचना मांगी गई है कि श्री एच0 एन0 सिंह द्वारा जनपद झांसी में कार्यभार न ग्रहण किये जाने हेतु इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। यदि इन्होंने जनपद झांसी में रिपोर्ट की हो तो उसकी स्थिति तथा प्रश्नगत अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति की भी सूचना मांगी गई है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही सभी तथ्यों पर विचार करते हुए श्री एच0 एन0 सिंह के प्रत्यावेदन का निस्तारण शीघ्र कर दिया जायेगा।

के0 पी0 एल0 टी0 ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त शिक्षकों के बकायों का भुगतान न होने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि के0 पी0 एल0 टी0 ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त शिक्षकों को 24 महीने से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इतने लम्बे समय से पेंशन न मिलने के कारण शिक्षकों के पारिवारिक जीवन में गम्भीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदेश के लगभग सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों की पेंशन का भुगतान कोषागार/बैंक द्वारा किया जाता है परिणामस्वरूप उन्हें पेंशन समय से मिलती है परन्तु एल0 टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है जो कि किसी तरह से उचित नहीं है। अत: के0 पी0 एल0 टी0 ट्रेनिंग कालेज के शिक्षकों को 24 माह से अधिक समय से रुकी पेंशन का तत्काल भुगतान कराने तथा यहाँ के शिक्षकों को अन्य महाविद्यालयों की तरह पेंशन कोषागार/बैंक से कराने हेतु अविलम्ब कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में समस्या के समाधान हेतु मा0 सदस्य द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 26-10-05 को पत्र भेजा गया है। लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रकरण पर नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

2--उल्लेखनीय है कि के0 पी0 एल0 टी0 ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2003-04 में रु0 5,26,000, वित्तीय वर्ष 2004-05 में रु0 2,54,000 तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 में रु0 3,00,000 आवंटित किया गया है।

3--उपर्युक्त धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद को आवंटित की जाती है। जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद को निदेशक, एस0 सी0 आर0 टी0 द्वारा आवंटित की जाती है जिसका भुगतान प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा किया जाता है। के0 पी0 एल0 टी0 ट्रेनिंग कालेज,

इलाहाबाद के अवशेष पेंशन देयक की सूचना प्राप्त की जा रही है। शासनादेश संख्या 1397/15-11--03--1499(32)/91, दिनांक 11 अगस्त, 03 द्वारा बन्द हो चुके महाविद्यालयों/संस्थानों के पेंशनरों को वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत नियमित रूप से पेंशन का भुगतान करने के आदेश हैं।

विधान सभा क्षेत्र हण्डिया, जनपद इलाहाबाद में नेशनल हाइवे जी0 टी0 रोड फोर लेन के कार्य के कारण ग्रामीण मार्गों के ध्वस्त हो जाने के सम्बन्ध में श्री महेश नारायण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)--

जनपद इलाहाबाद में राष्ट्रीय मार्ग संख्या-2 (दिल्ली-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी मार्ग) के दो लेन से फोरलेन चौड़ीकरण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य कराने के लिए हण्डिया क्षेत्र में निम्नलिखित मार्गों पर प्लान्ट स्थापित किये गये हैं:--

1--जगुआ सोधा टेला अन्य जिला मार्ग के कि0मी0--3 में।

2--फूलपुर सदाबाद , अन्य जिला मार्ग के कि0मी0--5 में।

3--इलाहाबाद-गोरखपुर राज्य मार्ग--7 के कि0मी0-21 व 22 में।

4--गुमटी नं0--40 से कमलानगर, अन्य जिला मार्ग के किमी0-6 में।

इन प्लान्टों पर विभिन्न खदानों से सामग्री लाकर प्लान्ट्स में मिक्स तैयार कराकर भारी वाहनों से विभिन्न मार्गों से ढुलाई करके मिक्स कार्यस्थल पर पहुँचाया जाता है। इन प्लान्टों से मार्ग निर्माण के लिये सामग्री "मल्टी एक्सल" भारी वाहनों से ढुलाई कर फोर लेन मार्ग निर्माण में प्रयोग की जा रही है। प्रत्येक प्लान्ट से लगभग 100 स अधिक गाड़ियाँ प्रतिदिन सामग्री, निर्माण के लिये निकाली जा रही है तथा उतनी ही गाड़ियाँ से रॉ-मैटेरियल प्लान्टों पर पहुंचाया जाता है। उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों में से राज्य मार्ग के क्रस्ट की औसत मोटाई 28 सेमी0 है, प्रमुख जिला मार्गों क्रस्ट की औसत मोटाई 21.22 सेमी0 तथा ग्रामीण मार्गों के क्रस्ट की औसत मोटाई 15 से 16 सेमी0 है। इन मार्गों की क्रस्ट की मोटाई उपरोक्त अत्यन्त भारी यातायात को वहन करने के लिये अत्यन्त अपर्याप्त होने के कारण हण्डिया क्षेत्र के कुछ मार्गों के कतिपय किलोमीटरों की सतह क्षतिग्रस्त हो गयी है। उक्त मार्गों पर दुर्घटना का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

इन क्षतिग्रस्त मार्गों की विशेष मरम्मत/सुदृढ़ीकरण में काफी बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

शाहजहाँपुर की अधूरी पड़ी सीवर लाइन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)--

शाहजहाँपुर नगर की अधूरी पड़ी सीवर लाइन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11-3-2006 को दी गई सूचना पर दिनांक 20-3-2006 को निर्धारित वक्तव्य।

शाहजहाँपुर नगर की सीवरेज योजना अनुमानित लागत रु0 214.79 लाख वर्ष 1981-82 में स्वीकृत हुई थी।

श्री महबूब अली--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके चाहने वाले यहाँ बैठे हैं। इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उन्हें कमजोर क्यो मान रहे है ?

श्री महबूब अली--

मान्यवर, उनकी आवाज ही नहीं आ रही है।

श्री मुंशी लाल गौतम--

मान्यवर, यह आज की पढ़ाई नहीं है, यह पुराने पढ़े लिखे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, जिस वर्ष 1983-84 में अब तक रु0 198.81 लाख स्वीकृत किया गया है जिसके समक्ष रु0 195.083 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। योजना में प्रस्तावित कुल 23.00 कि0मी0 सीवर लाइन के समक्ष 1.73 कि0मी0 ट्रंक सीवर 2.8 कि0मी ब्रांच सीवर बिछायी गयी है, जो आंशिक रूप से चालू है। योजना माह दिसम्बर, 2004 में स्थानीय निकाय को हस्तगत की गयी है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे अब जल को स्थानीय नदी के समीप रेलवे लाइन के पास निस्तारित किया जा रहा है। पम्पिंग स्टेशन पूर्ण हैं।

(श्री किरनपाल सिंह जी द्वारा सदन से जाने पर)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

आप कहाँ जा रहे हैं ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (किरनपाल सिंह)--

मान्यवर, यह बहुत जल्दी-जल्दी पढ़ रहे हैं और हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इनसे कहें कि धीरे-धीरे पढ़ें।

श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा इनको पास का सार्टिफिकेट देना हे। अगर यह चले जायेंगे तो कौन देगा ?

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं तब भी उनका वक्तव्य पढ़ना जरूरी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पढ़ रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

एक पम्पिंग प्लान्ट अभी अधिष्ठापित नहीं है। सीवेज फार्म चेनल एवं आक्सीडेशन पाण्ड हेतु भूमि धनाभाव के कारण अभी अधिग्रहीत नहीं हुई है। योजना वर्ष 1981-82 के मूल्यों पर तथा 30 वर्ष की डिजाइन अवधि के लिये विरचित की गयी थी। 30 वर्ष में से 24 वर्ष व्यतीत हो चुके है। वर्तमान में योंजना के पुनर्गठन का प्राक्कलन यूआईडीएसएमटी कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित किया जा रहा है। योजना विरचन कर भारत सरकार को धनावंटन हेतु प्रेषित किये जाने तथा धन प्राप्त होने पर कार्य कराया जायेगा।

लखनऊ स्थित ऐतिहासिक टिकैतराय तालाब के रख-रखाव की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खॉ)--

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11-3-2006 को नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी कि मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ में राजा टिकैतराय द्वारा निर्मित एक पुराना ऐतिहासिक तालाब स्थित है। कालान्तर में इसके सूख जाने पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई की विकास निधि से इस तालाब में संगीतमय फव्वारे का निर्माण कराकर इसका सौन्दर्यीकरण कराया गया था। फव्वारे को चलाने का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा था परन्तु वर्तमान में इस ऐतिहासिक स्थल की उपेक्षा की जा रही है। यहाँ तक इसके मुख्य द्वार के खम्भे टूट कर गिर गये हैं और श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई के नाम का पत्थर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। टिकैतराय तालाब में फौवारा चलाये जाने की स्वीकृति दिसम्बर, 2005 में समाप्त हो गयी है किन्तु मुख्य अभियन्ता द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं दी जा रही है। इस ऐतिहासिक स्थल की ऐतिहासिकता बनाये रखने के लिये मेनगेट का पुनर्निर्माण कराने पट्टिका को पुन: ठीक कराने, पानी की आपूर्ति हेतु पुन: रिबोर कराने, रंगाई-पुताई कराने तथा सुरक्षा हेतु कम से कम दो गनमैन लगाये जाने हेतु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर वक्तव्य दिये जाने की मांग है।

2--इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्या के अनुसार यह अवगत कराना है कि मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ में राजा टिकैतराय द्वारा निर्मित पुराना ऐतिहासिक तालाब है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री/मा0 सांसद लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सांसद निधि की धनराशि रु0 15 लाख से वर्ष 1995-96 में उक्त तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन की स्थापना एवं इससे सम्बन्धित कार्य कराया गया था जिनका वार्षिक रख-रखाव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निरन्तर कराया जा रहा है। फव्वारे के संचालन एवं रख-रखाव पर प्राधिकरण द्वारा अनुमानत: रु0 1,40,000.00 प्रतिवर्ष व्यय किया रहा है। वर्तमान में भी फव्वारे के संचालन एवं वार्षिक अनुरक्षण की व्यवस्था की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिये भी अनुरक्षण मद में धनराशि की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

स्थानीय स्कूल की बसों द्वारा प्राय: तालाब की बाउण्ड्रीवाल एवं गेट को क्षति पहुंचाई जाती है जिसकी मरम्मत भी समय-समय पर करायी जाती है। तथा आगे भी करायी जायेगी।

गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों का विनिमितीकरण किये जाने के विषयक डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम मद संख्या 25 लेते हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)--

मान्यवर, मद संख्या 25 तो है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

वह आपके लिए नहीं है। आप विराजिये।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने आकाश वाणी में धीमी गति का एक समाचार सुना, आज उसका ऐक्शन रिप्ले हम लोगों ने इस सदन में देखा है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

आगे भी इसी तरह से पढ़ा जायेगा।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

हम लोगों को बातें समझ में आ गई, लेकिन आपके पीछे बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने शिक्षा जगत से सम्बन्धित इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर नियम 49 के अन्तर्गत मुझे चर्चा करने का अवसर दिया । उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा विधान सभा में हमारे द्वारा तीसरे सत्र में दूसरे मंगलवार को एक अतारांकित प्रश्न था, उस प्रश्न से और इसके दिये गये जवाब के सन्दर्भ से पैदा हुआ है। हमारा प्रश्न था कि क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय,

श्री महबूब अली--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के बाद यह सदन 23 तारीख को बैठेगा, आज कुछ लोगों को जाना है अपने घर, तो मैं चाहूंगा कि यदि चर्चा जारी रखी जाय, इसको 23 तारीख में ले लिया जायेगा।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

अब पूरी चर्चा करके सदन से जवाब लेना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष--

कब चाहेंगे ?

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

मान्यवर, 23 को नहीं बल्कि आज ही, उपाध्यक्ष महोदय अगर 45 मिनट वक्तव्य पढ़ने में लग सकता है और हम लोग सुन सकते हैं तो यह तो सीधे जन-हित का विषय है, यह चर्चा होनी चाहिये और सरकार का जवाब मिलना चाहिये अन्यथा मैं मानूंगा कि सरकार इनके माध्यम से यह बहस टालना चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती है, सरकार तय कर ले और सरकार निर्णय दे दे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

बिल्कुल चर्चा होगी।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

जी सर, हमारा प्रश्न था कि क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में कितने शिक्षक मानदेय पर कार्यरत है ? सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि गोरखपुर में 114 और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में 59 शिक्षक मानदेय पर कार्यरत है। महोदय हमारा दूसरा प्रश्न था कि क्या सरकार उनके नियमितीकरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि

नहीं तो क्यों ? उपाध्यक्ष महोदय बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने जो कुछ जवाब दिया वह न सिर्फ पूरी तरह संवेदनहीन था बल्कि वस्तुत: सरकार की. माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी वह लोग तो सुनना नहीं चाहते हैं आप ही तो सुनना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मैं चाहता हूं कि सम्बनिधत मंत्री भी उपस्थित रहें। मान्यवर, वैसे तो हमारी सामूहिक जवाब देने की जिम्मेदारी है। सम्बन्धित मंत्री जी को अगर बुला लें तो बेहतर होगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यह ठीक रहेगा कि जब मंत्री जी उपस्थित रहें तब चर्चा हो। हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

यह चर्चा आज तय हुई है और माननीय मंत्री जी को पहले से इसकी सूचना रही होगी। उन्हें आप कृपया निर्देशित करें कि वे सदन में आयें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आप उन्हें बुलाने के लिए कह रहे हैं । यह हो सकता है कि वे अपने यहां इसे सुन रहे हों।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, जो आपने बुलाने की बात कही है बेहतर होगा कि सम्बन्धित मंत्री आ जायें। हम लोग मिल करके ज्यादा अच्छा जवाब दे लेंगे।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

मान्यवर, पूर्व सूचना के बावजूद माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री अनुपस्थित हैं हमें इसका जवाब मिलना चाहिये कि वे क्यों अनुपस्थित हैं। क्या उनके रहे बिना यह चर्चा नहीं हो सकती है। यह सदन में आकर उनको बताना चाहिये कि क्यों अनुपस्थित हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मैंने यह कहा कि चर्चा तो हो सकती है। बेहतर होता कि वे यहां होते।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बहुत गम्भीरता से इस विषय को यहां लाये हैं। माननीय उच्च शिक्षा राज्यमंत्री यहां पर रहते तो बहुत सारी बातों का जवाब आपको मिलता।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

मान्यवर, अगर यह परसों के लिए रख कर टाल दिया जाए फिर भी जवाब न आये।

श्री उपाध्यक्ष--

टाला नहीं जायेगा, चर्चा जारी रहेगी।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, हम इसका उत्तर देंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, आप देखे कि इस विषय पर जो संवेदनशीलता होनी चाहिये थी वह सरकार की अपनी नीतियों से भी मेल नहीं खाती। मान्यवर, यह जो उत्तर आया है इसमें यह कहा गया है कि इन शिक्षकों का विनियमितीकरण नहीं किया जायेगा। जब यह प्रश्न पूछा गया कि क्यों नहीं किया जायेगा तो लिखित जवाब दिया गया कि इन शिक्षकों के विनियमितीकरण की कोई नीति ही नहीं है। मैं यह चर्चा इसलिये लाया हूँ कि यह जवाब सरकार की अपनी नीतियों के विपरीत है। सरकार की ओर से अपनी नीतियों की अवहेलना करके असत्य जवाब दिया गया है। मैं इसे सरकार के कागजों के साथ सिद्ध करने जा रहा हूँ।

मान्यवर, जो कुछ विषय में यहां रख रहा हूँ यह जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बारे में चर्चा होने जा रही है यह वह सारे शिक्षक है जो लेक्चरर नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं और उसे पूरी करते हैं। और उनके पास शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों का विशाल अनुभव है। मान्यवर, विश्वविद्यालय में जो सारे पद खाली हैं वह सृजित हैं और इन पदों के विपरीत सरकार धन भी देती होगी। मान्यवर, इन शिक्षकों के द्वारा अन्य शिक्षकों के समान कार्य करने के बावजूद सिर्फ 7000, 8000 रुपये की तनख्वाह दी जाती है और साल में सिर्फ 8 महीने ये काम करते हैं। जिस कारण से इन्हें हर साल नौकरी से निकाले जाने का खतरा बना रहता है। मान्यवर, गंभीर विषय यह है कि यह लेक्चरर पद पर 5000 रुपये , 6000 रुपये या 7000 रुपये महीने की फिक्सड तनख्वाह पर काम कर रहे हैं और जो हर शिक्षण कार्य से जुड़े व्यक्ति के लिए चिन्तन का विषय है।

मान्यवर, मैं सरकार की नीतियों के विपरीत इसे इसलिये कह रहा हूँ कि इस सरकार ने पूर्व में कुछ घोषणायें की है कि यह सरकार मानदेय की धनराशि के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का विनियमितीकरण करेगी। और इस सरकार इसी सदन में कुछ मानदेय शिक्षकों का विनियमितीकरण किया भी है। अब यह कहना कि इस तरीके से विनियमितीकरण किया जाना यह सरकार की नीतियों के विपरीत है यह पूरी तरह गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, यह समाजवादी पार्टी का घोषणा-पत्र है जिसमें कहा गया है कि "उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की बड़ी संख्या में कमी है। इसके बावजूद निश्चित मानदेय डिग्री शिक्षकों को विस्थापित किया गया है तथा जो कार्यरत है, उनका मानदेय खतरनाक सीमा तक अपर्याप्त है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आने पर निश्चित मानदेय डिग्री शिक्षकों को विनियमित करेगी तथा विस्थापित शिक्षकों को समायोजित करेगी।"

मान्यवर, इस घोषणा-पत्र के अनुरूप और पार्टी के सरकार में आने पर, पार्टी के लोग जो पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सामने जाते रहे हैं वह इस घोषणा-पत्र को दोहराते रहे हैं। उनमें से कुछ इसी माननीय सदन के सदस्य है माननीय शिव पाल यादव जी ने, माननीय उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राम आसरे विश्वकर्मा जी ने, स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने नागरिकों के बीच में अपनी घोषणाओं को दोहराया है और सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि हम इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सरकार में वर्ष 2004 में दो अध्यादेश लाये। पहला अध्यादेश था 20 मई, 2004 का अध्यादेश नं0 3/2004। दूसरा अध्यादेश था 7 जून, 2004 अध्यादेश 6/2004। पहले अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने अपने घोषणा-पत्र को लागू करने का प्रयास किया, मैं बधाई देता हूं और यही मेरी चिन्ता का विषय है। सरकार ने गोरखपुर

विश्वविद्यालय नही, राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश पारित किया बाद में उसे अधिनियम बनाया और 31 सी की धाराओं में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन करके यह घोषणा किया, विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यापक जिसकी नियुक्ति अल्पकालिक या अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में 31 दिसम्बर, 1997 यही डेट है जो समस्या का कारण है, 31 दिसम्बर, 1997 या उससे पूर्व अल्पकालिक या अंशकालीन व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए तत्समय प्रयुक्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये बिना की गयी थी कार्य परिषद द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है यदि उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो और यदि ऐसा अध्यापक (एक) 31 दिसम्बर, 1997 को इस रूप में अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनांक से निरन्तर कार्य कर रहा हो, (दो) मौलिक नियुक्ति के दिनांक से प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन 31 दिसम्बर, 1997 को पद पर नियमित नियुक्ति कि लिए अपेक्षित अर्हतायें रखता हो, (तीन) कार्य परिषद द्वारा नियमित नियुक्ति कि लिये उपयुक्त पाया गया हो । अर्थात सरकार ने अपनी घोषणा-पत्र को लागू करने का प्रयास किया, जिम्मेदारी के साथ प्रयास किया, सोच विचार कर प्रयास किया क्योंकि एक महीने के बाद दूसरा संशोधन है जो नम्बर 2 धारा मैंने पढ़ी है इसमें थोड़ा बदल दिया गया। यह मैं कह रहा हूँ बदल कर क्या मिलेगा । इसमें आपने कर दिया कि मौलिक नियुक्ति के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हतायें रखता हो। 31 दिसम्बर, 1997 को जो न्यूनतम अर्हता पूरी करते थे पहले अध्यादेश से उन्हें विनियमित कर दिया गया था। दूसरे अध्यादेश में 31 दिसम्बर, 1997 की शर्त हटा ली गयी उसमें कहा गया कि जो नियुक्त होंगे वह 31 दिसम्बर, 1997 तक होंगे, और यह जो 31 दिसम्बर, 1997 तक अर्हता पूरी नही करते होंगे वह 7 जून, 2004 को अर्हता पूरी कर लें या जब मौलिक नियुक्ति की जाय तब तक पूरी कर लें तब उन्हें विनियमित कर लिया जायेगा। मई, 2004 में यह अध्यादेश लाया गया। लोग प्रयास करते हैं कि लाभ पिछली डेट से दिया जाय। लेकिन यह अध्यादेश कर दिया गया कि 31 दिसम्बर, 1997 को जो अर्ह होंगे उन्हीं को विनियमित किया जायेगा। जो लोग 31 दिसम्बर, 1997 के पूर्व के थे उनको विनियमित कर दिया। अर्थात जो लोग 31 दिसम्बर, 1997 के पूर्व कार्यरत थे उनकी मौलिक अर्हता अगर 31 दिसम्बर, 1997 को नहीं भी थी वह अगर विनियमितीकरण के दिनांक तक हो गयी तो उनको विनियमित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर विश्वविद्यालय के उन मानदेय शिक्षकों को जो 31 दिसम्बर, 1997 को न्यूनतम अर्हता रखते थे उन्हें 31 दिसम्बर, 1997 के बाद की नियुक्ति के कारण विनियमित नहीं किया गया। अर्थात इस अधिनियम ने कुछ लोगों के साथ न्याय किया और कुछ लोगों के साथ अन्याय कर दिया। यह संविधान की मंशा के विपरीत है। संविधान बहुत साफ कहता है कि समान चीजों के साथ समान बर्ताव । पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक योग्यता के लोग, एक परिस्थिति में एक रिक्त पद के विपरीत काम कर रहे हैं जो सरकार पिता की तरह होती है और सारे नागरिक उसके पुत्र की तरह होते है। लाभ यदि किसी को दिया जाना चाहिये तो नियमों के अनुरूप सबको दिया जाना चाहिये। आज की चर्चा का विषय मैं इसीलिये लाया था क्योंकि इस नाते जो समस्या हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के बाद अपनी एक्जीक्यूटिव कौंसिल की मीटिंग की और इस अधिनियम से आगे जाकर जो शिक्षक पदों के विपरीत काम कर रहे थे, उनको

विनियमित किया। जो शिक्षक ऐसी जगहों पर काम कर रहे थे, जहाँ पद थे ही नहीं, उनको पद आने की प्रत्याशा में विनियमित कर दिया और कहा कि जब पद आयेंगे, तब विनियमित हो जायेंगे, तब तक यह काम करते रहेंगे। मान्यवर, मेरे पास सारे डाकूमेन्ट है, अगर आप कहेंगे तो हम आपके पास भिजवा देंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मूल विभाग में पद नहीं है तो किसी और जगह से पद बारी करके विनियमित कर दिया जाय। बाद में जब पद आयेंगे तो उसको उस विभाग में वापस कर दिया जायेगा। 24 और 26 कुल 50 लोगों का विनियमितीकरण लखनऊ विश्वविद्यालय में हो गया । मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूँ। मुझे इसके लिये दु:ख नहीं बल्कि सुख है। यह अच्छी बात है कि पार्टी ने जो घोषणा किया है, उस घोषणा को पूरा करना बुरा नहीं है। लेकिन कुछ के साथ न्याय करना और कुछ के साथ अन्याय करना गलत है। इसी प्रकार काशी विद्यापीठ में भी हुआ, इन्होंने बैठक की और जहाँ पद मौजूद थे, उन्हें विनियमित कर दिया और जहाँ पद मौजूद नहीं थें, वहाँ अपने मन से प्रस्ताव पारित कर दिया कि जब पद आयेंगे तो पद आने की प्रत्याशा में उनको मूल वेतन के 50 प्रतिशत के आधार पर विनियमित किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके बीच में यह चर्चा लेकर मैं इसलिये आया था क्योंकि यह सदन के द्वारा पारित अधिनियम था, जिम्मेदारी तो हम लोगों की भी बनती थीं। कि जब अधिनियम पारित हो तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि उसको पढ़ना और जो विसंगतियां हों, उनका विरोध करना, सरकार को समझाना और चीजों को बेहतर कराने का प्रयास करना, यह हम लोगों का दायित्व है, मैं अपने आपको इस दायित्व से जोड़कर कह रहा हूं। यह हम लोगों का सामूहिक दायित्व है कि जब एक बार अधिनियम पारित हो जाता है तो वह सत्ता पक्ष से आता जरूर आता है लेकिन होता वह सामूहिक अधिनियम है। हम सबका यह प्रयास होना चाहिये कि यह असहमति या विसंगतियां जो इस अधिनियम में आई थी, उनको दूर किया जाता।

न्याय अगर लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ के साथ हुआ था तो न्याय सबके साथ किया जाना चाहिये था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैंने अपनी ओर से एक निजी उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2006 बनाकर इसी सदन में प्रस्तुत किया, विधान सभा अध्यक्ष के पास, लेकिन आज तक वह चर्चा में नहीं आ पाया । मुझे इसका दु:ख है क्योंकि यह विधायिका बनी इसलिये है, न्याय की अवधारणा कभी स्टेटिक नहीं होती। हम लोग कहते हैं कि न्याय स्थायित्व देगा, निश्चिन्तता देगा लेकिन हमेशा परिवर्तनशील होगा। काम करने के दौरान जब उसमें लगता है कि हमने कोई ऐसी विधि बनाई है जो अधूरी रह गयी है या जिसके बनाने के नाते कोई विसंगति हो गयी तो हम सारे सदन में बैठे लोगों का यह दायित्व बनता है कि सोच विचार कर बिना किसी प्रकार के अहम या इगो और पार्टी सीमाओं में बंधे हुये, यदि कुछ समस्यायें पैदा हुयी है तो हमें उनमें संशोधन करके अपनी विधियों को पुनर्निर्मित कर लें। हमें यह अधिकार संविधान देता है और हमसे यह अपेक्षा संसद रखती है और पूरे प्रदेश के नागरिक रखते हैं। न्याय व्यवस्था इसकी मांग करती है। हमसे अपेक्षा करती है कि न्याय सिर्फ न्याय नहीं होना चाहिये, बल्कि दिखना चाहिये। फेयरनेस होना चाहिये । हम जो भी काम करते है, न्याय की जो अवधारणा बनाई जाती है, न्याय के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि विधियां बनाते समय हम कड़े नहीं होते, न्याय का अति परिवर्तनीय स्वरूप न्याय नहीं रिजिट दिखाई देता है। समाज जैसे-जैसे बदलता है, आर्थिक परिस्थितियां जैसे-जैसे बदलती हैं, समाज में नये माहौल जैसे बनते हैं, हमें सब खुले दिमाग से

विचार करते हैं कि हम अपनी नीतियों, नियमों में किस प्रकार के परिवर्तन करें कि जो कुछ विसंगतियां है, उनको दूर कर लिया जाए। यह चर्चा सिर्फ इसलिये है कि जो विसंगतियां पुराने अधिनियमों में आ गई है, उन्हें दूर किया जाए। सरकार अपनी ओर से एक अधिनियम प्रस्तुत करके उसमें सुधार करके गोरखपुर विश्वविद्यालय के 114 और 59 मानदेय शिक्षकों को, जो सचमुच में बहुत पीड़ा में हैं। चालीस साल की उम्र, पैंतीस साल की उम्र हो चुकी है, तीन-तीन बच्चों के बाप हैं, युनिवर्सिटी के लोगों को पढ़ाते हैं, सात हजार, आठ हजार रुपये की तनख्वाह है, विश्वविद्यालय का कुलपति चपरासी की तरह व्यवहार करता है, जब चाहता है कह देता है निकल जाओ, तुम्हारी यहां पर आवश्यकता नहीं है, जब कि वह एक सामान्य शिक्षक से कहीं अधिक मेहनत से पढ़ाते हैं इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय से कृपा चाहूंगा और संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि यह विसंगतियां समस्या पैदा करती है, मैं आपको बताऊं मेडिकल कालेज की समस्या के बारे में एक सेकेण्ड ले रहा हूं। मेडिकल कालेज में शिक्षकों की कमी की समस्या चल रही है, मैं इतने दिनों से बार-बार कह रहा हूं कि यदि यह कमी दूर नहीं की गई तो मान्यता रद्द हो जायेगी। लखनऊ मेडिकल कालेज में दो शासनादेश निकाले गये, लखनऊ मेडिकल कालेज में जो गैरशैक्षणिक पदों पर कार्य करने वाले चिकित्सक थे, उनको शासनादेश के माध्यम से शिक्षक पदों में बदल दिया गया। कोई इण्टरव्यू नहीं हुआ, कोई लोक सेवा आयोग नहीं गया, तो मान्यवर, जब वह गैर चिकित्सक शिक्षक थे, उन्होंने लोक सेवा आयोग को फस नहीं किया, लेक्चरर बनने की योग्यता थी तो शासनादेशों के माध्यम से उन गैर चिकित्सकों को शिक्षक पदों में कन्वर्ट कर दिया गया । इसे सरकार ने यह काम गोरखपुर मेडिकल कालेज के साथ किया होता तो गोरखपुर मेडिकल कालेज में 44 शिक्षकों की कमी की जो समस्या है, वह चुटकी बजाते दूर हो जाती। ऐसे ढेरों चिकित्सक प्रोवेन्शियल मेडिकल कालेज, हेल्थ सर्विसेज में काम कर रहे हैं, जिनके पास लेक्चरर की योग्यता है, योग्य हैं और वह जाना चाहते हैं। मान्यवर, सरकार, पहले 1990-2001 में ऐसा कर चुकी है, सरकार को केवल उन्हीं शासनादेशों को जो उसने मेडिकल कालेज में लागू किया, वही बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज में लागू कर देना था और यह श्रेय लेना था कि देखो हमारे कार्यकाल में शिक्षकों की कमी की समस्या दूर हो गई। मैं सिर्फ इसी बात के लिए कह रहा हूं कि जो विसंगति आई है, संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, यह नैतिक विषय है, इसमें किसी शिक्षा मंत्री की जरूरत भी नहीं है, मेरा केवल इतना कहना है कि अगर लाभ दिया जाए तो सबको दिया और अगर न दिया जाए तो किसी को न दिया जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, गम्भीर प्रश्न है, लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति से और जैसा आपने कहा कि सरकार की नीति और पार्टी की नियति दोनों चीजें साथ में रहे मैं इस पर बड़ी लम्बी बहस में नहीं जाना चाहता क्योंकि डाक्टर साहब आम तौर से ऐसे मुद्दे रखते हैं, जो ज्वलन्त हों और जो बेकार के न हों, जिनको कोई मकसद हो, उनकी नियति कभी बेकार नहीं रहती। अच्छा होता आज हमारे शिक्षा मंत्री महोदय भी यहां पर उपस्थित होते और वह इस स्थिति में होते कि कुछ आश्वासन दे सकते। जो पत्रावली में मामला है, यह मामला हाई कोर्ट में भी है। जहां अशासकीय सहायता प्राप्त करने वालों के मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रश्न है, यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

डा0 राधा मोहन अग्रवाल--

मान्यवर, मैं दो बातों को कहना चाहूंगा, मैं मान्यवर, आपकी बात से सहमत हूँ, पहली बात मैं कहूंगा कि मानदेय शिक्षकों के विनियमितीकरण में कोई आर्थिक समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या इसलिए नहीं है क्यों कि यह सब पद सृजित हैं, कोई नया पद सृजित नहीं करना है, जो भी टीचर अप्वाइन्ट होंगे वह जो सृजित पद हैं उन पर रेगुलराइज किये जायेंगें। दूसरी चीज यह है कि जो हाई कोर्ट की बात आप कह रहे हैं, मैं जानता था और यह दोनों चीजें में इसीलिए एक साथ जोड़ करके लाया था, उच्चतम न्यायालय की जो बात कर रहे हैं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में, गोरखपुर विश्वविद्यालय के 114 शिक्षकों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के 59 शिक्षकों का मामला है। जो आप हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं वह सम्बद्ध महाविद्यालयों से सम्बद्ध 59 शिक्षकों के लिए है। यदि हाईकोर्ट कारण है तो गोरखपुर विश्वविद्यालयों के 114 शिक्षकों पर कोई मुकदमा नहीं है, आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

थोड़ा सा मैं कानून का छात्र रहा हूँ, जो नये तरीके से कानून का एक्सप्लानेशन हो रहा है। और अदालतों से जिस तरह के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि ऐसा रिलीफ, ऐसी प्रे जो नहीं की गयी हो, उससे हटकर भी अदालतों से आदेश मिल जाते हैं। क्योंकि अदालत को हम इस बात के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकते, बाधित नहीं कर सकते कि जो मुकदमा उनके सामने है उसमें कोई चीज अगर ऐसी छूट गयी है, कोई ऐसी रिलीफ मांगने से रह गया है, जिस रिलीफ को देना जरूरी समझती है तो वह रिलीफ दे सकती है। ऐसा बहुत से केसेज में देखने को मिला है और मान्यवर, जिस तरह से हमारी कमियों की पकड़ हो रही है तो अच्छा है, बड़ी सेहतमन्द अलामत है तो थोड़ा सा न्यायालय के इस मुकदमें पर भी नजर रहनी चाहिये और बगैर उसके यहां पर किसी तरह का आश्वासन देना सम्भव नहीं होगा। मेरे ख्याल से भी बेहतर होगा कि माननीय मंत्री जी भी हों, मैं भी रहूं डाक्टर साहब हों, आप भी रहें और अध्यक्ष जी की मौजूदगी में बकायदा बात हो। न आपकी तरफ से कोई जिद है न हमारी तरफ से है। अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठकर इसका कोई रास्ता निकालें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसको बहुत गम्भीरता से लिया है, बहुत अच्छी बात है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मैं आभारी हूँ, आपसे आग्रह करता हूं कि मीटिंग की तिथि तय कर लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि संसदीय कार्यमंत्री जी सम्बन्धित मा0 मंत्री जी को इस विषय में अवगत करा दें और माननीय अध्यक्ष जी के साथ में बैठकर निदान निकाल लें।

अब हम उठते हैं, 23 मार्च, 2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 42 मिनट पर गुरुवार, दिनांक 23-3-2006 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 20 मार्च, 2006।

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'ख'

देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा

पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 का संलग्नक

गोरखपुर महानगर में स्थित सुअरबाड़ों के स्थानों की सूची--

क्र0 सं0	सुअरबाड़ों के स्थान का नाम	क्र0 सं0	सुअरबाड़ों के स्थान का नाम
1	पावरहाउस रोड मुहद्दीपुर	27	मुहई सुधरपुर
2	मुहद्दीपुर रेलवे कालोनी	28	बर्फखाना राजघाट
3	भैरोपुर	29	महेवा चुंगी प्रेमचन्द पार्क
4	शिवपुर	30	तुर्कमानपुर भैसाखाना
5	नवलपुरवा	31	बर्फखाना राजघाट
6	महादेव झारखण्डी विशुनपुरवा	32	चकराअव्वल राजघाट
7	मलिन बस्ती शाहपुर	33	भैसाखाना डोमखाना
8	मुगलहां	34	तुर्कमानपुर भैसाखाना
9	मानबेला भरवरिया	35	तुर्कमानपुर
10	मलिन बस्ती शाहपुर	36	तुर्कमानपुर बर्फखाना रोड
11	मलिन बस्ती शाहपुर	37	नौसड़
12	मुगलहां	38	डोमखाना रोड सुभाष नगर
13	मानबेला भरवरिया	39	भिर्जापुर पचपेड़वा
14	शाहपुर मलिन बस्ती	40	सुभाष नगर डोमखाना रोड
15	व्यासनगर	41	जटेपुर उत्तरी सुभाषनगर
16	शिवपुर सहबाजगंज	42	डोमखाना सुभाष नगर
17	व्यासनगर	43	अधियारी बाग उ0 हरिजन बस्ती
18	बसन्तपुर डोमखाना	44	आम्बेडकर सूर्यकुण्ड
19	हावर्टबांस बसन्तपुर	45	सुभाष नगर डोमखाना
20	बसन्तपुर डोमखाना	46	आजाद नगर
21	बसन्तपुर हावर्टबांस	47	आम्बेडकर नगर
22	बसन्तपुर डोमखाना	48	हरिजन बस्ती हड़हवा फाटक
23	माधोपुर हरिजन बस्ती	49	आजाद नगर पचपेड़वा
24	हावर्ट बांध बसन्तपुर	50	भिर्जापुर पचपेड़वा
25	बसन्तपुर डोमखाना	51	जटेपुर उत्तरी
26	बर्फखाना राजघाट	52	राजी टोला भगवानपुर
		53	बरगदहां विकास नगर
		54	शाहपुर मलिन बस्ती

नत्थी 'ख'

देखिये अता0 प्र0 सं0-70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62--63 पर

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ

तहसीलों की सूची, जहाँ बैंक की शाखायें कार्य नहीं कर रही हैं--

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	क्र0 सं0	जनपद	तहसील
1	बुलन्दशहर	शिकारपुर	26	देवरिया	भाटपार रानी
2	बागपत	खेकड़ा	27	देवरिया	बरहज
3	अलीगढ़	गभाना	28	कुशीनगर	तमकुही राज
4	फिरोजाबाद	टुण्डला	29	बस्ती	भानपुर
5	कानपुर देहात	सिकन्दरा	30	सिद्धार्थनगर	इटवा
6	कानपुर देहात	रसूलाबाद	31	सिद्धार्थनगर	शोहरतगढ़
7	इटावा	जसवन्तनगर	32	संतकबीरनगर	धनवटा
8	फर्रुखाबाद	अमृतपुर	33	संतकबीरनगर	मेहदावल
9	इलाहाबाद	बारा	34	उन्नाव	बीघापुर
10	इलाहाबाद	कोरांव	35	रायबरेली	तिलोई
11	झांसी	तहरौली	36	रायबरेली	ऊँचाहार
12	जालौन	माधोगढ़	37	हरदोई	सवायजपुर
13	जौनपुर	बदलापुर	38	फैजाबाद	सोहावल
14	गाजीपुर	जखनियां	39	फैजाबाद	रुदौली
15	चन्दौली	सकलडीहा	40	सुल्तानपुर	गौरीगंज
16	मिर्जापुर	मड़िहान	41	सुल्तानपुर	लम्भुआ
17	सोनभद्र	घोरावल	42	अम्बेडकरनगर	मिल्कीपुर
18	सन्तरविदास नगर	भदोही	43	अम्बेडकरनगर	आलापुर
19	आजमगढ़	निजामाबाद	44	महोबा	चरखारी
20	मऊ	मधुवन	45	बांदा	अतर्रा
21	बलिया	बैरिया	46	चित्रकूट	मऊ
22	बलिया	सिकन्दरपुर	47	श्रावस्ती	इकोना
23	गोरखपुर	गोला	48	श्रावस्ती	प्रयागपुर
24	गोरखपुर	चौरीचौरा	49	बहराईच	महसी
25	गोरखपुर	कैम्पियरगंज			

नत्थी 'ग'

देखिये अता0 प्र0 सं0-77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64--65 पर

मा0 विधायक श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के उत्तरालेख का संलग्नक

क्र0 सं0	विकास खण्ड	प्रथम ग्रेड उत्तीर्ण	रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त समूह	सी0 सी0 एल0 स्वीकृति	द्वितीय ग्रेड उत्तीर्ण
1	सदर	90	82	83	48
2	मानधाता	157	146	129	39
3	साँगीपुर	227	111	105	80
4	लक्ष्मणपुर	88	84	58	13
5	सण्डवा चन्द्रिका	151	138	102	41
6	पट्टी	75	77	63	35
7	गौरा	100	95	69	50
8	शिवगढ़	66	68	66	23
9	मुंगरौरा	48	55	80	29
10	आसपुर देवसरा	164	130	125	51
11	कुण्डा	61	101	84	59
12	बाबागंज	138	148	111	48
13	बिहार	58	53	44	31
14	लालगंज	60	42	34	19
15	रामपुर संग्रामगढ़	84	90	65	24
16	कालाकांकर	91	84	72	24
17	बाबा बेलखरनाथ धाम	44	41	40	13
	योग ...	**1702**	**1545**	**1330**	**627**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विकास खण्डवार चयनित मुख्य क्रियाकलाप

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	चयनित मुख्य क्रियाकलाप का नाम
1	सदर	1--डेयरी/वर्मी कल्चर, 2--अगरबत्ती/मोमबत्ती निर्माण, 3--पौध नर्सरी एवं सब्जी की खेती, 4--बकरी पालन, 5--सूकर पालन, 6--रेडी मेड गारमेन्ट, 7--लौह कला/काष्ठ कला, 8--टेन्ट हाउस/केटरिंग, 9--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स, 10--एग्रीक्लीनिक।
2	मान्धाता	1--डेयरी, 2--सन सुतली /मुज बाध, 3--रेडीमेड गारमेन्ट, 4--बकरी पालन, 5--सूकर पालन, 6--कुक्कुट पालन, 7--एग्रीक्लीनिक, 8--फल संरक्षण, 9--मत्स्य पालन, 10--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स।
3	सांगीपुर	1--बकरी पालन, 2--सूकर पालन, 3--कुक्कुट पालन, 4--डेयरी सह वर्मी कल्चर, 5----कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स, 6--मत्स्य पालन, 7--सब्जी की खेती, 8--एग्री क्लीनिक, 9--लौह कला/काष्ठ कला, 10--मसरूम।
4	लक्ष्मणपुर	1--डेयरी, 2--रेसा रस्सी/टाट पट्टी, 3--रेडीमेड गारमेन्ट, 4--बकरी पालन, 5--सूकर पालन, 6--लौह कला/काष्ठ कला, 7--बेकरी, 8--सब्जी की खेती, 9--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स, 10--एग्री क्लीनिक।
5	सण्डवा चन्द्रिका	1--डेयरी, 2--टाट पट्टी/सन सुतली, 3--मूंज बाध, 4--बकरी पालन, 5--टोकरी बनाना, 6--लौह कला/काष्ठ कला, 7--टेन्ट हाऊस, एण्ड कैटरिंग, 8--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स, 9--एग्री क्लीनिक।
6	पट्टी	1--डेयरी, 2--मत्स्य पालन, 3--बकरी पालन, 4--लौह कला/काष्ठ कला, 5--सूकर पालन, 6--टेन्ट हाउस एण्ड कैटरिंग, 7--रेडीमेड गारमेन्ट, 8--मसरूम की खेती, 9--राइस मिल, 10--एग्री क्लीनिक, 11--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स।
7	गौरा	1--कालीन बुनाई, 2--डेयरी, 3--फल संरक्षण, 4--बकरी पालन, 5--लौह कला/काष्ठ कला, 6--रेडीमेड गारमेन्ट, 7--बर्मी कम्पोस्ट, 8--सूकर पालन, 9--एग्री क्लीनिक, 10--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स।
8	मंगरौरा	1--सन सुतली, 2--डेयरी, 3--फल संरक्षण, 4--बकरी पालन, 5--सूकर पालन, 6--टाट पट्टी/कतरन दरी, 7--राइस मिल, 8--फूल की खेती, 9--सब्जी की खेती, 10--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स ।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	चयनित मुख्य क्रियाकलाप का नाम
9	आसपुर देवसरा	1--डेयरी, 2--बकरी पालन, 3--लौह कला/काष्ठ कला, 4--सूकर पालन, 5--मत्स्य पालन, 6--टेन्ट हाउस एण्ड कैटरिंग, 7--रेडीमेड गारमेन्ट, 8--मसरूम की खेती, 9--राइस मिल, 10--एग्री क्लीनिक, 11--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स ।
10	शिवगढ़	1--डेयरी सह बर्मी कल्चर, 2--खाद्य एवं फल संरक्षण, 3--सूकर पालन/बकरीपालन, 4--रेडीमेड गारमेन्ट, 5--काष्ठ कला, 6--फलोरी कल्चर, 7--मसाला उद्योग, 8--सब्जी की खेती, 9--टेन्ट हाउस एण्ड कैटरिंग, 10--एग्री क्लीनिक, 11--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स ।
11	कुण्डा	1--डेयरी, 2--बकरी पालन/सूकर पालन, 3--फल संरक्षण, 4--मूंज बाध, 5--अगरबत्ती/मोमबती, 6--टोकरी बनाना, 7--मधुमक्खी पालन, 8--सब्जी की खेती, 9--रेडीमेड गारमेन्ट, 10--उन्नत सीड बीज उत्पादन, 11--एग्री क्लीनिक, 12--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स ।
12	लालगंज	1--डेयरी, 2--बकरी पालन, 3--लौह कला/काष्ठ कला, 4--फलोरी कल्चर, 5--पौष्टिक आटा निर्माण, 6--रेडीमेड गारमेन्ट, 7--टेन्ट हाउस एण्ड कैटरिंग, 8--बर्मी कल्चर, 9--एग्री क्लीनिक, 10--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स ।
13	बिहार	1--डेयरी, 2--बकरी पालन/सूकर पालन, 3--सूकर पालन, 4--अगरबत्ती निर्माण, 5--टोकरी बनाना, 6--बीज उत्पादन, 7--रेडीमेड गारमेन्ट, 8--सब्जी की खेती, 9--एग्री क्लीनिक, 10--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स।
14	बाबागंज	1--डेयरी, 2--मत्स्य पालन, 3--आटा पैंकिग, 4--बेकरी उद्योग, 5--मिल्क प्रोडक्ट, 6--बकरी पालन, 7--सूकर पालन, 8--एग्री क्लीनिक, 9--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स।
15	रामपुर संग्रामगढ़	1--डेयरी सह बर्मी कल्चर, 2--अगरबत्ती/मोमबत्ती निर्माण, 3--पौध नर्सरी एवं सब्जी की खेती, 4--बकरी पालन, 5--सूकर पालन, 6--रेडीमेड गारमेन्ट, 7--लौह कला/काष्ठ कला, 8--टेन्ट हाउस एण्ड कैटरिंग, 9--एग्री क्लीनिक, 10--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	चयनित मुख्य क्रियाकलाप का नाम
16	बाबा बेलखरनाथ धाम	1--डेयरी सह बर्मी कल्चर, 2--खाद्य एवं फल संरक्षण, 3--सूकर पालन एवं बकरी पालन, 4--रेडीमेड गारमेन्ट, 5--फलौरी कल्चर, 6--मसाला उद्योग, 7--काष्ठ कला, 8--सब्जी की खेती, 9--टेन्ट हाउस एण्ड कैटरिंग, 10--एग्री क्लीनिक, 11--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स।
17	कालाकांकर	1--डेयरी , 2--बकरी पालन, 3--रेसा रस्सी/मूंज बाध, 4--मसाला उद्योग, 5--पौध नर्सरी, 6--सूकर पालन, 7--मत्स्य पालन, 8--सिरका निर्माण, 9--एग्री क्लीनिक, 10--कम्प्यूटर एण्ड एलाइड वर्क्स।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'घ'

देखिये अता0 प्र0 सं0 186 का उत्तर पीछे पृष्ठ 107 पर

संलग्नक सूची-1

क्र0 सं0	सड़क का नाम
1	आनन्द वन पब्लिक स्कूल से ईश्वरनाथ मार्ग
2	यू0 एफ0 ए0 मार्ग से गोरे मार्ग
3	पृथ्वीगंज जमूरी मार्ग से बुधई मार्ग
4	रेलवे फाटक से भंगवा लिंक मार्ग
5	शंकरगंज दुर्गागंज मार्ग से पूरनपुर पटखन मार्ग
6	लखनऊ वाराणसी मार्ग से देवघाट मार्ग
7	पूरे हिरामन लिंक मार्ग
8	भंगवा से खजूरनी मार्ग (शेष भाग)
9	जगदीशपुर-प्रतापगढ़ मार्ग से अमामऊ जैतीपुर मार्ग
10	मगहिलवा देवघाट मार्ग
11	लक्ष्मीगंज सराय अनादेव मार्ग का अवशेष कार्य 7, 8 व 9 किमी0 पर
12	मान्धाता वैश्यपुर (शेष मार्ग)
13	प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह से अहिनहा लिंक मार्ग
14	वैश्यपुर मार्ग से धरमपुर लिंक मार्ग
15	जैठवाड़ा मान्धाता मार्ग से धानीपुर लिंक मार्ग
16	मान्धाता वैश्यपुर मार्ग से जाखापुर लिंक मार्ग
17	प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह मार्ग (शेष भाग)
18	मिश्रापुर लिंक मार्ग
19	बरिता लिंक मार्ग (शेष भाग)
20	प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह मार्ग से धीरा लिंक मार्ग
21	लक्ष्मीगंज दौलतगंज मार्ग से बरिस्ता लिंक मार्ग
22	मान्धाता बैरापुर से हैंसी परजी हैंसी जयचन्द रोड
23	लक्ष्मीगंज रोड से नगियापुर पर्वतपुर मार्ग
24	यू0 एफ0 ए0 मार्ग से पूरे टिकई
25	मान्धाता कटरा गुलाब सिंह से नन्दा का पुरवा मार्ग
26	रायपुर औबार से नमक शक्कर मार्ग
27	इसौपुर गंगाघाट से गढ़ी चकदेइया मार्ग

संलग्न सूची-2

क्र0 सं0	सड़क का नाम
1	**यू0 एफ0 ए0 मार्ग से भंगवा से पूरो मोहन सं0 मार्ग**
2	**एल0 बी0 मार्ग से नसीरपुर मार्ग**
3	**यू0 एफ0 ए0 मार्ग से जहनईपुर मार्ग**
4	**प्रतापगढ़ कटरागुलाब सिंह मार्ग से गरेहरी**
5	**प्रतापगढ़ कटरागुलाब सिंह मार्ग सराय देवराय**
6	**मान्धाता छितपालगढ़ से तरवल**
7	**एल0 बी0 मार्ग किमी0 66 से बनबीर कांछ**
8	**प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह मार्ग किमी0 28 से धाम**
9	**ज0 जो0 ए0 पी0 मार्ग किमी0 36 से रंजीतपुर भटान**
10	**जे0 जी0 ए0 पी0 मार्ग से सराय वीरभद्र**

उत्तर प्रदेश विधान सभा